लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 22 अगस्त, 1991 / 31 श्रावण, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
24	नीचे से पंक्ति 5	"शुल्क" के स्थान पर "शुक्ल" पढ़िये।
70	3	"की" के स्थान पर "को" पढ़िये।
299	4, 9 तथा 27	"श्री हरधान" के स्थान पर "श्री हाराधन" पढ़िये।

दशम माला, खंड 3, अंक 30

गुरुवार, 22 अगस्त, 1991
31 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 3 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय–सूची

दशम माला, खंड 3 पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 30 गुरुवार, 22 अगस्त, 1991/31 श्रावण, 1913 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	....	1—23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 508 और 510 से 513		
प्रश्नों के लिखित उत्तर	...	24—239
तारांकित प्रश्न संख्या : 509 और 514 से 527	...	24—41
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3818 से 3835, 3837 से 3875, 3877 से 3940, 3942 से 4019, 4021 से 4033 और 4035 से 4048	....	41—229
सभा पटल पर रखे गये पत्र		240—241
विधेयक-पुर स्थापित		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क विधि (संशोधन) विधेयक, 1991	...	241—242

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

नियम 377 के अधीन मामले .... 245—247

(एक) महाराष्ट्र के रत्नगिरि और सिंधदुर्ग जिले के लोगों को दूरदर्शन सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता
श्री सुधीर सावंत 243

(दो) त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने और एक और प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने की आवश्यकता
श्री ए० चार्ल्स 244

(तीन) राज्य सरकारों की ओर से गैर-सरकारी आयोजकों द्वारा चलाई जा रही अनधिकृत लाटरियों पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता
प्रो० सावित्री लक्ष्मणन .... 244—245

(चार) हैदराबाद में हुसैन सागर झील से बुद्ध की मूर्ति खोजने और उसे झील के बीच में स्थापित करने की आवश्यकता
श्री बंडारू दत्तात्रेय 245

(पांच) गया और दिल्ली के बीच एक नई रेलगाड़ी शुरू करने और इस मार्ग पर डीलक्स एक्सप्रेस को नियमित करने की आवश्यकता
श्री छेदी पासवान 245—246

(छः) कागज लिपटी बीड़ियों पर शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव की समीक्षा करने की आवश्यकता
प्रो० सुदर्शन राय चौधरी 246

(सात) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में योग्य उम्मीदवारों का प्रवेश सुनिश्चित करने की आवश्यकता
श्री मोरेश्वर सावे .... 246—247

(आठ) राजस्थान में अजमेर में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता
प्रो० रासा सिंह रावत 247

अनुदान की मांगें (सामान्य) 1991-92 ... 247—322

उद्योग मन्त्रालय — जारी

श्री याइमासिंह युमनाम .... 247—249
श्री सुखराम .... 250—254
श्री एच० डी० देवगौड़ा .... 254—261
प्रो० प्रेमधूमल ... . 261—264
श्री छेदी पासवान ... . 264—267
श्री सूरज मंडल ... ... 267—273
श्रीमती बासवा राजेश्वरी .... 273—278
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ... 278—280
श्री भेरू लाल मीणा ... . 280—284
श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक .... 284—290
श्री बोल्ला बुल्ली रमैया ... . 290—293
श्री हाराधन राय .... 293—300
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये .... 300—301
श्री रतिलाल वर्मा ... . 301—304
श्री सुनील दत्त .... 304—309
डा० जयन्त रंगपी ... . 309—312
श्री के० राममूर्ति टिण्डिवनम .... 312—316
श्री राम निहोर राय ... . 316—320
कुमारी फिडा तोपनो .... 320—321
श्री विजय एन० पाटिल ... . 321—324
श्री पी० सी० थामस .... 324—327
प्रो० के० वी० थामस ... 327—332
श्री राम कापसे .... —332

लोक सभा

गुरुवार, 22 अगस्त, 1991/31 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा 11.01 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.01 म० प०

पंजाब समस्या का समाधान

+

*508. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख
डा० सुधीर राय } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब समस्या को हल करने हेतु कोई नई पहल की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) और (ख) सरकार पंजाब समस्या को सुलझाने के लिए निष्ठा पूर्वक प्रयास करने के लिए वचनबद्ध है तथा इस समस्या का हल ढूंढने के लिए आवश्यक कोई भी नया कदम उठाने के

लिए तत्पर है। सरकार सभी बिना सुलझाए मुद्दों का विस्तृत हल ढूंढने के लिए भी वचनबद्ध है। इस बात को सुनिश्चित करने से लिए अपेक्षित प्रयास भी किए जायेंगे कि उग्रवादियों के साथ मिले हुए विभ्रान्त युवक सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों की मुख्य धारा में लौट आएं तथा हिंसा और आतंकवाद से दूर रहें। सरकार उन सभी व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, जो भारत के संविधान के ढांचे को स्वीकार करने को तैयार हों और देश की क्षेत्रीय अखण्डता तथा प्रभुसत्ता को खतरे में न डालते हों।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : अध्यक्ष महोदय, पंजाब की समस्या 9वीं लोक सभा में भी सभी सांसदों ने रखी थी। चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन हमेशा इस समस्या पर 9वीं लोकसभा में भी और अब 10वीं लोकसभा में हम ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, चाहे सरकार कांग्रेस की हो और किसी की हो, लेकिन समस्या वही है। इसको सुलझाने के लिए जब हम सांसद लोग सवाल करते हैं तो सवाल का जवाब सिर्फ नॉर्मल आता है। कहते हैं कि कदम उठा रहे हैं, वचनबद्ध हैं, परन्तु ये सारी बातें कागजों पर हैं और अमल में वह चीजें आती नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री इसका जवाब दें। सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तान ने आतंकवादियों की मदद के लिए और प्रशिक्षण के लिए जो अड्डे और केन्द्र खोले हैं, वह नष्ट करने की क्या कुछ योजना है? यदि है तो उस पर अमल कब होगा? इसमें मेरा एक सवाल है कि जो सीमा पर "नो मैन्स लैंड" पर एक किलोमीटर चौड़ी पट्टी बनानी थी, उस योजना की क्या स्थिति है? क्या योजना बनी है या नहीं?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : सीमापार प्रशिक्षण केन्द्रों के बारे में सरकार को जानकारी है और इन कैम्पों को नष्ट करने के लिए विभिन्न स्तरों पर चर्चा की गई थी। यहां तक की पाकिस्तान की भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो के विशेष दूत यहां आये थे और इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। दोनों देशों के गृह मन्त्रियों ने भी इस विषय पर चर्चा की थी।

उन्होंने प्रश्न का जो दूसरा भाग पूछा है उसके बारे में प्रयास जारी है कि सीमापार इस देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले प्रशिक्षण केन्द्र न चलते रहें।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : मैं इसी के मामले में कुछ पूछना चाहता हूं। क्या ऐसी कोई योजना है कि जो सेना से निवृत्त हुए सैनिक हैं, उन को अगर वहां बसा दिया जाए तो वही लोग अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। क्या ऐसी कुछ योजना आपके पास है?

दूसरा हमारा सवाल है कि जो लोग आज तक उजड़े हैं, कुछ लोग पंजाब छोड़कर दिल्ली तथा अन्य राज्यों में आए हैं, उनको फिर से पंजाब में बसाने की अगर शुरूआत होगी तो आपके द्वारा उनके लिए वहां सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? अगर इस बात पर विस्तृत रूप से ब्यौरा दे सकते हैं तो सभासद उसको पारित कर सकते हैं। क्योंकि बातें सिर्फ कागजों पर रहती हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं, देशमुख जी, आप भाषण कर रहे हैं। आप प्रश्न पूछिये।

श्री अशोकराव आनन्दराव देशमुख : मेरा सवाल यह है कि जो सेवा-निवृत्त सैनिक हैं, उन्हें सीमा पर बसाने के लिए क्या किया गया है, कुछ सरकार के पास योजना है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री अशोकराव आनन्दराव देशमुख : मेरा दूसरा सवाल है कि जो लोग पंजाब में, या दिल्ली में या अन्य राज्यों में, दूसरी जगहों पर बसे (हंगामी) हैं, और जो फिर से पंजाब में जाना चाहते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है।

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : यह सरकार भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए हमेशा तैयार रहती है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि क्या हम उन्हें सीमा पर बसा सकते हैं। इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को सीमा पर तैनात करने के लिए सेना में लिया जाए। जहां तक मैं जानता हूं कि विश्व में केवल एक देश ऐसा है जहां सुरक्षा पट्टी बनाई गई थी और प्रशिक्षित व्यक्ति वहां नियुक्त किए गए थे, वह इज़राइल है। ऐसा छोटा देश ही यह प्रथा चला सकता है। लेकिन भारत जैसे बड़े देश के लिए, जबकि यह गम्भीर चिंता का विषय है, मैं नहीं समझता कि इसकी कोई संभावना है। लेकिन सरकार ने इस पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : क्या मैं भी इसका उत्तर दे सकता हूं? पंजाब और पाकिस्तान की सीमा पर 210 गांवों में फोटो पहचान-पत्र प्रणाली शुरू की गई।

डा० सुधीर राय : मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि 1985 के राजीव-लोगोंवाल समझौते को लागू करने के लिए उन्होंने कौन से कदम उठाए हैं। इस माननीय सभा ने राजीव-लोगोंवाल समझौते का स्वागत किया था लेकिन उसकी एक भी मद को लागू नहीं किया गया है। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पंजाब को चण्डीगढ़ देने के लिए कौन से कदम उठाए गये हैं? सतलुज-यमुना-लिंक नहर विवाद के समाधान के लिए उन्होंने कौन से कदम उठाए हैं और वर्ष 1984 में सिखों के विरुद्ध जिन लोगों ने दंगे भड़काए थे उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उन्होंने कौन से कदम उठाए हैं? दंगा पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने के लिए आपने कौन से कदम उठाए हैं?

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक राजीव-लोगोंवाल समझौते का सम्बन्ध है, उसकी यह समस्या है कि पंजाब में अब किससे बात की जाएं। मेरे विचार से जब पंजाब में लोकप्रिय सरकार आ जाएगी तब पूरे मामले पर विचार किया जाएगा और इसके बाद ही इन सभी मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। (व्यवधान)

डा० सुधीर राय : आपको लोगों का विश्वास प्राप्त करना है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, ऐसा न करें। उन्होंने प्रश्न पूछा है और मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

[**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जब मन्त्री महोदय उत्तर दे रहें हैं तब यह बात सही नहीं है कि आप भी प्रश्न पूछने लगें। मन्त्री महोदय, क्या आपने अपनी बात पूरी कर ली है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं अभी यह कह रहा था कि राजीव-लोगोंवाल समझौते पर चर्चा करना कठिन है। (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : आप इस बार किसके साथ चर्चा करना चाहते हैं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : यदि आप इसी प्रकार बाधा डालते रहेंगे तो मैं अपना वक्तव्य पूरा नहीं कर पाऊंगा। आप में कम से कम इतना धैर्य तो होना चाहिए कि इस मामले पर जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे सुनें। आप मुझ पर अपने विचार नहीं थोप सकते हैं। यह बहुत विचित्र स्थिति है कि आप मुझे वक्तव्य भी नहीं देने दे रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि राजीव-लोगोंवाल समझौते के प्रति वचनबद्ध है। हम उसे लागू करना चाहते हैं लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि इस समझौते को लागू करने के लिए कोई दूसरा पक्ष होना चाहिए जिसके साथ मैं बातचीत कर सकूं। (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : कौन-सा दूसरा पक्ष ?

श्री एस० बी० चव्हाण : आप इस सम्बन्ध में एक पृथक् प्रश्न पूछ सकते हैं। आप बीच में बाधा क्यों डाल रहे है ? मैं नहीं जानता कि आप हर बात पर अपनी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं ? संभवत: मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा कहना यह है।····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह सोच रहे हैं कि आप उन्हें सम्बोधित कर रहे हैं। यदि आप अध्यक्ष-पीठ को सम्बोधित करें तो उचित होगा।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, मुझे खेद है। हम राजीव-लोगोंवाल समझौते के प्रति वचनबद्ध हैं और हम निश्चित रूप से इसे लागू करना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि सतलुज-यमुना-लिंक नहर अथवा अन्य लंबित मामलों के लिए वहां लोकप्रिय सरकार होनी चाहिए ताकि इन्हें लागू करने के लिए हम उसे उत्तरदायी बना सकें। अन्य बातें भी तभी लागू होंगी जब वहां लोकप्रिय सरकार गठित हो जाएगी।

श्री चित्त बसु : क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि वह पंजाब समस्या का समाधान करने के लिए नए प्रयास करना चाहते हैं ? उन्होंने कुछ नए प्रयासों का उल्लेख किया है। मेरा विश्वास है कि सरकार नए प्रयास करना चाहती है। क्या इस संदर्भ में मैं माननीय मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या जैसा कि उनके उत्तर में उल्लिखित है, पंजाब को चण्डीगढ़ देना, जल विवाद का मामला उच्चतम न्यायालय को सौंपना, हरियाणा और पंजाब के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए उचित योजना बनाना और जो अन्तर्राजीय परिषद गठित की गई है उसकी बैठक बुलाना, नए प्रयासों की शुरूआत होगी ?

श्री एस० बी० चव्हाण : यद्यपि सरकार इस मामले में नए प्रयास करने के लिए तैयार है तथापि भी ये बहुत विवादास्पद मामले हैं। राजीव-लोगोंवाल समझौते में चण्डीगढ़ के बारे में कहा गया है कि उसके स्थान पर हरियाणा को कोई और स्थान दे दिया जाए। लेकिन बात यह है कि इस प्रकार की स्थिति में या तो वहां पर लोकप्रिय सरकार हो क्योंकि हम पंजाब के राज्यपाल से बात नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा होना चाहिए जिसका दायित्व हो और उसके बाद इन लम्बित विषयों पर चर्चा की जाएगी और इसका सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढ़ा जाएगा। केवल मामला अन्तर्राजीय परिषद को सौंपने से इस समय समस्या का समाधान नहीं होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरे विचार से मंत्री महोदय ने बार-बार सर सही कहा है कि वहां पर लोकप्रिय सरकार होनी चाहिए। मैं एक सकारात्मक प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या सरकार महसूस करती है कि अगले दो-तीन महीने में नवम्बर या दिसम्बर तक सरकार हर संभव प्रयास करेगी, सभी राजनीतिक दलों और अन्य पक्षों से बात करेगी ताकि पंजाब में चुनाव हो सके। क्या गृहमंत्री यह निश्चित आश्वासन देंगे कि अगले दो-तीन महीने में चुनाव होने की संम्भावना है और एक लोकप्रिय सरकार बनाई जाएगी।

दूसरे, जब पाकिस्तान की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो का दूत यहां आया था और उसने बातचीत की थी तब क्या उस समय उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक थी? उसके बाद पाकिस्तान के साथ चर्चा के दौरान क्या उनकी कोई साकारात्मक प्रतिक्रिया थी कि वहां और नये प्रशिक्षण कैंप स्थापित नहीं किए जाएंगे और वे उग्रवादियों को सहायता नहीं देंगे?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से प्रश्न का अन्तिम भाग कुछ भिन्न हैं; इसलिए इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

श्री एस० बी० चव्हाण : पहले भाग के सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पंजाब में लोकप्रिय सरकार बने, हर सभव प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार निश्चित तौर पर विपक्षी दलों के सदस्यों के साथ इन मामलों पर चर्चा करेगी और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। लेकिन आज की स्थिति के अनुसार पूरा मामला-विचाराधीन है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया सफल हो आपको स्वतः यह बात दोहरानी होगी कि आप राजीव-लोगोंवाल समझौते के प्रति बचनबद्ध हैं। यहां तक कि शांतिपूर्बक चुनाव कराने के लिए आपको सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करना होगा और लोगों का विश्वास जीतना होगा। इसके लिए हमने यह सुझाव दिए हैं और उन पर आपको कोई आपत्ति भी नहीं है? कि गांव स्तर पर लोगों की सतर्कता सीमितियां बनाई जानी चाहिए। उनका प्रशासन के साथ सहयोग और समन्वय होगा ताकि आतंकवादियों के हमले का सामना किया जा सके। पंजाब में ऐसे लोग हैं जो यह कार्य करने के लिए तैयार हैं मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कौन-सी ठोस कार्यवाही की गई है।

श्री एस०बी० चव्हाण : महोदय, मेरी सरकार पंजाब में जल्द से जल्द चुनाव कराने में इच्छुक है। जहां तक सीमितियों तथा अन्य विषयों का सम्बन्ध है, उन्हें किसी और समय पर लिया जा सकता है। किन्तु, हमें तुरन्त विपक्ष के नेताओं से इस पर चर्चा करनी होगी और उन्हें यह बताना होगा कि

सरकार इस विषय में क्या सोच रही है। हम बहुत जल्द इसमें पहल करेंगे, विषयों पर चर्चा करेंगे और एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : धन्यवाद अध्यक्ष जी, मेरे सवाल के तीन हिस्से हैं—पहला यह है कि पंजाब में आतंकवादियों की गतिविधियों के चलते जो महिलाएं विधवा हुई हैं उनको कितनी मासिक वृत्ति दी गई और उसके बाद 84 के बाद के दगों के कारण जो महिलाएं विधवा हुई थीं, उनको कितनी वृत्ति दी गई ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। यह नहीं।

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन तो लीजिए। पंजाब की विधवा महिलाओं की मासिक वृत्ति में कुछ वृद्धि की गई है क्या यदि हां, तो वह कितनी है क्योंकि जो वृद्धि की गई है वह सिर्फ कागजों पर ही रह गई है, वह उनको नहीं मिली है। दूसरे, चुनाव से पहले पंजाब के सीमावर्ती गांव में जो बढ़ई के रोजगार का काम करते थे, उनके ऊपर पंजाब में मार्केट टैक्स 5 परसेंट लगाया गया····

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सामान्य से विशेष विषय की ओर आ रहे हैं। यदि आप यह जारी रखेंगे तो मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष जी, उसके चलते ढाई लाख बढ़ई के काम करने वाले लोगों पर असर पड़ा है। इस सम्बन्ध में पंजाब के डैलीगेशन आते रहे हैं,···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी गई है। इस प्रश्न के दोनों भागों की अनुमति नहीं दी गई है। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। श्री रेड्य्या।

[हिंदी]

श्री अन्ना जोशी : अध्यक्ष जी, पहला क्वश्चन तो आपने अलाऊ किया था, उसका तो जवाब आने दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा मत कीजिए अन्य सदस्य भी हैं जो प्रश्न पूछना चाहते है। मैंने विशेष रूप से उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं। मैंने इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी है। श्री रेड्डय्या।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : महोदय, पंजाब समस्या का हल निकालने के लिए हमने बहुत से प्रयोगात्मक और गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। पहले कदम के रूप में—किसी दल के साथ वार्ता किए बिना,—सिख भाईयों को अपने पक्ष में करने के लिये क्या सरकार पंजाब को चन्डीगढ़ सौंप देगी ताकि सिख भाई…

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई और प्रश्न पूछिए वह प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है। अन्य सदस्य भी प्रश्न पूछना चाहते हैं। मुझे उन्हें अनुमति देनी है।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : क्या माननीय गृहमन्त्री इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे और क्या सरकार किसी अन्य दल के साथ कोई वार्त्ता किए बिना—पंजाब को चण्डीगढ़ देने को तैयार है ताकि पंजाब समस्या को सुलझाने के लिए पहला कदम उठाया जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है। अब, श्री जेना।

श्री श्रीकान्त जेना : अध्यक्ष महोदय, कल प्रधान मन्त्री जी ने यह घोषणा की थी कि पंजाब में चुनावों में कांग्रेस दल भाग लेगा। इसको ध्यान में रखते हुए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस चुनाव प्रक्रिया को रद्द करके एक नई चुनाव प्रक्रिया की पहल करने पर विचार कर रही है।

श्री एस० बी० चव्हाण : जैसा कि मैंने पहले कहा था। सम्पूर्ण विषय सरकार के विचाराधीन है।

श्री दिग्विजय सिंह : जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने ठीक कहा है, पंजाब समझौते के अनुसार वार्त्ता के लिये एक प्रतिनिधी सरकार की आवश्यकता है। कांग्रेस दल ने पिछले चुनावों का बहिष्कार किया था और जब तक कांग्रेस दल चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेता तब तक पंजाब में प्रतिनिधि सरकार नही बन सकती।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह प्रश्न पार्टी से पूछ रहे हैं अथवा सरकार से पूछ रहे हैं ?

श्री दिग्विजय सिंह : पंजाब में कांग्रेस दल का सदा से ही बहुत अधिक प्रतिनिधित्व रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले चुनावों में कांग्रेस दल के हिस्सा न लेने के कारण, क्या माननीय मन्त्री महोदय इस की जांच करके यह विचार करेंगे कि क्या सम्पूर्ण प्रक्रिया को रद्द किया जाना है अथवा नए चुनाव कराए जाने चाहिए ?

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, कांग्रेस दल ने अलगाववाद के आधार पर इन चुनावों का बहिष्कार किया था। अतः, हम विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं कि क्या हम संविधान में संशोधन करके अथवा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों में सशोधन करके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के लिये कि अलगाववाद भी शर्तों में से एक हो सकता है क्या हम एक नया मुद्दा प्रस्तुत कर सकते हैं। वास्तव में हर उम्मीदवार को यह घोषणा करनी होगी कि वह अलगाववाद में विश्वास नहीं रखता। अतः, एक यह भी मुद्दा है जिस पर सरकार का ध्यान गया है। हम विपक्ष के नेताओं के साथ इस विषय पर भी चर्चा करने को तैयार है।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, ऐसी चर्चा थी कि सीमा पर एक किलोमीटर तक कांटेदार तार लगाकर एक क्षेत्र बनाना हैं—जो किसी भी राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में न आता हो—और पाकिस्तान सीमा पर उन केन्द्रों को नष्ट करना है जहां इन उग्रवादियों को प्रशिक्षण तथा हथियार और बारूद मिलता है। मैं इन तीन महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री एम० एम० जैकब : जहां तक कांटेदार तार लगाने से सम्बन्धित प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है 356 कि० मी० की तार लगाई जा चुकी है और सीमा की सुरक्षा के लिए 382 कि० क्षेत्र में फ्लड-लाईटें लगाई गई हैं।

जहां तक ऐसे क्षेत्र का सम्बन्ध है जो किसी भी राष्ट्र के अधिकार-क्षेत्र में न आता हो, ऐसा क्षेत्र अभी तक सरकार ने नहीं बनाया है।

श्री अन्ना जोशी : तीसरा मुद्दा पाकिस्तान सीमा पर बने केन्द्रों को नष्ट करने का है।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी ने पहले ही उत्तर दे दिया है।

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : मन्त्री महोदय ने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जायेंगे कि जो गुमराह युवक उग्रवादियों के रूप में कार्य कर रहे हैं वे सामाजिक आर्थिक गतिविधियों की मुख्यधारा में वापस आ जायें तथा हिंसा और उग्रवाद का मार्ग छोड़ दें। किन्तु उनके उत्तर के विपरीत, आज, मैंने एक मुख्य समाचार पढ़ा है "कई हिन्दू युवा उग्रवादियों में शामिल हो गये हैं।" इसका एक आकर्षण आसान तरीके से धन कमाना है।

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दनन, कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : पंजाब के गुमराह युवाओं के लिए नए कार्यक्रम कौन से हैं जिनमें उन्हें उचित आय वाले रोजगार उपलब्ध कराये जायें ताकि वे आसान तरीके से धन कमाकर आतंकवाद के मार्ग की ओर आकर्षित न हो? **(व्यवधान)**

श्री एम० एम० जैकब : हाल ही में; नए राज्यपाल ने कार्य-भार सम्भाला है। नए राज्यपाल पंजाब के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 509.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी और डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे।

उन्होंने यह कहते हुए एक पत्र लिखा है कि वे प्रश्न नहीं करेंगे।

अब, प्रश्न संख्या, 510।

नैनपुर में प्लैटिनम के भंडार

[हिन्दी]

*510 **मोहन लाल झिकराम** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में नैनपुर के निकट प्लैटिनम के विशाल भंडार हैं;

(ख) इसके खनन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या वहां खनिज विशेषज्ञों का कोई दल भेजा गया है;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे दल के वहां कब तक भेजे जाने की संभावना है। और

(ङ) क्या सरकार ने इस क्षेत्र को प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित कर दिया है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

श्री मोहनलाल झिकराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप से संरक्षण चाहता हूं। जो मन्त्री जी ने मेरे प्रश्न का जवाब दिया है, उसमें यही कहा है कि प्रश्न नहीं उठता। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि यह मन्त्री जी ने किस आधार पर कहा है ? क्या उन्होंने वहां सर्वेक्षण करवाया या कोई दल भेजा था या उन्होंने यूं ही कह दिया कि प्रश्न नहीं उठता ?

श्री बलराम सिंह यादव : नैनपुर, जिला मण्डला में जिओलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया ने 1987-88 और 1989-90 के दौरान सर्वेक्षण किया था और वहां पर सिर्फ ग्रिनाट की चट्टानें पाई गई थीं। उस समय वहां प्लैटिनम के कोई चिह्न नहीं मिले थे।

श्री मोहन लाल झिकराम : अध्यक्ष महोदय, क्या वह फिर से उसका सर्वेक्षण विशेषज्ञों से करवायेंगे ? पास में ही बालाघाट जिला लगता है जहां तांबे, मैंगजीन और अभ्रक के भंडार हैं। वहां और कौन सी चीजें पाई जा सकती हैं आप उनको क्या बतायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव : जहां तक प्लैटिनम पाये जाने का प्रश्न है, यह इण्डियन ब्यूरो-ऑफ माइन्स ने सूचित किया है। वहां पर जो अपना परमाणु खनिज प्रभाग है, इसने भी इस कार्य को देखा है और उनका भी यह कहना है कि यहां पर कोई प्लैटिनम धातु पाने के चिन्ह प्राप्त नहीं हुए।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि परमाणु खनिज विभाग द्वारा जो सर्वेक्षण कराया गया है उसमें क्या मध्य प्रदेश के किसी भी स्थान पर परमाणु खनिज पाया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, इसके लिए तो समय की आवश्यकता होगी, क्योंकि, परमाणु विभाग से पूछना पड़ेगा।

केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत राज्यों की सशस्त्र बटालियनें

*511. **श्री रामनारायण बैरवा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों की कितनी सशस्त्र बटालियनें केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस कारण से उन्हें हो रहीं कठिनाई से केन्द्रीय सरकार को अवगत कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन बटालियनों को सम्बन्धित राज्यों में कब तक वापस भेज दिए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) केन्द्रीय सरकार ने कुछ राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियनों की 28 कम्पनियां देश के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में तैनात करने के लिए भेजी हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम नारायण बैरवा : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राज्यों में पुलिस बलों में मैनपावर की बड़ी कमी होती है तो भारत सरकार उधार लेकर कब तक काम चलाती रहेगी और क्यों नहीं सी० आर० पी० एफ० और बी० एस० एफ० की बटालियनों को बढ़ाकर काम कराना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस बारे में सैण्ट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहेंगे ?

श्री रामनारायण बैरवा : सैण्ट्रल गवर्नमेंट कब तक राज्यों से उधार ले लेकर काम चलाती रहेगी ? इससे राज्यों में सिचुएशन खराब हो जाती है और उनको समय पर सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती तो केन्द्र सरकार बी० एस० एफ० और सी० आर० पी० एफ० की और बटालियनें क्यों नहीं बनाती ?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, विभिन्न राज्यों को पुलिस बल उपलब्ध कराने की प्रणाली को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाये हैं। यदि किसी राज्य विशेष में पुलिस बल की आवश्यकता है तो केन्द्रीय सरकार सामान्यतया पड़ोसी राज्य अथवा किसी अन्य राज्य को उस राज्य विशेष को बटालियन उपलब्ध कराने का सुझाव देती है। अतः, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि राज्य सरकार के सारे पुलिस बल का राज्य से बाहर उपयोग किया जाये। किसी भी राज्य को जब भी अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता होती है तो वह सी० आर० पी० एफ० उपलब्ध कराती है।

[हिन्दी]

श्री वृशिण पटेल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : क्वश्चन ऑवर में पाइण्ट आफ आर्डर नहीं होता।

श्री वृशिण पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सवाल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, यह गलत जवाब हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप सप्लीमेन्टरी पूछिये।

श्री रामनारायण बैरवा : अध्यक्ष महोदय, आप जो फरमा रहे हैं, यह गलत जवाब है। आप बटालियन और कम्पनियों में फर्क नहीं कर रहे हैं। मैंने यह जानना चाहा था कि कितनी बटालियनें हैं तो आपने 28 कम्पनियां बताई हैं और उसमें राजस्थान की फीगर नहीं दी है कि राजस्थान की कितनी बटालियनें सैण्टर के डैपुटेशन पर हैं। मेरा स्वयं का अनुभव है, मैं जयपुर में डी॰आई॰जी॰ पुलिस था जब नवम्बर 1989 में कम्युनल रायट्स हुए तो उस वक्त हमने यह महसूस किया था, हमारी दो बटालियनें राजस्थान की आपके पास डैपुटेशन पर थीं, उस वक्त अगर वह बटालियनें हमारे पास होतीं तो हमें दंगों को कण्ट्रोल करने में काफी मदद मिल सकती थी। मैं इस बारे में यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान प्रदेश वैसे ही····

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

श्री रामनारायण बैरवा : इस तरह से कई बार हमारे राजस्थान प्रदेश से जो बटालियनें जाती हैं उनके आदमियों की लाइफ डिस्ट्राय हो जाती है तो उनको जो कम्पेसेशन मिलना चाहिए, वह कई केसिज में अभी तक भी नहीं दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : तो वह देंगे क्या ?

[अनुवाद]

प्रश्न यह है कि जो लोग सैनिक कार्यवाही के दौरान मारे गये हैं उन्हें मुआवजा दिया जायेगा अथवा नहीं।

श्री एम॰ एम॰ जैकब : सैनिक कार्यवाही के दौरान मारे गये लोगों को मुआवजा देने का निर्णय राजस्थान सरकार को करना है।

[हिन्दी]

श्री वृशिण पटेल : अध्यक्ष महोदय, मुझको लगता है कि मूल प्रश्न का कन्सैप्ट बदल गया है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि विभिन्न राज्यों की कितनी सशस्त्र बटालियनें····

अध्यक्ष महोदय : उनको कोई शिकायत नहीं है, आपको शिकायत है ?

श्री वृशिण पटेल : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार की कुछ बटालियनें केन्द्र सरकार ने अपने काम के लिए ले रखी हैं, यह बात सही है क्या ?

[अनुवाद]

श्री एम॰ एम॰ जैकब : महोदय, यदि माननीय सदस्य किसी एक राज्य विशेष के बारे में जानना चाहते हैं, तो शायद तब यह पूछा जाना चाहिए कि किसी राज्य विशेष से कितनी बटालियनें बाहर गई हैं और उस राज्य को कितनी दी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। वे जानना चाहते हैं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य से केन्द्रीय सरकार के कार्य हेतु कोई बटालियन ली है।

श्री एम० एम० जैकब : नहीं महोदय, यह केन्द्रीय सरकार के लिए नही थी।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, कौन-कौन से राज्यों की कितनी-कितनी बटालियनें केन्द्रीय सरकार ने अपने कार्य के लिए मंगवाई ?....(**व्यवधान**)..... मन्त्री जी बतायें कौन-कौन से राज्यों की कितनी-कितनी बटालियनें मंगाई और केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को कितना-कितना पैसा देना बाकी है ?

अध्यक्ष महोदय : अभी उसका जवाब दे दिया है।

प्रो० रासा सिंह रावत : जवाब नहीं दिया है। राजस्थान के बारे में बतायें, आरएसी का बहुत पैसा है ?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न सरकारों को बटालियनें उपलब्ध कराई है। मध्य प्रदेश में इण्डिया रिजर्व में से चार बटालियनें ली गई हैं। चण्डीगढ़ में से, छः बटालियनें ली गई हैं। उत्तर प्रदेश में से 20 पी० ए० सी० बटालियनें ली गई हैं (**व्यवधान**)....

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह केन्द्रीय सरकार के कार्यों के लिए नहीं है। ये बटायिलनें अन्य राज्यों को भी उपलब्ध कराई गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसका पहले भी उल्लेख किया था। वास्तव में यही गलत फहमी है।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने अपने कार्यों के लिए कौन-कौन से राज्यों से कितनी-कितनी बटालियनें मंगाई ? (**व्यवधान**)

आरएसी का बहुत पैसा बकाया है, इसका जवाब दीजिए ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उसका जवाब न में दे दिया है।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

डा० विश्वानाथम कैनिथी : महोदय, आन्ध्र प्रदेश में हम अब तक उग्रवादियों के आंदोलन को नियंत्रित नहीं कर पाये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में उग्रवादी आन्दोलन नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय बलों को तैनात करने के लिए कोई मांग की है।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, हमें एक नोटिस चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है····

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, उनको शिकायत नहीं है, तो आपको उस पर क्यों शिकायत है ?

श्री राम विलास पासवान : उनको शिकायत है ।

अध्यक्ष महोदय : उनको शिकायत नहीं है ।

श्री राम विलास पासवान : उनको शिकायत नहीं है, तो मुझे एक शिकायत है । प्रश्न यह पूछा गया है—विभिन्न राज्यों की कितनी सशस्त्र बटालियनें केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य कर रही है ? प्रश्न का जवाब दिया गया है—केन्द्रीय सरकार ने कुछ राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियनों की 28 कंपनियां देश के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में तैनात करने के लिए भेजी हैं । प्रश्न है कुछ और जवाब है कुछ, इसलिए मैं मंत्री जी से पूछ रहा हूं···· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे न्यायालय नहीं बनाइये जहां तर्क किये जाते हैं—। कृपया प्रश्न पूछिए । खैर, केन्द्र सरकार ने अपने प्रयोजन के लिए कुछ भी नहीं लिया है ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : प्रश्न है, क्या यह सही है कि राज्यों की कुछ पुलिस बटालियनें केन्द्रीय सरकार ने अपने अधीन काम के लिए ली हैं ? जवाब दिया गया है—केन्द्रीय सरकार ने भेजी हैं । इसलिए मैं कहता हूं कि···· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, जिन माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । कृपया तर्क वितर्क करें । प्रश्न पूछिए ।

[हिंदी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है, जो हमने पूछा है ? जो मूल प्रश्न है, क्या वह सही नहीं है, इस पर मंत्री जी जवाब दें ?

श्री एस० बी० चव्हाण : जो जवाब दिया है, वह सही है ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही नहीं है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जो चंडीगढ़ में आरएसी भेजी गई है और त्रिपुरा में भेजी गई है, उन में अनेक लोगों की कैज्युलटीज होने के बाद अनुग्रह राशि प्राप्त नहीं हुई है ? यदि नहीं, तो कृपया अनुग्रह राशि कब तक दिलायेंगे, स्पष्ट करें ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं आपको इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री एम० एम० जैकब : जी हां महोदय, हमें इस पर गौर करना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, पंजाब में अक्सर हमारे आरएसी के लोग मारे गए हैं **(व्यवधान)** लेकिन कोई अनुग्रह राशि नहीं दी जाती है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं चलता है।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या आरएसी की बटालियनें लावारिस बटालियनें हैं। आप इसका स्पष्ट जवाब दें ? बहुत लोग आरएसी के पंजाब में मारे गए हैं, लेकिन केन्द्रीय सरकार कोई अनुग्रह राशि नहीं देती है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। आपको एक दूसरे की वकालत करने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या आप माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हैं ? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें यह समझना चाहिए कि प्रत्येक सदस्य विद्वान है, बुद्धिमान है और उन्हें भाषा पर महारथ हासिल है तथा वह स्वयं अपनी बात कह सकते हैं। इसलिए कृपया दूसरों के मुद्दे न लें।

विजयनगर इस्पात संयंत्र

[अनुवाद]

* 512. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए "इ० एस० एस० ए० आर०" गुजरात को संयुक्त क्षेत्र भागीदार के रूप में चुना है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना को स्वीकृति कब तक दे दिये जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) एक विवरण सदन-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (ग) कर्नाटक राज्य सरकार के उपक्रम, मैसर्स कर्नाटक स्टेट इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने कर्नाटक के बेलारी जिले में एक एकीकृत इस्पात संयत्र की स्थापना करने के लिए संयुक्त क्षेत्र में अपने भागीदार के रूप में मैसर्स इस्सर गुजरात लिमिटेड का चयन किया है । परियोजना के पूरा होने पर संयत्र की प्रस्तावित क्षमता का अनुमान 30 लाख टन प्रतिवर्ष लगाया गया है । प्रोडक्ट मिक्स में न्यून कार्बन, मध्यम कार्बन, निम्न अलॉए, मध्यम अलॉए, उच्च एलॉएं, पत्तियों के रूप में चपटे उत्पाद, बार और छड़ों के रूप में चादरें, क्वायलें और विशेष इस्पात तथा संरचना उपादान शामिल हैं ।

औद्योगिक नीति के बारे में अभी हाल ही में घोषित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक स्टेट इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को इस परियोजना को स्थापित करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बी० कृष्णा राव : महोदय, हमारी भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वर्ष 1971-72 में विजय नगर इस्पात संयंत्र की आधार शिला रखी लेकिन 20 वर्ष के बाद भी इस संयंत्र के सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है । अब एक संयुक्त क्षेत्र इस कार्य को करने के लिए आगे आया है । क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि क्या वह कम से कम 8 वीं योजना में इस विजय-नगर इस्पात संयन्त्र को स्थापित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि यह निश्चित समय में पूरा हो जाये ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, यह सच है कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस संयन्त्र की आधार शिला रखी थी लेकिन बाद में धन राशि की कमी की वजय से यह परियोजना विशेष शुरू नहीं की जा सकी । अब, नयी औद्योगिक नीति के तहत, जोकि भारत सरकार ने जुलाई 1991 में घोषित की है, केन्द्र सरकार से किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है और न ही केन्द्र सरकार का सरकारी क्षेत्र में कोई इस्पात सयन्त्र स्थापित करने का विचार है ।

कर्नाटक सरकार ने "इस्सर" गुजरात को संयुक्त क्षेत्र सहयोगी के रूप में विजय नगर इस्पात संयन्त्र को स्थापित करने के लिए कहा है । हम मंत्रालय की तरफ से कर्नाटक सरकार को जो कुछ भी सहायता की आवश्यकता होगी देंगे और मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि यह जल्दी शुरू हो जाये ।

श्री बी० कृष्णा राव : मैं जानना चाहूंगा कि आधारशिला रखते वक्त इसी अनुमानित लागत कितनी थी और इस संयंत्र की आज अनुमानित लागत क्या है, अर्थात इसमें कितनी वृद्धि है ।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, चूंकि यह परियोजना हमारे पास नहीं है अत: मैं सही आंकड़े नहीं दे सकता हूं लेकिन वर्ष 1970 में इसकी लागत 4000 करोड़ रुपये आंकी गई थी ।

मुझे विश्वास है कि यह वृद्धि अवमूल्यन और प्रौद्योगिकी में बदलाव आने की वजह से हुई है। कल ही मुझे कर्नाटक के माननीय मुख्यमन्त्री श्री बंगारप्पा का पत्र मिला, हम इस पर गौर कर रहे हैं और हम एक अनुकूल उत्तर देंगे।

श्री वी० धनंजय कुमार : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या विजय नगर इस्पात संयंत्र को स्थापित करने की बात को शुरू में ही योजना कार्यक्रम में शामिल किया गया था यदि हां, तो ऐसी क्या बात है कि सरकार को इसे योजना कार्यक्रम में से निकालना पड़ा क्योंकि अभी-अभी मन्त्री जी ने कहा था कि औद्योगिक नीति में परिवर्तन की वजह से कोई भी संयन्त्र लगा सकता है।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, यह सच है कि इसे योजना में शामिल नहीं किया गया था। यह सोचा गया था कि इसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के रूप में होना चाहिए। यही नहीं, उड़ीसा में एक अन्य संयन्त्र भी है।

1991 में मन्त्री परिषद को एक प्रस्ताव पेश किया गया था। मन्त्री परिषद ने फैसला किया था कि धनराशि की कमी की वजह से कोई भी सरकारी क्षेत्र का इस्पात संयन्त्र देश के किसी भी भाग में प्रायोजित नहीं किया जायेगा लेकिन सम्बन्धित राज्य सरकारें संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियां शुरू कर रही है तो सरकार सभी आवश्यक सहायता देगी।

इस नये प्रस्ताव के मुताबिक 'इस्सर' समुह इसमें शामिल होगा। इस बीच, नीति में परिवर्तन भी आयेगा। इस नीति के मुताबिक आवश्यक कार्यवाही करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। **(व्यवधान)**

श्री वी० धनंजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि क्या इसे मूल रूप से योजना प्रस्ताव में शामिल किया गया था या नहीं।

श्री संतोष मोहन देव : मैं आपको बता चुका हूं कि इसे योजना प्रस्ताव में शामिल किया गया था लेकिन इसके लिए धनराशि का नियतन नहीं किया गया था। इसलिए इसे नहीं लिया गया।

श्रीमती बासवाराजेश्वरी : महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि संयुक्त क्षेत्र में इन संयन्त्रों को स्थापित करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है? और इसमें से कर्नाटक सरकार ने संयुक्त क्षेत्र में 'इस्सर' समुह को इन संयन्त्रों को स्थापित करने के लिए प्राथमिकता दी है। क्या मैं जान सकती हूं कि 'इस्सर' समुह द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी जो कि चीनी प्रौद्योगिकी है—उसे भारत सरकार के तकनीकी विशेषज्ञों ने अनुमोदित किया है?

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, यह सच है कि जो प्रौद्योगिकी इस संयन्त्र विशेष के लिए सोची गई थी वह चीनी प्रौद्योगिकी पर आधारित है। और मन्त्रालय और अन्य मन्त्रालयों ने इसका समर्थन किया है। अब यह उन पर निर्भर है कि वह क्या आवश्यक कदम उठाते हैं। अत: जिस प्रौद्योगिकी का प्रस्ताव किया गया है उसे न केवल हमारे मन्त्रालय ने समर्थन किया है बल्कि उद्योग मन्त्रालय, वित्त मन्त्रालय और अन्य मन्त्रालयों ने भी समर्थन किया है।

श्री जी० एम० सी० बालयोगी : अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में काकिनाड़ा में 'इस्सर' समुह पहले ही 600 एकड़ भूमि ले चुका है और भुगतान की गई राशि *(व्यवधान)*·····

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, इस तरह से नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या मन्त्री महोदय इस बात पर ध्यान देंगे कि जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस इस्पात संयन्त्र की आधारशिला रखी थी तो यह कर्नाटक के लोगों की ही मांग थी कि देश के इस भाग में भी एक नया इस्पात संयन्त्र होना चाहिए और वह भी इस दृष्टि से कि कर्नाटक में लोह अयस्क का प्रचुर भंडार है ? अब मन्त्री महोदय, कह रहे हैं कि यदि राज्य सरकारें संयुक्त क्षेत्र इस्पात संयन्त्र के जरिए पहल करें तो वे हर सहायता देंगे।

क्या मन्त्री महोदय इस बात पर ध्यान देंगे कि यदि संयुक्त क्षेत्र का इस्पात संयन्त्र स्थापित हो जाता है तो क्या भारत सरकार इस संयन्त्र के लिए भी वित्तीय सहयोग करेगी ? यह बात केवल विदेशी मुद्रा की मंजूरी तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि यदि वह सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयन्त्र नहीं लगाना चाहती और उसने इस बारे में नीतिगत निर्णय ले लिया तो क्या भारत सरकार संयुक्त क्षेत्र के इस्पात संयन्त्रों में भागीदार बनने पर विचार करेगी ?

श्री संतोष मोहन देव : कर्नाटक सरकार से ऐसा कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में कोई संभावना भी है।

फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाली फसलें

*513 **प्रो० उमरेड्डि वेंकटेश्वरलु**
श्री हरि सिंह चावड़ा } : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत राज्यवार, किन-किन फसलों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में सभी फसलों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) और (ग) इस समय, बृहत फसल बीमा योजना के तहत गेहूं, धान, कदन्न, तिलहन और दलहन फसलें शामिल हैं। विभिन्न राज्यों में सभी फसलों को बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, बृहत फसल बीमा योजना के तहत और अधिक फसलों को शामिल करने की मांगें पहले की गई थीं। ये मांगें फल एवं बागवानी फसलों, कपास नारियल, गन्ना, पान के पत्ते, पटसन और कुछ सब्जी फसलों के सम्बन्ध में हैं। चूंकि केन्द्र और राज्य सरकारें इस योजना को चलाने में भारी नुकसान उठा रही हैं और मल्टीपिकिंग, उपज संबन्धी

विश्वसनीय आंकड़ों के उपलब्ध न होने जैसी परिचालानात्मक कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए अभी अन्य फसलों को बृहत फसल बीमा योजना में शामिल करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	कवर की गई फसलों के नाम
1.	आंध्र प्रदेश	धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, कोर्रा रैडग्राम, उड़द, ग्रीन ग्राम, कुलथी, मूंगफली, अरण्डी और जिन्जेली।
2.	असम	शीतकालीन धान, शरदकालीन धान, तोरिया एवं सरसों, गेहूं, ग्रीष्मकालीन धान, माटिकलाई।
3.	बिहार	धान, मक्का, चना, मसूर, रेड ग्राम, तोरिया और सरसों और गेहूं।
4.	गोआ	धान, रागी और मूंगफली।
5.	गुजरात	धान, बाजरा, मक्का, रेडग्राम, मूंगफली, गेहूं, चना, तोरिया एवं सरसों।
6.	हिमाचल प्रदेश	धान, मक्का और गेहूं।
7.	कर्नाटक	धान, ज्वार, बाजरा, मक्का रागी, रेड्ग्राम, मूंगफली, सूरजमुखी, गेहूं, चना कुसुम।
8.	केरल	धान।
9.	मध्य प्रदेश	धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रेडग्राम, मूंगफली, सोयाबीन, कोडाकोडकी, गेहूं, चना, तोरिया एवं सरसों तथा अलसी।
10.	महाराष्ट्र	धान, ज्वार, बाजरा, रेडग्राम, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, रामतिल गेहूं, चना, कुसुम और अलसी।
11.	मणिपुर	धान।
12.	मेघालय	साली धान, आहू धान और तोरिया एवं सरसों।
13.	उड़ीसा	धान और मूंगफली।
14.	राजस्थान	ज्वार, बाजरा मक्का, गेहूं, चना, तोरिया और सरसों।
15.	तमिलनाडु	धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी।

1	2	3
16.	त्रिपुरा	अमन धान, औषधान और बोरोधान।
17.	उत्तर प्रदेश	धान, मक्का, बाजरा, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, गेहूं चना, मटर, मसूर, तोरिया, सरसों और तिल।
18.	पश्चिमी बंगाल	अमन धान बोरोधान, गेहूं, सरसों, अलसी, चना, रेड-ग्राम, और ग्रीन ग्राम।
19.	जम्मू व कश्मीर	धान, गेहूं, तोरिया और मक्का।
20.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	धान।
21.	दिल्ली	धान, बाजरा, गेहूं और सरसों।]
22.	पाण्डिचेरी	धान,।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत केवल कतिपय खाद्य फसलें, जिनका माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है, शामिल की गयीं हैं। सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण फसलें जैसे कपास, तम्बाकू, मिर्च, गन्ना, हल्दी और कई अन्य फसलें विशेष रूप से वे फसलें जो कि ज्यादा निवेश वाली फसलें हैं इसमें शामिल नहीं की गयी हैं। किसान समुदाय विशेष रूप से तटीय आंध्रप्रदेश के किसानों को हर वर्ष काफी घाटा होता है विशेष रूप से बाढ़ तूफान आदि के दौरान।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसे शामिल किया जायेगा ?

श्री उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या सरकार तटीय आंध्रप्रदेश के किसान समुदाय को 1969, 1977, 1983, 1986 और 1990 के तूफान के दौरान हुई हानि और भारतीय किसानों द्वारा की गयी आत्महत्या को देखते हुए इन नकदी फसलों को सभी को नहीं लेकिन जिनका मैंने उल्लेख किया है उनको व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लायेगी ?

इन फसलों को इसमें शामिल करने के लिए एक वर्ष पहले एक समिति गठित की गयी थी। क्या इसने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। यदि हां तो, इन सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : यदि आपने उत्तर का अध्ययन किया हो तो आपको पता चलेगा कि फसल बीमा योजना 1987 में शुरू की गयी और उस समय हमने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि यह कुछ समय के लिए प्रायोगिक तौर पर किया जायेगा और विशेष फसलें ही इस योजना में शामिल किया गया था।

जहां तक अन्य फसलों की बात है मैं आपका ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि जो कोई भी अपनी फसल का बीमा करता है, वह इस योजना के अन्तर्गत शामिल होने के लिए बाध्य है तथा इस योजना में अधिकतम धन राशि केवल 10,000 रुपये हैं। लेकिन अन्य फसलों के लिए जैसा कि हम पहले ही उत्तर में स्पष्ट कर चुके हैं यह पता करना संभव नहीं हो पाया है कि इसे ठीक तरह से कैसे चलाया जाये। समस्या तो यह है कि ऐसी कोई निश्चित नीति या, योजना नहीं है जिसके

तहत हम किसानों को गारण्टी दे सकें और उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकें। मैं स्वयं 1973 से इसका हल ढूंढ़ने के कार्य में लगा हूं लेकिन अभी तक कुछ भी खास हल नहीं निकल पाया है। इस योजना के लिए न्यूनतम राशि 150 रुपये थी, अब इसे घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है। अधिकतम राशि 10,000 रुपये है। इस योजना के परिणाम स्वरूप 94 करोड़ रुपये बीमा किस्त के रूप में मिला और लगभग 700 करोड़ रुपये के दावे किये गये। यह केवल ऋण लेने वाले किसान के लिए हैं अगर हमें दूसरी फसलों और अन्य क्षेत्रों तक इसका विस्तार करना है तो हमें इसका कोई तरीका निकालना पड़ेगा और मेरे विचार से इसे और उपयुक्त बनाने के लिए भी मैं माननीय सदस्यों के विचार जानना चाहूंगा। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या किसान न्यूनतम किश्त देने में सक्षम हैं। इस प्रश्न पर उस संदर्भ में विचार करना पड़ेगा।

मैंने भी अध्ययन किया है और यह देखने के लिए कि जो योजना आज अस्तित्व में है, ऐसी कोई योजना कहीं व्यवहार में है अथवा नहीं, सारे विश्व का अध्ययन करने का प्रयत्न किया है। परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार इसका ऐसी कोई योजना नहीं है। अतः मुझे सारी स्थिति का पुनः अध्ययन करना पड़ेगा। इसे किस प्रकार से आयुक्त बनाया जाये इस हेतु मैं सभी सदस्यों का सहयोग लेना चाहूंगा क्योंकि कृषक उतनी किश्त देने में समर्थ नहीं हो सकेंगे जो इसे अर्थक्षम बनाने में समर्थ है। कम्पनियां कार्यक्षम हैं। केवल एक यही योजना है जो कार्यक्षम नहीं है।

प्रो० उमारेड्डि वेंकटेस्वरलु : माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है यदि उसमें कोई संशोधन न किया जाये तो मेरे विचार में यह योजना वर्ष 1987 में नहीं बल्कि वर्ष 1985 में अस्तित्व में आई थी। माननीय मंत्री महोदय ने बिल्कुल ठीक कहा है कि यह योजना एक फसल बीमा अन्यथा सभी बीमा योजना के बजाय एक जमा बीमा योजना में परिवर्तित हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे बहुत से सदस्य हैं, जो इस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं। अतः कृपया संगत एवं स्पष्ट प्रश्न ही पूछिए।

प्रो० उमारेड्डि वेंकटेस्वरलु : यह फसल बीमा योजना के बजाये जमा बीमा योजना बन गई है। इस योजना का विस्तार उन लोगों तक भी किया गया है जो ऋण देने वाली संस्थाओं से संस्थागत वित्त प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे किसान जो किश्त देकर अपनी फसल सुरक्षित करना चाहते हैं, वे आगे नहीं आ रहे हैं। क्या माननीय मन्त्री महोदय, इस सुविधा को सभी किसानों के लिए, यहां तक कि ऐसी फसलों के लिए भी उपलब्ध करायेंगे, जो इस विशेष योजना के अन्तर्गत प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं? और इस योजना का दूसरा भाग?

अध्यक्ष महोदय : योजना की बात मत कीजिये। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

प्रो० उमारेड्डि वेंकटेस्वरलु : यह योजना ऐसे समय चलाई गई है जब बहुत बड़े क्षेत्र में, चाहे समिति हो अथवा तहसील स्तर पर, नुकसान हो रहा है। परन्तु ये नुकसान केवल कतिपय क्षेत्रों अर्थात् गांवों में ही हो रहा है। क्या इस नुकसान को केवल इसीलिये जारी रहने दिया जाये क्योंकि गांव एक बहुत बड़ा क्षेत्र न होकर एक इकाई है?

श्री बलराम जाखड़ : समस्या यही है। काश मैं इस योजना का विस्तार सभी किसानों तक कर पाता। लेकिन मूल समस्या इसकी व्यावहारिकता की है। यही इस समस्या की गम्भीरता है।

इस योजना को किस प्रकार निश्चित किया जाये, कितना निवेश होना चाहिये, कीट-नियंत्रण और पेड़-पौधों की सुरक्षा के लिए कितनी राशि होनी चाहिये, जल-व्यवस्था पर कितना खर्च हो, कितना उत्पादन प्राप्त हो, उसके लिए क्षति पूर्ति बाण्ड को किस प्रकार निर्धारित करें तथा ऐसे ही कुछ अन्य मामलों पर मैं सभी सदस्यों के विचार जानना चाहूंगा। यही समस्या है। इसका समाधान न तो मेरे मनोनुकूल हुआ है और न ही किसी अन्य व्यक्ति के। हमें ऐसी नीति अपनानी चाहिये जो किसानों के लिए लाभप्रद हो। मेरा कहना यह है कि ऐसा करना सरकार के लिए सम्भव नहीं है क्योंकि पहले ही इसमें 700 करोड़ रुपये लग चुके हैं। मैं इसे सभी के सामने रखूंगा। इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है और मूल्यांकन समस्या के बारे में भी कुछ शिकायतें सामने आ रही हैं। किस प्रकार हम इसका मूल्यांकन करें। हम तीन या चार दफे किसान की कपास की फसल लेकर बीमे के लिए उसका निर्धारण कर सकते हैं। उसकी यही प्रक्रिया वे अपनाते हैं। यही समस्या है कि हमें इकट्ठे बैठकर कोई उपयुक्त व्यावहारिक मध्य मार्ग ढूंढ़ना पड़ेगा, एक ऐसी योजना जिससे किसानों को कुछ फायदा हो सके। यही हम चाहते भी हैं।

प्रो० उमारेड्डि वेंकटेस्वरलु : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि संगणना के लिए केवल एक गांव को लेना उचित नहीं है।

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : कपास उत्पादन में भारत का महत्त्वपूर्ण स्थान है लेकिन हमारे किसानों को प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य नहीं मिल रहा है। कई बार फसल के न होने पर जैसे कुछ फसल में बीमारी आदि होने पर जो हानि होती है। उसके प्रति वे बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास किसानों को राहत प्रदान करने के लिए काफी बोर्ड जैसी कोई सहकारी संस्था स्थापित करने का विचार है ताकि कुछ निर्यातोन्मुख फसलों का उत्पादन किया जा सके और जिससे किसानों को कुछ सहायता मिलेगी ? क्या ऐसा कोई प्रस्ताव हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह फसल बीमा योजना के बारे में है।

श्री बलराम जाखड़ : हम हमेशा निर्यात को प्रोत्साहन देकर किसानों की सहायता करना चाहेंगे। भारतीय कपास निगम इसके लिए पहले से ही विद्यमान है।

श्री हरिन पाठक : धान, बाजरा, मकई, मूंगफली, और चना गुजरात में सी० सी० आई० एस० के अन्तर्गत आते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या गुजरात सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत और अधिक फसलों को कपास की भांति शामिल करने के लिए कोई मांग भेजी है ?

श्री बलराम जाखड़ : माननीय सदस्य को अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि मैं उस प्रश्न का जवाब पहले ही दे चुका हूं। यह कपास के मामले में भी लागू होता है।

अध्यक्ष महोदय : आप वह जानकारी क्यों प्राप्त करना चाहते हैं और समय क्यों लेना चाहते हैं ?

श्री बलराम जाखड़ : इसे किस प्रकार से कार्यक्रम बनाया जाये, इसके लिए हमें दूसरा दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा । यही समस्या है ।

[हिंदी]

श्री वृशिण पटेल : अध्यक्ष महोदय, किसानों को सहकारिकता के माध्यम से खाद और बीज के लिए कर्जा उपलब्ध कराया जाता है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो खाद और बीज के लिए सहकारिकता से ऋण उपलब्ध कराया जाता है फसल बीमा योजना का जो प्रीमियम होता है, क्या सरकार उसी ऋण से फसल बीमा योजना का जो प्रीमियम होता है, क्या सरकार उसी ऋण से फसल बीमा योजना का प्रीमियम काटकर ऋण दे तो फसल बीमा को उसको व्यापक तौर पर लागू किया जा सकता है । इस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री बलराम जाखड़ : प्रीमियम तो कोई खास नहीं है । सौ रुपये के पीछे एक रुपया लेते हैं । उसमें से भी आधा उसका, आधा हमारा होता है ।

श्री वृशिण पटेल : अगर यह फिजीकल हो तो लागू करायेंगे ? हमारे बिहार में ऋण से प्रीमियम काटा जाता है और लोग फसल बीमा योजना कराते हैं ।

श्री बलराम जाखड़ : फिजीकल नहीं है तभी तो यह सारा चक्कर है ।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने घाटे की ओर संकेत किया है । क्या यह सच नहीं है कि यह घाटा कुछ उतरी राज्यों में इस योजना को अनुचित ढंग से लागू किये जाने के कारण हुआ है । क्या यह भी सच नहीं है कि वर्तमान विस्तृत बीमा योजना केवल खड़ी फसल तक ही सीमित है ।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सागर तट के साथ कृष्णा जिले में लगभग 15,000 एकड़ भूमि में धान की फसल काट कर एकत्र की गई और वह फसल मई, 1990 के चक्रवात के दौरान विशाल जल तरंगों में बह गई । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस विस्तृत योजना में कुछ आवश्यक परिवर्तन लायेगी ताकि कटी हुई फसल को भी इसके दायरे में लाया जाये और किसानों के हित सुरक्षित रखे जा सकें । ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, वह इससे अलग है ।

अध्यक्ष महोदय : इसके दायरे में वह भी आता है। ठीक है, आप प्रश्न पूछिए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मंत्री महोदय को ऐसा कहने दीजिये।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं। ऐसा न तो सम्भव है और न ही व्यावहारिक।····(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहूंगा, वे कृषि से सम्बन्धित हैं यह खुशी की बात है ..

अध्यक्ष महोदय : समय थोड़ा है, अगर आप रिप्लाई चाहते हैं तो प्रश्न पूछ लें, ज्यादा प्रस्तावना की जरूरत नहीं है।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं फसल बीमा योजना साधारण काम नहीं है। उसकी लागत कैसे होगी, क्या कीमत मिलेगी ये सब विचार के मुद्दे हैं। सौभाग्य की बात है कि कृषि मंत्री स्वयं कृषि के विशेषज्ञ हैं। यह बीमा योजना सचमुच किसानों पर कैसे ठीक से लागू हो, कैसे सुविधा मिले इसके लिए क्या आप ऐसी समिति का गठन करेंगे जो अध्ययन करके आपको उचित राय दे सके जो कि भविष्य में कारगर हो?

श्री बलराम जाखड़ : मैं सुझाव मांग रहा हूं और उसके लिए चिन्तित हूं कि कोई ऐसा साधन मिल सके जिसके हिसाब से इसको ठीक ढंग से चला सकें। आज तक ऐसा साधन या स्कीम नहीं आई है, आप मुझे सुझाव दीजिए।

श्री रतिलाल वर्मा : गुजरात के अन्दर फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बकाया रुपया बाकी है, परिणामस्वरूप फसल बीमा योजना से उनका विश्वास हट रहा है। जो बकाया है वह कब तक दे देंगे ?

श्री बलराम जाखड़ : जितने क्लेम्स हैं वे ज्यादातर गुजरात के हैं, कुछ में झगड़ा पड़ रहा है, उनका निराकरण किया जा रहा है। यह अन्डर प्रोसेस है।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं विशेषतौर पर फसल बीमा योजना तभी लागू होती है जब कोई किसान बैंक से ऋण लेता है। अगर अन्य किसान जो उसी खन्ड में हैं और ऋण नहीं ले रहे हैं.... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस प्रश्न का जवाब पहले ही दे चुके हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

फिजी में भारतीय मूल के लोग

[अनुवाद]

* 509. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय } : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिजी में रहने वाले भारतीय मूल के कितने लोग अब तक उस देश को छोड़कर चले गये हैं;

(ख) उनमें से कितने लोग विभिन्न देशों में देशवार जाकर बस गये हैं; और

(ग) फिजी में भारतीय मूल के कितने लोग अभी भी रह रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) फिजी में 1987 में राज्य विप्लव के बाद अनुमानतः 20,000 भारतीय मूल के व्यक्ति फिजी छोड़कर चले गये हैं।

(ख) ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका में काफी बड़ी संख्या में भारतीय मूल के फिजीवासी प्रवासी रह रहे हैं।

(ग) दिसम्बर, 1989 में फिजी सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा प्रकाशित सूचना के अनुसार फिजी में रहने वाले भारत मूल के व्यक्तियों की संख्या लगभग 3,37,557 थी।

महाराष्ट्र की बाढ़-नियंत्रण योजनाएं

* 514 **श्री सुधीर सावन्त**
श्री अन्ना जोशी } : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बाढ़-नियन्त्रण हेतु कोई योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 60 लाख रुपए से अधिक की लागत की बाढ़ प्रबन्ध स्कीमें अलग-अलग तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन और निवेश स्वीकृति के लिए केन्द्र को प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है। महाराष्ट्र से केन्द्रीय जल आयोग में जांच और स्वीकृति हेतु कोई बाढ़ प्रबन्ध स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्षमता

[हिन्दी]

*515 डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कितना क्षेत्र असिंचित है,

(ख) राज्य में सिंचाई क्षमता बढ़ाने हेतु वर्ष 1990-91 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और

(ग) यह लक्ष्य किस हद तक प्राप्त कर लिया गया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उत्तर प्रदेश में 17135 हजार हेक्टेयर कुल निबल बुआई क्षेत्र के मुकाबले भूमि उपयोग सांख्यिकी (वर्ष 1987-88 अनन्तिम) के अनुसार, निबल सिंचित क्षेत्र 10043 हजार हेक्टेयर था जिससे 7092 हजार हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र शेष रहता है।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य में 1220.85 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने के लक्ष्य के मुकाबले प्रत्याशित उपलब्धि 1229 हजार हेक्टेयर होने की सूचना प्राप्त हुई है।

हिमाचल प्रदेश में समेकित मत्स्य उद्योग विकास

[अनुवाद]

*516 श्री डी० डी० खनोरिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश को समेकित मत्स्य उद्योग विकास के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत की गई सम्पूर्ण राशि को खर्च कर दी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने हिमाचल प्रदेश को समेकित मात्स्यिकी विकास के लिए अभी तक कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की है।

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

"लोक धारा" खाद्य तेल

*517 प्रो० राम कापसे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का खाद्य तेल के एक नये ब्राण्ड "लोक धारा" को बाजार में लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसमें किस अनुपात से मिश्रण किया जायेगा और इस खाद्य तेल का संभावित मूल्य क्या होगा; और

(ग) बाजार में 16 किलोग्राम के टिनों में बेचे जा रहे मिलावटी खाद्य तेलों की बिक्री रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) मिश्रण के अनुपात तथा मिश्रित तेल के समावित मूल्य का निर्धारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की जाने वाली मिश्रण करने की अनुमति देने की अधिसूचना प्राप्त होने तथा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को आयातित तेल आबंटित किए जाने के बाद किया जायेगा।

(ग) भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों में सम्बन्धित प्राधिकारियों से आग्रह किया है कि बाजार में बेचे जाने वाले खाद्य तेलों की क्वालिटी पर नजर रखें।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

[हिन्दी]

* 518. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा**
श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1991 तक स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए विभिन्न राज्यों से राज्यवार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) राज्यवार कितने आवेदन पत्रों का निपटान किया गया है और कितने आवेदन पत्र अन्तिम निर्णय के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ग) सरकार ने लम्बित आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान हेतु क्या उपाय किए हैं;

(घ) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ङ) क्या सरकार को किसी राज्य से कोई जाली स्वतंत्रता सेनानी पाए जाने के मामलों का पता लगा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) एक सारणीबद्ध विवरण संलग्न है।

(ग) निपटाने हेतु वे आवेदन लम्बित पड़े है, जो आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि, अर्थात् 31.3.1982 के बाद प्राप्त हुए हैं। विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदनों को, यदि उनके साथ भोगी गई यातनाओं के लिए किए गए दावों के समर्थन में सरकारी अभिलेखों से

दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न न हो तो तत्काल अस्वीकार किया जाता है। लम्बित पड़े आवेदनों को निपटाने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं।

(घ) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान पेंशन पर खर्च की गई राशि क्रमशः 61,94,77,000/ 64,37,43,000/- रु० तथा 93,04,01,000/- रु० है।

(ङ) और (च) जाली/नकली दस्तावेजों के आधार पर स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले झूठे व्यक्तियों के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं। ऐसे मामलों की राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा जांच-पड़ताल कराई जाती है। जांच-पड़ताल के बाद, यदि आवेदक को असली व्यक्ति नहीं पाया जाता, और अथवा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं पाया जाता, तो पेंशन रद्द कर दी जाती है।

विवरण

31.7.1991 तक प्राप्त किए गए, निपटाए गए तथा लम्बित पड़े आवेदनों का अलग-अलग राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या	निपटाए गए आवेदनों की संख्या	लम्बित पड़े आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	असम	26,886	26,813	73
2.	आन्ध्र प्रदेश	39,133	33,525	5,608
3.	बिहार	1,15,171	1,14,748	423
4.	गुजरात	6,838	6,720	118
5.	गोवा	3,357	3,346	11
6.	हरियाणा	6,287	6,242	45
7.	हिमाचल प्रदेश	4,179	4,129	50
8.	जम्मू और कश्मीर	10,735	10,708	27
9.	कर्नाटक	20,448	18,783	1,665
10.	केरल	52,470	52,412	58
11.	मध्य प्रदेश	4,747	4,747	शून्य
12.	महाराष्ट्र	39,748	39,017	731
13.	मनीपुर	688	688	शून्य
14.	मेघालय	159	159	शून्य
15.	मिजोरम	8	8	शून्य

1	2	3	4	5
	16. नागालैंड	22	22	शून्य
	17. उड़ीसा	15,936	15,878	58
	18. पंजाब	29,764	29,722	42
	19. राजस्थान	5,097	5,062	35
	20. तमिलनाडु	22,521	22,426	95
	21. त्रिपुरा	3,463	3,446	17
	22. उत्तर प्रदेश	40,181	40,075	106
	23. पश्चिम बंगाल	79,135	79,108	27
	24. चण्डीगढ	152	141	11
	25. दिल्ली	5,321	5,272	49
	26. पांडिचेरी	1,918	1,901	17
	27. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	98	91	7
	28. अरुणाचल प्रदेश	41	41	शून्य
	जोड़	5,34,503	5,25,230	9,273

कृषि आधारित उद्योग

[अनुवाद]

* 519 **श्री महेश कुमार कनोडिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को, कृषि-आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, राज्यवार कितने कृषि-आधारित उद्योग स्वीकृत किये गये तथा कितने स्थापित किए गए;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने संघ सरकार से इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा संघ सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) मुख्यतया इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा गठित बोर्डों और निगमों द्वारा एक सीमित हद तक दी जाने वाली वित्तीय सहायता को छोड़कर केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता देने की कोई

योजना नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग तथा खाद्य परिसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ऐसी कुछ सहायता दी गई है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है।

(ख) कृषि पर आधारित अधिकतर उद्योग छोटे पैमाने और बहुत छोटे पैमाने के क्षेत्रों में लगाये जाते हैं। उन्हें इस प्रयोजन के लिए किसी स्वीकृति या लाइसेंस की जरूरत नहीं होती हैं। उनका पंजीकरण राज्य सरकारों के स्तर पर किया जाता है। विकास आयुक्त, लघु उद्योग के यहां उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1988-89 तक तीन सालों में लगाये गए ऐसे उद्योगों की संख्या संलग्न विवरण-IV में दी गई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय सहकारी विकासनिगम को 11 राज्यों से आठ चीनी फैक्ट्रियों, सात तिलहन मिलों और पांच अन्य परियोजनाओं सहित 20 कृषि परिसंस्करण परियोजनाओं के लिए लगभग 36.75 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध मिला है। इन प्रस्तावों के लिए 20.77 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। खाद्य परि-संस्करण उद्योग मंत्रालय तथा लघु और ग्रामीण तथा कृषि उद्योग विभाग को जो ऐसी सहायता के मामलों में कार्यवाही करते हैं, अतिरिक्त सहायना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश को दी गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण।

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्ष 1988-89	1989-90	1990-91
1.	आन्ध्र प्रदेश	548.372	322.375	2361.977
2.	असम	640.825	175.787	701.400
3.	बिहार	—	5.776	—
4.	गुजरात	13.285	42.000	—
5.	हरियाणा	45.450	708.25	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—	2.00	0.365
7.	जम्मू और कश्मीर	78.260	63.264	106.836
8.	कर्नाटक	1097.900	280.365	1379.105
9.	केरल	925.850	748.863	1439.068
10.	मध्य प्रदेश	1983·948	899.781	1481.142
11.	महाराष्ट्र	604.725	2034.51	3483.103

1	2	3	4	5
12.	मणिपुर	—	—	4.433
13.	मेघालय	—	—	—
14	नागालैंड	—	—	—
15.	उड़ीसा	173.095	94.055	97.30
16.	पंजाब	2106.438	1284.864	599.476
17.	राजस्थान	925.874	2098.057	814.930
18.	तमिलनाडु	283.765	645.510	699.240
19.	त्रिपुरा	—	—	2.654
20.	उत्तर प्रदेश	555.912	1615.505	2199.70
21.	पश्चिम बंगाल	148.051	6.984	—
22.	अन्य संघ शासित क्षेत्र	—	100 2	2.131
	योग	10131.730	11128.146	15803.380

विवरण-II

1989-90 के दौरान कृषि पर आधारित तथा खाद्य उद्योगों के लिए खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग द्वारा राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को किए गए उद्योग-वार भुगतान को दर्शाने वाला विवरण ।

(रुपये लाखों में)

उद्योग	अनुदान	ऋण
1. मधुमक्खी पालन	57.33	55.33
2. घानी का तेल	40.34	359.87
3. गन्ने का गुड़ तथा खण्डसारी	11.18	174.30
4. खजूर का गुड़	72.58	234.44
5. मोटे अनाजों का परिसंस्करण तथा दलहन उद्योग	39.19	465.75
6. बर्मों के पौधे तथा फल	1.14	52.65
7. फल परिसंस्करण	6.00	176.76
8. रेशा	64.63	382.50
योग	292.39	1901.60

विवरण-III

वर्ष 1990-91 के दौरान फल तथा सब्जी परिसंस्करण क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मुक्त की गई स्वीकृतियां

1.	अनुसंधान तथा विकास योजना के तहत फल तथा सब्जियों के परिसंस्करण में अनुसंधान और विकास के लिए आधुनिक खाद्य उद्योग (भारत-लिमिटेड) को सहायक अनुदान।	2.5 लाख रु०
2.	प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने तथा सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सहायक अनुदान।	13.20 लाख रु०
3.	प्रशिक्षण तथा दौरा कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सहायक अनुदान।	2.00 लाख रु०
4.	अनुसंधान तथा विकास योजना के अन्तर्गत फल और सब्जियों के परिसंस्करण में अनुसंधान और विकास के लिए केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान संस्थान, मैसूर को सहायक अनुदान।	2.5 लाख रु०
5.	खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली का दर्जा बढ़ाने के लिए उपकरण खरीदने के वास्ते खाद्य अनुसंधान तथा विश्लेषण केन्द्र को सहायक अनुदान।	5.00 लाख रु०
6.	खुम्बी की पाक-विधियों के अनुसंधान तथा विकास कार्य के सम्बन्ध में होने वाले खर्च के लिए खाद्य क्राफट संस्थान को सहायक अनुदान।	4000 रु०
7.	10,000 पाक विधि पुस्तिकाओं को आर्ट पेपर पर तथा 50,000 को साधारण पेपर पर तैयार करके तथा मुद्रित करके खुम्बी के उत्पादों तथा पाक-विधियों का प्रचार करने के लिए अखिल भारतीय खाद्य परिरक्षक एसोसिएशन को सहायक अनुदान।	1,80,000 रु०
8.	होम स्केल सेक्टर में फल तथा सब्जी परिसंस्करण उद्योग के लिए कार्य निष्पादन सुधार से सम्बन्धित अध्ययन के लिए खर्च करने के वास्ते राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को मंजूरी।	2,82,000
9.	ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था तथा पोषण पर संसाधित खाद्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए खाद्य वैज्ञानिक तथा शिल्प-वैज्ञानिक संघ (भारत) को मंजूरी।	25,41,000 रु०

10. खुम्बी परिसंस्करण तथा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को सहायक अनुदान।	2,41,000 रु०
11. टीस्टा फल तथा सब्जी परिसंस्करण लिमिटेड को छोटे तथा कुटीर इकाइयों के फल तथा सब्जी उत्पादों का विपणन करने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार को विपणन सहायता के वास्ते सहायक अनुदान।	3.68 लाख रु०
12. आस-पास के क्षेत्रों में उगाई गई खुम्बी के निर्जलीकरण, आचार डालने तथा डिब्बाबन्दी करने के लिए उड़ीसा कृषि उद्योग निगम को सहायक अनुदान।	21,14,940 रु०
13. लाहौल आलू उत्पादक सहकारी विपणन तथा परिसंकरण सोसायटी लिमिटेड की खुम्बी परिसंस्करण क्षेत्र में सहायता के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को सहायक अनुदान।	19 00 रु०
14. शिमोगा जिला, उद्योग सप्लाई तथा विपणन सोसायटी और चिकमंगलूर जिला उद्योग सप्लाई और विपणन सोसायइटी की विपणन सहायता के लिए कर्नाटक सरकार को सहायक अनुदान।	2.20 लाख रु०
15. जीरांग और गजम जिले में फल परिसंस्करण इकाई की कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आम तथा सन्तरे की रोपण सामग्री के वास्ते एक विकसित केन्द्र तथा नर्सरी स्थापित करने हेतु उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को मंजूरी।	18.50 लाख रु०
16. बाबई, जिला होशंगाबाद में फल तथा सब्जी परिसंस्करण प्लांट को स्थापित करने/सुदृढ़ करने के लिए साम्य पूंजी के रूप में मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को मंजूरी।	45.00 लाख रु०
17. कोचीन के निकट फल तथा सब्जी परिसंस्करण इकाई को स्थापित करने तथा सुदृढ़ करने के लिए साम्य पूंजी के रूप में केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को मंजरी।	6.375 लाख रु०
18. मुरथल (हरियाणा) में फल तथा सब्जी परिसंस्करण प्लांट के आधुनिकीकरण के लिए साम्य पूंजी के रूप में हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को मंजूरी।	65 38 लाख रु०
19. खुम्बी उत्पादन के विज्ञापन तथा प्रचार पर खर्च करने के लिए उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को मंजूरी।	47,000 रु०
कुल	214.38 लाख रु०

विवरण-IV

नई स्थापित की गई कृषि पर आधारित इकाइयों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1986-87	1987-88	1988-89
1.	आन्ध्र प्रदेश	4898	4638	6952
2.	असम	324	254	361
3.	बिहार	1336	1316	1275
4.	गुजरात	975	1175	1108
5.	हरियाणा	1280	864	802
6.	हिमाचल प्रदेश	972	512	544
7.	जम्मू और कश्मीर	156	163	127
8.	कर्नाटक	2835	2014	1954
9.	केरल	2267	3173	3471
10.	मध्य प्रदेश	2359	2016	1747
11.	महाराष्ट्र	3306	2620	2350
12.	मणिपुर	71	34	65
13.	मेघालय	35	68	170
14.	नागालैंड	339	345	429
15.	उड़ीसा	17609	26115	21567
16.	पंजाब	878	1052	1053
17.	राजस्थान	644	523	407
18.	सिक्किम	29	8	19
19.	तमिलनाडु	1299	2554	2594
20.	त्रिपुरा	165	133	118
21.	उत्तर प्रदेश	7185	7287	8176
22.	पश्चिम बंगाल	7772	8153	8508
23.	अण्डमान व निकोबार	15	12	7
24.	अरूणाचल प्रदेश	44	26	27
25.	चण्डीगढ़	2	1	3
26.	दादर और नागर हवेली	2	4	2
27.	गोवा	5	5	87
28.	मिजोरम	40	11	8
29.	पांडिचेरी	40	41	46
	योग	56882	65147	63977

कलकत्ता में दूरसंचार "गेटवे" सुविधा

*520. **श्री सुधीर गिरि** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों पर अद्यतन अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा की सुविधा प्रदान की गई है; और

(ख) कलकत्ता में दूरसंचार "गेटवे" सुविधा प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) द्वारा भारत में बम्बई, नई दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता स्थिति चार गेटवे एक्सचेंजों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाती हैं। देश के टेलीफोन उपभोक्ताओं को लगभग 1100 से अधिक शहरों/कस्बों से विश्व के 210 देशों के लिए एसटीडी सुविधा सहित अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायल (आईएसडी) टेलीफोन सेवा उपलब्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा (आईएक्सएसडी) 214 देशों के लिए उपलब्ध है और भारतीय टेलेक्स नेटवर्क के सभी उपभोक्ता इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। देश के लगभग सभी सार्वजनिक तार घरों से करीब पूरे विश्व के लिए अन्तर्राष्ट्रीय तार सुविधा उपलब्ध है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता। अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे टेलीफोन एक्सचेंज कलकत्ता में 3 जून, 1991 से काम कर रहा है।

"हाउस आफ कामन्स" में जम्मू और कश्मीर के सम्बन्ध में वक्तव्य

*521. **श्री रवि राय** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के विदेश एवं राष्ट्र मण्डल मामलों से सम्बन्धित अन्डर सेक्रेटरी द्वारा हाउस आफ कामन्स में जम्मू और कश्मीर के बारे में हाल ही में एक वक्तव्य दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) यूनाइटेड किंगडम के विदेश एवं राष्ट्रमण्डल कार्यों के संसदीय अवर सचिव श्री मार्क लेनोक्स-ब्यायड ने 25 जुलाई, 1991 को हाउस आफ कामन्स में "पाकिस्तान और कश्मीर" विषय पर बहस के दौरान एक बयान दिया था, जो कि विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

"मेरे माननीय मित्र ने कश्मीर के बारे में जो कुछ कहा है, वह मैंने गौर से सुना है। इस सदन की तरह और इस देश के अन्य बहुत से लोगों की तरह हम भी कश्मीर की स्थिति के बारे में चिन्तित हैं और उस तनाव को लेकर भी जो इसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हो गया है जो दोनों ही हमारे अच्छे दोस्त हैं; मानवाधिकार के सवाल को लेकर जो चिन्ताएं व्यक्त की गई हैं, उनसे भी मैं सहमत हूं।

मैं इस सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम दूर से बैठकर कश्मीर की समस्याओं को अनदेखा हरगिज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम भारत और पाकिस्तान को इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान खोज लेने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करते रहे हैं। दोनों पक्षों ने हमारे प्रयासों की सराहना की है। हम खास तौर से भारत और पाकिस्तान की ओर से तनाव को कम करने तथा दोनों ओर के विदेश विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत का सिलसिला कायम करके परस्पर विश्वास विकसित करने के विभिन्न उपाय तय करने की दिशा में किए गए प्रयासों का स्वागत करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए 1990 के वसन्त में ही हमने दोनों पक्षों को पूरी ईमानदारी के साथ प्रोत्साहित किया था। द्विपक्षीय आधार पर और यूरोपीय समुदाय के अपने साझीदारों के साथ हमने भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव के विषय में अपनी चिन्ता को दोहराया है और आतंकवादी दलों की गतिविधियों को तथा इन्हें समर्थन देने पर तथा मानवाधिकारों के हनन के प्रश्न पर भी अपनी चिन्ता व्यक्त की है।

हमें भारत के दावों के बारे में और पाकिस्तान द्वारा उनका खण्डन किए जाने के बारे में भी मालूम है जिसमें भारत का यह कहना है कि कश्मीरी आतंकवादियों को पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है, वहां, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और हथियार सप्लाई किए जाते हैं। हमने पाकिस्तान सरकार को यह जता दिया है कि अगर सरकारी स्तर पर समर्थन दिया जाता है तो इससे ब्रिटेन में चिन्ता होगी।

मेरे माननीय मित्र ने कश्मीर समस्या की कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया है तथा 1948 तथा 1949 के संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का भी। इन प्रस्तावों में जिन पर भारत और पाकिस्तान ने अपनी सहमति व्यक्ति की थी और ब्रिटेन ने जिसका समर्थन किया था, यह सोचा गया था कि दोनों ओर से सैनिकों की वापसी की जाएगी तथा पहले की जम्मू और कश्मीर रियासत के सभी वाशिन्दों के तत्वावधान में तथा संयुक्त राष्ट्र की देख-रेख में इस बात के लिए जनमत संग्रह कराया जाए कि वे भारत के साथ मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ; लेकिन इन प्रस्तावों पर कार्रवाई नहीं हो सकी क्योंकि कम से कम अंशतः दोनों पक्षों ने सैनिकों की वापसी से संबद्ध प्रावधान पर अमल नहीं किया।

पाकिस्तान का कहना यह है कि कश्मीर के दर्जे का फैसला संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के अनुरूप जनमत संग्रह करा कर ही किया जा सकता है। हम यह मानते हैं कि कश्मीर के झगड़े को कैसे तय किया जाए, इसका फैसला भारत और पकिस्तान को करना है और इस संदर्भ में दोनों के बीच असहमति का एक मुद्दा यह है कि क्या कश्मीरी पहले ही पूरी तरह अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर चुके हैं या और भी मत संग्रह की आवश्यकता है। हमारा काम यह नहीं है कि हम इस बात का फैसला करने की कोशिश करें कि यह मसला कैसे तय किया जाए लेकिन संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों में जनमत संग्रह कराने की बात को लेकर स्पष्ट कठिनाइयां तो हैं ही। तथ्य यह है कि पहले की जम्मू और कश्मीर रियासत अब वास्तव में कई उलाकाई हिस्सों में बंटी हुई है। वस्तुतः भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के द्वारा इसका विभाजन हो चुका है और इसके अन्य हिस्से को चीन को दे दिया गया है।

भारत का तर्क यह है कि इस पूर्ण रियासत का 1947 में भारत में विधिपूर्वक विलय हो चुका है और 1954 में कश्मीर की निर्वाचन विधानसभा इस विलय का अनुसमर्थन कर चुकी है और ऐसा करके जनमत के परिक्षण के प्रति अपनी वचनबद्धता पूरी कर चुकी है और पाकिस्तान अपनी सेनाओं को पूरी तरह से वहां से हटाने के बुनियादी प्रावधान को लागू करने में असमर्थ रहा है।

कश्मीर के दर्जे के सम्बन्ध में हमारी स्थिति यह है कि यह मामला भारत और पाकिस्तान को 1972 में शिमला में सम्पन्न समझौते के अनुसार परस्पर शांतिपूर्वक सुलझा लेना चाहिए जिसके अन्तर्गत दोनों देशों ने द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से अथवा परस्पर सहमत किसी अन्य शांतिपूर्वक तरीके से अपने मतभेदों को तय करने का निश्चय किया है। इस समझौते में "जम्मू और कश्मीर की समस्या के अन्तिम समाधान" की भी प्रत्याशा की गई है। मेरे माननीय मित्र ने कश्मीर में जारी हिंसा की समस्या को जिन शब्दों में उठाया है उसका मैं समर्थन करता हूं। इसके बारे में व्यापक तौर पर जो चिन्ता है उसी तरह हम स्वयं भी चिन्तित हैं। हमने उन लोगों की बराबर भर्त्सना की है जो अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा के उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार के प्रयासों का हम समर्थन करते हैं। इसके साथ ही हम भारत सरकार को भी इस बात के लिए बराबर प्रोत्साहित कर रहे हैं कि उनके सामने जो समस्या है उससे निपटने में वे अत्यन्त संयम से काम लें। कतिपय कश्मीरी उग्रवादी दलों की ओर से पेश हिंसात्मक चुनौती के संदर्भ में कानून और व्यवस्था बनाए रखना सचमुच बहुत मुश्किल है। दोनों ओर से निःसंदेह त्रुटियां हुई हैं। मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार के साथ अपने सम्पर्कों में हमने इस बात के महत्व को स्पष्ट किया है कि हम मानवाधिकार के सामान को बहुत महत्व देते हैं।

हमने मानवाधिकार संगठनों द्वारा स्वतंत्र पड़ताल की इजाजत के महत्व पर बल दिया है जैसे एमनेस्टी इन्टरनेशनल और इस बात पर भी कि सुरक्षा बलों के जिन सदस्यों ने दुर्व्यवहार किया हो उनके खिलाफ कानूनी कारंवाई की जाए। भारत सरकार ने हमें बताया है कि दुर्व्यवहार के आरोपों की अच्छी तरह छानबीन की जाती है और वे गलत कार्यों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने के लिए भी चिन्तित हैं तथा अनेक सुरक्षा सैनिक कार्मिकों के खिलाफ कार्यवाई पहले ही की जा चुकी है।

मैं इस सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम कश्मीर की स्थिति पर निरन्तर निगाह रखें तथा भारत और पाकिस्तान को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वे इस विवाद का शांतिपूर्ण हल निकाल लें। अगर दोनों पक्ष चाहें तो हम सहायता के लिए भी तत्पर हैं। हम आशा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच परस्पर विश्वास विकसित करने की प्रक्रिया जारी रहेगी और इससे ऐसी माकूल स्थितियां पैदा करने में मदद मिलेगी कि जिसमें हिंसा खत्म हो जाए और एक ऐसे विवाद का स्थाई समाधान निकल आए जो भारत और पाकिस्तान के राजनैतिक स्थायित्व के लिए खतरा पैदा कर रहा है तथा जिसने इस उप महाद्वीप में बहुत सी आहुति दी हैं।"

उड़ीसा के क्योंझर जिले में तांबे और सोने के भंडार

[हिन्दी]

*522. **श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा** : क्या **खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिले में खनिजों की खोज के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां तांबे और सोने के विशाल भंडारों का पता लगा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंज

*523. **श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम"** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी दिल्ली में कितने टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं और उनमें से प्रत्येक एक्सचेंज की क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) उन एक्सचेंजों में पिछले दस वर्षों से टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने-कितने लोग प्रतिक्षा कर रहे हैं;

(ग) क्या प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को कनेक्शन देने के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान इन टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रतीक्षा-सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंज क्षेत्रों का प्रशासनिक प्रभागों अथवा निर्वाचन क्षेत्रों के साथ सह-समापन नहीं होता। पूर्वी दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्रों को 5 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनका विवरण इस प्रकार से है :—

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	कोड	लाइनों में क्षमता
1.	लक्ष्मी नगर-I	224/221/220	28000
2.	लक्ष्मी नगर-II	222	6000
3.	शाहदरा रिमोट लाइन यूनिट-I	228	7000
4.	शाहदरा रिमोट लाइन यूनिट-II	229	6000
5.	मयूर विहार	225	5000

(ख) यमुना-पार क्षेत्र में पिछले दस वर्षों से टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 136 लोगों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं ।

(ग) और (घ) जी हां । वर्ष 1991-92 के दौरान उपयुक्त क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज चालू करने का प्रस्तावित कार्यक्रम इस प्रकार से है : —

क्रम सं०	एक्सचेंज/रिमोट लाइन यूनिट का नाम	क्षमता
1.	मयूर विहार रिमोट लाइन यूनिट	3000 लाइनों से विस्तार (जून, 1991 में पहले ही चालू किया जा चुका है) ।
2.	लक्ष्मीनगर-II	4000 लाइनों से विस्तार
3.	शाहदरा रिमोट लाइन यूनिट-II	2000 लाइनों से विस्तार
4.	यमुना विहार रिमोट लाइन यूनिट	4000 लाइनें

(ङ) इन क्षेत्रों में 1.4.1991 तक प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को 31.3. 1995 तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाने की संभावना है ।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत संगठन

[अनुवाद]

*524. **श्री गंगाधरा सनीपल्ली**
श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अब तक पंजीकृत किये गये संगठनों की संख्या क्या है;

(ख) वर्तमान समय में विदेशी अंशदान पाने वाले संगठनों और संस्थाओं के नाम क्या है;

(ग) इन संगठनों को विदेशी अंशदानों के रूप में 1989 और 1990 के दौरान वर्ष-वार तथा राज्यवार कुल कितना धन प्राप्त हुआ; और

(घ) इन संगठनों को यह धन किस उद्देश्य/उद्देश्यों के लिए मिला ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) 31.3.1991 को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं की संख्या 13,370 है ।

(ख) लगभग 9,000 संस्थाएं विदेशी अभिदाय प्राप्त कर रही है ।

(ग) और (घ) विदेशी अभिदाय से सम्बन्धित संगणीकृत आंकड़े केवल वर्ष 1988 तक के ही उपलब्ध हैं ।

श्री राजीव गांधी की हत्या की जांच करने के लिए नया न्यायिक आयोग

*525. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्री राजीव गांधी की हत्या के पीछे कोई षड्यन्त्र होने की

जांच कराने के लिए एक नया न्यायिक आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित आयोग द्वारा अपने निष्कर्ष दिये जाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (घ) जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन आयोग की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की जा रही है। आयोग से अपनी रिपोर्ट अधिसूचना जारी होने की तारीख से 6 महीने के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्चेंजों में बदलना

[हिन्दी]

*526. **श्री सत्यपाल सिंह यादव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में कुल कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं तथा उनमें से कितने इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान उस जिले के जिन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का विचार है, उनका ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उतर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में कुल 19 टेलीफोन एक्सचेंज हैं, जिनमें से पांच इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं।

(ख) चालू वर्ष (1991-92) के दौरान खुदागंज और मीरनपुर कटरा के दो इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने की योजना है।

डेरी और मुर्गी पालन विकास योजनाएं

[अनुवाद]

* 527. **श्री चेतन पी० एस० चौहान**
श्री बलराज पासी : } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए डेरी और मुर्गी पालन विकास योजनाएं लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, इन योजनाओं में कुल कितना धन लगाया गया;

(घ) ये योजनायें किन-किन राज्यों में चल रही हैं; और

(ङ) इन योजनाओं से समाज के कमजोर वर्ग किस सीमा तक लाभान्वित हुए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) ब्यौरा सभा-पटल पर रखे गए संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) ये योजनाएं सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रचालित की जा रही हैं।

(ङ) इन कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभानुभोगियों की अनुमानित संख्या 1989-90 और 1990-91 में क्रमश: 7,25,732 और 6,78,845 है।

विवरण

समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए डेरी और कुक्कुट विकास योजनाएं निम्न प्रकार हैं :—

1. विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम, जिसके उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(1) छोटे/अत्यन्त छोटे किसानों और कृषि मजदूरों को पशुधन उत्पादन कार्यक्रम में शामिल करना; और

(2) उनके लिए अतिरिक्त रोजगार और आय का सृजन।

विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम के दो घटक हैं।

बछड़ों के पालन सम्बन्धी घटक के अधीन छोटे/अत्यंत छोटे किसानों को 50 प्रतिशत की दर से और कृषि मजदूरों को $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत की दर से राजसहायता प्रदान की जाती है।

कुक्कुट (लेयर तथा ब्रायलर इकाइयां) भेड़ तथा सूअर प्रजनन इकाइयों की स्थापना के लिए छोटे/अत्यंत छोटे किसानों को 25 प्रतिशत की दर से और कृषि मजदूरों को 33.33 प्रतिशत की दर से राजसहायता प्रदान की जाती है।

इस कार्यक्रम में 30 प्रतिशत लाभानुभोगी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जनातियों के होने चाहिए। दोनों घटकों में प्रति लाभानुभोगी अधिकतम राजसहायता 3000 रुपये है जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए राजसहायता की अधिकतम सीमा प्रति लाभानुभोगी 5000 रुपये है।

2. **घरों में मुर्गी पालन की छोटी इकाइयों की स्थापना**

इस योजना के अंतर्गत पिछड़ी, जनजातीय और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में गरीब महिलाओं के लिए मुर्गीपालन की छोटी इकाइयां स्थापित की जाती है।

प्रत्येक इकाई की लागत (राजसहायता) 500 रुपये है जो मुर्गियों, एक "कूप" (नाइट शेल्टर) और आहार की खरीद के लिए दो वर्षों की अवधि (पहले वर्ष 375 रुपये और दूसरे वर्ष 125 रुपये) में दी जाती है।

3. **समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम**

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक लाभानुभोगी-उन्मुखी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में चुनिन्दा परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। सहायता प्राप्त परिवारों में से कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से लिए जाने चाहिएं।

डेरी और मुर्गी पालन विकास के क्षेत्र में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित उप-कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे है :—

(1) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभानुभोगियों द्वारा ओसर पालन के जरिए दुधारू पशुओं की उत्पादकता में सुधार करना और (2) मुर्गीपालन उत्पादन इकाइयों की स्थापना करना। सहायता निम्नानुसार दी जाती है :

(1) छोटे और अत्यंत छोटे किसानों को	50%	प्रति परिवार अधिकतम 3000 रुपये
(2) कृषि मजदूर	$66\frac{2}{3}$ %	प्रति परिवार अधिकतम 3000 रुपये
(3) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परिवार	50%	प्रति परिवार अधिकतम 5000 रुपये

विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम और घरों में मुर्गी पालन की छोटी इकाइयों की स्थापना के लिए 1989-90 और 1990-91 में किया गया कुल निवेश क्रमशः 1190.63 लाख रुपये और 1351.15 लाख रुपये है। इसके अलावा, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दुधारू पशु और मुर्गी पालन इकाइयों के लिए भी किया गया है।

दुग्ध उत्पादों का निर्यात

3818. **श्री धर्मण्णा मोण्डय्या सादुल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री लंका, अल्जीरिया और कुछ यूरोपीय देशों के दुग्ध उत्पादों का निर्यात किया जाता है;

(ख) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों ने, जो भारत को उपहार स्वरूप दुग्ध पाऊडर की सप्लाई करते थे, इसकी सप्लाई बन्द कर दी है;

(ग) यदि हां, तो पहले उपहार के रूप में दुग्ध पाऊडर की सप्लाई प्रति वर्ष कितनी मात्रा में की जाती थी;

(घ) क्या इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार का विचार दुग्ध उत्पादों का निर्यात बन्द करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) 1990-91 और 1991-92 (जुलाई, 1991 तक) के दौरान आपरेशन फ्लड-3 के अधीन यूरोपीय आर्थिक समुदाय से उपहार के रूप में स्किम्ड दुग्ध चूर्ण प्राप्त नहीं हुआ।

(ग) 1987-88 से 1989-90 के दौरान आपरेशन फ्लड-3 के लिए उपहार के रूप में यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा पहले सप्लाई की गई स्किम्ड दुग्ध चूर्ण की मात्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष	मात्रा मिट्रिक टन में
1987-88	12,000
1988-89	17,990
1989-90	44,991
कुल	44,981

(घ) और (ङ) : यह निर्णय लिया गया है कि देश में ताजे दूध की कमी के कारण राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड आगे दुग्ध चूर्ण का निर्यात नहीं करेगा। जब स्थिति अनुकूल होती है तो घी एवं मक्खन जैसे अन्य डेरी उत्पादों का निर्यात किया जाता है।

पाकिस्तान द्वारा उग्रवादियों को प्रशिक्षण

3819. **श्री बल्लभ पाणिगृही :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में तोड़-फोड़ और विनाश कार्यों के लिए पाकिस्तान ने अनुमानत: कितने उग्रवादियों तथा महिला-उग्रवादियों को प्रशिक्षण दिया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने उग्रवादी सीमा पार कर के भारत आये;

(ग) उनमें से कश्मीरी और पंजाबी उग्रवादियों की अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(घ) उग्रवादियों के सीमा पार करके भारत न आने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा पिछले 4-5 वर्षों में अनुमानत: 2500 सिख उग्रवादियों और 10,000 कश्मीरी युवकों को प्रशिक्षण दिया गया। महिला उग्रवादियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बारे में कोई निश्चित रिपोर्ट नहीं है। अनुमान है कि वर्ष 1990 में लगभग 200 सिख उग्रवादी और 8000 कश्मीरी युवक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भारत वापस आ गए हों।

(घ) पंजाब क्षेत्र में घुसपैठ रोकने के उद्देश्य से सीमा के साथ-साथ पंजाब क्षेत्र में 236 कि०मी० क्षेत्र में बाड़ और 382 कि०मी० क्षेत्र में फ्लड लाईटिंग और राजस्थान क्षेत्र में 58 कि०मी० क्षेत्र में बाड़ और 61.8 कि०मी० क्षेत्र में फ्लड लाईटिंग लगाई गई है। इसके अलावा राजस्थान में 144 कि०मी० क्षेत्र में बाड़ और 175 कि०मी० क्षेत्र में फ्लड लाईटिंग लगाने के कार्य को स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा पर निगरानी बढ़ा दी

गई है, संवेदनशील क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त कम्पनियां तैनात की गई है, अतिरिक्त सीमा चौकियों की स्थापना करके सीमा निगरानी चौकियों के बीच की अधिक दूरी कम कर दी गई है, सीमा के साथ-साथ निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है, गस्ती दलों को जीप/मोटर साईकल/नाईट विजन डिवाईस/दूरबीन/हाथ में पकड़ी जाने वाली सर्च लाईट दी गई है और सीमा सुरक्षा बल के आसूचना तंत्र को सक्रीय किया गया है। जम्मू और कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा से 5 कि०मि० तक शाम से सुबह तक का कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अतिरिक्त सीमा पर करने के कार्य को अधिक कठिन और जोखिम युक्त बनाने के लिए सीमा पर सख्त निगरानी रखी जाती है। आसूचना तंत्र को सक्रीय बनाया गया है। सीमान्त जिलों में विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम और सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम लागू किया गया है। सेना, अर्ध-सैनिक बलों और राज्य पुलिस द्वारा गहन समन्वय के साथ घुसपैठियों के विरुद्ध अभियान चलाए जाते हैं।

एर्नाकुलम में ग्रेफाईट के भंडार

3820. **श्री पी०सी० थामस** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के एर्नाकुलम जिले के कल्लूरकड और मुव-तुंपुझा क्षेत्र "ग्रेफाईट" का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर किया गया और किया जाने वाला व्यय क्या है; और

(घ) इसके दोहन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) केरल सरकार को केरल खनिज गवेषण एवं विकास परियोजना (के० एम० ई० डी० पी०) द्वारा विस्तृत गवेषण किया गया है। अन्वेषणों से एर्नाकुलम जिलान्तर्गत मव-तुंपुझा तालुक के कल्लूरकड गांव में वड-कोड स्थान पर 598,000 टन ग्रेफाइट अयस्क तथा नागपुझा स्थान पर 7.3% ग्रेफाइट अंश वाले 748,000 टन ग्रेफाइट अयस्क की पुष्टि हुई है।

(ग) केरल सरकार की केरल खनिज गवेषण तथा विकास परियोजना ने अब तक एक लाख रुपये की राशि व्यय की है।

(घ) केरल राज्य के उपक्रम केरल स्पेशल रिफैक्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित वडकोड ग्रेफाइट निक्षेपों के विकास की परियोजना रिपोर्ट की केरल सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

चेकोस्लोवाकिया पिस्तौल सौदा

[हिन्दी]

3821. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने चेकोस्लोवाकिया पिस्तौल सौदे से सम्बन्ध में जांच पूरी कर ली है तथा केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और जांच कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) मामले की अभी भी केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री द्वारा विदेश दौरे

[अनुवाद]

3822. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और प्रधानमन्त्री द्वारा पृथक् रूप से किन-किन देशों का दौरा किया गया;

(ख) प्रत्येक दौरे की तारीख, अवधि और उसका प्रयोजन क्या-क्या था;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्येक के दौरे पर वास्तविक रूप से अलग-अलग कितनी धनराशि व्यय हुई;

(घ) उन देशों के अध्यक्षों अथवा उपाध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों द्वारा विगत में भारत का किस-किस तारीख को दौरा किया गया; और

(ङ) वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री द्वारा किन-किन देशों का दौरा करने का प्रस्ताव है और उन दौरों का उद्देश्य क्या-क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ङ) सूचना संलग्न विवरण I, II, III में दी गई हैं ।

विवरण—I

वर्ष 1990-91 के दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री द्वारा की गई यात्राओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण :

विशिष्ट व्यक्ति	देश जिसकी यात्रा की गई	तारीख	अवधि	यात्रा का स्वरूप	व्यय की गई वास्तविक धनराशि (रुपयों में)
राष्ट्रपति	पुर्तगाल	31.3.90-3.4.90	4 दिन	राजकीय यात्रा	2,34,09,594
	यूनाइटेड किंगडम	3.4.90-7.4.90	4 दिन	—वही—	
	माल्टा	7.4.90-10.4.90	3 दिन	—वही—	
	जापान	11.11.90-13 11.90	3 दिन	जापान के राजा के राज्याभिषेक के लिए	1,72,29,706
उपराष्ट्रपति	सेशेल्स	9.3.91-10.3.91	2 दिन	सरकारी यात्रा	15,48,737
	मारीशस	11.3.91-13.3.91	3 दिन	मारीशस के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए	
	मालदीव	14.3.91-16.3.91	3 दिन	सरकारी यात्रा	
प्रधानमन्त्री	मलेशिया	1.5.90-5.5.90	5 दिन	जी-15 शिखर सम्मेलन में भाग लेने और द्विपक्षीय यात्रा के लिए	86,30,334
	मालदीव	22.6.90-24.6.90	3 दिन	द्विपक्षीय यात्रा	7,92,920
	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	23.7.90-26.7.90	4 दिन	द्विपक्षीय यात्रा	1,09,19,802
	मालदीव	21.11 90-23.11.90	3 दिन	सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए	11,38,259
	नेपाल	13.2.91-15.2.91	3 दिन	द्विपक्षीय यात्रा	6,88,690

विवरण—II

देश	विशिष्ट व्यक्ति	यात्रा की तारीख
यूनाइटेड किंगडम	क्वीन एलिजाबेथ	17-26 नवम्बर, 1983
	प्रधान मन्त्री	13-14 अप्रैल, 1985
माल्टा	प्रधान मन्त्री	7-13 जनवरी, 1989
पुर्तगाल	शून्य	शून्य
मलेशिया	मलेशिया नरेश (निजी यात्रा)	27-28 दिसम्बर, 1988
	प्रधान मन्त्री	29 जनवरी, 1 फरवरी, 1987
मालदीव	राष्ट्रपति	15-16 जून, 1991
सोवियत संघ	राष्ट्रपति	18-20 नवम्बर, 1988
	प्रधान मन्त्री	20-25 नवम्बर, 1987
जापान	प्रधान मन्त्री	29 अप्रैल, 1 मई, 1990
नेपाल	नेपाल नरेश	29-30 सितम्बर, 1988
	प्रधान मन्त्री	24-26 नवम्बर, 1990
	(भूतपूर्व प्रधानमन्त्री (स्व०) राजीव गांधी की अंत्येष्टि पर मई 23-25, 1991 तक भी यात्रा पर आए)	
सेशेल्स	प्रधान मन्त्री	24-26 सितम्बर, 1990
मारीशस	गवर्नर जनरल	10-25 नवम्बर, 1988
	प्रधान मन्त्री	23-26 जुलाई, 1991

विवरण—III

विशिष्ट व्यक्ति	देश	यात्रा का सम्भावित समय	उद्देश्य
राष्ट्रपति	कोई यात्रा प्रस्तावित नहीं है।		
उप-राष्ट्रपति	भूटान	अक्तूबर, 1991	द्विपक्षीय सरकारी यात्रा।
प्रधानमन्त्री	जर्मनी	सितम्बर, 1991	भारत उत्सव और द्विपक्षीय यात्रा।
	जिम्बावे	अक्तूबर, 1991	उच्च स्तरीय मूल्यांकन समूह की बैठक तथा राष्ट्रमंडल के शासनाध्यक्षों की बैठक।
	वेनेजुएला	नवम्बर, 1991	जी-13 शिखर सम्मेलन के लिए।
	श्रीलंका	नवम्बर, 1991	सार्क शिखर सम्मेलन के लिए।

गोला-गरी का समर्थन मूल्य

[हिन्दी]

3823. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने संघ सरकार से गोला-गरी का समर्थन मूल्य बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1991 मौसम के लिए कोपरे के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा किये जाने के बाद से इसके समर्थन मूल्य में वृद्धि करने के लिए केरल सरकार से कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय आबंटन

3824. **श्री ललित उरांव** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है, और

(ख) इस आबन्टित धनराशि में से वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है और कितनी धनराशि वापस की गई है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य योजना के अन्तर्गत आबंटित की गई राशि तथा बिहार सरकार द्वारा खर्च की गई राशि का विवरण इस प्रकार है ।

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आबन्टित राशि	खर्च की गई राशि
1988-89	437.50	373.27
1989-90	429.12	391.37
1990-91	429.44	405.75 (प्रत्याशित)

राज्य सरकार द्वारा अपनी योजना के अन्य विकास क्षेत्रों में की जाने वाली बचतों का उपयोग किया जाता है ।

खेती के अन्तर्गत क्षेत्र

[अनुवाद]

3825. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कुल कितने क्षेत्र में खेती होती है;

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सीमान्त और छोटे कृषकों द्वारा उर्वरकों की औसतन खपत कितनी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भूमि उपयोग सांख्यिकी 1987-88 (नवीनतम उपलब्ध) के अनुरूप कुल सस्यगत क्षेत्र को दर्शाने वाली सूचना संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ख) कृषि संगणना 1985-86 के अनुसार सीमान्त और छोटे किसानों के सम्बन्ध में परिचालानात्मक जोतों की संख्या और निवल सस्यगत क्षेत्र को दर्शाने वाली संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) 1981-82 के दौरान, सीमान्त और छोटे किसानों द्वारा प्रयोग की गई प्रति हैक्टेयर (किलोग्राम में) उर्वरकों (एन० + पी० + के०) की मात्रा को दर्शाने वाली सूचना संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भूमि उपयोग सांख्यिकी 1987-88 (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार कुल सस्यगत क्षेत्र को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।

(हजार हैक्टेयर में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(कुल सस्यगत क्षेत्र)
आन्ध्र प्रदेश	13615
अरुणाचल प्रदेश	196
असम	2794
बिहार	9458
गोवा	134
गुजरात	10339
हरियाणा	3761
हिमाचल प्रदेश	621
जम्मू तथा कश्मीर	818
कर्नाटक	11678
केरल	2259
मध्य प्रदेश	20135
महाराष्ट्र	18632
मणिपुर	140

1	2
मेघालय	244
मिजोरम	248
नागालैंड	276
उड़ीसा	6574
पंजाब	4235
राजस्थान	16654
सिक्कम	99
तमिलनाडु	7139
त्रिपुरा	267
उत्तर प्रदेश	18330
पश्चिम बंगाल	5798
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	36
चण्डीगढ़	3
दादर तथा नगर हवेली	25
दिल्ली	54
दमन और दीव	3
लक्षद्वीप	3
पांडिचेरी	30
अखिल भारत	154648

विवरण-II

कृषि संगणना 1985-86 के अनुसार सीमान्त और छोटे किसानों के सम्बन्ध में परिचालनात्मक जोतों की संख्या और निवल सस्यगत क्षेत्र को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

		(संख्या हजार में)		(क्षेत्र 000 हैक्टेयर में)	
क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीमांत किसान (1 हैक्टेयर से कम) भूमि रखने वाले		छोटे किसान (1-2 हैक्टेयर तक) भूमि रखने वाले	
		जोतों की संख्या	निवल सस्यगत क्षेत्र	जोतों की संख्या	निवल सस्यगत क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	4412	2007	1714	2356
2.	अरुणाचल प्रदेश	14	7	16	16
3.	असम	1444	531	546	705

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	7622	2797	1327	1553
5.	गोवा	58	20	10	13
6.	गुजरात	793	413	737	1 72
7.	हरियाणा	502	223	265	378
8.	हिमाचल प्रदेश	447	156	155	160
9.	जम्मू एण्ड कश्मीर	829	277	187	207
10.	कर्नाटक	1788	845	1293	1835
11.	केरल	3993	702	282	349
12.	मध्य प्रदेश	2643	1118	1613	2166
13.	महाराष्ट्र	2420	1137	2104	2899
14.	मणिपुर	67	35	48	64
15.	मेघालय	59	32	51	68
16.	मिजोरम	21	15	19	28
17.	नागालैंड	8	3	19	22
18.	उड़ीसा	1855	918	910	1271
19.	पंजाब	256	138	208	309
20.	राजस्थान	1340	554	920	1152
21.	सिक्किम	13	5	10	11
22.	तमिलनाडु	5335	1999	1260	1751
23.	त्रिपुरा	211	89	70	101
24.	उत्तर प्रदेश	13373	4876	2964	4011
25.	पश्चिम बंगाल	4343	1710	1175	1677

1	2	3	4	5	6
संघ राज्य क्षेत्र					
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	नगण्य	2	2
2.	चंडीगढ़	2	1	नगण्य	नगण्य
3.	दादर और नगर हवेली	5	3	4	5
4.	दमन और दीव	3	1	2	1
5.	दिल्ली	15	6	5	7
6.	लक्षद्वीप	4	1	नगण्य	1
7.	पांडिचेरी	24	8	5	6
	अखिल भारत:	53899	20625	17922	24198

टिप्पणी : 1. सीमांत किसानों के मामले में 0.02 हैक्टेयर से कम परिचालानात्मक जोत रखने वाले किसानों को निकाल दिया गया है।

टिप्पणी : 2. संख्याओं को पूर्ण करने की वजह से योग नहीं मिलेंगे।

विवरण-III

आदान सर्वेक्षण 1981-82 (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार सीमान्त और छोटे किसानों द्वारा प्रयोग की गई प्रति हैक्टेयर (किलोग्राम में) उर्वरक (एन० पी० के०) की मात्रा ।

राज्य	निम्नलिखित के द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रति हैक्टेयर (किलोग्राम में) मात्रा	
	सीमांत किसान (1.00 हैक्टेयर से कम जोत वाले किसान)	छोटे किसान (1.00-1.99 हैक्टेयर तक जो रखने वाले किसान)
आन्ध्र प्रदेश	70.9	55.2
असम	2.5	2.3
बिहार	15.3	22.2
गुजरात	41.4	42.2
हरियाणा	36.7	33.7
हिमाचल प्रदेश	20.5	29.9
जम्मू और कश्मीर	29.4	32.0
कर्नाटक	36.5	32.9
केरल	38.1	47.5
मध्य प्रदेश	8.4	8.2
महाराष्ट्र	74.4	56.2
मणिपुर	10.7	10.6
मेघालय	16.9	22.0
नागालैंड	1.1	0.7
उड़ीसा	17.7	14.9
पंजाब	84.8	100.5
राजस्थान	0.9	0.9
सिक्किम	5.2	6.0
तमिलनाडु	87.4	75.5
त्रिपुरा	18.5	16.7
उत्तर प्रदेश	41.3	35.8
पश्चिमी बंगाल	37.3	42.6
संघ राज्य क्षेत्र	54.8	31.2
अखिल भारत :	40.8	37.5

ज्वार की फसल पर कीटों का हमला

3826. **श्री विजय पाटिल** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ज्वार की फसल पर बड़े पैमाने में कीटों का हमला हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कीट प्रकोप से फसल को बचाने के लिए प्रौद्योगिकी के विकास हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) देश में ज्वार की फसल पर बड़े पैमाने पर कीटों के हमले की कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ज्वार की फसल पर शूटफ्लाई कीट की कुछ ही घटनाओं की सूचना दी है देश में ज्वार की फसल पर कीट नियंत्रण की आवश्यक प्रौद्योगिकी, खरी के लिए राष्ट्र अनुसंधान केन्द्र (भा०कृ० अ० प०) हैदराबाद तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा पहले ही विकसित की जा चुकी है। शूटफ्लाई कीट के नियंत्रण हेतु विकसित प्रौद्योगिकी के अनुसार किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मृदा के साथ कार्बोफ्यूरान या फारेट नामक कीटनाशकों को मिलाएं और फिर उसका प्रयोग करें।

महाराष्ट्र सरकार छोटे और सीमान्त किसानों को कीटनाशकों की खरीद हेतु राजसहायता देने के अलावा इन निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कर रही है।

दिल्ली में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की कमी

3827. **श्री मदन लाल खुराना**
श्री गोपीनाथ गजपति } : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों विशेषत: डी० एम० एस० घी की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्र) : (क) और (ख) दिल्ली दुग्ध योजना ने दूध की सप्लाई के स्तर को कायम रखा है यद्यपि ताजे दूध की खरीद पिछले वर्ष से कम थी। स्किम्ड दुग्ध पाऊडर और व्हाइट बटर का पुन: संघटन करके यह स्तर कायम रखा गया। दुग्ध उत्पादों, जिनमें घी भी शामिल है, का विनिर्माण अतिरिक्त दुग्ध वसा की उपलब्ध मात्रा तक किया जाता है।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने शहर में दूध की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए, अगस्त, 1991 तक दुग्ध उत्पादों के उत्पादन पर रोक लगाने के आदेश जारी किये हैं। पड़ोसी राज्यों के राज्य सहकारी डेरी संघों से दुग्ध की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए सम्पर्क किया गया और दिल्ली दुग्ध योजना को प्रति दिन की जाने वाली आपूर्ति में अब वृद्धि हो गई है।

मध्य प्रदेश में कश्मीरी प्रवासी

3828. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों में आतंकवाद के कारण जम्मू और कश्मीर से कितने व्यक्तियों ने मध्य प्रदेश में प्रवास किया;

(ख) क्या ऐसे प्रवासियों को कोई सहायता दी गई है;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में संघ सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (एम०एम० जैकब) :

(क) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 274 कश्मीरी प्रवासियों ने मध्य प्रदेश में शरण ली है और राज्य सरकार, सर्दियों में कम्बलों की व्यवस्था करने के अलावा उन्हें 200/रु० प्रति व्यक्ति प्रति माह दे रही है। उन्होंने इन्जीनियरिंग और मैडीकल कालेजों में कश्मीरी छात्रों के दाखिले के लिए मध्य प्रदेश के निवासी होने की शर्त भी समाप्त कर दी हैं।

2. मध्य प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई मदद नहीं मांगी है।

[हिन्दी]

राजस्थान में डाकघर, तारघर और टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

3829. **प्रो0 रासासिंह रावत :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान राजस्थान में जिलेवार कितने-कितने डाकघर, तारघर और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार है;

(ख) इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) गत वर्ष राजस्थान के अजमेर जिले में कितने एस० एस० डी० और आई० टी० डी० कनेक्शन दिये गए ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) **डाकघर** जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

तारघर : राजस्थान में जिलावार तारघर खोलने के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। फिर भी, निम्नलिखित जिलों में छः मौजूदा संयुक्त डाक-तार घरों का स्वतन्त्र तारघरों के रूप में दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है :—

जैसलमेर (एक), बाड़मेर (दो), चित्तौड़गढ़ (एक), टोंक (एक), और बूंदी (एक)।

टेलीफोन एक्सचेंज : वर्ष 1991-92 के दौरान राजस्थान में लगभग पचास नए एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है। जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) **डाकघर :** डाक नेटवर्क के विस्तार के लिए धनराशि का आवंटन अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है। चालू वर्ष (1991-92) के लिए 3 करोड़ रु० का परिव्यय मंजूर किया गया है।

दूर संचार : अप्रैल, 1991 से सितम्बर 1991 तक की अवधि के लिए राजस्थान दूरसंचार सर्किल को 27 करोड़ रु० का एकमुश्त लेखा अनुदान आबंटित किया गया है।

(ग) अजमेर जिले में 1990-91 के दौरान एस. टी. डी. और आई. एस. डी. सुविधा वाले कुल 174 नए कनेक्शन प्रदान किए गए। इनके अतिरिक्त वर्ष 1990-91 के दौरान एस. टी. डी. और आई. एस. डी. सुविधा वाले 28 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गए।

विवरण-I

वर्ष 1991-92 के दौरान राजस्थान में खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की जिलेवार संख्या। तथापि, औचित्य पाए जाने पर ही इन्हें खोला जाएगा।

जिले का नाम	डाकघर
अजमेर	4
अलवर	6
बाड़मेर	10
भीलवाड़ा	5
बीकानेर	1
जाल्लोर	1
सिरोही	1
सवाई माधोपुर	1
चित्तौड़गढ़	7
धौलपुर	2
डूंगरपुर	7
बांसवाड़ा	3
दौसा	8
जयपुर	8
जोधपुर	6
जैसलमेर	1
झुनझुनू	9
कोटा	2
झालावाड़	3
बरन	5
बूंदी	5

1	2
टोंक	1
सीकर	4
पाली	5
श्रीगंगानगर	1
नागौर	12
उदयपुर	3
राजसामंद	4
योग —	125

विवरण-II

1991-92 के दौरान राजस्थान में खोले जाने वाले टेलीफोन घरों की जिलेवार संख्या।

वर्ष 1991-92 के दौरान राजस्थान में 50 टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना है। इन संभावित स्थानों की सूची पर आधारित टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलेवार संख्या का ब्यौरा इस प्रकार से है :—

क्र. सं.	जिले का नाम	टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1.	अजमेर	2
2.	अलवर	1
3.	बांसवाड़ा	2
4.	बाड़मेर	1
5.	भरतपुर	1
6.	बीकानेर	2
7.	चित्तौड़गढ़	4
8.	चुरू	2
9.	दौसा	2
10.	डूंगरपुर	1
11.	जयपुर	3
12.	जैसलमेर	1
13.	झुनझुनू	4
14.	जोधपुर	3
15.	कोटा	2
16.	नागौर	4
17.	पाली	2
18.	राजसामंद	3
19.	सवाईमाधोपुर	3
20.	सीकर	5
21.	श्रीगंगानगर	2

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता

[अनुवाद]

3830. **डा० कीर्तिकेश्वर पात्र** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कुछ सिंचाई परियोजनाओं को विदेशी सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) अपर इन्द्रावती परियोजना (ओ. ई. सी. एफ.) से सहायता

जापान—3.744 बिलियन येन

अपर कोलाब परियोजना (ओ. ई. सी. एफ) से सहायता

जापान—3.769 बिलियन येन

विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना—

32-15 करोड़ रुपए को अनुमानित लागत के 7 परियोजना प्रस्तावों की विस्तृत परियोजनारिपोर्ट तैयार करने के वास्ते स्वीकृति दी गई।

विश्व बैंक की सहायता से बांध सुरक्षा आश्वासन तथा पुनर्वास परियोजना—उड़ीसा घटक ·····73.71 करोड़ रुपए

सुरम पलेम जलाशय परियोजना

3831. **श्री के० वी० आर० चौधरी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में सूरम पलेम जलाशय परियोजना केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो उसे कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में सूरम पलेम जलाशय परियोजना केन्द्र में प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुरा में बाढ़ नियंत्रण योजनाएं

3832. **श्रीमती बिभू कुमारी देवी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में बाढ़ नियंत्रण की कुछ योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी है; और

(ख) यदि हां तो इनको कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस समय, केन्द्रीय जल आयोग में स्वीकृति के लिए कोई बाढ़ नियंत्रण स्कीम नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में समुद्री दीवार बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता

3833. **श्री थाइल जान अंजलोज** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने के लिए समुद्री दीवार बनाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राज्य में समुद्री कटाव को रोकने के लिए समुद्री दीवारों के निर्माण के वास्ते दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

3833 के भाग (क) और (ख) से संदर्भित विवरण

राज्य में समुद्री कटाव को रोकने के लिए समुद्री दीवारों के निर्माण के वास्ते केरल राज्य सरकार को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा।

वित्तीय बाधा तथा तात्कालिकता पर विचार करते हुए, केन्द्र सरकार वर्ष 1972-73 से केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान कर रही है। सोपान-1 कार्यक्रम में सूक्ष्म क्षेत्रों में 320 कि०मी० नई समुद्री दीवारों के निर्माण तथा 70 कि०मी० क्षतिग्रस्त समुद्री दीवारों का पुन: निर्माण शामिल है। मार्च, 1991 तक किए गए कुल 94.74 करोड़ रुपए व्यय में से केन्द्र ने सहमत मानदण्डों के अनुसार 49.05 करोड रुपए का अंशदान दिया है। नए कार्यों का लगभग 97% तथा पुन: निर्माण कार्यों का 61% कार्य पूरा हो गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने अब सोपान-11 कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जिसमें विद्यमान पद्धति पर सहायता मांगकर 156 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर लगभग 128 कि०मी० लम्बी समुद्री दीवार के निर्माण तथा लगभग 54 कि०मी० का पुनर्निर्माण कार्य शामिल है।

राज्य सरकार को, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य तकनीकी परामर्श समिति का अनुमोदन प्राप्त करते हुए सोपान-11 कार्यों के वास्ते स्कीमवार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

राजस्थान में ग्रेनाइट निकालने के लिये पट्टा दिया जाना

3834. **श्री बाऊ दयाल जोशी** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर ग्रेनाइट निकालने के लिए पट्टे दिये गये हैं;

(ख) पट्टा धारकों के नाम क्या हैं और पट्टे से संबंधित शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का राज्य को (ग्रेनाइट) निकालने का और अधिक पट्टा देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फसल की खेती की लागत

3835. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : गन्ना, चावल, गेहूं और मकई की राज्य-वार प्रति हेक्टेयर खेती की लागत कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : आखिरी उपलब्ध वर्ष के लिए गन्ना, धान, गेहूं और मक्का की राज्यवार प्रति हेक्टेयर खेती की लागत (सी 2) को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(1) गन्ना

राज्य	वर्ष	खेती की लागत (रुपए/हेक्टेयर)
आंध्र प्रदेश	1987-88	14134.33
बिहार	1987-88	6338.09
हरियाणा	1986-87	5805.15
कर्नाटक	1986-87	9884.74
महाराष्ट्र	1989-90	18612.90 (19679.95)
तमिलनाडु	1987-88	13204.42*
उत्तर प्रदेश	1987-88	7476.61
	(2) धान	
आंध्र प्रदेश	1987-88	7121.10*
असम	1986-87	2511.57
बिहार	1987-88	3384.55*
हरियाणा	1988-89	5575.98
कर्नाटक	1986-87	4551.22
मध्य प्रदेश	1987-88	2878.65
उड़ीसा	1986-87	3169.16
पंजाब	1988-89	7684.71
तमिलनाडु	1987-88	5478.58*
उत्तर प्रदेश	1987-98	4661.94*

(3) गेहूं

हरियाणा	1988-89	4967.86
मध्य प्रदेश	1987-87	2465.22
पंजाब	1989-90	6991.52 (7413.31)
राजस्थान	1987-88	4271.59
उत्तर प्रदेश	1986-87	4205.03

(4) मक्का

मध्य प्रदेश	1987-88	2021.87
राजस्थान	1985-86	2363.36

* अनन्तिम

फसलों के उत्पादन की लागत की कार्यपद्धति की समीक्षा संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों के अनुसार कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष 1989-90 और उसके बाद के अनुमानों के सम्बन्ध में अनुवर्ती लागत सी.3 को दर्शाते हैं;

(1) नैमित्तिक श्रमिक दर सांविधिक मजदूरी दर, में से जो अधिक पाई गई हो, पर श्रम का मूल्यांकन करके,

(2) इस प्रकार निकाली गई कुल लागत 10 प्रतिशत वृद्धि करके जो कि किसानों के प्रबंध भावाओं के रूप में है।

पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर पर स्मारक डाक टिकट

3837. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान उनकी स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं। पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर पर डाक टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इनकी स्मृति में 26 सितम्बर, 1970 को एक डाक टिकट पहले ही जारी किया जा चुका है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में रोड क्रासिंग्स पर ट्रैफिक सिगनल लाइटें

[हिन्दी]

3838. **श्री गोविन्दराव निकम** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने रोड क्रासिंग्स पर यातायात पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं;

(ख) दिल्ली में कितने रोड क्रासिंग्स पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ग) दिल्ली के प्रत्येक रोड़ क्रासिंग्स पर यह सुविधा उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का दिल्ली में प्रत्येक रोड़ क्रासिंग्स पर यह सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) दिल्ली में 260 चौराहों पर यातायात पुलिस को तैनात किया गया है।

(ख) 405 चौराहों पर यातायात संकेत-बत्तियां लगाई गई हैं।

(ग) से (ङ) तक यातायात संकेत बत्ती लगाने का निर्णय लेने से पूर्व, इण्डियन रोड़ कांग्रेस द्वारा निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए व्यवहार्यता का अध्ययन किया जाता है। ये इस प्रकार हैं :—

(1) वाहनों की न्यूनतम मात्रा;

(2) लगातार चलने वाले यातायात में अवरोध;

(3) पैदल चलने वालों की न्यूनतम मात्रा; तथा

(4) दुर्घटना सम्बन्धी भूतपूर्व अनुभव।

श्रीलंका में जातीय समस्या का समाधान

[अनुवाद]

3839. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और श्रीलंका सम्बन्धों से जुड़े महत्वपूर्ण मामले क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने श्रीलंका की जातीय समस्या के राजनैतिक समाधान के लिए सरकारी स्तर पर विचार-विमर्श शुरू करने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर श्रीलंका के जातीय संघर्ष का भारत पर जो प्रभाव पड़ रहा है वह भारत सरकार के लिए बराबर चिंतनीय है। इसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत में आए हैं और इस क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति बिगड़ी है।

श्रीलंका की सरकार के साथ अधिकारी स्तर की बातचीत में और मन्त्री स्तर की बातचीत में इस बात पर बल दिया गया है कि श्रीलंका की जातीय समस्या का बातचीत करके कोई राजनैतिक समाधान निकालने की जरूरत है और इस बातचीत में सभी सम्बद्ध पक्षों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि तमिल समुदाय की जायज आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।

हमने श्रीलंका की सरकार से यह अनुरोध भी किया है कि वह ऐसा माहौल बनाने के लिए कदम उठाए कि जिससे इस समय भारत भूमि पर उपस्थित लगभग 2 10,000 श्रीलंका शरणार्थी शीघ्र और स्वेच्छा से वहां से लौट सकें।

इसके अतिरिक्त द्विपक्षीय आर्थिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता से सम्बद्ध आवश्यकताओं पर भी दोनों पक्षों ने विचार-विमर्श किया है।

गेहूं और मक्का उत्पादन

3840. **श्री आर० गंगा गोविन्दाराजुलु** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान कुल उत्पादन की तुलना में वी० एल० 616 किस्म गेहूं तथा "पार्वती" किस्म के मक्के का उत्पादन कितना रहा है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन फसलों का कितना निर्यात किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) गेहूं और मक्के के उत्पादन के किस्मवार आक्कलन संकलित नहीं किये जाते हैं। तथापि, वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार 1990-91 के दौरान गेहूं और मक्के का कुल उत्पादन क्रमशः 54.0 से 54.5 और 9.4 मिलियन मीटरीटन होने की सम्भावना है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, निर्यात किये गये गेहूं और मक्के सहित अन्य मोटे अनाजों की मात्रा निम्न सारणी में दी गयी है :—

निर्यात की गयी मात्रा

वर्ष	गेहूं (लाख मीटरी टन में)	मक्के सहित अन्य मोटे अनाज (000 मीटरीटन में)
1988-89	0.16	8.13
1989-90	0.12	5.95
1990-91	1.34	7.32

नये स्पंज लोहा संयंत्रों की स्थापना

3841. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **इस्पात मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों और विशेषकर उड़ीसा में सरकारी/गैर सरकारी क्षेत्रों में नये स्पंज लोहा संयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में स्पंज लोहा परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, सरकार ने स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड और कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किये जाने वाले स्पंज

लोहा संयंत्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु स्वीकृति दे दी है। तथापि परियोजना के लिए अभी तक न तो कोई निवेश सम्बन्धी निर्णय लिया गया है।

गढ़वाल क्षेत्र में इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्री की इकाई की स्थापना

3842. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्री की इकाई स्थापित करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में अन्तरराज्यीय माफिया गिरोहों की असामाजिक गतिविधियां

3843. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में सक्रिय अन्तर-राज्यीय माफिया गिरोहों की असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ख) सभी प्रकार के अपराधों को दर्ज करने, उसकी जांच करने तथा अपराधों का पता लगाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। जहां तक संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का सम्बन्ध है, किसी ऐसे अन्तर-राज्यीय माफिया गिरोह के दिल्ली में सक्रिय होने के बारे में सूचना नहीं है। तथापि, दिल्ली में इस प्रकार की गतिविधि पर रोक लगाने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

सी-डाट संगठन के कार्यकरण की जांच

[हिन्दी]

3844. **कुमारी विमला वर्मा :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी-डाट संगठन और इसके भूतपूर्व सलाहकार के कार्यकरण की जांच के लिए कई जांच समितियां गठित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों के निष्कर्ष क्या हैं और उसके परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या उसके परिणामस्वरूप कई प्रतिभाशाली वैज्ञानिक त्याग पत्र देकर विदेश चले गये हैं; और

(घ) क्या इस संस्थान द्वारा विकसित स्वदेशी ग्रामीण एक्सचेंजों के परिणामस्वरूप पर्याप्त विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) कोई जांच समितियां गठित नहीं की गई हैं। तथापि, सी-डाट के मूल्यांकन के लिए सरकार द्वारा जनवरी, 1990 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) कई इन्जीनियर सी-डाट छोड़कर चले गए हैं। विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि वे विदेश चले गए हैं अथवा नहीं।

(घ) सी-डाट द्वारा विकसित अनेक ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज नेटवर्क में लगाए गए हैं। सी-डाट द्वारा देशी प्रौद्योगिकी का ग्रामीण एक्सचेंजों के लिए किए गए विकास के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत हुई है जिसकी आवश्यकता ग्रामीण एक्सचेंजों के लिए उपस्कर प्रौद्योगिकी के आयात करने की स्थिति में होती है।

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में रह रहे बांग्लादेश के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता

3845. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बांग्लादेश से आए कुछ विस्थापित व्यक्ति उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या ऐसे सभी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे शरणार्थियों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं दी गई है; और

(ङ) उन्हें कब तक भारतीय नागरिकता दिए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में रह रहे तथा भूतपूर्व पाकिस्तान (अब बंगला देश) से पहले ही आए हुए व्यक्तियों से भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए 113 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 111 व्यक्तियों को नागरिता अधिनियम, 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई।

राजस्थान में ऊन का उत्पादन

3846. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल ऊन उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन राजस्थान में होता है;

(ख) सरकार ने ऊन के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को इस प्रयोजन हेतु कितनी सहायता प्रदान की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) देश में ऊन के कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत उत्पादन राजस्थान में होता है ।

(ख) ऊन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं : —

(1) देशी भेड़ों को चयनित प्रजनन और उत्तम विदेशी जर्मप्लाज़्म के साथ संकर प्रजनन करके उन्नत बनाना ।

(2) बड़े पैमाने पर फील्ड में संकर प्रजनन के लिए विदेशी विरासत वाले उत्तम भेड़ों का उत्पादन और वितरण ।

(3) राज्य सरकारों को उनके भेड़ प्रजनन फार्मों के बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता देना ।

(4) राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से ऊन के विपणन के लिए सहायता उपलब्ध कराना ।

(ग) राजस्थान सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा 1990-91 के दौरान इस कार्य के लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता 32.50 लाख रुपये है ।

मुख्य चुनाव आयुक्त की हत्या करने का कथित षड्यंत्र

3847. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य चुनाव आयुक्त की हत्या करने से सम्बन्धित किसी षड्यंत्र का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसमें शामिल किन-किन व्यक्तियों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और आयोग के अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कोई प्रबन्ध किये है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) और (ख) जुलाई, 91 के शुरू में प्राप्त अपुष्ट रिपोर्ट के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की हत्या करने के प्रयास के लिए दो बब्बर खालसा उग्रवादियों को हरे रंग की मारुति में दिल्ली भेजा गया था ।

(ग) से (ङ) मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयोग के अन्य कर्मचारियों की जान के खतरे की आशंका को ध्यान में रखते हुए उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं । अपुष्ट

रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिल्ली पुलिस को सुग्राहीकृत किया गया तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया गया ।

उर्वरकों के मूल्यों पर नियन्त्रण समाप्त करना

[अनुवाद]

3848. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्वरकों के मूल्यों पर नियन्त्रण समाप्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) उर्वरक नियंत्रक आदेश, 1985 के अन्तर्गत विभिन्न उर्वरकों के उपभोक्ता मूल्यों को इससे पहले 14 अगस्त, 1991 को संशोधित और अधिसूचित किया गया था। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जैसे कुछ निम्न विश्लेषण उर्वरक, जिनके मूल्य पहले नियंत्रित किये जाते थे, 25 जुलाई, 1991 से उन पर से मूल्य नियत्रण हटा लिया गया है। इस समय मौजूदा उर्वरकों जिनके मूल्य 14 अगस्त, 1991 को अधिसूचित किये गए थे, में से किसी पर से नियन्त्रण हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की जनसंख्या

3849. **श्री कालका दास** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने-कितने लोग हैं; और

(ख) इनमें से पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या अलग-अलग कितनी-कितनी है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) तथा (ख) 1991 की जनगणना के अनुसार देश के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि जनगणना के आंकड़ों की सारणियां तैयार की जा रही हैं। इसलिए पुरुषों और महिलाओं का अलग-अलग ब्यौरा भी उपलब्ध नहीं हैं ।

कृषि पर निर्भर जनसंख्या

[अनुवाद]

3850. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **कृषि मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के समय कृषि पर आधारित जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी-कितनी थी;

(ख) क्या सरकार का इस प्रतिशतता को कम करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) कामगारों के आर्थिक वर्गीकरण से सम्बन्धित आंकड़े, जनसंख्या गणना के अन्तर्गत प्रत्येक 10 वर्षों में एकत्र किए जाते हैं। 1961 तथा 1981 (अद्यतन उपलब्ध) जनसंख्या गणना के आधार पर कृषि पर निर्भर कामगारों की प्रतिशतता क्रमशः 69.5 तथा 66.5 थी।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार अन्य क्षेत्रों, प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और कृषि पर आधारित उद्योगों को प्रोन्नत करके, कृषि पर निर्भरता को कम करने का प्रयास कर रही है। नियोजित विकास के माध्यम से, प्रमुख रूप से, कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में उच्च वृद्धि दर की परिकल्पना की गई है जिससे कि कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र से और अधिक कामगारों के इस क्षेत्र में आने की सम्भावना है।

विदेशी पर्यटकों का अपहरण

3851. **श्री साईमन मरान्डी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में 1991 में अब तक आतंकवादियों/उग्रवादियों/असामाजिक तत्वों द्वारा अपहृत और मारे गए विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : अपराध का पंजीकरण करने, उसकी जांच करने तथा उसका पता लगाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। आतंकवादियों/उग्रवादियों/समाज-विरोधी तत्वों द्वारा राज्यों में अपहृत किए गए और मारे गए विदेशी पर्यटकों की संख्या के बारे में केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा अलग से सूचना नहीं रखी जाती है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा श्रीनगर में किराये पर लिये गये मकानों का किराया निर्धारित किया जाना

3852. **श्री अम्बारासु इरा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों द्वारा श्रीनगर में अपने लिये किराये पर लिये गये मकानों के किराये का निर्धारण करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा के० रि० पु० ब० को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. प्राइवेट आवास को किराए पर लेने के सम्बन्ध में जम्मू और कश्मीर सरकार ने एक किराया मूल्यांकन समिति गठित की है जिसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं :—

(1) उपायुक्त, श्रीनगर।

(2) एस० एस० पी०, श्रीनगर।

(3) एस० ई० लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर।

(4) अधिशासी अभियन्ता, लो० नि० वि०, श्रीनगर।

3. जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि होटलों के मामले में किराए का निर्धारण, पर्यटन विभाग के पास उनके पंजीकरण की श्रेणी के आधार पर निर्भर करेगा तथा अन्य मामलों में आवास किराया निर्धारण, इन बातों पर निर्भर करेगा, आवास का टाईप, निर्माण वर्ष तथा संबद्ध नियम, जो लो० नि० वि० के 1983 के मानदंडों के अनुसार किराए का मूल्यांकन करते हैं।

दार्जीलिंग का दर्जा

3853. **श्रीमती दिल कुमार भण्डारी** : क्या गृह मन्त्री यह बताये की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जुलाई, 1991 के "द टेलीग्राफ" में "ग्रेटर नेपाल, घीसिंग्स न्यू कार्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सरकार के पास "ग्रेटर नेपाल" बनाने के बारे में सूचित समाचार के सम्बन्ध में कोई पुष्ट खबर नहीं है। फिर भी किसी भी स्रोत से आने वाली इस प्रकार की मांगों को सरकार मान्यता प्रदान नहीं करती है।

उत्तर प्रदेश में नलकूपों का लगाया जाना

[हिन्दी]

3854. **श्री राम बदन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से आजमगढ़ और माऊ जिलों में कितने नलकूप लगाए गए।

(ख) इनमें से कितने नलकूप काम कर रहे हैं और कितने निष्क्रिय है; और

(ग) यह निष्क्रिय नलकूपों के कब तक चालू हो जाने की संभावना है; और

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में कितने नलकूप लगाये जाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विश्व बैंक की सहायता से निर्मित उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 84 नलकूप और माऊ में 64 नलकूप हैं।

(ख) और (ग) इस समय कोई भी नलकूप स्थायी रूप से खराब नहीं पड़ा है। यांत्रिकी अथवा इलैक्ट्रिकल अथवा हाइड्रोलिक समस्या के कारण कुछ नलकूप अस्थायी रूप से खराब थे जिनकी शीघ्र मरम्मत कर दी गयी और उन्हें काम में लाया जा रहा है।

(घ) हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक सहायता के लिए सोपान-111 में 3000 नलकूपों के निर्माण और आधुनिकीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उस्मानाबाद, महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंज

[अनुवाद]

3855. **श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस्मानाबाद महाराष्ट्र में एक नया इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ख) वर्तमान एक्सचेंज की कुल क्षमता कितनी है और कितने आवेदक नये कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी आवेदकों को कनेक्शन देने के लिए वर्तमान एक्सचेंज की क्षमता में वृद्धि करने का भी है?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां। उस्मानाबाद में मार्च, 93 तक एक नया इलेट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित करने की योजना है।

(ख) 31-3-91 की स्थिति :

क्षमता—500 लाइनें

प्रतीक्षा सूची—336

(ग) जी हां, 300 लाइनों से विस्तार किया जाएगा।

आगरा नहर का प्रबन्ध

3856. 'श्री अवतार सिंह भडाना : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगरा नहर के उस भाग का प्रबन्ध, जो राज्य में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराता है हरियाणा को सौंपने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

जल-संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) आगरा नहर प्रणाली के उस भाग का प्रबन्ध, जो हरियाणा को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करता है, हरियाणा को अन्तरित करने पर हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है। इस मुद्दे को हल करने की दृष्टि से तत्तकालिन केन्द्रीय कृषि एवं सिंचाई मन्त्री ने जनवरी, 1975 तथा अप्रैल, 1981 में बैठकें आयोजित की थीं और केन्द्रीय जल संसाधन सचिव ने अक्तूबर, 1987 में अन्तर्राज्यीय बैठक भी आयोजित की थी। मई, 1989 में दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों की भी बैठक हुई थी और

उसके पश्चात् जून, 1989 में दोनों राज्यों के सचिवों की बैठक आयोजित की गयी थी। दोनों राज्यों के बीच अब तक इस मुद्दे पर कोई मतैक्य नहीं हुआ है।

सब्जी उत्पादकों को उनकी उपज का अधिक लाभ देने की योजना

[हिन्दी]

3857. **श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना बना रही है कि उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किये गये मूल्य में से बड़ा हिस्सा सब्जी उत्पादकों को मिले;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड सब्जी उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीज सीधा सम्पर्क जुटाने के लिए पायलट परियोजना क्रियान्वित कर रहा है, जिसके अन्तर्गत सब्जी उत्पादकों के उत्पाद दिल्ली में 166 खुदरा बिक्री केन्द्रों के जरिए उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर चीजें मुहैया किए जाते हैं। सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ताजे और संसाधित बागवानी उत्पादों की अधिप्राप्ति, ढुलाई, भण्डारण, संसाधन और विपणन को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने हेतु समेकित परियोजना तैयार करने के लिए सम्भाव्यता पूर्व अध्ययन कर रहा है। ऐसा करने से छः प्रमुख नगरीय केन्द्र अर्थात् अहमदाबाद, कलकत्ता, कोचीन, हैदराबाद, लखनऊ और मद्रास महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्रों के साथ जुड़ जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सब्जी उत्पादकों को उपभोक्ता मूल्य का एक बड़ा अंश दिलाने में सहायता करने के लिए फसल बाद प्रबन्ध योजना क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम फल और सब्जी का उत्पादन करने वाली सहकारी समितियों को ऋण के रूप में शत प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराता है और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा राजसहायता उपलब्ध करायी जाती है।

स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

3858. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में वर्ष 1991-92 के दौरान कितने स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) 1991-92 के दौरान 4550 ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है।

(ख) एक्सचेंजों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(I) बड़े ऑटोमेटिक एक्सचेंजों की सं० -110

(II) छोटे तथा मध्यम आकार के एक्सचेंजों/एक्सचेंजों यूनिटों की संख्या : 4440

1991-92 में इन एक्सचेंजों को स्थापित करने के लिए इससे सम्बद्ध बाह्य संयंत्र तथा अन्य आधारभूत सरंचना सहित बजट की राशि 2385 करोड़ रुपए आंकी गई है।

पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में सोने के भण्डार

[अनुवाद]

3859. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में सोने का विशाल भण्डार पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सोना निकालने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में अंतर्राज्यीय विवादों के कारण प्रभावित सिंचाई परियोजनाएं

[हिन्दी]

3860. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव**
श्री तेज नारायण सिंह } : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) बिहार में अंतर्राज्यीय जल विवादों के कारण प्रभावित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(ख) इन परियोजनाओं की परियोजना-वार सिंचाई और पन-बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बिहार की कोई भी सिंचाई परियोजना अन्तर्राज्यीय विवाद के कारण प्रभावित नहीं है। तथापि, कनहर जलाशय तथा कदवन जलाशय नामक दो परियोजनाओं के बारे में राज्य सरकार को मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश सरकारों से उनकी सीमा में जलमग्नता के क्षेत्रों के सम्बन्ध में सहमति प्राप्त करनी है। जमानिया पम्प नहर स्कीम के लिए भी विद्युत घर की जगह निश्चित करने तथा पोषक नहर के संरेखण के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति की आवश्यकता है। तिलैया धाधर तथा कोनार सिंचाई स्कीमों के सम्बन्ध में अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजित करने के लिए दामोदर घाटी निगम के मैथान और पनचेट जलाशयों में अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के मामले का निपटारा पहले करना आवश्यक है।

(ख) इन परियोजनाओं में परिकल्पित सिंचाई क्षमता कनहर की 56430 हेक्टेयर, तिलैया धाधर की 35460 हेक्टेयर, कोनार सिंचाई को 62830 हेक्टेयर, जमानिया पम्प नहर की 30060 हेक्टेयर तथा विद्यमान सोन कमान के अन्तर्गत सिंचाई स्थिर करने के अलावा कदवान जलाशय की विद्युत क्षमता (6×75) 450 मेगावाट है।

इराक की जेलों में बन्द भारतीय

[अनुवाद]

3861. **श्री ई० अहमद : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इराक की जेलों में कुल कितने भारतीय बन्द हैं; और

(ख) उन्हें शीघ्र रिहा कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) इराकी प्राधिकारियों से जब पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि इराकी जेलों में इस समय कोई भारतीय राष्ट्रिक नहीं है लेकिन हाल की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस समय 13 भारतीय राष्ट्रिक इराक में नजरबन्द हैं। इसकी पुष्टि की जा रही है तथा इस मामले को इराकी प्राधिकारियों के साथ उठाया जा रहा है।

अरुणाचल प्रदेश में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा

3862. **श्री लाइता उम्ब्रे : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अरुणाचल प्रदेश में संचार सुविधाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है,

(ग) उन स्थानों के नाम क्या है जहां पर अब तक उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा प्रदान कर दी गयी है,

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान राज्य में कुछ और क्षेत्रों में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) इस वर्ष 1991-92 के योजना प्रस्तावों में, स्थानीय स्विचिंग क्षमता की अतिरिक्त 2500 लाइनें 1000 नए टेलीफोन कनेक्शन और 40 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराना शामिल है।

(ग) तावांग, बोमडिल, सेपा, जीरो, अलोंग, अनीनी, इटानगर, नहरलगान, तेजू, खोंसा और पासीघाट में प्रयोक्ता ट्रंक डायल सुविधा उपलब्ध है।

(घ) जी हां।

(ङ) चालू वर्ष के दौरान प्रयोक्ता ट्रंक डायल सुविधा दापोरिजो और चांगलांग तक बढ़ाने की योजना है।

विभागेत्तर कर्मचारियों की सेवा शर्तें

[हिन्दी]

3863. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अतिरिक्त विभागीय डाक कर्मचारियों की सेवा शर्तें क्या हैं और उन्हें कितना वेतन दिया जाता है,

(ख) क्या उनका वेतन न्यूनतम वेतनमान के अन्तर्गत आता है, और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का उनके वेतनमान में कब तक संशोधन करने और उन्हें अन्य डाक कर्मचारियों के बराबर अन्य सुविधाएं प्रदान करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सेवा शर्तों के बारे में विस्तृत ब्यौरा और उन्हें दी जाने वाली राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) अतिरिक्त विभागीय एजेंट विभाग के नियमित कर्मचारी नहीं होते। उन्हें, उनके कार्य-भार के आधार पर समेकित मासिक भत्ता दिया जाता है। उन्हें दिया जाने वाला भत्ता किसी वेतन-मान के अन्तर्गत नहीं आता।

(ग) चूंकि अतिरिक्त विभागीय एजेंट विभाग के अंशकालिक कर्मचारी हैं और उन्हें मासिक समेकित भत्ता दिया जाता है, अतः उनके वेतनमान में संशोधन करने और उन्हें दूसरे पूर्णकालिक डाक कर्मचारियों की तरह अन्य सुविधाएं देने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) **अतिरिक्त विभागीय डाक कर्मचारियों की सेवा शर्तों का विस्तृत ब्यौरा** : अतिरिक्त विभागीय प्रणाली मुख्यतः देश के ऐसे ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में डाक सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित की गई हैं, जहां पर्याप्त कार्यभार के अभाव में और लागत की दृष्टि से एक नियमित विभागीय डाकघर नही खोला जा सकता। अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी विभाग के नियमित पूर्ण-कालिक कर्मचारी नहीं होते बल्कि केवल अंशकालिक कर्मचारी होते हैं। वह उस क्षेत्र के स्थानीय निवासी होते हैं जिसमें अतिरिक्त विभागीय डाकघर होता है। उनकी आजीविका के कुछ और निजी साधन भी होते हैं तथा उन्हें जो भत्ता मिलता है वह अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली उनकी मूल आमदनी को बढ़ाने का काम करता है। कार्यभार के आधार पर उनकी ड्यूटी की अवधि भी अलग-

अलग मामलों में प्रतिदिन 2 से 5 घंटे तक होती है। अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर और अतिरिक्त विभागीय उप पोस्टमास्टरों को डाकघर चलाने के लिए आवास की व्यवस्था करनी होती है, जिसके लिए उन्हें 25 रुपये प्रतिमाह कार्यालय रख-रखाव भत्ता दिया जाता है। वे बिना भत्ते के अधिक से अधिक 180 दिन की छुट्टियां लेने के पात्र होते हैं। सेवा के लिए नियत सामान्य आयु 65 वर्ष है। नियमित ग्रुप "घ" और पोस्टमैन संवर्ग में बाहरी कोटे से भरे जाने वाले रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पहले उन्हें तरजीह दी जाती है बशर्ते कि वे इस संबंध में पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करते हों। तत्पश्चात वे नियमित डाक कर्मचारियों की तरह सभी सुविधाएं पाने के पात्र हो जाते हैं।

(ख) भत्ते के रूप में अतिरिक्त विभागीय डाक कर्मचारियों को दी जाने वाली राशि : अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को जो भत्ता दिया जाता है वह प्रत्येक श्रेणी के अतिरिक्त विभागीय डाक कर्मचारियों को कार्यभार के आधार पर निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम भत्ते के बीच होता है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है।

	न्यूनतम	अधिकतम
(1) अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर	275 रुपये	440 रुपये
(2) अतिरिक्त विभागीय उप पोस्टमास्टर	385 रुपये	620 रुपये
अन्य अतिरिक्त विभागीय एजेंट		
(1) दो घंटे से कम कार्य के लिए	240 रुपये	—
(2) दो घंटे और उससे अधिक समय के लिए	270 रुपये	420 रुपये

इसके अतिरिक्त, सभी श्रेणियों के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को भी उसी दर से और उतनी ही बार मंहगाई भत्ता दिया जाता है जिस तरह वह नियमित कर्मचारियों को दिया जाता है। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को उनकी वास्तविक परिलब्धियों के आधार पर उत्पादन से जुड़ा बोनस भी दिया जाता है।

कुछ द्वीपों और तीन बीघा मार्ग पर भारत-बंगलादेश विवाद

[अनुवाद]

3864. **श्री यशवन्त राव पाटिल** : **क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश के बीच कुछ द्वीपों और तीन बीघा मार्ग पर कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विवादों को सुलझाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) बंगला देश ने बंगाल की खाड़ी में भारतीय द्वीप न्यूमूर पर अपना दावा किया है। जिस पर भारत की वास्तविक प्रभुसत्ता रही है और बनी है। पिछले मौकों में द्विपक्षीय बातचीत में यह मुद्दा उठा है।

तीन बीघा को लेकर भारत और बंगला देश के बीच कोई विवाद नहीं है। दोनों देशों के बीच सम्पन्न करारों के अनुरूप हम तीन बीघा बंगला देश को पट्टे पर देने के लिए बचनबद्ध हैं। इसे यथाशीघ्र अमल में लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

मुम्बई में नए टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

3865. **श्री मोहन विष्णु रावले : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई में स्थापित किए जाने वाले नए टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) इनकी कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मुम्बई में 8.8.91 से 31.3.1992 की अवधि के बीच संस्थापति किए जाने वाले संभावित टेलीफोन एक्सचेंजों का विवरण

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	मुख्य/और विस्तार	क्षमता	संस्थापन वर्ष
1.	सिटी-4	मुख्य	18,000	फरवरी, 1992
2.	कूफे परेड आरएलयू	विस्तार	1,000	नवम्बर, 1991
3.	कोपरगे-6	मुख्य	2,000	मार्च, 1992
4.	माजगांव-3	विस्तार	3,000	अगस्त, 1992
5.	माण्डवी आरएलयू	मुख्य	19,000	अक्तूबर, 1991
6.	गामदेवी आरएलयू	विस्तार	5,000	फरवरी, 1992
7.	मालाबार हिल-3	विस्तार	5,000	दिसम्बर, 1991
8.	बाईकूला-4	विस्तार	4,000	जनवरी, 1992
9.	बाईकूला आरएलयू	मुख्य	4,000	जनवरी, 1992
10.	प्रभादेवी-2	विस्तार	4,000	अक्तूबर, 1992
11.	मुमबरा आरएलयू	मुख्य	1,000	अगस्त, 1991
12.	मनखुर्द-2	मुख्य	4,000	दिसम्बर, 1992
13.	चेम्बूर आरएलयू	मुख्य	10,000	दिसम्बर, 1991
14.	घाटकोपर-3	विस्तार	1,000	फरवरी, 1992
15.	पोवाई आरएलयू	विस्तार	1,000	फरवरी, 1992
16.	बान्द्रा-1	विस्तार	13,000	दिसम्बर, 1991

1	2	3	4	5
17.	विलेपार्ले-3	विस्तार	1,000	सितम्बर, 1991
18.	खार-3	विस्तार	1,000	दिसम्बर, 1991
19.	अन्धेरी-3	विस्तार	1,000	दिसम्बर, ,991
20.	कान्दीविली-3	मुख्य	16,000	फरवरी, 1992
21.	मायन्दर	विस्तार	3,000	फरवरी, 1992
22.	जेएनपीटी आरएसयू	मुख्य	1,000	जनवरी, 1992
23.	उरन आरएसयू	मुख्य	1,000	मार्च, 1992
		कुल योग	119,000	
		पुराना उपस्कर जिसे हटाया जाना है	67,684	
		निवल वृद्धि	51,316	

11. वर्ष 1992-95 के दौरान क्षमता में वृद्धि करने का कार्यक्रम

वर्ष	क्षमता में वृद्धि सकल लाइनें	निवल लाइनें
1992-93	169,000	110,400
1993-94	124,000	88,600
1994-95	141,000	113,000

ट्रैक्टरों के लिए राज सहायता

[अनुवाद]

3866. **कुमारी उमा भारती :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को रियायती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की नयी योजना के अन्तर्गत ट्रैक्टर और सहायक उपकरण खरीदने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी राशि आबंटित गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) कृषि मन्त्रालय में इस समय टैक्टरों पर सबसिडी देने के लिए कोई भी अनुमोदित नई योजना नहीं है और इसलिए ऐसी सबसिडी का राज्यवार कोई आबंटन नहीं किया गया है ।

दिल्ली पुलिस में हथियारों की कमी

3867. **श्री रमेश चन्द तोमर :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस में हथियारों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस के पास हथियार और गोलीबारूद के रख-रखाव हेतु पर्याप्त कर्मचारी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में कौन से सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) से (घ) दिल्ली पुलिस में पिछले दशक के दौरान भारी विस्तार किया गया। दिल्ली पुलिस के विभिन्न इकाईयों के लिए बड़ी संख्या में पदों की मंजूरी दी गई। दिल्ली पुलिस प्रशासन शस्त्रकारों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस समय यह कार्य आन्तरिक समायोजन द्वारा किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश में नए शाखा डाकघर और उप डाकघर

[हिन्दी]

3868. **श्री राजवीर सिंह :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं जिलों में शाखा डाकघर और उप डाकघर खोलने का निर्णय लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर इन डाकघरों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं जिले में खोले जाने वाले नए शाखा डाकघर और उप डाकघर।

क्र० सं०	डाकघर का नाम		जिला
1.	हिम्मतपुर	शाखा डाकघर	बरेली
2.	नरहरपुर गौरीखेड़ा	—वही—	—वही—
3.	मूराबहादुरपुर	—वही—	—वही—
4.	हरोलिया	—वही—	—वही—
5.	कंमुआ	—वही—	—वही—
6.	सिमरिया	—वही—	—वही—
7.	हुरहुरी	—वही—	—वही—
8.	तांडा	—वही—	—वही—
9.	कुंवरपुरबजरिया	—वही—	—वही—
10.	रखास	—वही—	—वही—
11.	नरखेड़ा	—वही—	—वही—
12.	जिजोंदा	—वही—	—वही—
13.	मरौरी	—वही—	—वही—
14.	करोती	—वही—	—वही—
15.	गंगोली	—वही—	—वही—
16.	देवरीजीत	—वही—	—वही—
17.	ईक्लखेड़ा	—वही—	—वही—
18.	मेवली	—वही—	—वही—
19.	तारापहकपुर	—वही—	—वही—
20.	राजेंद्रनगर	उप डाकघर	बरेली

राजेंद्रनगर उप डाकघर को छोड़कर उपर्युक्त सभी डाकघरों ने काम करना शुरू कर दिया है।

रेल डाक सेवा में डाक छंटाई विभागों की पुनःस्थापना करना

[अनुवाद]

3869. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1987 में रेल डाक सेवा में डाक छंटाई अनुभागों की पुनः स्थापना करने

के लिए नियुक्त की गई संचार मन्त्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की उप-समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है/करने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां ।

(ख) उप समिति की सिफारिशों का सारांश संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) सरकार इस मामले पर सक्रिय विचार कर रही है ।

विवरण

सिफारिशों का सार

क्रम सं०	सिफारिश
1.	प्रमुख रेलमार्गों को जोड़ने वाले और अधिक ट्रांजिट सेक्शन चालू किये जाने चाहिएं ।
2.	महत्वपूर्ण लाइनों पर, जहां कहीं लाभप्रद हों, कुछ सार्टिंग सेक्शनों को पुन: चालू किया जाना चाहिए ।
3.	स्थाई और संतोषजनक डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए डाक विभाग और रेल मंत्रालय के बीच बराबर निकट समन्वय रखा जाना चाहिए ।
4.	रेल डाक सेवा की भूमिका को पूरी तरह मान्यता दी जानी चाहिए तथा डाक की छंटाई और उसके पारेषण से सम्बन्धित मामलों में लचीली और व्यावहारिक नीति अपनाई जानी चाहिए ।
5.	मेल मानीटरिंग संगठन को एक सुदृढ़ स्थिति में लाने और उन कारणों से सबक लेने की जरूरत है जिनके परिणामस्वरूप पुरानी आर डी एम एस स्कीम को समाप्त करना पड़ा ।
6.	क्षेत्रीय कार्यालयों में डाक व्यवस्था सुव्यवस्थित एवं आवधिक पुनरीक्षा तथा परिवर्तन करने के लिए प्रभावी तंत्र बनाया जाना चाहिए ।
7.	डाक एकत्र करने की समूची प्रणाली को पूरी तरह वैज्ञानिक पुनर्मूल्यांकन और आंकड़ों का विश्लेषण करने की जरूरत है ताकि उन्हें अधिक युक्तिसंगत और व्यावहारिक बनाया जा सके ।
8.	उपमहानिदेशक (एमओ) के पद का दर्जा बढ़ाने तथा देश में रेल डाक सेवा का संपूर्ण कार्य उनके अधीन रखने की जरूरत है जिसमें स्पीड पोस्ट सहित अंतर्देशीय/अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं भी शामिल हों ।
9.	हिमाचल प्रदेश जैसे प्रत्येक डाक सर्किल में अलग से कम से कम एक रेल डाक सेवा

मंडल स्थापित करने और विशेषकर रेल डाक सेवा यूनिटों को उसी सर्किल के नियं-त्रण में रखने का ठोस मामला बनता है ।

10. राष्ट्रीय स्तर पर हिल एरिया मेल मानीटरिंग आॅर्गेनाइजर स्थापित करने की जरूरत है जो ऐसे क्षेत्रों में मेल मूवमेंट को विनियमित करने वाली मुख्य विशेषताओं पर ध्यान दे सके ।

11. प्राकृतिक, भौगोलिक और संचार संपर्कों तथा मुख्यत: वितरण सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट सॉर्टिंग पैटर्न की पूरी तरह से पुन: जांच करने की आवश्य-कता है ।

12. माननीय संचार मन्त्री जी द्वारा मुख्यमन्त्रियों या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधियों जो परिवहन व्यवस्था का काम देखते हों, तथा रेलमन्त्री, भूतल परिवहन मन्त्री तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री के साथ वर्ष में एक बार बैठक करना जिससे समुचित समन्वय रखा जा सके ।

13. परिवहन एजेंसियों जैसे एयरलाइन और भूतल परिवहन/राज्य सरकारों के साथ क्षेत्रीय स्तर पर राज्यस्तर की परिषदें गठित की जानी चाहिए ।

14. एक ऐसी प्रणाली विकसित करने के बारे में अध्ययन किया जाना चाहिए जिसमें पिन कोड मेल के एड्रेसिंग सिस्टम के साथ जुड़ा हो । डिलीवरी बीट्स की आसानी से पहचान करने के लिए यदि पिन कोड के साथ एडीशनल डेट दी जा सकती हो, तो उस पर विचार किया जाए ।

15. विभाग द्वारा अपनाई गई सार्टिंग पद्धति के अनुरूप पिन कोड प्रणाली के सिद्धांतों की पुन: जांच करने की आवश्यकता है ।

16. प्रथम और द्वितीय श्रेणी की डाक के लिए अलग-अलग रंगों के लिफाफों को प्रयोग में लाने की आवश्यकता है ।

17. नेशनल मेल ग्रिड की व्यवस्था कराने के लिए राष्ट्रीय राजधानी को जिला मुख्यालयों के साथ जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने और उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है ।

18. बहतर संयोजन स्थापित करने के लिए डाक थैलों की अदला-बदली की मौजूदा पद्धति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

19. जहां कहीं डाक प्रणाली को क्षति हुई है और जहां संशोधित प्रणाली के कारण बिलंब होता है और जहां डाक केवल रेल/सड़क परिवहन सेवाओं पर निर्भर करती है वहां सार्टिंग सेक्शनों को पुन: चालू करने की आवश्यकता है ।

20. सीधे थैले भेजने की पहले वाली प्रणाली, जिसे पद्धति अपनाने के बाद बन्द कर दिया गया था, उसे फिर से चालू करने का औचित्य बनता है । समाज के सामान्य हित को

ध्यान में रखते हुए समीपवर्ती जिलों चाहे वह अलग-अलग राज्यों में क्यों न हों, उनके हैड पोस्ट आफिसेज के लिए सीधे थैले होने चाहिएं।

21. कर्मचारियों को बेहतर सुख-सुविधाएं देने की जरूरत ।

ओपेन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत लोह और इस्पात उत्पादों का आयात

3870. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **इस्पात मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "ओपन जनरल लाइसेंस" के अन्तर्गत सभी सर्वोत्तम लोह और इस्पात उत्पादों के आयात की अनुमति देने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तानी जेलों में भारतीय युद्ध बन्दी

[हिन्दी]

3871. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तानी जेलों में मरने वाले भारतीय युद्ध बन्दियों की संख्या कितनी है;

(ख) पाकिस्तानी जेलों में इस समय कितने युद्ध बन्दी हैं;

(ग) इनकी शीघ्र रिहाई हेतु केन्द्र सरकार ने क्या प्रयास किए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध-बन्दियों का आदान-प्रदान किया गया ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) से (घ) ऐसा विश्वास किया जाता है कि लापतो 54 भारतीय रक्षा कार्मिक पाकिस्तान की जेलों में हैं। उन्हें भारत प्रत्यावर्तित करने के सवाल का सरकार ने बार-बार पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया है लेकिन पाकिस्तान की सरकार बराबर यही कहती आई है कि उनकी हिरासत में कोई भारतीय रक्षा कार्मिक नहीं है।

इसके लिए हम पाकिस्तान पर बराबर जोर डाल रहे हैं।

फसल बीमा योजना

[अनुवाद]

3872. **डा० के० एस० सोन्द्रम** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा किस्त के तौर पर कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई है और वर्ष 1990-91 के दौरान किसानों को राज्य-वार वास्तव में कितना मुआवजा दिया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : 1990-91 के दौरान वृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत एकत्रित प्रिमियम तथा किसानों को वास्तव में दिए गए मुआवजे को दर्शाने वाला एक राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

लाख रुपए में

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	एकत्रित किया गया प्रिमियम	वास्तव में अदा किए गये दावे
1.	आन्ध्र प्रदेश	195.94	—
2.	असम*	6.59	—
3.	बिहार*	58.87	—
4.	गोवा	0.13	—
5.	गुजरात*	305.06	—
6.	हिमाचल प्रदेश	0.03	नेग
7.	कर्नाटक	20.68	23.16
8.	केरल	12.17	नेग
9.	मध्य प्रदेश*	43.45	—
10.	महाराष्ट्र	178.74	9.06
11.	मेघालय	0.01	नेग
12.	उड़ीसा	53.58	—
13.	तमिलनाडु*	146.66	21.71
14.	त्रिपुरा	0.63	—
15.	पश्चिम बंगाल	88.37	333.30
16.	अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.13	—
17.	पांडिचेरी	1.86	—
	कुल :	1112.90	387.23

नेग : नाममात्र की धनराशि

* इन राज्यों के खरीफ 1990 के दावों की जांच की जा रही है।

लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

3873. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी**
श्री भगवान शंकर रावत
श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों में और अधिक स्थानीय तथा लम्बी दूरी के एस० टी० डी० सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान अन्य कौन-कौन सी दूरसंचार सेवाओं को शुरू करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां। शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सार्वजनिक टेलीफोन घर (पी० सी० ओ०) खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान और अधिक सार्वजनिक टेलीफोन घर (पी०टी०) खोले जाने की योजना है जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

स्थानीय	पी०सी०ओ०	16,250
ट्रंक	पी०सी०ओ०	1,250
एस०टी०डी०	पी०सी०ओ०	7,500
लंबी दूरी के	पी०सी०ओ०	12.000

(ग) चालू वर्ष के दौरान एक नई महत्त्वपूर्ण सेवा चालू करने का प्रस्ताव है जिसका नाम पैकेट स्विच्ड पब्लिक डाटा नेटवर्क होगा।

पूर्व यूरोपीय देशों के साथ भारत के सम्बन्ध

3874. **श्री एम० रमन्ना राय** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व यूरोपीय देशों में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका इन देशों के साथ भारत के व्यापार सहित भारत के द्विपक्षीय सम्बन्धों पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन देशों में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) इन देशों में जो राजनैतिक और आर्थिक उदारीकरण चल रहा है उससे इनके साथ अपने मौजूदा सहयोग को सुदृढ़ करने और उसे विविधता प्रदान करने के और अवसर हमारे सामने मौजूद हैं।

(ग) आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव जिसमें मुद्रा स्फीति भी शामिल है, हर वर्ग के लोगों ने महसूस किया है जिसमें भारतीय छात्र भी शामिल है।

कृषि उत्पादन

3875. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा**
श्री के० प्रधानी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान कुल कृषि फसल उत्पादन का फसल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सकल घरेलू उत्पादन में इसका योगदान कितना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1990-91 के दौरान उत्पादित कृषि फसलों के फसलवार मूल्यों का संकलन नहीं किया गया है क्योंकि कुछ राज्यों से उत्पादन के अन्तिम आंकलन प्राप्त होने अभी बाकी हैं। तथापि, 1988-89 और 1989-90 (अद्यतन उपलब्ध) के लिए वर्तमान मूल्यों पर कृषि उत्पादों के फसलवार मूल्य को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) सकल घरेलु उत्पाद में कृषि फसलों के योगदान के पृथक आकलन को संकलित नहीं किया जाता है। तथापि केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के त्वरित आकलन के अनुसार 1989-90 के लिए सकल घरेलु उत्पाद, जिसमें फसल, पशुधन, पशुधन उत्पाद शामिल हैं, के लिए कृषि क्षेत्रों का योगदान 28.4% है।

विवरण

वर्तमान कीमतों पर सकल कृषि उत्पादों का मूल्य

(करोड़ रुपए में)

		फसल का नाम	1988-89	1989-90
1.		अनाज	41894	43707
	1.1	धान	23681	25605
	1.2	गेहूं	11685	10773
	1.3	ज्वार	2446	3105
	1.4	बाजरा	1327	1186
	1.5	जौ	318	290
	1.6	मक्का	1749	1946
	1.7	रागी	480	608
	1.8	छोटा कदन्न एवं अन्य	208	195
		मोटे अनाज		
2.		दालें	7859	7470
	2.1	चना	3059	2682
	2.2	अरहर	1510	1591
	2.3	उड़द	931	964
	2.4	मूंग	1184	986
	2.5	मसूर	401	394
	2.6	कुलथी	190	225
	2.7	अन्य	584	629

		फसल का नाम	1988-89	1989-90
3.		तिलहन	12061	11673
	3.1	अलसी	235	246
	3.2	सीसम	482	617
	3.3	मूंगफली	5101	4831
	3.44	तोरिया एवं सरसों	2469	2322
	3.5	अरण्डी	235	272
	3.6	नारीयल	2156	1678
	3.7	रामतिल	115	139
	3.8	कुसुम	229	228
	3.9	सूरजमुखी	194	398
	3.10	सोयाबीन	754	852
	3.11	अन्य	91	91
4.		खांडसारी	6300	8245
	4.1	गन्ना व गुड़	6292	8235
	4.2	अन्य	8	10
5.		तन्तुज	3757	4935
	5.1	कपास	3295	4294
	5.2	जूट	393	562
	5.3	सैनहेम्प	17	16
	5.4	मेस्ता	49	60
	5.5	अन्य	3	4
6.		नील, रंग और चर्मशोधन सामग्री	4	5
7.		दवाएं एवं नार्कोटिक्स	2288	2811
	7.1	चाय	758	1174
	7.2	कहवा	498	365
	7.3	तम्बाकू	582	768
	7.4	अन्य	450	503
8.		मसाले	3596	3369
	8.1	इलायची	96	195
	8.2	मिर्च	1444	801
	8.3	काली मिर्च	190	135

		फसल का नाम	1988-89	1989-90
	8.4	सोंठ	223	290
	8.5	हल्दी	333	330
	8.6	सुपारी	364	483
	8.7	लहसुन	381	655
	8.8	धनियां	122	98
	8.9	अन्य	443	382
9.		फल एवं सब्जियां	11912	11710
	9.1	केला	1188	1189
	9.2	काजू	214	213
	9.3	आलू	1790	1866
	9.4	शकरकंद	152	157
	9.5	टॅपिओका	438	923
	9.6	प्याज	454	445
	9.7	अन्य	7676	6916
10.		अन्य फसलें	3012	3185
	10.1	रबर	344	463
	10.2	गौर बीज	230	16[illegible]
	10.3	विविध फसलें	2438	2553
11.		उप-उत्पाद	9345	9670
	11.1	भूसा एवं डंठल	8653	8952
	11.2	अन्य	692	718
12.		उत्पादन का मूल्य-कृषि	102028	106782

लघु इस्पात सयन्त्र स्थापित करना

[हिन्दी]

3877. **श्री विश्वनाथ शास्त्री**
श्री नुरुल इस्लाम
श्री गोपीनाथ गजपति } : क्या **इस्पात मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) इस समय लघु इस्पात संयन्त्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक संयन्त्र की स्थापना करने के प्रस्ताव सहित विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के संयन्त्रों को स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु पहले आवेदन प्राप्त हुए थे । तथापि, नये प्रावधानों के अनुसार कुछ प्रतिबन्धित स्थानों को छोड़कर, इस प्रकार के संयन्त्र स्थापित करने के लिए अब औद्योगिक लाइसेंसों की आवश्यकता नहीं है ।

कुल्टी में इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

3878. **हाराधन राय** : क्या **इस्पात मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल्टी में "इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी" के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मछली के अण्डों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर प्रतिबन्ध

[हिन्दी]

3879. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से मछली के अण्डों को मध्य प्रदेश ले जाने पर रोक लगी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस प्रतिबन्ध को उठाने के लिए क्या कार्यवाही की है क्योंकि इससे इन राज्यों के मछुआरों की रोजी-रोटी पर असर पड़ने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सब्जी और फल उत्पादन

[अनुवाद]

3880. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक**
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा } : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान फल और सब्जी का कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) देश में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का प्रति एकड़ कितना उपयोग होता है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए० पी० ई० डी० ए०) के आकलन के अनुसार, 1990-91 के लिए फलों और सब्जियों का कुल उत्पादन 80 मिलियन मीटरी टन है।

(ख) 1989-90 के दौरान देश में विभिन्न किस्म के उर्वरकों जैसे नाइट्रोजन, फासफेट और पोटाश की प्रति हेक्टेअर खपत क्रमशः 17.29,7.06 और 2.74 कि० ग्रा० थी।

बिहार में भूमि-कटाव को रोकने की योजना

[हिन्दी]

3881 **श्री सूर्यनारायण सिंह** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बेगूसराय जिले में गंगा नदी के पानी से हुए भूमि-कटाव को रोकने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इसे कब तक मंजूरी दे दिये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राज्य सरकार से अप्रैल, 1991 में प्राप्त बेगूसराय के चाक गांव के पास लगभग 160 लाख रुपए की लागत की तट कटाव रोकने की स्कीम पर टिप्पणियां मई, 1991 में भेज दी गई थीं। भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। संशोधन किये जाने तथा राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होने के बाद ही इस स्कीम को स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के इस्पात संयंत्रों को कम मात्रा में राख वाले कोयले की सप्लाई

[अनुवाद]

3882. **श्री दत्तात्रेय बंडारू**
श्री भगवान शंकर रावत
श्री वीरेन्द्र सिंह : क्या **इस्पात मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के एकीकृत इस्पात संयन्त्रों में कम मात्रा में राख वाले कोयले का 30 से 50 प्रतिशत तक उपयोग करने की सिफारिश की है,

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा कितनी मात्रा में कोयले का आयात किया गया और उस पर कितनी राशि खर्च की गई, और

(ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को पर्याप्त मात्रा में कम मात्रा में राख वाले स्वदेशी कोयले की सप्लाई करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : जी, हां। औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने वर्ष 1987-88/1989-90 में इस्तेमाल किये जा रहे 10-30% राख युक्त कोयले के बदले सेल संयन्त्रों के ब्लेन्ड में 50% निम्न राख-युक्त आयातित कोयले के इस्तेमाल की अनुशंसा की है। इसने कार्यक्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए "सेल" के संयन्त्रों में पश्च-आधुनिकीकरण उपायों के रूप में ब्लेन्ड में 30-50% तक के निम्न राखयुक्त आयातित कोयले के इस्तेमाल में वृद्धि करने की भी सिफारिश की है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान "सेल" द्वारा आयातित निम्न राखयुक्त धातुकर्मीय कोयले की मात्रा तथा अनुमानित लागत-भाड़ा मूल्य निम्नानुसार है :—

वर्ष	मात्रा (लाख टन)	अनुमानित लागत-भाड़ा मूल्य (रुपयों में)
1988-89	37.40	329.2 करोड़
1989-90	37.48	426.8 करोड़
1990-91	44.93	542.8 करोड़

(ग) प्रत्येक वर्ष स्वदेशी रूप में उत्पादित कोककर कोयले की सम्पूर्ण मात्रा का उपभोग इस्पात क्षेत्र में ही कर लिया जाता है। आयात केवल मात्रात्मक तथा गुणात्मक, दोनों ही प्रकार की शेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। उत्पादन में वृद्धि करने और कच्चे कोककर कोयले का स्वदेशी शोधन करने के लिए सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। कच्चे कोककर कोयले, शोधित कोयले के उत्पादन और संयन्त्रों को उनका समय पर प्रेषण करने के लिए सरकार कड़ी निगरानी रखती है ताकि योजनानुसार सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।

दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध

3883. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण अफ्रीका में "रंगभेद के स्तम्भों" को अधिकारिक रूप से समाप्त करने के बावजूद वहां पर अभी भी रंगभेद की नीति अपनाई जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का है ताकि दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध लगे आर्थिक प्रतिबन्धों को हटाने से रोका जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने "अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस" द्वारा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अमरीका द्वारा आर्थिक प्रतिबन्ध समाप्त करने का विरोध किये जाने की बात नोट की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सितंबर 1991 में नई दिल्ली में राष्ट्रमण्डल की दक्षिण अफ्रीका विषयक विदेश मंत्री समिति की आगामी बैठक में सरकार यह रुख लेना चाहती है कि मौजूदा स्थिति में आर्थिक प्रतिबंध हटाना जल्दीबाजी होगी; वह इस सम्बन्ध में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर कार्यवाही करना चाहेगी ताकि वे परिस्थितियां स्पष्ट रूप से तय की जा सकें जिनमें ये आर्थिक प्रतिबन्ध हटाये जा सकते हों।

(घ) जी हां,।

(ङ) सरकार अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस से सहानभूति रखती है जो यह मानती है कि दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अमरीका द्वारा आर्थिक प्रतिबन्धों को हटाने का अभी समय नहीं आया है।

अवैध खनन

3884. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न खानों में अवैध खनन में निरन्तर वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस संबन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) कुछ खनिजों के अवैध खनन की छिट-पुट घटनायें समय-समय पर ध्यान में आती रहती हैं। अवैध की घटनायें जब और जैसे ही ध्यान में आती हैं, राज्य सरकारों द्वारा उन पर समुचित कार्यवाही की जाती हैं।

आगरा में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

3885. श्री भगवान शंकर रावत : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए श्रेणीवार इस समय कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 के दौरान श्रेणीवार कितने टेलीफोन केनेक्शन आबंटित किए गए;

(ग) प्रतीक्षा सूची के सभी व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या आगरा में निकट भविष्य में विद्यमान टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने अथवा नए एक्सचेंज स्थापित करने की कोई योजना है ताकि लम्बी प्रतीक्षा सूची का निपटान किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु : (क) आगरा में, 31/7/91 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या इस प्रकार है :—

ओ. वाई. टी.	नॉन-ओ वाई टी		योग
	सामान्य	विशेष	
517	9353	1075	10945

(ख) 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान आबंटित किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :—

	ओ. वाई. टी.	नॉन-ओ. वाई. टी.	
		सामान्य	विशेष
1988-89	17	100	5
1989-90	11	237	48
1990-91	109	801	61

(ग) प्रतीक्षा सूची को 1995 तक निपटा दिए जाने की योजना है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) आगरा में निकट भविष्य में मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने अथवा नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं बनाई गई हैं :

1991-92 में 5000 लाइनों के क्रासबार टाइप के एक्सचेंज तथा 3500 लाइनों के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू किए जाने की योजना है ।

दिल्ली में डाकियों की कमी

[हिन्दी]

3886. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के डाक डिवीजन के प्रत्येक जोन में डाकियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं/करने का विचार

(ग) कितने वितरण क्षेत्रों के सम्बन्ध में डाक समय से वितरित न किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) डाक के उचित वितरण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) दिल्ली डाक सर्किल में पोस्टमैन संवर्ग में लगभग 89 पद खाली हैं । इनमें से अधिकतर पद वर्ष 1990-91 में पोस्टमैन के 86 पद बनाने के कारण खाली पड़े हैं ।

(ख) रिक्त पदों को भरने की कारंवाई की जा रही है।

(ग) 10 (दस)

(घ) इनमें अधिकतर दिल्ली के वह सीमावर्ती इलाके शामिल हैं जहां नई-नई कालोनियां बसी हैं। इन इलाकों में वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है और वितरण कार्य पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाये जाने के सम्बन्ध में सम्मेलन

[अनुवाद]

3887. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नया प्रयास शुरू करने हेतु सम्मेलन आयोजित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने इस मामले में कोई नई पहल नहीं की है। भारत ने बराबर इस बात पर जोर दिया है कि प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का उद्देश्य हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाने से सम्बद्ध 1971 की संयुक्त राष्ट्र घोषणा का कार्यान्वयन होना चाहिए और यह भी कहा है कि इस सम्मेलन का लक्ष्य हिन्द महासागर से बड़े राष्ट्रों की सैनिक उपस्थिति को दूर करना है। इसीलिए यह जरूरी है कि इस सम्मेलन को बुलाने में तट राष्ट्रों और हिन्द महासागर का नौवहन की दृष्टि से प्रयोग करने वाले बड़े-बड़े देशों की भागीदारी होगी।

नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए टेलीफोन बूथ

3888. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में कितने नेत्रहीन व्यक्तियों को टेलीफोन बूथों (सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र) का आबंटन किया गया है;

(ख) आज की तारीख तक कितने नेत्रहीन व्यक्तियों का नाम सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के आबंटन के लिए अभी प्रतीक्षा सूची में दर्ज है; और

(ग) इस प्रतीक्षा सूची के कब तक पूरी कर लिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान छः नेत्रहीन व्यक्तियों को टेलीफोन बूथ (पीसीओ) आबंटित किए गए थे।

(ख) अब तक सात नेत्रहीन व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं।

(ग) छह आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं पूरी किए जाने पर प्रतीक्षा सूची को निपटा दिया जाएगा। एक मामले में कृष के लिए स्थान उपलब्ध होते ही टेलीफोन प्रदान कर दिया जाएगा।

चुनाव के दौरान मारे गये व्यक्ति

[हिंदी]

3889. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं लोकसभा के चुनावों के दौरान कुल कितने व्यक्ति मारे गये तथा इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) कितने व्यक्तियों को हथियारों और गोला बारूद के साथ मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने का प्रयास करते हुए गिरफ्तार किया गया; और

(ग) क्या सरकार का विचार मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों पर शीघ्र मुकदमा चलाने हेतु विशेष न्यायालय स्थापित करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्दी

[अनुवाद]

3890. **श्री नुरुल इस्लाम** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में वर्षवार प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कितने व्यक्ति नजरबन्द किए गए; और

(ख) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तियों की नजरबन्दी से इस अवधि के दौरान इन राज्यों में हिंसा की घटनाओं में कमी आई है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) "लोक व्यवस्था" संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में है। इस प्रकार, कानून और व्यवस्था बनाए रखना मुख्यतया, राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। जब आवश्यकता होती है तो राज्य सरकार प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निवारक नजरबन्दी की जाती है।

विवरण

1989 और 1990 अर्थात् पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वास्तविक रूप से नजरबन्द किए गए व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार और वर्षवार विवरण।

क्र०सं० राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	वास्तविक रूप से नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या	
	1989	1990
1. आंध्र प्रदेश	1	—
2. असम	—	—
3. बिहार	14	20
4. गुजरात	4	335
5. हरियाणा	—	—
6. हिमाचल प्रदेश	—	—
7. कर्नाटक	2	—
8. मध्य प्रदेश	236	204
9. महाराष्ट्र	233	322
10. मणिपुर	6	6
11. मेघालय	—	—
12. नागालैंड	—	—
13. उड़ीसा	21	11
14. पंजाब	35	23
15. राजस्थान	23	6
16. तमिलनाडु	13	59
17. त्रिपुरा	—	1
18. उत्तर प्रदेश	152	537
19. सिक्किम	—	—
20. गोवा	2	1
21. मिजोरम	—	
22. अंडमान और निकोबार	—	—
23. चंडीगढ़	—	—
24. दिल्ली	10	10
योग	752	1535

टिप्पणी :— राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है। केरल अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों और पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली संघ क्षेत्र प्रशासनों में अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है।

— का अभिप्राय शून्य है।

तिस्ता बांध परियोजना के लिए वित्तीय शर्तें

[हिन्दी]

3891. **श्री सुब्रत मुखर्जी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार पश्चिम बंगाल में तिस्ता बांध परियोजना को मंजूरी देते समय इसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर भी सहमत हुई थी; और

(ख) क्या संघ सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई इस परियोजना से संबंधित शर्तों को पूरा किया गया है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) तीस्ता बराज परियोजना को अनुमोदित करते समय योजना आयोग ने वित्तीय सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है। सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा आपसी प्राथमिकताओं के अनुसार अपने संसाधनों से किया जाता है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों और ऋणों के रूप में प्रदान की जाती है, जो किसी परियोजना अथवा विकास के क्षेत्र से जुड़ी नहीं होती है।

विभागेत्तर एजेंटों को यथानुपात वेतन

[अनुवाद]

3892. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या **संचार मन्त्री** 9 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न सं० 538 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभागेत्तर एजेंटों को यथानुपात पारिश्रमिक देने, अनुग्रह उपदान राशि में वृद्धि करने तथा उन्हें सामूहिक बीमा योजना की सुविधा प्रदान करने की सिफारिशों को लागू कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) यथानुपात वेतन आदि देने से सम्बन्धित मामले की सरकार द्वारा अभी भी जांच की जा रही है।

मिनीमाटा प्रमुख सिंचाई परियोजना

[हिन्दी]

3893. **श्री भवानी लाल वर्मा** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में मिनीमाटा प्रमुख सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हुआ था,

(ख) यदि हां, तो कब से, इसकी आरम्भिक अनुमानित लागत कितनी थी और वर्तमान अनुमानित लागत कितनी है तथा इस परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है,

(ग) क्या विश्व बैंक इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है,

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ) मध्य प्रदेश की मिनीमाटा (हसदेव बांगो) बृहद सिंचाई परियोजना के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

मध्य प्रदेश की मिनीमाटा (हसदेव बांगो) बृहद सिंचाई परियोजना के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

मिनीमाटा (हसदेव बांगो) बृहद सिंचाई परियोजना पर निर्माण कार्य वर्ष 1977 में शुरू किया गया। इस परियोजना को वर्ष 1980 में अनुमोदन प्रदान किया गया था।

इस परियोजना की प्रारम्भिक अनुमोदित अनुमानित लागत 115.30 करोड़ रुपये थी। राज्य सरकार की वार्षिक योजना 1991-92 के अनुसार, परियोजना की विद्यमान अनुमानित लागत 692.88 करोड़ रुपए है तथा इसकी सिंचाई क्षमता 3,92,000 हेक्टेयर है।

हसदेव बांगो परियोजना को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त मध्य प्रदेश की बृहद सिंचाई परियोजना (क्रेडिट 1177 आई एन) में शामिल किया गया था, जो कि 220 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता के लिए 4/82 से 6/91 तक प्रभावी रही। क्रेडिट के लिए 3/91 तक कुल मिलाकर 187.9 मिलियन अमेरिकी डालर की क्षतिपूर्ति की गई है। 3/91 को इस परियोजना की प्रगति की स्थिति निम्नवत् है :—

1. **भौतिक प्रगति**

(i) **मिट्टी बांध** : सेडल बांध i, ii, और iii में लगभग 93% मिट्टी कार्य पूरा हो गया है।

(ii) **राक फिल बांध** : लगभग 95% कार्य पूरा हो गया है।

(iii) **चिनाई बांध** : स्पिलवे के ऊपर आर०सी०सी० स्तम्भ को उठाने के साथ-साथ चिनाई बांध का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। स्पिलवे द्वारों को लगा दिया गया है।

नहरें :

बायां तट मुख्य नहर : (48 कि०मी०) लगभग 95% कार्य पूरा हो गया है।

बायीं तट मुख्य नहर : (50 कि०मी०) 32 किलोमीटर तक मिट्टी कार्य (98%) तथा संरचना (100%) पूरी हो गई है। शेष पहुंच में 65% मिट्टी कार्य पूरा हो गया है।

(ii) वित्तीय प्रगति

अद्यतन अनुमानित लागत	692.88 करोड़ रुपए
सातवीं योजना तक व्यय	300.17 करोड़ रुपए
वर्ष 1990-91 के दौरान व्यय	41.00 करोड़ रुपए
योजना आयोग के कार्यदल द्वारा सिफारिश किया गया परिव्यय	50.00 करोड़ रुपए

(iii) क्षमता

चरम क्षमता	3,92,000 हेक्टेयर
सातवीं योजना तक सृजित क्षमता	1,81,000 हेक्टेयर
1990-91 के दौरान प्रत्याशित उपलब्धि	12,000 हेक्टेयर

इस परियोजना को वर्ष 1995 से आगे ले जाए जाने का कार्यक्रम है।

महम घटना की जांच

[अनुवाद]

3894. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महम विधान सभा उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा की जांच करने के लिए कोई जांच प्रारम्भ की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) आयोग को निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में जांच करनी है।

(क महम विधान सभा क्षेत्र से हरियाणा विधान सभा के लिए उप चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार श्री अमीर सिंह की 16/17 मई, 1991 की रात के दौरान हुई मृत्यु से तुरन्त पहले की परिस्थितियां जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हुई;

(ख) गांव मदीना में घटित हिंसक घटनाओं से सम्बन्धित तथ्य तथा इन घटनाओं में पुलिस की भूमिका; तथा

(ग) इससे सम्बन्धित या प्रासंगिक कोई अन्य मामला।

कानपुर में गंगा पर बांध का निर्माण

[हिंदी]

3895. **श्री केसरी लाल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कानपुर में गंगा पर बांध का निर्माण के सम्बन्ध में संशोधित परियोजना रिपोर्ट भेज दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और परियोजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से कानपुर में गंगा पर बराज के निर्माण की संशोधित रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है। जबकि बराज से कानपुर शहर को जल आपूर्ति, विद्युतघर के लिए शीतल जल आपूर्ति तथा कानपुर के घाटों के साथ शुष्क मौसम प्रवाह मिल सकेगा, इसलिए संशोधित प्रस्ताव तैयार होने के बाद ही ब्यौरे और लागत का अंदाजा लगाया जा सकता है।

कपास का उत्पादन

[अनुवाद]

3896. **श्री एन० आर० कादम्बुर जनार्दनन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास उत्पादक राज्यों में 1990-91 के दौरान कपास का अनुमानित उत्पादन कितना है;

(ख) क्या कपास के सहायता मूल्य में बढ़ोतरी करने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) कपास के प्रमुख उत्पादक राज्यों के लिए 1990-91 के लिए कपास उत्पादन का आक्कलन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस विषय पर कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं। इस पर सरकार द्वारा शीघ्र ही निर्णय घोषित करने की सम्भावना है।

विवरण

1990-91 के दौरान कपास उत्पादक राज्यों में कपास का आकलित उत्पादन ।

राज्य	आकलित उत्पादन (प्रति 170-170 कि०ग्रा० की हजार गांठों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	1250
2. गुजरात	1390
3. हरियाणा	1050
4. कर्नाटक	654
5. मध्य प्रदेश	381
6. महाराष्ट्र	1880
7. पंजाब	1909
8. राजस्थान	918
9. तमिलनाडु	530
10. अन्य	38
अखिल भारत	10,000

महाराष्ट्र में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची

3897. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में टेलीफोव-कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में जिला-वार कितने नाम हैं; और

(ख) प्रतीक्षा-सूची को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) मार्च, 1995 तक उत्तरोत्तर रूप से प्रतीक्षा सूची निपटाए जाने के लिए विस्तार योजनाएं बनाई गई है ।

विवरण

महाराष्ट्र में प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की जिलेवार संख्या

क्रम सं०	जिले का नाम		प्रतीक्षा सूची
1.	अहमदनगर	—	6867
2.	अमरावती	—	4439
3.	औरंगाबाद	—	11404
4.	अकोला	—	3467
5.	भंडारा	—	1867
6.	बुडाना	—	1344

7. बीड	—	1213
8. चन्दरपुर	—	2563
9. धुले	—	2622
10. गाडचिरोली	—	66
11. जलगांव	—	5779
12. जालना	—	1570
13. कल्याण	—	29644
14. कोल्हापुर	—	10946
15. लातूर	—	2506
16. नानदेड	—	3076
17. नागपुर	—	24978
18. नासिक	—	12437
19. ओस्मानाबाद	—	632
20. परभनी	—	952
21. पुणे	—	46925
22. रायगढ़	—	1987
23. रत्नागिरी	—	1978
24. सिंधुदुर्ग	—	477
25. सतारा	—	5141
26. सांगली	—	5276
27. शोलापुर	—	7123
28. वारधा	—	1112
29. यवतमाल	—	1097
30. बंबई, ठाणे और भयंन्दर को छोड़कर	—	214036
31. ठाणे जिले में ठाणे और न्यू बम्बई	—	29219
32. रायगढ़ जिले में न्यू बम्बई क्षेत्र	—	1320
	योग	444063

विदेश छोड़कर आने वाले भारतीयों का पुनर्वास

[हिन्दी]

3898. **श्री काशीराम राणा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कुल कितने भारतीय हैं जिन्हें गत दो वर्षों के दौरान उन देशों को छोड़कर आना पड़ा जहां वे गत कई वर्षों से रह रहे थे और तत्सम्बन्धी देशवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने इन भारतीयों को उन्हीं देशों में पुनर्वासित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

सिंचाई सुविधाएं

3899. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में ऐसी कितने-कितने प्रतिशत भूमि है जिसके लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ख) विभिन्न राज्यों में कितनी सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

(हजार हेक्टेयर में)

क्र०सं०	राज्य का नाम	सकल बुआई क्षेत्र	सिंचाई सुविधाओं के अन्तर्गत आवृत क्षेत्र (31.3.91 तक)	कालम-3 की तुलना में कालम 4 का %	उपयोग	उपयुक्त क्षमता (कालम 4 से कामल-6 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	11693	6407.97	54.80	5950.05	457.92
2.	अरूणाचल प्रदेश	201	59.33	29.52	55 07	4.2[illegible]
3.	असम	3644	815.53	22.38	662.11	153.42
4.	बिहार	10432	8452.00	81.01	7294.00	1158.00
5.	गोवा	130	28.77	22.13	29.07	—
6.	गुजरात	10962	3096.80	28.25	2667.00	429.80
7.	हरियाणा	5661	3598.10	63.56	3292.50	305.60
8.	हिमाचल प्रदेश	983	139.31	14.17	120.43	18.88
9.	जम्मू कश्मीर	1026	515.79	50.27	487.79	28.00
10.	कर्नाटक	11821	2836.87	24.00	2699.80	137.07
11.	केरल	2870	1160.33	40.42	1086.22	74.11

1	2	3	4	5	6	7
12.	मध्य प्रदेश	22214	4862.40	21.88	4073.20	789.20
13.	महाराष्ट्र	19838	4506 25	21.71	3501.85	1004.40
14.	मणिपुर	189	109.[illegible]2	58.05	94.49	15.23
15.	मेघालय	206	47.24	22.93	40.22	7.02
16.	मिजोरम	71	10.27	14.46	8.96	1.31
17.	नागालैण्ड	191	63.93	33.47	55.00	8.93
18.	उड़ीसा	9270	3008.32	32.45	2759.50	248.82
19.	पंजाब	7217	5926.24	82.11	5763.20	163.04
20.	राजस्थान	17640	4284.81	24.29	3826.75	458.06
21.	सिक्किम	134	24.12	18 00	19.35	4.77
22.	तमिलनाडु	6508	3387.17	52.04	3357 82	29.35
23.	त्रिपुरा	408	95.51	23 40	128.11	—
24.	उत्तर प्रदेश	25198	25181.85	99.93	22423.70	2758.15
25.	पश्चिम बंगाल	8211	3871.88	47.15	3465.60	406.28
26.	संघ राज्य क्षेत्र	202	106.49	52.71	96.72	9.77

टिप्पणी :— 1986-87 के भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार।

पंजाब में आतंकवादियों द्वारा रेल यात्रियों की हत्या

[अनुवाद]

3900. **श्री के० प्रधानी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 16 जून, 1991 को आतंकवादियों ने पंजाब में दो रेलगाड़ियों पर हमला किया और बहुत से यात्रियों को मौत के घाट उतारा;

(ख) यदि हां, तो घटनाओं का ब्यौरा क्या है और कितने यात्री मारे गये;

(ग) क्या सरकार ने इस दुर्घटना के शिकार लोगों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ आतंकवादियों ने लुधियाना-फिरोजपुर सेक्सन पर रेलवे स्टेशन बदोवाल के नजदीक 15 जून, 1991 को एक यात्री गाड़ी पर गोलियां चलाई जिससे 50 व्यक्ति मारे गये। उसी दिन उग्रवादियों के एक अन्य ग्रुप ने लुधियाना तरवाल सेक्सन पर किला राय रेलवे स्टेशन पर एक गाड़ी पर गोलियां चलायी जिससे 25 यात्री मारे गए।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार ने मारे गए 23 व्यक्तियों के नजदीकों रिस्तेदारों को 50,000 रु० का अनुग्रहपूर्वक अनुदान दिया है और एक अन्य शिकार हुए व्यक्ति, के कानूनी वारिस के ब्यौरे प्राप्त होने पर भुगतान करेगी। 25 अन्य मामलों में शिकार हुए व्यक्ति, अन्य राज्यों के हैं और राज्य सरकार सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेटों से उनके कानूनी वारिसों के बारे में ब्यौरों का पता लगा रही है। मारे गए 17 व्यक्ति पंजाब सरकार के कर्मचारी थे और सेवा शर्तों के अनुसार अनुग्रह-पूर्वक धनराशि दी जाएगी और अन्य राहत संबन्धित विभागों द्वारा दी जा रही है। अन्य 9 व्यक्तियों की शिनाख्त नहीं हुई।

टेलीफोन विभाग में अस्थायी श्रमिक

[हिन्दी]

3901. **श्री राम अवध** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन विभाग में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों की संख्या क्या है,

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने-कितने श्रमिक हैं,

(ग) वे अस्थायी श्रमिक विभाग में कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं,

(घ) क्या सरकार की उन्हें विभाग में स्थाई करने की कोई योजना है,

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जानकारी क्षेत्र युनिटों से एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) —वही—

(ग) —वही—

(घ) जी हां ।

(ङ) जी हां । अपेक्षित समूह "घ" पदों के उपलब्ध होने पर ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

सार्क की मालदीव बैठक में हुई बातचीत के निष्कर्ष

[अनुवाद]

3902. **श्री धर्मण्णा मोण्डय्या सादुल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालदीव में सार्क देशों के विदेश सचिवों की स्थायी समिति की हाल ही में हुई बैठक में दक्षिण एशिया में परमाणु-मुक्त क्षेत्र स्थापित करने के प्रश्न पर बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या विदेश सचिव ने उस बैठक के दौरान पाकिस्तान के विदेश सचिव के साथ कोई बातचीत की थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) दोनों विदेश सचिवों ने द्विपक्षीय मसलों पर विचार-विनिमय किया जिनमें विदेश सचिव स्तर के पांचवें दौर के पहले की बैठकों का कार्यक्रम भी शामिल था । भारत के विदेश सचिव ने कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के प्रचार पर और उसके द्वारा इसे अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने के प्रयासों पर चिन्ता व्यक्त की । पाकिस्तान से यह भी कहा गया कि भारत के विरुद्ध आतंकवाद को उनकी सहायता बदस्तूर मिल रही है । भारत के विदेश सचिव ने सरसरी तौर पर पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री के हाल के इस प्रस्ताव का भी उल्लेख किया लेकिन उस पर कोई ठोस विचार-विमर्श नहीं किया कि दक्षिण एशिया में नाभिकीय अप्रसार पर विचार-विमर्श करने के लिए पांच राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए ।

"सार्क" देशों के मन्त्रियों की मंत्रिपरिषद की मालदीव में हुई बैठक

3903. श्री श्रवण कुमार पटेल
श्री शरत चन्द्र पटनायक } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल में मालदीव में आयोजित "सार्क" देशों के मन्त्रियों की मन्त्रिपरिषद के नौवें सत्र के निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या इस बैठक में भारत द्वारा विशेष रूप से खाड़ी युद्ध के बाद बदले परिदृश्य को देखते हुए क्षेत्रीय मुक्त व्यापार का मसला उठाया गया था;

(ग) यदि हां, तो अन्य सदस्य देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी और इस विषय पर क्या विशेष निर्णय लिये गये;

(घ) क्या "सार्क" ने पर्यावरण के क्षेत्र में कोई सिफारिशें की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) माले में 3 और 4 जुलाई, 1991 तक सम्पन्न सार्क मन्त्रिपरिषद के नवें सत्र के महत्वपूर्ण निष्कर्षों में शामिल थे : पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन पर एक तकनीकी समिति का गठन तथा व्यापार, उत्पादन और सेवाओं में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग सम्बन्धी एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन।

(ख) और (ग) भारत ने क्षेत्रीय स्तर पर मुक्त व्यापार की दिशा में आगे बढ़ने की सम्भावना का उल्लेख किया था और सार्क के कुछ अन्य देशों ने मन्त्रिपरिषद के नवें सत्र में दिए गए मन्त्रि स्तरीय वक्तव्यों में इसका समर्थन किया था। इस विषय पर यह फैसला लिया गया था कि आर्थिक सहयोग पर एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की जाए जो विशेषज्ञ दल द्वारा व्यापार, उत्पादन और सेवाओं के सम्बन्ध में क्षेत्रीय सहयोग पर किए गए अध्ययन की सिफारिशों की जांच करे, तत्काल कार्रवाई के उपाय तय करे और उनके क्रियान्वयन पर निगाह रखे। इस अध्ययन में यह शिफारिश की गई है कि इस क्षेत्र में व्यापार को सामान्यतः मुक्त कर दिया जाए और ऐसा करने के लिए शुल्क दर एवं गैर-शुल्क दर सम्बन्धी प्रतिबन्धों की यथास्थिति बनाए रखी जाए और धीरे-धीरे उन्हें हटा लिया जाए।

(घ) और (ङ) सार्क इस समय दो अध्ययनों को पूरा करने के काम में लगा है, एक प्राकृतिक विपदाओं के कारणों और उनके परिणामों तथा पर्यावरण के संरक्षण के बारे में तथा दूसरा "ग्रीन हाउस" प्रभाव के बारे में। ये अध्ययन शीघ्र पूरे कर लिए जाएंगे और इनमें इस दिशा में क्षेत्रीय स्तर पर कार्रवाई के लिए सिफारिशें की जाएंगी। इसके अलावा, वर्ष 1992 को 'सार्क पर्यावरण वर्ष' के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया।

डाक तथा दूरसंचार विभागों का विलय

3904. श्री हन्नान मोल्लाह
श्री संतोष कुमार गंगवार } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का डाक तथा दूरसंचार विभागों का एक ही विभाग के रूप में विलय करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या डाक तथा दूरसंचार को बोर्ड और विभाग के स्तर पर अलग-अलग करने का सुझाव प्रशासनिक सुधार विभाग अथवा किसी अन्य विशेषज्ञ समिति ने दिया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) जी हां। श्री एच० सी० सरीन की अध्यक्षता में 1981 में गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति "दूरसंचार समिति" ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की थीं जिन्हें 1985 में कार्यान्वित किया गया था।

दूरसंचार शाखा का अलग से सरकारी दूरसंचार विभाग के रूप में पुनर्गठन किया जाए जिसमें एक अलग दूरसंचार बोर्ड हो और कुशल कार्यकरण के लिए उसको आवश्यक शक्तियां प्रत्यायोजित होनी चाहिए। डाक विंग का विभाजन के बाद उचित तरीके से एक अलग सरकारी डाक विभाग के रूप में पुनर्गठन कर दिया जाए। दोनों विभागों को भारत सरकार के एक ही मन्त्रालय के अधीन काम करना चाहिए जिसका नाम डाक व दूरसंचार मन्त्रालय हो।

दूरसंचार विभाग के अध्यक्ष सचिव दूरसंचार होंगे जो दूरसंचार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेंगे। इसी प्रकार डाक विभाग की अध्यक्षता भी सचिव, डाक द्वारा की जाएगी जिनके कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व समान किस्म के होंगे।

गुड़गांव में प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन

3905. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1990 से 30 जून, 1991 तक गुड़गांव टेलीफोन एक्सचेंज में प्राथमिकता के आधार पर कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए;

(ख) इनमें से कुल कितने टेलीफोन कनक्शन गुड़गांव में अब तक लगाए जा चुके हैं;

(ग) गुड़गांव में शेष टेलीफोन कनेक्शन लगाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रकार के सभी कनेक्शन कब तक लगा दिए जायेंगे ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) इस अवधि के दौरान गुड़गांव में प्राथमिकता के आधार पर 519 टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए हैं।

(ख) इनमें से अब तक 69 टेलीफोव कनेक्शन संस्थापित किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) जब इन टेलीफोन कनेक्शनों को प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जा रही थी, उस समय दूरसंचार फील्ड यूनिटों ने कुछ बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शनों की जाली मंजूरी आदेशों की ओर ध्यान दिलाया है। मई 1991 में इन जाली कनेक्शनों के मामलों का पता लगाने के लिए सतर्कता शाखा को जांच का आदेश दिया गया और जांच पड़ताल का कार्य पूरा होने तक बिना बारी के टेलीफोनों को लगाने की कार्रवाई रोक दी गई। जांच पड़ताल की रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद ही आगे की कारंवाई संभव होगी। तथापि माननीय संसद सदस्यों द्वारा अपने कोटे में से टेलीफोन देने के लिए की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में टेलीफोन प्रदान करने की कार्रवाई अलग से शुरू की गई है। इन्हें तकनीकी व्यवहार्यता की शर्त पर प्राथमिकता के आधार पर उत्तरोतर रूप से संस्थापित किया जाएगा।

दिल्ली में अपहरण

3906. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस वर्ष के दौरान अपहरण की कितनी घटनाएं हुई हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारी उपाय किये हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) 1.1.1991 से 31.7.1991 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में अपहरण के 384 मामले सूचित किए गए। इनमें से 112 मामलों को रद्द कर दिया गया है तथा 11 को पता न लगे मामले के रूप में फाइल किया गया है। शेष 261 मामलों में से, 30 मामले विचारण के लिए लम्बित हैं तथा 231 मामले जांच पड़ताल के लिए लम्बित हैं।

(ख) किए गए उपायों में ज्ञात अपराधियों पर नजर रखना, गश्त बढ़ाना, सूचित हुए मामलों की उचित ढंग से जांच करना तथा कुछ मामलों में इनाम देना शामिल है। बुरी प्रतिष्ठा वाले लोगों के क्षेत्रों में अपहृत लड़कियों का पता लगाने के लिए छापे भी मारे जाते हैं।

एन० डब्ल्यू० टेलकाम सर्किल को तीन भागों में बांटना

3907. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन एन० डब्ल्यू० टेलकाम सर्किल, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल-प्रदेश राज्य और संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ सम्मिलित हैं और जिनके मुख्यालय चण्डीगढ़, अम्बाला और शिमला में हैं, को तीन भागों में बांटने का निर्णय किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब टेलीकाम सर्किल के मुख्यालय को अम्बाला से चण्डीगढ़ स्थानान्तरित करने सम्बन्धी आदेशों का पालन अभी तक नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रक्रिया के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) उत्तर पश्चिमी (एन० डब्ल्यू) दूरसंचार सर्किल को तीन भागों में बांटने के आदेश अप्रैल, 1986 में इस प्रकार जारी किए गए थे :—

(i) पंजाब राज्य के लिए एक स्वतन्त्र दूरसंचार सर्किल का गठन।

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए एक स्वतन्त्र दूरसंचार सर्किल का गठन।

(iii) हरियाणा राज्य के लिए अवशिष्ट एन० डब्ल्यू दूरसंचार सर्किल का नाम हरियाणा दूरसंचार सर्किल रखा गया था।

(iv) हिमाचल प्रदेश और पंजाब दूरसंचार सर्किलों के मुख्यालयों को प्रारम्भ में अम्बाला में अवस्थित करने के आदेश दिए गए थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) विभागीय कार्यालय भवन का निर्माण करने के प्रस्ताव को कार्यान्वित हो जाने के बाद मुख्यालय को शिफ्ट कर दिया जाएगा।

बिहार में एल्यूमिनियम संयन्त्र की स्थापना

[हिन्दी]

3908. **श्री राम शरण यादव** : क्या **खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार सरकार से राज्य में एल्यूमिनियम संयन्त्र की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्गीय श्री चिथिरथिरूनल महाराजा पर स्मारक डाक टिकट

[अनुवाद]

3909. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को स्वर्गीय श्री चिथिरथिरूनल महाराजा, त्रिवेन्द्रम की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए केरल सरकार से अनुरोध मिले हैं, और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाई की गई है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं। केरल सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में सिंचाई, जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

3910. **श्री जी० एम० सी० बाला योगी : क्या जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में सिंचाई, जल-निकासी और बाढ़-नियंत्रण के आधुनिकीकरण की कुछ परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जल निकास और बाढ नियंत्रण कार्यों के लिए कुछ उपबंधों सहित सिंचाई स्कीमों, नामशः गोदावरी डेल्टा प्रणाली के आधुनिकीकरण, कृष्णा डेल्टा प्रणाली के आधुनिकीकरण तथा पेन्नार डेल्टा सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण संबन्धी प्रस्ताव तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त हुए थे। इन तीन प्रस्तावों को, केन्द्रीय जल आयोग के कार्य दल के मार्ग निर्देशों के अनुसार संशोधित प्रस्ताव करने के वास्ते, क्रमशः जून, 1991, दिसम्बर, 1988 तथा अगस्त, 1991 में राज्य सरकार को वापस कर दिया गया।

शारदा नदी पर बांध का निर्माण

[हिंदी]

3911. **डा० जी० एल० कनोजिया : क्या जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में शारदा नदी पर एक बांध का निर्माण करने संबन्धी कोई योजना केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) लखीमपुर जिले में शारदा नदी पर बांध के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मिजोरम में चक्रवात

[अनुवाद]

3912. **डा० सी० सिलवेरा : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम में अप्रैल, 1991 के दौरान आए चक्रवाती तूफान से सम्पदा और फसलों को हुए नुकसान का निर्धारण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मिजोरम सरकार ने इसके लिये केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केद्रीन्य सरकार का क्या निर्णय है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) मिजोरम सरकार ने अप्रैल, 1991 में समुद्री तूफान के कारण हुई सम्पत्ति और फसलों की क्षति की सूचना दी है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) जी हां।

(घ) 1-4-1991 से चल रही मौजूदा वित्तपोषण राहत व्यय योजना के तहत आबन्टित धनराशि से प्रत्येक राज्य के लिए एक आपदा राहत निधि का गठन किया गया है, जिसमें 75% अंशदान केन्द्र सरकार और 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत कार्य पर आने वाले सम्पूर्ण खर्च को आपदा राहत निधि से पूरा करे। राज्य सरकार के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए किए गए अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है।

विवरण

मिजोरम में अप्रैल, 1991 में भारी वर्षा/समुद्री तूफान के कारण फसलों और सम्पत्ति को हुई क्षति की मात्रा।

मद	क्षति की मात्रा
1. जनहानि	6
2. प्रभावित सस्यगत क्षेत्र	2800 हैक्टेयर
3. क्षतिग्रस्त फसलों की कीमत	1.2 करोड़ रुपये
4. क्षतिग्रस्त हुए मकानों की संख्या	12,928
5. क्षतिग्रस्त पी० डब्ल्यू०डी० संस्थापनों की संख्या	
(क) भवन	699
(ख) सड़क	300 कि० मी०
(ग) पुल	85
(घ) पुलिया	79
(ङ) अनुरक्षण दीवार	164
6. क्षतिग्रस्त विद्युत संस्थानों की लागत	505 लाख रुपये
7. क्षतिग्रस्त जल-आपूर्ति प्रणालियां	188
8. क्षतिग्रस्त चिकित्सा संस्थान	
(क) प्रमुख अस्पताल	6
(ख) सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र	2
(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/चिकित्सा केन्द्र	137
9. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के क्षतिग्रस्त गोदाम	42
10. पुलिस विभाग के क्षतिग्रस्त भवनों, बैरकों आदि की संख्या	298

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के अन्य विभागों के कुछ संस्थापनों को भी अलग-अलग मात्राओं में क्षति पहुंची है ।

खाद्यान्नों का भण्डार

3913. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार देश में खाद्यान्नों का अनुमानित भण्डार खाद्यान्न-वार कितना है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान खाद्यान्न-वार किए गए वास्तविक आयात और निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान खाद्यान्न-वार अनुमानित खपत कितनी थी; और

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान मध्य वर्ष की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर खाद्यान्न-वार प्रति व्यक्ति अनुमानित खपत कितनी थी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1.4.91 को सार्वजनिक एजेंसियों में चावल, गेहूं तथा मोटे अनाजों के स्टाक की अनुमानित स्थिति निम्नलिखित है :

	(मात्रा लाख मीटरी टन में)
चावल	112.39
गेहूं	58.05
मोटे अनाज	2.27

(ख) 1990-91 के दौरान अनाजों का आयात और निर्यात इस प्रकार है :

(लाख मीटरी टन में)

जिंस	आयात (अनन्तिम)	निर्यात
गेहूं	0.66	2.01
चावल	0.66	5.56
अन्य अनाज	0.16	0.07
दालें	7.92	—
पी : अनन्तिम		

(ग) और (घ) 1990-91 के लिए खपत सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी, निवल उपलब्धता खाद्यान्नों की सम्भावित खपत की सूचक हो सकती है, हालांकि यह विशेष रूप से

खपत के वास्तविक स्तर की पूर्णरूपेण द्योतक नहीं है क्योंकि उसमें व्यापारियों, उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के पास स्टाक में पड़ा माल में होने वाला कोई परिवर्तन शामिल नहीं होता। वर्ष 1990 के लिए उपलब्ध निवल उपलब्धता से सम्बन्धित नवीनतम आंकड़े निम्न प्रकार से है :—

जिन्स	निवल उपलब्धता (लाख मीटरी टन में)	प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता (कि०ग्रा०/वर्ष)
चावल	669.9 (अनन्तिम)	81.0 (अनन्तिम)
गेहूं	390.7 (अनन्तिम)	47.2 (अनन्तिम)
अन्य अनाज	261.9 (अनन्तिम)	31.7 (अनन्तिम)
दालें	110.4 (अनन्तिम)	13.4 (अनन्तिम)
पी : अनन्तिम		

स्वर्गीय श्री सी० केशवम पर स्मृति डाक टिकट

3914. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का त्रावणकोर-कोचीन के भूतपूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री सी० केशवम पर स्मृति डाक टिकट जारी करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं,

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में एस० टी० डी० और सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय सेवाएं उपलब्ध कराना

3915. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1991-92 के दौरान कितने एस०टी०डी० बूथ और सार्वजनिक टेली-फोन कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) केरल में एस०टी०डी० बूथ और सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय के आबंटन के लिए कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं;

(ग) केरल में ऐसे कितने डाकघर हैं जहा वर्ष 1991-92 के दौराव इस प्रकार की सुवि-धाएं दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) केरल सर्किल में 1991-92 के दौरान 300 एस०टी०डी० बूथ तथा 300 स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन (पी० सी० ओ०) खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ख) एस०टी०डी० व तथा स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन (पी०सी०ओ०) के आबंटन के लिए क्रमश: 1250 और 505 आवेदन पत्र लंबित हैं ।

(ग) और (घ) 1.4.91 से 31.7.91 की अवधि के बीच डाकघरों में सात स्थानीय पी० सी०ओ० पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं और इस वर्ष की शेष अवधि के लिए इस सम्बन्ध में कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है ।

केरल में मत्स्यन-विकास

3916. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य में मत्स्यन-विकास और राज्य के मछुआरों के कल्याण की योजनायें प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन योजनाओं पर क्या निर्णय लिया है; और

(घ) इन योजनाओं के लिए कितना धन दिये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) केरल सरकार ने मात्स्यिकी के विकास और मछुआरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं/प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं । कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं/प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :

1. मात्स्यिकी विकास के लिए केरल राज्य सहकारी परि-संघ और प्राथमिक मछुआरा विकास और कल्याण सहकारी समितियां लिमिटेड द्वारा 6707 90 लाख रुपये की ब्लाक लागत से क्रियान्वित किये जाने वाली समेकित समुद्री मात्स्यिकी विकास परि-योजना चरण-III राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 3560 लाख रु० की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को 12.8.91 को मंजूरी दे दी है ।

2. मत्स्यफैड और प्राथमिक मछुआरा विकास और कल्याण सहकारी समितियों लिमिटेड द्वारा 1377.50 लाख रु० की अनुमानित लागत से क्रियान्वित की जाने वाली झींगा पालन परियोजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय को धन व्यवस्था हेतु प्रस्तुत की गई थी । यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने परियोजना के लिए धन व्यवस्था पर विचार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है ।

3. 333 लाख रु० की अनुमानित लागत से चम्बल पर मात्स्यिकी बन्दरगाह का निर्माण करने का प्रस्ताव 21.7,1991 को मिला था । कृषि मंत्रालय ने प्रस्ताव की जांच करने के पश्चात राज्य सरकार को सलाह दी कि केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी इन्जी-नियरिंग संस्थान द्वारा अनुमोदित करा लेने के पश्चात ही यह प्रस्ताव भेजें क्योंकि ऐसे प्रस्ताव के लिए यह आवश्यक है ।

4. समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम/निगम लागू करना केरल सहित सभी समुद्रवर्ती राज्यों की समुद्री विनियमन सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना तैयार की गई है।

5. आदर्श मछुआरा गांव का विकास सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा और समुद्री मछुआरों के लिए बचत और राहत जैसी मछुआरों के कल्याण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें 1991-92 में केरल सहित विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित कर दी गई हैं।

केरल के अडूर जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

3917. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के अडूर जिले में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने और वहां एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) अडूर केरल का जिला नहीं बल्कि पट्टनमथिट्टा जिले का ताल्लुका है अडूर ताल्लुका में पांच एक्सचेंज हैं जो अडूर, इल्लमकुलम, कदम्बनाडु, कोडुमन, और पंडलम में स्थित हैं। इस समय अडूर में एस०टी० डी० सुविधा उपलब्ध है। अन्य एक्सचेंजों में एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने की तत्काल कोई योजना नहीं है।

बिहार में विदेशी मिशनरियों को सहायता

[हिन्दी]

3918. **श्री ललित उरांव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में विदेशी मिशनरियों ने विदेश से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त की;

(ख) क्या दाताओं के लिए यह आवश्यक है कि वह सम्बन्धित राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को इस धन के बारे में सूचना उपलब्ध कराये;

(ग) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान इस धन के दुरुपयोग के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है। और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कारंवाई की गई है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976, निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक,

शैक्षिक, धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों आदि वाली संस्थाओं, संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदायों की प्राप्ति तथा उसके उपयोग को विनियमित करता है। विदेशी मिशनरीवार सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार दाताओं के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे धन के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकार को सूचना प्रस्तुत करें।

(ग) उक्त अवधि के दौरान धन के दुरुपयोग की कोई घटना ध्यान में नहीं आई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय मूल के कुवैती शरणार्थियों द्वारा बाण्ड भरवाना

[अनुवाद]

3919. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय मूल के कुवैती शरणार्थियों से, जबकि उनको भारत लाया गया था, भरवाये गये बाण्ड के सम्बन्ध में, सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : 20 मार्च, 1991 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, भारत सरकार ने उन भारतीयों से देश प्रत्यावर्तन का खर्च माफ कर देने का ऐलान किया है जिन्हें 2 अगस्त, 1990 से लेकर 14 मार्च, 1991 के बीच कुवैत से भारत लाया गया था, अत: उनसे जो बाण्ड भरवाए गए थे, वे निरस्त हो गए हैं।

महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाएं

3920. **श्री अन्ना जोशी**
श्री सुधीर सावन्त : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास महाराष्ट्र की कुछ बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं,

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इन परियोजनाओं के बारे में व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन किया गया है,

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस राज्य में चालू सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ) महाराष्ट्र की निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन की स्थिति और उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

महाराष्ट्र की निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन की स्थिति और उनका ब्यौरा सम्बन्धी विवरण

परियोजनाओं की संख्या

क्रम सं०	स्वीकृति की स्थिति	बृहत	मध्यम
1.	तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई तथा सलाहकार समिति की टिप्पणियों के अनुपालन के बाद स्वीकृति के लिए योजना आयोग के पास भेजी गई हैं।	2	1
2.	तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है तथा राज्य सरकार द्वारा कुछ टिप्पणियों का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गयीं।	10	17
3.	तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है। सलाहकार समिति के विचार के लिए तैयार है।	1	—
4.	राज्य सरकार के साथ इन परियोजनओं की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए पत्राचार चल रहा है।	2	4
	योग	15	22

परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश निर्धारित करने के वास्ते केन्द्रीय जल आयोग ने वर्ष 1977-78 में एक कार्यदल का गठन किया था। इस कार्यदल ने विचार विमर्श के बाद सिंचाई और बहुप्रयोजनी परियोजनाओं पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1980 में दिशा निर्देश तैयार किए। इन दिशा निर्देशों में इस प्रस्ताव की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए किए जाने वाले अन्वेषण और अध्ययन भी शामिल हैं। ये दिशा निर्देश सभी राज्य सरकारों को परियोजना रिपोर्टें तैयार करने में प्रयोग के लिए परिचालित कर दिए गए हैं। इन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर, राज्य सरकार विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करती हैं और उन्हें तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत करती हैं। केन्द्रीय जल आयोग, परियोजना को निवेश स्वीकृति के लिए संस्तुत करने से पहले, यह सुनिश्चित करता है कि राज्य प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न योजना अध्ययन कर लिए गए है, जिनमें प्रस्तावित निवेश का औचित्य दिया गया है।

(ख) निर्माणाधीन बृहद और मध्यम परियोजनाओं का विवरण

(i) वित्तीय (करोड़ रुपए में)

श्रेणी	परियोजनाओं की संख्या	नवीनतम अनुमानित लागत	3/90 तक व्यय	1990-91 के दौरान प्रत्याशित व्यय	कार्यदल द्वारा की गई शिफारिश के अनुसार 1991-92 के लिए परिव्यय
बृहद					
अनुमोदित	28	5587.82	2212.00	189.33	285.80
अननुमोदित	10	990.11	98.36	6.06	—
मध्यम					
अनुमोदित	43	686.36	153.20	56.01	69.83
अननुमोदित	23	204.34	20.91	11.97	8.45
योग	104	7468.63	2484.47	263.37	364.08

(ii) भौतिक हजार हेक्टेयर में

श्रेणी	परियोजनाओं की संख्या	चरम क्षमता	7वीं योजना तक सृजित क्षमता	1990-91 के दौरान प्रत्याशित उपलब्धि	1991-92 के लिए क्षमता का लक्ष्य
बृहद					
अनुमोदित	28	1740.53	513.02	24.20	29.00
अननुमोदित	10	311.86	—	—	—
मध्यम					
अनुमोदित	43	241.91	44.13	6.4	13.35
अननुमोदित	23	86.66	4.62	0.1	0.5

महाराष्ट्र में कृषि का विकास

3921. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में कृषि के विकास के लिए नई योजनाएं आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रम, मिश्रत किसान कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने तथा उन्नत कृषि उपकरणों को लोकप्रिय बनाने के लिए बुनियादी सुविधाओं का सृजन करने की योजनाएं, 1991-92 में कार्यान्वित करने के वास्ते मंजूर की गई हैं। 1991-92 के लिए नारियल, काजू, मसाले तथा सब्जियों के विकास के वास्ते भी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

मछुआरों की सहकारी समितियों को ऋण

3922. **कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मछली पकड़ने की नौकायें, जाल तथा आधारभूत संरचनात्मक सुविधायें जुटाने, और अण्डजे-आंगुलिक आदि मछलियां पैदा करने के लिए मछुआरों की सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में मछुआरों की सहकारी समितियों की सहायता करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं/ करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी हां, ।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने उड़ीसा में मछुआरा सहकारी समितियों के लिए 441.69 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की है जिसमें से अब तक 62.1 लाख रु० की धनराशि निर्मुक्त की गयी है। चिल्का झील क्षेत्र में, 413-57 लाख रुपये के परिव्यय की समेकित मात्स्यकी विकास परियोजना के अन्तर्गत, 356.82 लाख रुपये की इस संस्वीकृत राशि में नौकाओं, जालों की खरीद, विपणन के बुनियादी ढांचे का सृजन इत्यादि शामिल है।

वर्ष 1991-92 के दौरान, उड़ीसा में मछुआरा सहकारी समितियों के विभिन्न कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने अस्थाई रूप से 109.00 लाख रुपये का परिव्यय आबन्टित किया है।

केरल में सिंचाई क्षमता के लिए केन्द्रीय सहायता

3923. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 के दौरान सिंचाई क्षमता सृजन के लिए केरल को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : केन्द्रीय सहायता राज्यों को ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है जो विकास के किसी विशेष सेक्टर अथवा परियोजना से जुड़ी नहीं होती है। योजना आयोग के कार्यदल ने वर्ष 1991-92 के दौरान सिंचाई सेक्टर के वास्ते केरल को 99.18 करोड़ रुपए के परिव्यय की सिफारिश की है।

केरल की मछली पत्तन परियोजनाएं

3924. **श्री टी० जे० अंजलोस** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल की उन मछली पत्तन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लपल्ली रामचन्द्रन) : केरल की कोई मत्स्यन बन्दरगाह परियोजना, केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं पड़ी है। मोपला की खाड़ी तथा चोम्बाल में क्रमश: 505.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से मत्स्यन बन्दरगाहों के निर्माण के प्रस्ताव, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम/नियमावली से स्वीकृति न मिलने के कारण राज्य सरकार के पास लम्बित पड़े हैं।

राजस्थान में नए टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

3925. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान राजस्थान में स्थापित किए जाने वाले नए टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ये एक्सचेंज कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) राजस्थान में 1991-92 के दौरान संस्थापित किए जाने वाले संभावित एक्सचेंजों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) ये एक्सचेंज मार्च, 1992 तक कार्य शुरू कर देंगे, ऐसी योजना है।

विवरण

राजस्थान में 1991-92 के दौरान 50 एक्सचेंज संस्थापित किए जाने की योजना है संभावित स्थानों की सूची नीचे दी गई है।

क्रम सं०	जिला	स्थान का नाम	प्रस्तावित सज्जित क्षमता
	अजमेर	1. घुंघरी	25 लाइनें
		2. रामगढ़	"
	अलवर	3. नीमराना	"
	बांसवाड़ा	4. नाहरपुरा	"
		5. चंदूजी का गुरा	"
	बाड़मेर	6. गांधेर	"
	भरतपुर	7. देहरा	"
	बीकानेर	8. बज्जू खालसा	"
		9. नाल	"
	चित्तौड़गढ़	10. चिकरदा	"
		11. भिनोटा	"
		12. रूद	"
		13. सलामगढ़	"
	चुरू	14. लाचदसर	"
		15. महरोगन उपधियान	"
	दौसा	16. चांदियावास	"
		17. बज्जूपुरा	"
	डूंगरपुर	18. मांडा	"
	जयपुर	19. जमुआ रामगढ़	128 पोर्ट, सी-डॉट
		20. रायथल	25 लाइनें
		21. मारवाह	"
	जैसलमेर	22. मनियाना	25 लाइनें
	झुंझुनू	23. बंगतरी	"
		24. बख्तावरपुरा	"
		25. चवोली	"
		26. डुबनिया	"

क्रम सं०	जिला	स्थान का नाम	प्रस्तावित सज्जित क्षमता
	जोधपुर	27. बर्जसिंहपुर	25 लाइनें
		28. गगनी	"
		29. खेजाडला	"
	कोटा	30. सीमलिया	"
		31. अणुशक्ति	512 पोर्ट, आई एल टी
	नागौर	32. पचवा	25 लाइनें
		33. संजू	"
		34. नूवा	"
		35. रोहंदी	"
	पाली	36. सिरियाली	"
		37. फालका	"
	राजामांड	38. घोरा घाटी	"
		39. गुगुली	"
		40. पिलोदा	"
	सवाई माधोपुर	41. गिल्लोंद	"
		4 . अजनोटी	"
		43. हरोटी	"
	सीकर	44. चुरोली	"
		45. सेवाद बारी	"
		46. नागवा	"
		47. बिवई	50 लाइनें
		48. बजोर	25 लाइनें
	श्री गंगानगर	49. नजराना	"
		50. श्री गंगानगर	"

पंजाब में आतंकवादियों द्वारा अपहरण

3926. **श्री दाऊ दयाल जोशी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की **कृपा करेंगे कि :**

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब में अपहरण किए गए पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की पंजीकृत संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से छुड़ा लिए गए लोगों की संख्या कितनी है, और

(ग) इनमें से कितनों की आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

असम में रोलिंग मिलें

3927. **श्री हरीश रावत जोशी** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में बन्द पड़ी रोलिंग मिलों के नाम क्या-क्या हैं और वे कब से बन्द पड़ी हुई हैं;

(ख) इसके कारण क्या हैं;

(ग) उनमें कितनी राशि अन्तग्रंस्त है और इनके बन्द होने के कारण बेरोजगार हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन मिलों को पुन: सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इन मिलों के पुन: कब तक प्रारंभ किये जाने की संभावना है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गुट-निरपेक्ष आंदोलन और "सार्क" की सदस्यता

[अनुवाद]

3928. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुट-निरपेक्ष आंदोलन और 'सार्क" के लिए भारत की सदस्यता बनाये रखने और इस प्रयोजन हेतु कर्मचारियों पर वार्षिक रूप से कितनी धनराशि व्यय की जाती है; और

(ख) क्या इससे देश को होने वाले राजनैतिक और आर्थिक लाभ इस व्यय के अनुरूप हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) सार्क के एक सदस्य के रूप में भारत को सार्क सचिवालय के खर्च की मद में अंशदान देना होता है जिसमें इसके अमले का खर्च भी शामिल है। वित्तीय वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 में इस मद पर क्रमश: 18.04 लाख, 11,93 लाख और 31.25 लाख रुपये का वार्षिक खर्च आया है। गुट-निरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता के लिए भारत को कोई खर्च वहन नहीं करना पड़ता।

(ख) हम यह मानते हैं कि इससे देश को जो राजनैतिक और आर्थिक लाभ होता है उसे देखते हुए यह खर्च मुनासिब ही है।

उड़ीसा में एल्यूमिनियम सिलिकोन मिश्रण परियोजना के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता

3929. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र**
श्री अनादि चरण दास } : क्या **खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में प्रस्तावित एल्यूमिनियम सिलिकोन मिश्रण परियोजना और एल्यूमिनियम रोल्ड प्रोडक्ट परियोजना के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) भारत सरकार ने भारतीय कच्चे माल के पाइलट प्रोद्योगिकी परीक्षण के आधार पर, ओड़िसा में एल्यूमिनियम-सिलिकन मिश्रातुओं के औद्योगिक स्तर पर विद्युत प्रगालन की प्रौद्यो-आर्थिक साध्यता निर्धारित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू. एन. डी. पी. द्वारा 3,28,000 अमरीकी डालर पूंजी-निवेश आबंटित हुआ है। यू. एन. डी. पी. से अन्तिम रिपोर्ट का प्रारूप प्राप्त हो गया है।

सरकार ने ओड़िसा में एल्यूमिनियम रोल्ड उत्पाद; परियोजना हेतु यू. एन. डी. पी. से कोई सहायता नहीं मांगी हैं।

बिहार की प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सहायता

[हिन्दी]

3930. **श्री ललित उरांव** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार को राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आबन्टित की गई है; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान वास्तव में कितनी धनराशि का उपभोग किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के कारण पैदा हुई स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार आबन्टित धनराशि का ब्योरा इस प्रकार है :—

वर्ष	आबंटित धनराशि
1988-89	मार्जिन धनराशि में 33.75 करोड़ रुपये जिसमें भूकम्प आने पर राहत खर्च के लिए अनुमोदित 24.31 करोड़ रुपये की अधिकतम राशि शामिल है।
1989-90	मार्जिन धनराशि में 33.75 करोड़ रुपये।
1990-91	आपदा राहत कोष में 35.00 करोड़ रुपये (26·25 करोड़ रु० का केन्द्रीय अंश तथा 8.75 करोड़ रुपये का राज्य अंश)

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर बम विस्फोट

[अनुवाद]

3931: **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर 24 जून, 1991 को अर्ध रात्रि के कुछ देर पश्चात् एक बम विस्फोट हुआ था :

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है : और

(ग) इस विमान पत्तन पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अब तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ।

(ग) हवाई अड्डों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों में चैकिंग में बढ़ोतरी करना, अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात करना, आगन्तुकों को संदिग्ध वस्तुओं को न छूने की हिदायत देना : तथा हवाई अड्डे के निकट से आने अथवा जाने वाले सभी वाहनों की अच्छी तरह चैकिंग करना इत्यादि शामिल है ।

रात्रि ग्यारह बजे पश्चात् किये गये एस. टी. डी कालों की दरें

3932. **प्रो० अशोक आनंदराव देशमुख** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रात्रि 11.00 बजे से प्रात: 4.00 बजे के बीच की जाने वाली एस. टी. डी. कालों की दरों में कमी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1991 में महाराष्ट्र मे एस. टी. डी. द्वारा कितने स्टेशनों को जोड़ने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) महाराष्ट्र में वर्ष की शेष अवधि अर्थात् 31-12-1991 तक निम्नलिखित स्टेशनों में उपस्कर उपलब्ध हो जाने पर एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है : —

पैथान, मुर्तिजापुर, चालिसगांव, सावदा, काटोल, नागोथाने, करजात, मुडंज, पेन, इगातपुरी

पाकिस्तान और बंगलादेश से हिन्दुओं का पलायन

3933. **प्रो० अशोक आनंदराव देशमुख** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989, 1990 और 1991 में अब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान से, अलग-अलग, कितने हिन्दू भारत आ चुके हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(ख) इस प्रकार का पलायन रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) और (ख) जो बंगलादेश राष्ट्रिक, हिन्दुओं सहित, वैध दस्तावेजों के बगैर 25 मार्च 1971 के बाद भारत आए, उन्हें घुसपैठिया माना जाता है । चूंकि वे चोरी छिपे आए और भूमिगत हो गए, इसलिए यह निश्चित करना संभव नहीं है कि इस प्रकार के कितने व्यक्ति भारत में आए ।

राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के पास घुसपैठियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए स्थायी निर्देश हैं ।

विभिन्न राज्य सरकारों और संबन्धित एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान से हिन्दुओं का अधिक प्रवासन नहीं हो रहा है । अन्य पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की तरह हिन्दू भी वैध यात्रा दस्तावेजों पर भारत आते हैं । उनमें से कुछ पाकिस्तान वापस चले जाते हैं जबकि अन्य भारत में लम्बे समय तक ठहरने की सुविधा के लिए आवेदन करते हैं । वैध दस्तावेजों पर भारत आ रहे पाकिस्तानी हिन्दुओं के अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

कुवैत में भारतीय दूतावास का बन्द रहना

3934. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय } : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत में भारतीय दूतावास कुछ समय के लिए बन्द रहा;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) क्या अब उसने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो कब से; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या खाड़ी युद्ध के बाद दूतावास में कार्यरत भारतीयों की संख्या में कमी हुई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क)और (ख) जी हां, क्योंकि वहां कब्जा कर लेने वाले इराकी प्राधिकारियों ने इसके सामान्य कामकाज को असंभव बना दिया था ।

(ग) से (ङ) कुवैत की मुक्ति के बाद कुवैत स्थिति भारतीय राजदूतावास ने 28 मार्च 1991 से अपना कामकाज पुनः शुरू कर दिया है ।

(च) जी, हां ।

(छ) ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :

कब्जा होने से पहले :

भारत आस्थानी—31
स्थानीय 24

मुक्ति मिलने के बाद

भारत आस्थानी 9
स्थानीय 13

किसी भी राजदूतावास के कर्मचारियों की संख्या वहां के काम के आधार पर निर्धारित की जाती है और समय-समय पर इसकी समीक्षा होती रहती है।

भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा खनन पट्टे के लिए आवेदन

3935. **श्री मोहन लाल झिकराम :** क्या **खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुरखुरी दादर (अमरकंटक) स्थित भारत एल्यूमिनियम कम्पनी मिमिटेड ने एक अन्य खान के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और जिस खान के लिए आवेदन किया है वह कहां पर है;

(ग) क्या उक्त खान वन भूमि के अंतर्गत आती है;

(घ) क्या कम्पनी ने पहले पट्टे पर ली गई खान के संबंध में सभी शर्तों का पालन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त आवेदन-पत्र पर निर्णय लिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) कम्पनी ने अमरकंटक क्षेत्र में हजारी-दादर नामक दूसरी खान के लिए आवेदन किया और उसे 987 हैक्टर भूमि पर 20-4-1977 को 30 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टा मंजूर किया गया था।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) कम्पनी को मध्य प्रदेश सरकार ने कुल क्षेत्र में से 10 हेक्टेयर भूमि पर खनन करने की अनन्तिम अनुमति मंजूर कर दी थी। किन्तु, शेष क्षेत्र में खनन की अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत नहीं दी गई है।

ताम्र अयस्क संसाधित किया जाना

3936. **श्री मोहन लाल झिकराम :** क्या **खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में मलंजखंड से निकाले गये ताम्र अयस्क को संसाधित करने के लिए राजस्थान भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान को प्रति वर्ष कितनी-कितनी मात्रा में ताम्र अयस्क भेजा गया है; और

(ग) प्रत्येक टन ताम्र अयस्क को ले जाने पर कुल कितना व्यय हुआ है तथा इस पर प्रति वर्ष भाड़े के रूप में कितनी राशि खर्च की गई है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश स्थित मलंजखंड ताम्र परियोजना से निकाले गये ताम्र अयस्क (कापर ओर) को सांद्र (कंसन्ट्रेट) में परिष्कृत करने के बाद परवर्ती शोधन हेतु खेतड़ी कापर कम्पलेक्स (राजस्थान) भेजा जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान खेतड़ी कापर कम्पलेक्स में भेजे गए सांद्र की मात्रा प्रति टन ढुलाई लागत तथा भाड़े पर खर्च की गई कुल राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा (शुष्क मीट्रिक टन में)	ढुलाई दर शुष्क मीट्रिक टन (रु० प्रति टन)	भुगतान किया गया कुल भाड़ा (लाख रु०)
1988-89	47965	541.65	259.80
1989-90	63342	592.64	375.39
1990-91	42062	918.69	386.42

मध्य प्रदेश में खुरखुरी दादर में भारत एल्यूमिनियम कम्पनी

[हिन्दी]

3937. **श्री मोहन लाल झिकराम** : क्या **खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में खुरखुरी दादर स्थित भारत एल्यूमिनियम कम्पनी की पट्टे की अवधि कितनी है और यह कम्पनी कब से वहां पर कार्य कर रही है;

(ख) क्या उपरोक्त कम्पनी पट्टे की सभी शर्तों का पालन कर रही है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में, वर्षवार कम्पनी द्वारा कितनी रायल्टी दी गई ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी सन् 1969 से मध्य प्रदेश के खुरखुरी दादर क्षेत्र में कार्य कर रही है। खनन पट्टे की अवधि 12.6.1969 से 30 वर्ष की है।

(ख) जी हां।

(ग) कम्पनी द्वारा अमरकंटक खान (खुरखुरी दादर) के लिए गत तीन वर्ष के दौरान दी गई रायल्टी इस प्रकार है :—

1988-89	21,98,290 रुपए
1989-90	19,16,610 रुपए
1990-91	13,76,780 रुपए

उल्फा द्वारा किए जाने वाले अपहरण

3938. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों के दौरान युनाइटिड लिबरेशन फ्रंट आफ असम उग्रवादियों द्वारा कितने व्यक्तियों का अपहरण किया गया है : और

(ख) उल्फा उग्रवादियों द्वारा अपहृत व्यक्तियों के लिए फिरौती के रूप में कितनी धनराशि वसूली गई है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम द्वारा 1989 के बाद से अपहृत किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :

1989	1990	1991 (18.8.1991 तक)
16	146	83

(ख) अपहृत व्यक्तियों के सम्बन्ध में फिरौती के रूप में वसूल की गई धनराशि के बारे में कोई पक्की रिपोर्ट नहीं है क्योंकि भय के कारण वे प्राधिकारियों को प्राय: ऐसे ब्यौरे नहीं बताते हैं।

दिल्ली में बैंक डकैतियां

3939. **श्री राम नारायण बैरवा :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में कितनी बैंक डकैतियां हुई :

(ख) ऐसी घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए और कितनी धनराशि लूट ली गई;

(ग) क्या सरकार का विचार इन घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को कोई वित्तीय सहायता देने का है;

(घ) क्या सरकार ने मृत व्यतियों के परिवारों के किसी व्यक्ति को रोजगार दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) 1.1.1988 से 31.7.1991 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में बैंक लूटने के 5 मामले हुए हैं।

(ख) इन मामलों में 5 व्यक्ति मारे गये तथा लगभग 12,71,179/- रुपये की राशि लूटी गई।

(ग) से (च) मारे गए सभी पांचों व्यक्तियों के निकट सम्बन्धी को सम्बन्धित बैंक द्वारा एक लाख रुपये की नकद राहत दी गई है। मारे गए कर्मचारियों के परिवार के पात्र सदस्य को अनुकम्पा आधार पर नियुक्त करने का बैंक ने आस्वासन दिया है।

राज्य सुरक्षा आयोग का गठन

3940. **श्री राम नारायण बैरवा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि प्रत्येक राज्य में राज्य सुरक्षा आयोग गठित किया जाये ताकि पुलिस जांच पड़ताल न्याय के सिद्धांतों पर की जा सके :

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे आयोग कुछ राज्यों में गठित कर दिये गये है :

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या संघ सरकार का इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) "पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण राज्य सुरक्षा आयोग के गठन संबंधी सिफारिशों सहित राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू करना राज्य सरकारों का काम है।

कृषि विकास के सम्बंध में भानु प्रताप सिंह समिति की सिफारिशें

3942. **प्रो० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु**
श्री राम पूजन पटेल
श्री बी० राजारवि वर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने कृषि विकास के सम्बन्ध में भानु प्रताप सिंह समिति की शिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : कृषि नीतियों और कार्यक्रमों पर भानु प्रताप सिंह समिति की सिफारिशों पर सरकारी राय को भारत सरकार के सम्बन्धित मन्त्रालयों के साथ परामर्श करते हुए अन्तिम रूप देने हेतु कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

व्यापक फसल बीमा योजना

3943. **श्री महावीपक सिंह शाक्य** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान व्यापक फसल बीमा योजना में राज्यवार कितने किसानों को शामिल किया गया है; और

(ख) वर्ष 1991-92 हेतु राज्यवार निर्धारित लक्ष्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान बृहत फसल बीमा योजना के तहत लाये गये किसानों की संख्या दर्शाने वाला एक राज्यवार विवरण संलग्न है ।

(ख) बृहत फसल बीमा योजना एक स्वैच्छिक योजना है । लागू कर रहे राज्य/संघ शासित प्रदेश इसे किसी भी क्षेत्र में लागू करने के लिए स्वतन्त्र हैं । तदनुसार, इस योजना के अन्तर्गत कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। वैसे, बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 991-92 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 52 लाख किसानों को कवर करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विवरण

बृहत फसल बीमा योजना के बारे में विवरण

क्रम सं०	राज्य	कवर किए गए किसानों की सं०
1.	आन्ध्र प्रदेश	2,90,164
2.	असम	21,798
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	262
4.	बिहार	1,34,708
5.	गोवा	1,141
6.	गुजरात	5,90,355
7.	हिमाचल प्रदेश	180
8.	कर्नाटक	41,056
9.	केरल	23,612
10.	मध्य प्रदेश	2,12,877
11.	महाराष्ट्र	7,24,002
12.	मेघालय	36
13.	उड़ीसा	1,81,128
14.	पाण्डिचेरी	1,413
15.	तमिलनाडु	2,47,397
16.	त्रिपुरा	1,557
17.	पश्चिम बंगाल	2,58,679
		27, 0,464

केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थानों के उप-संस्थान

3944. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान ने वर्ष 1990-91 के दौरान उप-संस्थान स्थापित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के दो उप-संस्थान स्थापित किए गये। इनमें से एक मद्रास (तमिलनाडु) में स्थापित किया गया और एक हैदराबाद (आन्ध्र-प्रदेश) में ।

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चम्बा जिलों में टेलीफोन कनेक्शन

[अनुवाद]

3945. **श्री डी० पी० खनोरिया :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चम्बा जिलों में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या कितनी है, और

(ख) यहां नये इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज कब तक लगाये जाने की संभावना है और प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन मिल जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) 31.7.1991 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या इस प्रकार से है :—

(! कांगड़ा जिले में 1129

(ii) चम्बा जिले में 308

(ख) वर्ष 91-92 के दौरान चम्बा जिले में दस नए इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज चालू किए जाने की सम्भावना है। आठवीं योजना की अवधि के दौरान उत्तरोतर रूप से और इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू किए जाएंगे। मार्च, 1995 तक प्रतीक्षा सूची को उत्तरोतर रूप से निपटाने के लिए टेलीफोनों के विस्तार की योजना बनाई गई है।

हिमाचल प्रदेश में नये टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना

3946. **श्री डी० पी० खनोरिया :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिमाचल प्रदेश में पालमपुर सब-डिवीजन में आलमपुर सांसी, बरोत और राजहुन में नये टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां। केवल आलमपुर में।

(ख) आलमपुर में मार्च, 1992 तक 25 लाइनों का आटोमेटिक एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है।

(ग) इस समय बरोत, राजहुन तथा सांसी में एक एक्सचेंज खोलने सम्बन्धी कोई मांग दर्ज नहीं है। फिर भी, मार्च, 1992 तक सांसी में एक सार्वजनिक टेलीफोन घर संस्थापित करने की योजना है जो कि छधियार एक्सचेंज के साथ जुड़ा होगा।

यूरोपीय संसद द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के विरुद्ध प्रस्ताव

3947. **प्रो० राम कापसे** , क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जुलाई, 1991 के इण्डियन एक्सप्रेस (बम्बई संस्करण) में 'ई० सी० अर्जेज अगेन्स्ट नर्मदा लोन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि यूरोपीय संसद ने यूरोपीय आयोग के सदस्य देशों से यह अनुरोध किया है कि जब तक कोई विस्तृत पुर्ननिर्धारण कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया जाता वे सरदार सरोवर परियोजना की किसी वैयक्तिक उप-परियोजना अथवा अगली बड़ी नर्मदा घाटी परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण हेतु किसी और आवेदन पत्र की स्वीकृति देने से इन्कार कर दें. और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) यूरोपीय आयोग, जो कि यूरोपीय संसद का कार्यकारिणी प्राधिकरण है, ने स्पष्ट रूप से बताया है कि उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार परियोजना को सोच विचार कर बनाया गया है तथा इसलिए इसको सहायता देने की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए, सरकार का इस प्रस्ताव का उत्तर देने का विचार नहीं है।

डी० एम० एस० दुग्ध संयन्त्रों की क्षमता का उपयोग

3948. **श्री महेश कुमार कनोडिया**
श्री बलराज पासी : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और जून, 1991 तक दिल्ली दुग्ध योजना संयन्त्रों का वर्षवार क्षमता उपयोग कितना था;

(ख) इन संयन्त्रों और उपस्करों के आधुनिकीकरण/नवीकरण करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक क्षमता का उपयोग और आधुनिकीकरण का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे, क्या कदम उठाये गए ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना संयन्त्रों की क्षमता उपयोगिता पिछले तीन वर्षों और जून, 1991 तक निम्न प्रकार है :--

वर्ष	क्षमता उपयोगिता
1988-89	95·5%
1989-90	107.1%
1990-91	110.7%
1991-92	94.1%
(अप्रैल, 1991 से जून, 1991 तक)	

(ख) संयन्त्रों और उपस्करों के आधुनिकीकरण/नवीकरण के कार्य में हुई प्रगति निम्न प्रकार है :—

(1) बोतल भरने वाले संयन्त्रों के स्थान पर नई पोलो पैक मशीनें लगाई गई हैं।

(2) वसा और एस० एन० एफ० की मात्रा का जल्दी और सही परीक्षण करने के लिए दो मिल्क-स्कैन स्थापित किये गए हैं।

(3) विसंक्रमित, सुगन्धित दूध को परिसंस्करित करने और पोलो पैक में पैक करने के लिए इलैक्स्टर संयन्त्र स्थापित किया गया है।

(4) पुराने दुग्ध पास्च्यूरीकरण संयन्त्र के स्थान पर नया संयन्त्र लगाया गया है।

(5) एक-एक लाख लीटर की क्षमता वाले दो साइलो टैंक स्थापित किये गये हैं और इसी क्षमता वाले दो और साइलो टैंक स्थापित किये जा रहे हैं।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना एक सार्वजनिक उपयोग का संगठन है। इसकी क्षमता उपयोगिता और संयन्त्र तथा उपस्करों के आधुनिकीकरण को बेहतर बनाने के सभी उपायों से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचता है।

दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत दुग्ध की आपूर्ति

3949. **श्री महेश कुमार कनोडिया**
श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम"
श्री चेतन पी० एस० चौहान : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत दुग्ध की आपूर्ति में अनियमितताओं के सम्बन्ध में जनवरी—जून, 1991 के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और किस प्रकार की शिकायतें की गई; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना के पास 907 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ये शिकायतें अनियमित समय पर डिपुओं को खोलने और दूध की बड़ी मात्रा में अनधिकृत बिक्री से सम्बन्धित थीं।

(ख) शिकायतों की जांच की गई और उपयुक्त कार्यवाही कर दी गई जिसमें एजेंसियां रद्द करना और कसूरवार स्टाफ को हटाना शामिल है।

दूरसंचार के उपकरणों की खरीद के लिए विश्व बैंक की सहायता

3950. **श्री रवि राय** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक से दूरसंचार के उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने इस सम्बन्ध में दो सदस्यीय दल भारत भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (घ) दूरसंचार क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से संघटकों की प्राप्ति के लिए संभावित वित्त-पोषण हेतु सितम्बर 1990 में विश्व बैंक के साथ विचार विमर्श किया गया था। विश्व बैंक ने योजनाओं की स्थिति स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास तथा उत्पादन नियन्त्रण, यदि कोई हो, के बारे में दूरसंचार क्षेत्र का अध्ययन करने का सुझाव दिया था। सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और विश्व बैंक के विशेषज्ञों के एक दल ने फरवरी से मई, 1991 की अवधि के दौरान यह अध्ययन किया। विश्व बैंक की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

'शहीद बिरसा आदिवासी" पर स्मारक डाक टिकट जारी करना

[हिन्दी]

3951. **श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का "शहीद बिरसा आदिवासी" की स्मृति में एक डाक टिकट जारी करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं, बिरसा मुण्डा पर 15 नवम्बर, 1988 को एक स्मारक डाक-टिकट जारी किया जा चुका है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा के डाकखानों में टेलीफोन सुविधा

3952. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के क्योंझर, मयूरभंज, और सुन्दरगढ़ जिलों में ऐसे डाकखानों की संख्या कितनी है जहां अभी तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) उपर्युक्त सभी डाकखानों में टेलीफोन सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जिन डाकघरों में इस समय टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उनकी संख्या निम्नानुसार है :—

	जिले का नाम	बिना टेलीफोन सुविधा वाले डाकघरों की संख्या
1.	क्योंझर	284
2.	मयूरभंज	593
3.	सुन्दरगढ़	307

(ख) विभाग ने 1991-95 के दौरान सभी ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है। ये टेलीफोन डाकघरों, पंचायत कार्यालयों पंसारी की दुकानों अथवा ऐसे उपयुक्त स्थानों पर लगाए जाएंगे जहां लोग सहूलियत से पहुंच सकें।

खुफिया एजेंसियों का समन्वय

[अनुवाद]

3953. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न खुफिया एजेंसियों के कार्यकरण में समन्वय स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खुफियाध्यक्ष का एक कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

"कमर्शियल डाटा सर्विस" की शुरूआत

3954. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में "कमर्शियल डॉटा सर्विस" का प्रयोग शुरू हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस सेवा के शुरू किए जाने के क्या कारण है;

(ग) क्या इस सेवा हेतु देश में कुछ स्थानों पर स्टेशनों की स्थापना की जा चुकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इस पर कितनी धनराशि व्यय हुई है,

(ङ) क्या इस सेवा से ग्रामीण क्षेत्रों का कोई विकास होगा,

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या देश में निकट भविष्य में कुछ और स्टेशनों की स्थापना की जायेगी ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) व्यवसायिक डॉटा सेवा, रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क (आर ए बी एम एन) के चालू होने के साथ शुरू हुई। यह उपग्रह पर आधारित डॉटा नेटवर्क है जिसमें सिकन्दराबाद (उ० प्र०) में दिल्ली के भू-केन्द्र के साथ स्थित मास्टर भू-केन्द्र और प्रयोक्ताओं द्वारा अधिकृत अफ़ट्चर टर्मिनल (बी एस ए टी) जो उनके परिसरों में संस्थापित किए गए हैं, शामिल हैं।

(ग) जी हां।

(घ) पूरे देश में उपभोक्ताओं के विभिन्न आहातों में अब तक 77 वी एस एटी की संस्थापना की गई है। वी एस एटी की वर्तमान लागत 5.2 लाख रुपये हैं।

(ङ) जी हां।

(च) इस नेटवर्क का प्रारम्भ होने से दूरदराज के स्थानों में स्थित परियोजना स्थलों खानों, ग्रामीण क्षेत्रों में लगे उद्योगों से सीधा सम्पर्क प्रदान करेगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

(छ) जी हां।

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में एस० टी० डी० सुविधा

3955. **श्री चेतन पी० एस० चौहान**
श्री बलराज पासी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लगभग 1 00,000 अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों/शहरों को एस० टी०डी० की सुविधा प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन नगरों/शहरों के नाम क्या है जिन्हें अभी तक एस० टी० डी० सुविधा प्रदान नहीं की गई है,

(ग) इसके क्या कारण है;

(घ) इन राज्यों के प्रत्येक नगर/शहर को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है,

(ङ) क्या लगभग एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों/शहरों की एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की गई है; और

(च) यदि हां, तो इन नगरों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु(: (क) जी हां, कुछ नगरों को छोड़कर।

(ख) राजस्थान और मध्य प्रदेश म एक लाख से ऊपर (1981 वीं जनगणना के अनुसार) जनसंख्या वाले सभी नगरों को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की गई है।

परन्तु उत्तर प्रदेश में अमरोह, फरूखाबाद झांसी और सांम्बला, चार नगरों को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान नहीं की गई है।

(ग) इन स्थानों पर मैनुअल एक्सचेंजों का स्वचलीकरण नहीं हुआ है तथा इसके साथ ही अमरोह और सांम्बली के लिए उपस्कर की कमी के कारण परियात मीडिया उपलब्ध नही हैं।

(घ) इन राज्यों के प्रत्येक शहर में एस० टी० डी० सुविधा 8वीं योजना के उद्देश्यों के अनुसार प्रदान की जाएगी। एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में 8वीं योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(I) सभी ऐसे जिला मुख्यालय जो 7वीं योजना में शामिल नहीं किये गये हैं।

(II) सभी उपमण्डलीय मुख्यालय, समतुल्य तहसील/खंड विकास मुख्यालय।

(III) 1-4-90 तक की स्थिति के अनुसार 500 लाइनों या उससे अधिक की क्षमता वाले सभी टेलीफोन एक्सचेंज।

(V) सभी पर्यटन केन्द्र, औद्योगिक विकास केन्द्र, तीर्थसंस्थान।

(IV) परियात और व्यवहार्यता के अधीन औचित्यपूर्ण अन्य स्वचालित एक्सचेंज।

(ङ) जी नहीं, कहीं-कहीं प्रदान की गई है।

(च) संलग्न विवरण में जानकारी दी गई है।

विवरण

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों/कस्बों जिन्हें एस.टी. डी. सुविधा प्रदान की गई है नीचे दिए गए हैं :—

उत्तर प्रदेश (124)

अलमोड़ा, अमेठी, आनन्द नगर, आनपारा, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बदोही, बक्शी का तालाब, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बांसगांव, बाराबंकी, बरौसा, बड़ौत, बरहालगंज, बस्ती, बीजापुर, (रिहन्दनगर) भाटपरानी, बिजनौर, बिसवाड़ा, कैम्पायरगंज, कैप्टेनगंज, छत्ता, क्लीमेंट टाउन (देहरादून) दादरी, देवबन, देवरिया, देवाशरीक, धनपटगंज, दोस्तपुर, एवं फतेहपुर, गौरीगंज, गाजीपुर, गोकुल, गोलाबाजार, गोंडा, नीवेश्वर, गोपीगंज, हमीरपुर, हाडिया, हरदोई, हरनही, हाथरस, जगदीशपुर, जमदीशपुर, इंडोस्ट्रीयल एरिया, जामो, जसवन्तनगर, कादीपुर, कन्नौज, कासगंज, काशीपुर, कसिया, कोड़ीराम, खर्मरिया, खुर्जा, किछा, कोयरीपुर, कोर्सीकला, करेमार, कुरेमोर, लखीमपुर-खीरी, ललितपुर, लम्बुका, लोनी, महाराज गंज, महमूदाबाद, मैनपुरी, मलिहाबाद, मनकापुर, मथुरा रिफायनरी, मोदूआ, मउनाथभंजन, मोदीनगर, मोहनलालगज, मुगलसराय, मुसाफिरखाना, मसूरी नैनी (इलाहाबाद), नैनीताल, नन्दगंज, नरोरा, नोतनवा, नवावगंज, नोएडा, उरई, पडरौना, पौड़ी, फाफामऊ, इलाहाबाद, फूलपुर, फूलपुर (इलाहाबाद), पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, प्रेमनगर (देहरादून), रायबरेली राजा का तालाब, राजपुर, (देहरादून) रामगंज, रामनगर, रानीगंज, रानीखेत, रुड़की, रुद्रपुर, सलेमपुर, सण्डीला, सरदारनगर, शाहजन्दवा (गोरखपुर), शक्तिनगर, शेरगढ़, शिकोहाबाद, शुक्लाबाजार, सिद्धार्थ नगर, सिमरी, सिसवा बाजार, सीतापुर, सूरजपुर, सुल्तानपुर, टूंडला, उन्नानी, उन्नाव, वृन्दावन।

मध्यप्रदेश (34)

आदमपुर, अम्बिकापुर, बेरसिया, बालाघाट, भिंड, छिंदवाड़ा, दतिया, देवास, धार, दमोह, धमतरी होशंगाबाद, इटारसी, जाओरा, जगदलपुर, झाबुआ, खरगांव मंदसौर, मऊ मुरैना, मंडीदीप,

माण्डला, मिसरोड, नागदा, ओबेदुलीगंज, मिथमपुर, राजनन्द गांव, रायगढ़, रायसेन, सतना, सिहोर, सिओनी, सानावाड़ा, विदिशा।

राजस्थान (28)

आबरोड, बांसवाड़ा, बारा, बाडमेर, बेहोरा, भिवांडी, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झूंझनू, मदनगंज, मन्दोर (जोधपुर), नागौर, पाली मारवाड़, कन्नौजी, पिलानी, पोखरणजगनेनी, सवाईमाधोपुर, सिरोही, सुमेरपुर, टोंक, हनुमानगढ़।

दिल्ली में नया पासपोर्ट कार्यालय भवन

3956. **श्री चेतन पी० एस० चौहान**
श्री बलराज पासी } : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में एक नया और आधुनिक पासपोर्ट कार्यालय भवन के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में तारघर खोलना

[हिन्दी]

3957. **श्री राम बदन** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत ठेकमा, बुरधे, मोहम्मदपुर और गोसाई की बाजार में तारघर खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थानों पर तारघर खोलने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० बी० रंगय्या नायडु) : (क) से (ग) ठेकमा, बरदह, (बुरधे नाम का कोई स्थान प्रतीत नहीं होता), मोहम्मदपुर और गोसाई की बाजार में संयुक्त डाक व तार घरों के माध्यम से पहले से ही तार सुविधाएं उपलब्ध हैं। मौजूदा तार परियात को देखते हुए इन स्थानों पर अलग से तार घर खोलने का औचित्य नहीं बनता।

उत्तर प्रदेश के मऊ और आजमगढ़ जिलों में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास

3958. **श्री राम बदन** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मऊ और आजमगढ़ जिलों में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों

के लिए सरकारी क्वार्टरों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव था,

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने क्वार्टरों का निर्माण किया जाएगा, वे कहां-कहां बनाये जाएंगे और कब तक बनाये जाएंगे, और

(ग) सभी कर्मचारियों को सरकारी आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) :

(क) क. **डाक विभाग**

जी नहीं।

ख. **दूरसंचार विभाग**

जी हां।

(ख) क. **डाक विभाग**

प्रश्न नहीं उठता।

ख. **दूरसंचार विभाग**

निम्नलिखित संख्या में मकान बनाने का प्रस्ताव हैं;

(I) आजमगढ़ (माईक्रोवेव कम्पाउंड)

8 टाइप II और 1 टाइप III — मंजूरी दे दी गई है

निर्माण कार्य 1992 के दौरान पूरा होने की संभावना है।

(ii) मऊ (स्टाफ क्वार्टर कम्पाउंड)

12 टाइप I, 18 टाइप II और 6 टाइप III — इनका निर्माण करने की योजना बनाई गई है।

निर्माण कार्य 1992 के दौरान पूरा होने की संभावना है।

(ग) क. **डाक विभाग**

डाक कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टर देने सम्बन्धी नीति की निरंतर पुनरीक्षा की जाती है और संतुष्टि स्तर संसाधन आदि की उपलब्धता के आधार पर उचित रूप से बढ़ता है। विभाग फिलहाल लगभग 15 प्रतिशत कुल संतुष्टि स्तर प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

ख. **दूरसंचार विभाग**

विभाग की नीति के अनुसार, 8वीं योजना अवधि के दौरान 20 प्रतिशत संतुष्ट स्तर प्राप्त किया जाना है।

गुड़गांव को दिल्ली के साथ एस० टी० डी० से जोड़ना

3959. **श्री अवतार सिंह भडाना** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की गुड़गांव, तावडू, सोहना, फिरोजपुर झिरका, हथीन और पुनाहना को दिल्ली के साथ एस० टी० डी० से जोड़ने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इन शहरों में एस० टी० डी० सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) गुड़गांव को एस० टी० डी० सुविधा से पहले ही जोड़ा जा चुका है। शेष में एस० टी० डी० सुविधा उत्तरोत्तर रूप से 1994-95 के दौरान उपलब्ध कराने की योजना है।

चिकित्सा के आधार पर अस्थाई टेलीफोन कनेक्शन

3960. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान चिकित्सा के आधार पर कितने अस्थाई टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने आवेदन पत्र जाली पाये गये और उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) शेष आवेदनों को अस्थाई टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिये जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) चिकित्सा के आधार पर दिये गये अस्थाई टेलीफोन कनेक्शनों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। इसलिए, इस सम्बन्ध में जानकारी प्रस्तुत करना सभव नहीं है

(ग) तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य होने पर अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन तुरन्त प्रदान किए जाते हैं।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की फल और सब्जी परियोजना

[अनुवाद]

3961. **श्री ई० अहमद** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन स्थानों के नाम क्या है जहां राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की फल और सब्जी परियोजना के खुदरा बिक्री केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने गत वर्ष इन बिक्री केन्द्रों से कितना लाभ अर्जित किया;

(ग) क्या दिल्ली की अन्य आवास कालोनियों में इसी प्रकार के बिक्री केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) उन जगहों के नाम जहां फल और सब्जियों के खुदरा बिक्री केन्द्र काम कर रहे हैं, संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं ।

(ख) इस परियोजना में इन केन्द्रों से अर्जित लाभ का लेखा अलग से नहीं रखा जाता है ।

(ग) जी हां ।

(घ) संलग्न विवरण-II में जानकारी दी गई है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण-I

दिल्ली शहर में फल और सब्जी परियोजना के चालू खुदरा बिक्री केन्द्रों का विवरण ।

खुदरा केन्द्र संख्या	स्थिति
1	2
1002	ग्रेटर कैलाश-1
1004	कालकाजी
1005	चितरंजन पार्क
1006	लाजपत नगर-नेशनल पार्क
1007	लाजपत नगर-पुलिस थाना
1009	डिफेंस कालोनी
1014	हौजखास
1015	सर्वोदय एन्कलेव
1016	एड्रूजगंज
1017	कृष्णा मार्केट
1018	मालवीया नगर
1019	पंचशील पार्क
1021	गोविन्दपुरी
1022	ईस्ट ऑफ कैलाश
1024	नव जीवन बिहार
1028	गुलमोहर पार्क
1031	जंगपुरा एक्स.
1034	मस्जिद मोथ
1036	साउथ एक्सटेंशन-2

1	2
1038	फ्रैंड्स कालोनी
1040	सांकेत
1042	दक्षिणपुरी
1043	दक्षिणपुरी एक्सटेंशन
1044	गिरी नगर
1045	मेहरौली बदरपुर रोड काम्प्लेक्स सैक्टर-1
1050	सादिक नगर
1053	ग्रेटर कैलाश-2
1054	सनलाइट कालोनी
1059	शेख सराय
1063	मेहरौली बदरपुर रोड काम्प्लेक्स सैक्टर-3
1064	मदनगीर
1065	अलकनन्दा
1066	सुखदेव बिहार
1067	सिद्धार्थ एक्सटेंशन
1068	सरिता बिहार
1070	सांकेत
1071	खेल गांव
1072	कालकाजी एक्स
1104	आर० के० पुरम सेक्टर-4
1106	आर० के० पुरम सेक्टर-8
1107	आर० के० पुरम सेक्टर-12
1109	मुनिरिका
1112	बसन्त बिहार
1113	सफदरजंग एन्कलेव
1117	सफदरजंग (कमल सिनेमा के सामने)
1119	नानक पुरा
1120	दिल्ली कैंट
1121	दिल्ली कैंट (गोपीनाथ बाजार)
1124	आर० के० पुरम सेक्टर-1
1126	दक्षिणी मोती बाग
1127	आर० के० पुरम सेक्टर-9
1129	बसन्त कुंज
1130	मुनिरिका बिहार

1	2
1131	बसन्त कुंज-1 सेक्टर-सी
1132	बसन्त कुंज 8-सेक्टर-सी
1133	बसन्त कुंज डी-3 डी-4
1134	कटवारिया सराय
1201	लोधी कालोनी
1202	किदवई नगर
1205	मोती बाग
1210	पण्डारा रोड
1211	बाबा खड्ग सिंह मार्ग
1215	जोर बाग
1217	बंगाली मार्केट
1218	साउथ एवेन्यू
1220	लक्ष्मी बाई नगर
1221	काका नगर
1222	गोल मार्केट
1224	चाणक्य पुरी
1228	नेताजी नगर
1229	सरोजनी नगर
1232	लोधी कालोनी
1233	कालीबारी
1301	नरैना बिहार
1303	रंजीत नगर
1304	न्यू राजिन्दर नगर
1305	वेस्ट पटेल नगर
1308	साउथ पटेल नगर
1309	ओल्ड राजिन्दर नगर
1319	रमजास रोड
1320	इन्दरलोक
1323	सुभद्रा कालोनी
1332	इन्दरपुरी
1410	राम नगर
1412	मिन्टो रोड
1501	अशोक विहार
1504	अशोक बिहार

1	2
1505	वजीरपुर-2
1506	लारेंस रोड, ब्लाक बी-2
1510	किशनगंज
1513	कमला नगर
1515	मुखर्जी नगर
1516	मॉडल टाउन
1518	राणा प्रताप बाग
1520	तिमारपुर
1521	ढ़ांका कालोनी
1527	जहांगीर पुरी
1528	लारेंस, रोड, ब्लाक-सी-7
1536	अशोक विहार
1537	शालीमार बाग
1538	गुलाबी बाग-2
1544	पीतमपुरा ब्लाक-एस०यू०
1545	पीतमपुरा दक्षिणी
1546	पीतमपुरा उत्तरी
1547	प्रशान्त विहार
1601	राजौरी गार्डन
1604	जनकपुरी, ब्लाक-बी
1605	जनकपुरी, ब्लाक-सी
1607	कीर्ति नगर
1611	टैगोर गार्डन
1614	माधीपुर
1616	राजौरी गार्डन
1617	जनकपुरी, ब्लाक-सी-4 ई०
1622	सुभाष नगर
1627	विकास पुरी
1634	जनकपुरी, ब्लाक ए-3
1636	शकरपुर
1638	मंगोलपुरी, ब्लाक-आई०
1639	मंगोलपुरी, ब्लाक-के०
1640	सुलतानपुरी

1	2
1643	रानी बाग
1645	पश्चिमपुरी, ब्लाक-सी०
1646	राजौरी गार्डन (हरि नगर) शापिंग सेन्टर, जी-8 एरिया)
1647	नागल राय
1648	रघुबीर नगर
1651	राजौरी गार्डन, ब्लाक-जे०
1652	पश्चिम बिहार
1653	सरस्वती विहार
1654	पश्चिम विहार
1655	आर० बी० आई० कालोनी
1656	पुष्पांजलि एन्कलेव
1657	लोक बिहार
1658	रोहिणी कनविनीऐंट शापिंग सेन्टर सेक्टर-8
1659	रोहिणी कनविमीऐंट शापिंग सेन्टर सेक्टर-7
1660	रोहिणी सेक्टर-2
1661	अवन्तिका रोहिणी
1662	रोहिंणी सेक्टर-3
1663	ि कास पुरी
1664	कस्तूरबा अपार्टमेंट्स
1667	रोहिणी सेक्टर-5
1668	रोहिणी सेक्टर-8
1669	रोहिणी सेक्टर-7
1702	गीता कालोनी
1706	विवेक विहार
1711	नन्द नगरी
1712	खिचड़ी पुर
1715	कृष्णा नगर
1723	प्रीत विहार
1725	त्रिलोक पुरी
1726	दिलशाद गार्डन
1730	गंगन विहार
1731	ए० जी० सी० आर० एन्कलेव
1732	यमुना विहार
1733	त्रिलोक पुरी-3 (मयुर विहार)

1	2
1734	आनन्द विहार, ब्लाक-ए
1801	नोएडा सेक्टर-12
1802	नोएडा सेक्टर-15
1803	नोएडा सेक्टर-20
1804	नोएडा सेक्टर-19
1805	नोएडा सेक्टर-27
1806	नोएडा सेक्टर-37
1807	नोएडा सेक्टर-21
1808	नोएडा सेक्टर-22
1809	नोएडा सेक्टर-26
1810	नोयडा सेक्टर-29
1811	नोएडा सेक्टर-55
कुल 166	चालू खुदरा केन्द्र

विवरण-II

दिल्ली शहर में फल और सब्जी परियोजना के निर्माणाधीन/चालू खुदरा बिक्री केन्द्रों का विवरण।

क्रम सं०	खुदरा केन्द्र सं०	स्थिति
1	2	3
1.	1069	सरिता विहार
2.	1644	पंजाबी बाग
3.	1663	विकास पुरी
4.	1665	रोहिणी
5.	1666	रोहिणी
6.	1670	रोहिणी
7.	1727	फजलपुर मंडवली
8.	1728	फजलपुर मंडवली
9.	1729	फजलपुर मंडवली
10.	1737	सूरज मल विहार
11.	1763	लोनी रोड
12.	—	लोकल शापिंग सेन्टर गुजरांवाला टाउन

13.	—	लोकल शापिंग सेन्टर शालीमार बाग
14.	—	कनवीनिऐन्ट शापिंग सेन्टर पीतमपुरा-5 पूर्वी
15.	—	कनवीनीएन्ट शापिंग सेन्टर, अमीनाबाद राजस्थान कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी
16.	—	लोकल शापिंग सेन्टर, पेपोश एन्कलेव
17.	—	कनविनीएन्ट शापिंग सेन्टर, शेख शराय फेस-1 (एम० आई० जी०, रिटायर्ड पर्सनस हाउसिंग सोसाइटी के पास)
18.	—	शापिंग और कम्यूनिटी फेसिलिटीज सेन्टर, कालकाजी
19.	—	कनवीनिएन्ट शापिंग सेन्टर, बसन्त कुंज-पी 8, सेक्टर-बी
20.	—	मयूर विहार-2, फेस-1
21.	—	लोकल शापिंग सेन्टर, पटपड़गंज (काआपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी मयूर विहार, फेस-1
22.	—	मयूर विहार-4 फेस-2
23.	—	लोकल शापिंग सेन्टर मयूर विहार फेस-2, 22 सोसाईटीज
24.	—	कम्यूनिटी सेन्टर, विकासपुरी
25.	—	पश्चिम विहार-13, वर्ग-2 हाउसिंग
26.	—	कनवीनिऐन्ट शापिंग सेन्टर साइट-2, पश्चिमपुरी जी० एच०-5 व 7 (और-17 एरिया)
27.	—	स्वास्थ्य विहार (काआपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी) स्वास्थ्य मन्त्रालय
28.	—	कर्जन रोड

बाणसागर बांध परियोजना

3962. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राज्यीय बाणसागर बांध परियोजना का कार्य के पूरा होने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई थी;

(ख) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है, और '

(ग) इसे कब तक पूरा कर दिये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बाणसागर नियंत्रण बोर्ड की 11.8.1990 को हुई 10वीं बैठक के निर्णय के अनुसार, परियोजना के पूरा होने की समय-सीमा इस प्रकार है:—

(i) क्रेस्ट स्तर तक बांध — जून, 1992

(ii) द्वारों सहित — जून, 1995

(ख) जून, 1991 तक चिनाई बांध पर लगभग 95% रॉक फिल बांध पर 85% कार्य तथा सैडल बांध पर 69% कार्य पूरा हो गया है।

(ग) इस परियोजना के पूरा होने की समय सीमा, पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति सम्बन्धी करार तथा इन कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

मध्य प्रदेश में नये सी-डॉट एक्सचेंज

[हिन्दी]

3963. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में नये सी-डॉट एक्सचेंजों की स्थापना की गई है और हस्तचालित एक्सचेंजों के स्थान पर ऐसे यन्त्र लगा दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :—

नए एक्सचेंज

एक्सचेंज का नाम	जिला
करमादी	रतलाम
कंगारूआ	सिवनी
गुड़गांव	खंडवा
पखान्जुर	बस्तर
बैतुल बाजार	बैतुल
नीलूड	भोपाल
बदले गए मैनुअल एक्सचेंज	
दांतेवाड़ा	बस्तर
हरपालपुर	छतरपुर

राजगढ़	धार
भीतवार	ग्वालियर
सरायपल्ली	रायपुर

(ग) शेष मैनुअल एक्सचेंजों को सी-डॉट एक्सचेंज उपस्कर उपलब्ध न होने के कारण बदला नहीं जा सका।

(घ) नीमच को छोड़कर शेष मैनुअल-एक्सचेंजों को 1992-93 तक बदलने की योजना है। नीमच एक्सचेंज 1993-94 में बदला जाएगा।

डेरी विकास के लिए "आपरेशन फ्लड" कार्यक्रम

3964. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **कृषि मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेरी विकास के "आपरेशन फ्लड-3" कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश और राजस्थान ने अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1988-89, 1989-90 1990-91 के दौरान आपरेशन फ्लड-3 कार्यक्रम के अधीन विभिन्न राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अधीन मध्य प्रदेश और राजस्थान ने पर्याप्त प्रगति की है। मार्च, 1991 तक हुई प्रगति को नीचे दर्शाया गया है :—

	मुख्य मदें	मध्य प्रदेश	राजस्थान
	1	2	3
1.	संगठित डेरी सहकारी समितियां	3865	4914
2.	कृषक सदस्य (लाख में)	1.5	3.4
3.	1991 के दौरान दुग्ध की औसत खरीद (लाख कि० ग्रा० प्रति दिन)	2.57	3:67
4.	दुग्ध परिसंस्करण क्षमता (लाख लीटर प्रति दिन)	8.1	9.00
5.	दुग्ध विपणन (लाख लीटर प्रति दिन)	2.79	1.34
6.	पशु आहार संयंत्र क्षमता (मिट्रिक टन प्रति दिन)	200	400

विवरण

1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान आपरेशन फ्लड-3 कार्यक्रम के अधीन विभिन्न राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

राज्य	1988-89	1989-90	1990-91 (अस्थायी)
आन्ध्र प्रदेश	535.29	464.56	627.63
असम	101.49	25.67	16.37
बिहार	209.09	269.69	179.87
गोवा	8.41	10.87	8.81
गुजरात	780.82	390.01	1111.01
हरियाणा	56.94	97.43	140.49
हिमाचल प्रदेश	4.06	9.01	7.85
कर्नाटक	797.04	656.20	456.94
केरल	291.35	131.68	108.27
जम्मू और कश्मीर	—	0.13	—
मध्य प्रदेश	277.64	6.22	287.62
महाराष्ट्र	399.46	81.09	126.43
मणिपुर	—	—	0.36
मिजोरम	—	—	—
नागालैंड	1.24	0.27	—
उड़ीसा	65.43	65.46	64.73
पांडिचेरी	14.34	12.02	10.63
पंजाब	358.37	216.02	892.67
राजस्थान	451.03	127.29	70.94
सिक्किम	0.16	0.22	1.42
तमिलनाडु	96.28	221.26	430.51
त्रिपुरा	0.25	0.08	0.80
उत्तर प्रदेश	703.85	142.12	347.13
पश्चिम बंगाल	19.30	25.19	296.00

अरूणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम

[अनुवाद]

3965. श्री लाईता उम्ब्रे : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरूणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे राज्य से कब तक हटा लिया जायेगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) क्षेत्र में कुछ अलगाववादी संगठनों द्वारा लगातार विद्रोही गतिविधियां जारी रखने के कारण नागालैण्ड राज्य और अरूणाचल प्रदेश के तिराप तथा चांगलांग जिलों से लगी हुई अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ पांच किलोमीटर के पूरे क्षेत्र को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अधीन "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित किया गया है। क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, अधिनियम को हटाने के लिए अनुकूल नहीं है।

राजस्थान में महा डाकपाल के कार्यालय को दूसरे स्थान पर ले जाना

[हिन्दी]

3966. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या संचार मन्त्री 3 जनवरी, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 103 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में महा डाकपाल के कार्यालय को अब तक जयपुर से अजमेर न ले जाने के क्या कारण हैं, और

(ख) इस कार्यालय को अजमेर कब तक ले जाने तथा वहां इसके कब तक कार्य शुरू कर कर देने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) पोस्टमास्टर जनरल, पूर्वी क्षेत्र, राजस्थान के कार्यालय को 1.2.91 से जयपुर से अजमेर ले जाने के आदेश 10.10.91 को जारी किए गए थे और इनके अनुपालन में पोस्टमास्टर जनरल, पूर्वी क्षेत्र, राजस्थान और निदेशक डाक सेवाएं, पूर्वी क्षेत्र ने 1.2.91 से अजमेर में काम करना शुरू कर दिया। किन्तु भारतीय डाक प्रशासनिक कार्यालय कर्मचारी संघ, जयपुर पोस्टमास्टर जनरल, पूर्वी क्षेत्र के कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का जयपुर से अजमेर स्थानांतरण करने के आदेश के खिलाफ केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जोधपुर न्यायपीठ में एक याचिका दायर की। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने जोधपुर न्यायपीठ ने अधिकारियों/कर्मचारियों का जयपुर से अजमेर स्थानांतरण करने के खिलाफ एक अंतरिम आदेश पारित कर दिया और जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने पहले ही अजमेर में कार्यभार ग्रहण कर लिया था, उन्हें फिर से जयपुर के कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति

भी दे दी। चूंकि यह मामला न्यायाधीन है, इसलिए पोस्टमास्टर जनरल पूर्वी, क्षेत्र के मुख्यालय को जयपुर से अजमेर ले जाना संभव नहीं है।

(ख) चूंकि मामला न्यायाधीन है, अतः यह बताना संभव नहीं है कि पोस्टमास्टर जनरल, पूर्वी क्षेत्र, राजस्थान के मुख्यालय को जयपुर से अजमेर ले जाने में कितना समय लगेगा।

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में रेडियो टेलीफोन सेवा

[अनुवाद]

3967. **श्री यशवंत राव पाटिल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के पहाड़ी इलाकों में रेडियो टेलीफोन सेवा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसमें किन-किन गांवों को शामिल किया गया है; और

(ग) टेलीफोन केन्द्र कब तक कार्य करना शुरू कर देगा ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां, सरकार का महाराष्ट्र के पहाड़ी जिले अहमदनगर में रेडियो माध्यम पर सार्वजनिक टेलीफोन की संस्थापना करने का प्रस्ताव है।

(ख) जिन ग्राम पंचायतों को उपर्युक्त सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा देने की योजना बनाई गई है उनके नाम सलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) अकोला और सांगमनेर तहसील मुख्यालयों में टेलीफोन एक्सचेंज पहले से ही कार्य कर रहा है। वर्ष 1991-95 के दौरान ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक टेलीफोन उत्तरोत्तर रूप से कार्य करना शुरू कर देंगे।

विवरण

सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जाने के लिए ग्राम पंचायतों के नाम
अहमद नगर जिला

(I) अकोला तहसील :

1.	सुगांव बीके	6.	कालस केडी
2.	परखतपुर	7.	कुम्नोफाल
3.	मनोहरपुर	8.	सुगांव बीके
4.	वसारे	9.	धमनगांव आपरी
5.	कालस बीके	10.	उंचखड़क बीके

11. औरंगपुर
12. महान्पुरी
13. महल देवी
14. निरम्बराल
15. निलवान्दे
16. शेरन्खाल
17. इन्दोरी
18. अम्बाद
19. विठे
20. जामगांव
21. छितल वेडे
22. पंजरी
23. म्हग्रास
24. शेलाड
25. पादालाइन
26. धमनगांव पार
27. छिन्छावने
28. पिम्पल गांव खण्ड
29. सावर गांव पार
30. तहकारी
31. कोम्मालेण्ड
32. खिरवरे
33. शेनिट
34. इकादारे
35. पड़ोसी
36. संगवी
37. केलिरम्मरनवादी
38. महालुंगी
39. मुथालेम
40. डूंगरगांव
41. हिबरगांव
42. पिम्पलगांव निपानी
43. विरगांव
44. ढोकारी
45. टकाली
46. उंचाखड़क केएच
47. गरदावी
48. भोलेवाड़ी
49. अम्भोल
50. पैथान
51. घोटी
52. शिलवान्डी
53. पालसुन्दे
54. अबीन्डि
55. केलियोतुर
56. नाचनथाव
57. ताले
58. लवकाशियोटी
59. करान्दी
60. जाचकवाडी
61. जम्भाले
62. बादगी
63. लहित केएच
64. खिलयाचीवाडी
65. लहित बीके
66. बाघापुर
67. बोरी
68. मन्याले
69. छास
70. पिम्पलवाड़ी
71. कलम्ब
72. कोहन्दी
73. केलुन्गान
74. मालेगांव
75. कनद बीके
76. रौदानी
77. बामुलवन्डी
78. वान्जुलशाट
79. टिटावी
80. शेलविहिरे
81. पिम्पलगांव
82. मानबोही
83. गोदोसवी

84.	पारी	93.	मुतखल
85.	तन्जारे	94.	शिरकमजी बीके
86.	घाटघर	95.	सावरकुटे
87.	खेन्दी	96.	अम्बिट
88.	घिरे	97.	काछेलिया
89.	मुरशेट	98.	उदावले
90.	छिन्छोन्डी	99.	तेकगन
91.	वाकी	100.	दोगांव
92.	मल्हेरे		

(II) सांगमनेर तहसील :

1.	शोरसगांव	27.	लोहोरी
2.	पेमागिरी	28.	मोरपुर
3.	सावारोहल	29.	सोनिशी
4.	नीमगांव केडी	30.	टिगांव
5.	नीमगांव बीके	31.	वदजारी
6.	नन्दुरिम्बुमाले	32.	प्रतापपुर
7.	वाडगांव	33.	दिन्छापुर
8.	कोथ धन्दरफाल	34.	सादतपुर
9.	निनज	35.	करंगापुर
10.	वादबांव लन्दाग	36.	उम्बारी वालापुर
11.	पिम्पलगांव	37.	कोन्छी
12.	चिखाली	38.	कोकनगांव
13.	वोल्हाले	39.	मनोली
14.	नीमगांव भोजपुर	40.	बाजार केडी
15.	छिकानी	41.	रहीमपुर
16.	सावखिन्दी	42.	मालेगांव हवेली
17.	कारहे	43.	कोल्हेवाडी
18.	पिम्पल	44.	रमनपुर
19.	पारेगांव केडी	49.	जोले
20.	पारेगांव बीके	50.	हिवरगांव
21.	पलास खेड़ा	51.	नीमगांव ताम्बी
22.	साने वाडी	52.	कोलवाडे
23.	वादजारी	53.	रनखम्ब वाडी
24.	कसाहे	54.	हिवर गांव
25.	नेमधवन	55.	शिरापुर
26.	छोरकान्धे	56.	जॉम्बुत बीके

57.	मण्डावे बीके	84.	कोथाखेड
58.	वरवान्डी	85.	कौथा बीके
59.	कवाथ मल्हापुर	86.	वानकुन्टे
60.	शिन्दोदी	87.	वारूदी
61.	खाम्भे	88.	शिबलापुर
62.	खरशिने	89.	पनीदी
63	घानगांव	90.	दिगरस
64.	खाली	91.	मालुंडो
65.	कारेकाथी	92.	अम्बोरे
66.	पिम्परी लोके	93.	हंगेवाडी
67.	नाम्पुर खन्दरमाल	94.	खेदगांव
68.	अकलापुर	95.	कांकनपुर
69.	कुरकुट वाडी	96.	ओजर बीके
70.	अम्बी, दुमाला	97.	पिम्पारा
71.	महसवाडी	98.	जखारी
72.	कुकुन्दी	99.	कनोली
73.	मोजदारी	100.	वाघापुर
74.	अम्बी खालसा	101.	निम्हाले
75.	मालेगांव	102.	देगांव
76.	सबरगांव घले	103.	घुलेवाडी
77.	सावरगांव टीएडी	104.	सुकेवाडी
78.	जवाले बालेश्वर	105.	मलदार
79.	पोखरी बालेश्वर	106.	खण्डगांव
80.	पिम्पलगांव माथा	107.	गुंजलवाडी
81.	दौलेसाहे	108.	कसारे दुमाला
82.	करजुले	109.	शवारे
83.	महलवाडी	110.	रावतेवाडी

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन केन्द्र

3968. **श्री यशवंत राव पाटिल : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थिति परनेर, कोपरगांव, शिरामपुर, जामखेड़ नेवासा और संगमनेर में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1991-95 के दौरान संस्थापित किए जाने वाले इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

एक्सचेंज का नाम	क्षमता
परनेर	200 लाइनें
कोपरगांव	1500 "
शिरामपुर	3000 "
जामखेड़	384 "
नेवासा	384 "
संगमनेर	1500 "

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में नये टेलीफोन एक्सचेंज

3969. **श्री यशवंत राव पाटिल** : **क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने हेतु कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं और इस प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जायेंगे;

(ख) अहमदनगर जिले में कितने नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार है; और

(ग) अहमदनगर के उन कस्बों के नाम क्या हैं जिन्हें एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ा जा रहा है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) 30.6.91 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में 6645 आवेदकों के नाम दर्ज थे। मार्च, 1995 तक प्रतीक्षासूची को उत्तरोत्तर रूप से निपटाने के लिए विस्तार योजनाएं बनाई गई हैं।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान 18 नए टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित किए जाने की योजना है।

(ग) शिरडी में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराए जाने की योजना है। अहमदनगर, अहमदनगर एम आई डी सी, प्रवरानगर, श्रीरामपुर और तकलीमान में राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। कोपरगांव से बम्बई तक प्वाइंट से प्वाइंट एस टी डी सुविधा पहले ही उपलब्ध करा दी गई है।

महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में नये डाकघर खोलना

3970. **श्री यशवंत राव पाटिल :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में नये डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) इस वर्ष अहमदनगर जिले में 6 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य रखा गया है बशर्ते कि वे विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हों।

(ख) और (ग) चूंकि प्रस्ताव अभी तैयार किए जा रहे हैं, अतः इस स्थिति में उनका ब्यौरा दे पाना संभव नहीं है।

दूरभाष उपकरणों का निर्माण करने वाली कम्पनियां

[हिन्दी]

3971. **श्री मोहन विष्णु रावले :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली टेलीफोन उपकरणों का निर्माण करने वाली कितनी कम्पनियां है; और

(ख) प्रत्येक कारखाने की निर्माण क्षमता कितनी है और इनमें वास्तव में कितना उत्पादन होता है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) मैसर्स इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बंगलौर एक मात्र केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम है जो टेलीफोन उपकरण बनाती है।

(ख) मैसर्स आई टी आई की बेंगलूर, नैनी और श्रीनगर में तीन यूनिटों की विनिर्माण क्षमता और उत्पादन नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :—

यूनिट	विनिर्माण क्षमता	किया गया उत्पादन	वर्ष
बेंगलूर	4.0 लाख	3,72,386	1990-91
नैनी	4.5 लाख	3,62,500	1990-91
श्रीनगर	2.0 लाख	42,725	1990-91

केन सिंचाई परियोजना

[अनुवाद]

3972. **कुमारी उमा भारती** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में केन सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में संशोधित परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हो गई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और परियोजना को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी, नहीं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार से केन सिंचाई परियोजना पर संशोधित रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु प्राप्त नहीं हुई है। संशोधित प्रस्ताव तैयार करने के बाद ही, लाभ तथा लागत के ब्योरों का अन्दाजा लगाया जा सकता है।

कृषि आदानों के क्रय और वितरण के लिए अल्पावधि ऋण

3973. **कुमारी उमा भारती** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 के दौरान कृषि आदानों के क्रय तथा उन्हें किसानों को वितरित करने हेतु प्रत्येक राज्य को कितना-कितना अल्पावधि ऋण दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : राज्य सरकारों को कृषि आदानों जैसे उर्वरकों, बीजों तथा कीटनाशी दवाओं को खरीद और वितरण के लिए खरीफ तथा रबी मौसमों हेतु अलग-अलग अल्पावधि ऋण दिये जाते हैं। खरीफ, 90 तथा रबी, 90-91 मौसम के लिए, राज्यों को स्वीकृत अल्पावधि ऋण की राशि को प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1990-91 के दौरान राज्यों को दिया गया अल्पावधिक ऋण

(करोड़ रु० में)

क्र०सं० राज्य का नाम	दिया गया अल्पावधिक ऋण		
	खरीफ, 90 मौसम	रबी 90-91 मौसम	कुल 1990-91
1. आंध्र प्रदेश	21.85	11.65	33.50
2. कर्नाटक	11.50	3.85	15.35
3. केरल	2.00	1.25	3.25
4. तमिलनाडु	9.10	8.85	17.95
5. गुजरात	शून्य	12.95	12.95

1	2	3	4
6. मध्य प्रदेश	11.25	5.90	17.15
7. महाराष्ट्र	19.30	6.40	25.70
8. राजस्थान	8.60	9.20	17.80
9. हरियाणा	5.45	5.20	10.65
10. पंजाब	8.10	6.75	14.85
11. उत्तर प्रदेश	17.65	17.95	35.60
12. हिमाचल प्रदेश	1.45	1.30	2.75
13. जम्मू तथा कश्मीर	शून्य	1.70	1.70
14. असम	3.40	1.90	5.30
15. बिहार	16.40	13.90	30.30
16. उड़ीसा	8.90	3.05	11.95
17. पश्चिमी बंगाल	17.80	20.35	38.15
18. त्रिपुरा	शून्य	0.60	0.60
19. मणिपुर	0.50	0.31	0.81
20. मेघालय	0.15	0.11	0.26
अखिल भारत	163.40	133.17	296.57

तिलहनों और दालों का आयात

[हिन्दी]

3974. **श्री राजवीर सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तिलहनों और दालों का कितनी मात्रा में आयात किया गया और उनका कुल मूल्य कितना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : दालें

पिछले तीन वर्षों के दौरान दालों का आयात इस प्रकार रहा :—

(मात्रा : 000 मीटरी टनों में)
(मूल्य : करोड़ रुपयों में)

	1988-89	1989-90	1990-91
		(अनन्तिम)	(अनन्तिम)
मात्रा	827	429	792
मूल्य	383.50	227.86	473.24

तिलहन :

भारत सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार खाद्य तेल तथा वनस्पति तेल प्राप्त करने के लिए तिलहनों का आयात राज्य व्यापार निगम और हिन्दुस्तान तेल निगम के जरिए किया जा सकता है। पिछले तीन वर्षों में इन संगठनों ने तिलहनों का कोई आयात नहीं किया। लेकिन, अन्य तिलहनों की थोड़ी मात्रा का आयात किया गया, जिनका मूल्य इस प्रकार है :—

वर्ष	1988-89	1989-90	1990-91
मूल्य (करोड़ रुपयों में)	7.61	3.49	6.42

इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों के उपकरणों का उत्पादन

3975. **कुमारी विमला वर्मा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस दशक के अन्त तक प्रत्येक गांव में टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) इसके लिए कितने इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की आवश्यकता होगी;

(ग) इस अवधि के दौरान इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्री के एककों द्वारा कितने इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों के उपकरणों का उत्पादन करने की सम्भावना है; और

(घ) क्या इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज द्वारा नये एकक खोलकर शेष इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (घ) जी हां, लगभग 5.76 लाख गांवों में, प्रत्येक में, कम से कम एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की योजना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे निकटतम विद्यमान और नए टेलीफोन एक्सचेंज से कनेक्शन दिए जाएंगे। छोटे आकार के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की मांग को पूरा करने के लिए आई टी आई और अन्य विनिर्माताओं के पास पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। देश में बड़े एक्सचेंजों के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं जिनमें आई. टी. आई. की मौजूदा सुविधाओं को उन्नत करने की योजना भी शामिल है लेकिन फिलहाल आई. टी. आई. की नई यूनिट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों के उपकरणों का उत्पादन

3976. **कुमारी विमला वर्मा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्री ने इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज के उपकरणों के निर्माण के लिए कुल कितने एकक स्थापित किये हैं;

(ख) इन पर कितनी लागत आयी और उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इनका कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ग) इन एककों के उत्पादन को उनके लक्ष्य के स्तर तक लाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) प्रत्येक एकक को हुई हानि और लाभ का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) आई० टी० आई० ने इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर बनाने के लिए बंगलूर (इलेक्ट्रोनिक नगर सहित), पालघाट, मनकापुर और रायबरेली में चार यूनिटें स्थापित की हैं ।

(ख) चारों स्थानों में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज उपस्कर के उत्पादन के लिए प्रस्तावित निवेश, 31.3.1991 तक वास्तविक व्यय, वर्ष 1990-91 के लिए लक्ष्य और उत्पादन निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं :—

यूनिट का नाम	परियोजना निवेश लागत (करोड़ रुपयों में)	31.3.1991 तक किया गया वास्तविक व्यय (करोड़ रु० में)	1990-91 में उत्पादन की लाइनें लक्ष्य	उपलब्धि
बेंगलूर (इलेक्ट्रानिक नगर सहित)	46.38	18.79	275	218.5
मनकापुर	219.36	193.11	500	448.3
रायबरेली	19.35	4.49	16	6.1
पालघाट	67.57	55.62	107.6 +डिजीटल टीए एक्स के 45 किलो सर्किट	32.7 +डिजीटल टीएएक्स का 42.7 किलो सर्किट

(ग) उत्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं—

— गुणावता, वितरण और लागत पर आधारित नई प्रोत्साहन योजना शुरू करना ।

— सभी स्तरों पर उत्पादकता बढ़ाना ।

— प्रौद्योगिकी का उन्नयन ।

— घटकों और प्रक्रिया में मानकीकारण अपनाना ।

— बेहतर सामग्री योजना ।

—

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्येक यूनिट का हानि और लाभ का विवरण नीचे दिया गया है : -

(करोड़ रुपयों में)

यूनिट का नाम	वर्ष 1990-91 का लाभ (अनंतिम)	हानि
बेंगलूर (इलैक्ट्रोनिक नगर सहित)	7.75	—
पालघाट	0.06	—
मनकापुर	46.80	—
रायबरेली	0.05	—

ई०सी० ग्रेड एल्यूमिनियम के मूल्य में वृद्धि

[अनुवाद]

3977. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी**
श्री दत्तात्रेय बंडारू
श्री भगवान शंकर रावत } : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को ई० सी० ग्रेड एल्यूमिनियम के मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) केबुल एंड कन्डक्टर्स मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन आफ इण्डिया से एक अभ्यावेदन मिला है, जिसमें अन्य के साथ, यह उल्लेख है कि सभी अलौह धातुओं के देशी मूल्य कम से कम 9 महीने के लिए पिछले मूल्य स्तर पर ही रखे जाएं तथा एल्यूमिनियम का आयात सीमा शुल्क में कटौती करके, उदार कर दिया जाए।

(ग) एल्यूमिनियम (ई० सी० ग्रेड सहित) के मूल्यों पर सरकारी नियन्त्रण नहीं है। नयी व्यापार नीति की घोषणा होने से, अब एल्यूमिनियम का आयात एक्जिम स्क्रिप्स (निर्यात-आयात पावतीपत्र) के माध्यम से किया जा सकता है। एल्यूमिनियम के आयात पर सीमा शुल्क, देशी उपलब्धता सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रख कर, निर्धारित किया गया है।

देश में खनिज के भंडार

3978. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी**
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री मान्ये गोवर्धन } : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में, राज्यवार विभिन्न खनिज पदार्थों के भंडारों की अनुमानित मात्रा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार तथा राज्यवार निकाले गये प्रत्येक खनिज पदार्थ की मात्रा क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में इनके वाणिज्यिक उत्खनन के लिये राज्यवार कोई योजना है;

(घ) विगत तीन वर्षों में वर्षवार तथा राज्यवार निर्यात किये गये प्रत्येक खनिज पदार्थ की मात्रा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1991-92 के दौरान इन खनिज पदार्थों के निर्यात के लिये राज्यवार निर्धारित लक्ष्य क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता

3979. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलहनों का वर्तमान राज्यवार उत्पादन कितना है; और

(ख) सरकार द्वारा तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान तिलहनों के राज्यवार उत्पादन का विवरण निम्न प्रकार था।

(000 मीटरी टन में उत्पादन)

राज्य	1989-90	1990-91 (अस्थायी)
आन्ध्र प्रदेश	2248.5	3074.0
असम	146.2	209.0
बिहार	140.1	184.0
गुजरात	2486.9	2076.0
हरियाणा	428.8	691.0
हिमाचल प्रदेश	5.2	6.0
जम्मू और कश्मीर	28.5	38.0
कर्नाटक	1415.4	1278.0
केरल	18.4	13.0
मध्य प्रदेश	2242.0	2982.0

1	2	3
महाराष्ट्र	1835.1	1805.0
उड़ीसा	830.1	899.0
पंजाब	107.2	211.0
राजस्थान	1845.2	2503.0
तमिलनाडु	1305.7	1279.0
उत्तर प्रदेश	1181.3	1332.0
पश्चिमी बंगाल	418.3	438.0
अन्य	66.6	81.0
अखिल भारत :	16749.5	19099.0

(ख) किसी एक निश्चित समय सीमा में खाद्य तेलों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए, तिलहनों तथा दालों के प्रौद्योगिकी मिशन के जरिए, एक मिशन पद्धति अपनायी गयी है। इस समस्या का सभी दृष्टियों से समाधान करने के लिए अर्थात् उत्पादन तथा परिसंस्करण तकनोलाजी का विकास किसानों के लिए आदान सहायता सेवा तथा विपणन सहायता, हेतु विभिन्न कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। किसानों की आदान सहायता सेवा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वियन के जरिए प्रदान की जाती है जिसमें बीजों के उत्पादन तथा वितरण, राइजो वियल कल्चर, पौध रक्षण रसायनों तथा उपकरणों, उन्नत कृषि उपस्करों एवं जिप्सम तथा पाइराइट्स वितरण पर आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था है।

भाषाई अल्पसंख्यक

3980. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाषाई अल्पसंख्यकों की राज्य-वार संख्या कितनी है :

(ख) भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषाओं के सम्वर्धन और विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) भारत के संविधान की धारा 350-क के अन्तर्गत किन-किन राज्यों को इस सम्बन्ध में निदेश जारी किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) भाषाई अल्पसंख्यकों की राज्यवार सूची भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त की 27वीं रिपोर्ट में दी गई है, जिसे 29 जुलाई, 1991 को लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

(ख) सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 350-ख के तहत भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त की नियुक्ति की है। आयुक्त, सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषाओं को बढ़ावा देने और विकास करने के लिए

विभिन्न उपायों की सिफारिश की जाती है। राज्य सरकारों (तथा जहां केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग सम्बन्धित हो) द्वारा आयुक्त की सिफारिशों पर आवश्यक कारंवाई की जाती है।

(ग) कल्याण मन्त्रलय ने संविधान के अनुच्छेद 350-क के अन्तर्गत किसी राज्य को कोई निदेश जारी नहीं किए हैं।

विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत बाजरे को शामिल करना

[हिन्दी]

3981. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजरे को विशेष उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) मक्का और कदन्नों के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम 1990-91 से 13 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए जिलों का चयन किया गया है अर्थात् मक्का के लिए (59 जिले,) ज्वार के लिए (68 जिले), बाजरा (49 जिले) तथा रागी (31 जिले) ताकि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ सके। 1991-92 में 20 करोड़ रुपये के एक परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

चारा बैंक

3982. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का देश में चारा बैंक स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये चारा बैंक प्रत्येक राज्य की राजधानी और जिला मुख्यालय में स्थापित किये जायेंगे ?

कृषि मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता।

राजस्थान वित्त निगम के जयपुर कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराना

3883 **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर राजस्थान वित्त निगम के जयपुर कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कारंवाई की जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) राजस्थान सरकार ने सूचना दी है कि प्रत्येक गणतन्त्र दिवस पर उद्योग भवन, जयपुर में, जहां राजस्थान वित्त निगम का प्रधान कार्यालय स्थित है; समारोह के साथ, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है । राजस्थान वित्त निगम के जयपुर स्थित कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इसके प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों सहित, उद्योग भवन में होने वाले मुख्य रस्मी समारोह में उपस्थित होना अपेक्षित है ।

विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत उथले नलकूपों/ गहरे कुंओं का निर्माण

3984. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत उथले नलकूपों/गहरे कुंओं के निर्माण के लिए राज्यों को सहायता देने का मानदंड क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक राज्यों को कितनी सहायता दी गई है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी जिलों में इस कार्यक्रम के विस्तार के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के तहत उथले नलकूप/खोदे हुए कुंओं के निर्माण के लिए राज्यों को सहायता देने के लिए अपनाये जाने वाले मानदण्ड निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित हैं—

1. अधिक भूमिगत जल के जल स्तरों का होना ।
2. ऐसे राज्य जिनमें दोहन के पर्याप्त भूमिगत जल की क्षमता सहित गेहूं और चावल के फसल-चक्र वाले जिले महत्वपूर्ण तौर पर हैं;
3. केन्द्रीय सहायक अनुदान के समान योगदान करने के लिए निश्चित बजट प्रावधान करने वाले राज्य और
4. निकास प्रणाली तथा लवणता की समस्याओं को रोकने के लिए भूमि और सतही जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहन देना ।

(ख) इस सम्बन्ध में जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) जी, हां । राजस्थान सरकार ने राज्य में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया है और राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि वर्ष 1991-92 के लिए केन्द्रीय आबन्टन सम्बन्धित राज्यों को पहले ही किए जा

चुके हैं क्योंकि यह योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना से जारी योजना है। अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रम के तहत राजस्थान को शामिल करना संभव नहीं है। आगे यह भी बताया गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम के लिए व्यय वित्त समिति के ज्ञापन में संशोधन करते समय 1992-93 से भारत सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है।

विवरण

1988-89 से 1991-92 के दौरान विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के लिए उथले नलकूप/खोदे हुए कुंओं के निर्माण के वास्ते छोटे और सीमान्त किसानों की सहायता के लिए के केन्द्रीय प्रायोजित योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यवार और वर्षवार निर्मुक्त की गई केन्द्रीय धनराशि।

क्रम सं राज्य	के दौरान कार्यक्रम के तहत निर्मुक्त की गई धनराशि			
	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (पहली किस्त)
1. आन्ध्र प्रदेश	620.88	321.40	600.00	118.75
2. असम	122.22	86.50	175.00	31.25
3. बिहार	1598 64	1248.38	2158.89	612.50
4. गुजरात	32.40	48 85	188.65 ×	12.50
5. हरियाणा	100.50	शून्य	शून्य	शून्य
6. कर्नाटक	450.00	शून्य	शून्य	शून्य
7. मध्य प्रदेश	450.00	720.01	925.00	168.75
8. महाराष्ट्र	391.10	75.00	50.00	शून्य
9. उड़ीसा	723.54	75.00	229.70	93.75
10. तमिलनाडु	100.50*	40.50	336.29 ××	50.00
11. उत्तर प्रदेश	3182.62	3856.11	4573.68	1250.00
12. पश्चिम बंगाल	919.10	156.75	546.36	125.00
कुल	8691 50	6628.50	9787.49	2462.50

× 1989-90 के लिए 13.65 लाख रुपये शामिल हैं।

×× 1989-90 के लिए 36.29 लाख रुपये शामिल हैं।

* चूंकि राज्य सरकार ने 1988-89 के दौरान इस कार्यक्रम का मूल्यांकन नहीं किया था इसलिए तमिलनाडु सरकार द्वारा इस धनराशि को लौटा दिया गया।

हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र को धनराशि निर्मुक्त नहीं की गई है, क्योंकि पिछले वर्ष निर्मुक्त धनराशि में से पर्याप्त शेष केन्द्रीय धनराशि जो खर्च नहीं की गई है, उनके पास बची हुई है।

त्रिपुरा में बगावत पर काबू पाने के लिये आर्थिक उपाय

3985. **श्रीमती बिभू कुमारी देवी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

[**अनुवाद**]

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने बगावत पर काबू पाने की दृष्टि से बागी युवकों को प्रशिक्षण और रोजगार देने की व्यवस्था करने के लिए एक मुश्त आर्थिक उपायों का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा नेशनल वालंटियर (टी० एन० वी०) के प्रतिनिधियों के बीच 12 अगस्त, 1988 को एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अन्य बातों के साथ-साथ, समझौते में, त्रिपुरा के आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। राज्य सरकार और टी० एन० वी० द्वारा समय-समय पर कार्यान्वयन की प्रगति की संयुक्त रूप से समीक्षा की जाती हैं।

बंगलादेशियों का बड़ी संख्या में हमारे देश में आगमन

3986. **श्रीमती बिभू कुमारी देवी**
श्री एस० बी० सिदनाल
श्री ललित उरांव
: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलादेश से हमारे देश में बड़ी संख्या में आगमन/घुसपैठ हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार यहां आये और वे किन राज्यों में बसे;

(ग) उनमें से कितने लोगों के पास वैद्य प्रमाण पत्र हैं;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में बंगलादेश सरकार से बात की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबन्धी निष्कर्ष क्या रहा और ऐसे आगमन/घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) भारत में बंगला देशी राष्ट्रिकों के आगमन/घुसपैठ करने की रिपोर्टें मिली हैं।

(ख) और (ग) चूंकि अधिकांश बंगलादेशी राष्ट्रिक चोरी-छिपे प्रवेश करते हैं और भूमिगत हो जाते हैं अथवा जिनके पास वैध दस्तावेज होते हैं वे भी अपने को पंजीकृत नहीं कराते हैं, अत: यह निश्चित करना संभव नहीं है कि भारत में ऐसे कितने व्यक्ति रह रहे हैं।

(घ) और (ङ) अनेक अवसरों पर बंगला देश सरकार के साथ यह मामला उठाया गया है परन्तु यह अधिक प्रभावी नहीं हो पाया है। समस्या को सुलझाने के लिए सीमा सुरक्षा बल तथा

अन्य एजेन्सियों द्वारा गश्त गहन करने सहित अनेक उपाय किए गए हैं। जब कभी भी घुसपैठिये पकड़े जाते हैं तो उन्हें बंगलादेश वापस भेज दिया जाता है। जब कभी भी घुसपैठिये पकड़े जाते हैं तो उन्हें बंगलादेश वापस भेज दिया जाता है : बेहतर संचार व्यवस्था के लिए सीमा पर सड़कें बनाई जा रही हैं। घुसपैठियों का पता लगाने के लिए चलते-फिरते टास्कफार्स का गठन किया गया है इसके अलावा, राज्य सरकारों को स्थायी अनुदेश दिए गए हैं कि बगलादेशी घुसपैठियों का पता लगते ही, उन्हें वापस भेजा/धकेला जाए। राज्य सरकारों को यह अधिकार भी हैं कि वे विदेशी अधिनियम, 1946 के अधीन घुसपैठियों के खिलाफ मुकदमा चलाएं।

काकाडवू सिंचाई परियोजना

3987. **श्री एम० रमन्ना राय** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में काकाडवू सिंचाई परियोजना पर पहले कितनी लागत आने का अनुमान था और इस पर आज तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है, और

(ख) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस परियोजना के पूरा हो जाने पर सिंचाई क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राज्य सरकार के अनुरोध पर, केरल की काकाडवू सिंचाई परियोजना वर्ष 1983 में जलमग्न क्षेत्र में लोगों की आपत्ति के कारण विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनः विस्तृत अध्ययनों हेतु शुरू की गई। इसलिए परियोजना सितम्बर, 1985 में संशोधन हेतु राज्य सरकार को लौटा दी गई। संशोधित परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है।

केन्द्रीय जल आयोग में 1974 में मूलतः प्राप्त काकाडवू सिंचाई परियोजना की अनुमानित लागत 13.36 करोड़ रुपए थी। राज्य के वार्षिक योजना प्रलेख 1991-92 के अनुसार, राज्य सरकार ने मार्च, 1991 तक 1.84 करोड़ रुपए का व्यय किया है। मूल रिपोर्ट के अनुसार परियोजना में 41,760 हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई की परिकल्पना है।

कर्नाटक में ग्राम पंचायतों को टेलीफोन

3988. **श्रीमती बासवराजेश्वरी** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश की सभी ग्राम पंचायतों में टेलीफोन लगाने की कोई योजना बनाई है,

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में कितने गांवों/पंचायतों को टेलीफोन उपलब्ध कराये जायेंगे,

(ग) उस पर कुल कितना व्यय होगा, और

(घ) 1991-92 के दौरान कर्नाटक में कितने गांवों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) कुल 8305 ग्राम पंचायतों में से 3373 ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा पहले ही उपलब्ध है। शेष ग्राम पंचायतों में 1991-95 के दौरान टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

(ग) रु० 50 करोड़ (लगभग)

(घ) 1991-92 के दौरान 270 ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

कर्नाटक में बागवानी-परियोजनाएं

3989. **श्रीमती बासवराजेश्वरी**
श्री एस० बी० सिदनाल } : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में बागवानी के विकास के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने प्रस्ताव मंजूर किये जा चुके हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) कर्नाटक सरकार ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं :—

(1) **विदेशी सहायता**

I. विश्व बैंक की सहायता से कर्नाटक में बागवानी फसलों का उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाने एवं विपणन तथा परिसंस्करण सुविधाएं विकसित करने के लिए बागवानी का समेकित विकास।

विश्व बैंक ने उष्णकटिबंधीय बागवानी परियोजना के समेकित विकास के अधीन इस प्रस्ताव को शामिल करने की सलाह दी है।

II. यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से कर्नाटक में नारियल का उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाने के लिए नारियल के पौध रोपण का विकास। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अनुरूप प्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत करें।

(2) 1991-92 के दौरान फलों और पुष्पोत्पादन के विकास के लिये दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं और परिसंस्करण इकाइयों की सहायता के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना जुलाई 1991 में राज्य सरकार से प्राप्त हुई थीं। 1991-92 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र प्लान स्कीम को पहले ही अन्तिम रूप दे दिया गया है और अब सुझाई गई स्कीमों को चालू वर्ष के दौरान शामिल नहीं किया जा सकता।

कर्नाटक जल विभाजकों सम्बन्धी परियोजनाओं का विकास

3990. **श्रीमती बासवराजेश्वरी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ चुनी हुई कृषि विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने संबंधी सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए वर्ष 1989 में क्रेडिटेन्स्टाल फर वीडुराफन मिशन ने भारत की यात्रा की;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने कुछ जल-विभाजक परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए भेजी थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मिशन तथा केन्द्रीय सरकार ने इन प्रस्तावों का अनुमोदन किया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) कर्नाटक सरकार ने कोलार, मैसूर, माण्डया और हसन जिलों में स्थित 10 जल-विभाजकों के लिए जुलाई, 1991 में एक समेकित जल-विभाजक प्रबन्ध परियोजना तैयार की है जिसमें 654.2 मिलियन रुपए की लागत पर 114956 हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया जाएगा। इस परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए इसे क्रेडिटान्सटाल्ट पर वीडूराफन को प्रस्तुत किया जाएगा।

तेल ताड़ संबंधी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

3991. **श्रीमती बासवराजेश्वरी : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर्नाटक के शिमोगा जिले में तेल ताड़ सम्बन्धी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) महोदय, तेल-ताड़ पर एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव है लेकिन इसके स्थान और स्थापना के बारे में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है।

भारत-बंगलादेश सीमा पर तस्करी

[हिन्दी]

3992. **श्री साईमन मरान्डी**
श्री मनोरन्जन सुर } : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बंगलादेश सीमा पर बड़े पैमाने पर तस्करी, चोरी और डकैती की घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जब्त की गई वस्तुओं और गिरफ्तार किए गए लोगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान पशुओं की चोरी की कितनी घटनाओं की सूचना मिली; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) सरकार को जानकारी है कि भारत-बंगला देश सीमा पर चोरी और तस्करी की कुछ घटनाएं हो रही हैं ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) गश्त/नाका को गहन कर दिया गया है । अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बेहतर निगरानी के लिए निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है और चौकसी बढ़ा दी गई है । सीमा पर बेहतर चौकसी सुनिश्चित करने के लिए दूरबीन, दिवन टेलिस्कोप, पी०एन०वी० दूरबीन और हाथ से पकड़ी जाने वाली सर्चलाइट उपलब्ध कराई गई हैं । चौकसी बढ़ाने, प्रभावी रूप से निगरानी रखने और तुरन्त प्रतिक्रिया करने के लिए सीमा गश्ती दल द्वारा जीप/मोटर साइकिल पर सवार होकर चलती-फिरती गश्त लगाने की कार्रवाई लागू की गई है ।

विवरण

1989, 1990 और 1991 (जून 30 तक) भारत-बंगला देश सीमा पर जब्त किए गए मालों के ब्यौरे

क्रम सं०	मद का नाम	1989		1990		1991 (जून 30 तक)	
		मात्रा	कीमत रु०	मात्रा	कीमत रु०	मात्रा	कीमत रु०
1.	सोना + आभूषण	233 ग्रा०	412523	2086 कि०ग्रा०	679902	1408 कि०ग्रा०	508948
2.	भारतीय मुद्रा		749624		1338766		802770
3.	बंगला देश मुद्रा		3627578		4041007		1712593
4.	हैरोइन	1410 कि०ग्रा०	221050	1793 कि०ग्रा०	889532	2968 कि०ग्रा०	1894150
5.	अन्य मादक पदार्थ		46455		787237		261050
6.	जानवरों के सिर	12875 सिर	12694319	15262 सिर	23704267	7695 सिर	16804235
7.	कपड़ा		33318364		44442871		22733989
8.	वन उत्पादन		3389942		5875923		3129798
9.	दूध/दूध उत्पाद		308583		132688		15380
10.	मछली/मुर्गी/मांस		2073376		3172910		894874
11.	मसाला		877034		2160033		742266

क्रम सं०	मद का नाम	1989 मात्रा	1989 कीमत रु०	1990 मात्रा	1990 कीमत रु०	1991 (जून 30 तक) मात्रा	1991 (जून 30 तक) कीमत रु०
12.	नमक	215500 कि०ग्रा०	328377	56380 कि०ग्रा०	735439	310488 कि०ग्रा०	455747
13.	चीनी	725063 कि०ग्रा०	4287505	936400 कि०ग्रा०	7148185	332613 कि०ग्रा०	2660500
14.	चावल	225373 कि०ग्रा०	884219	316687 कि०ग्रा०	7211453	205784 कि०ग्रा०	1003874
15.	आटा/गेहूं	8068 कि०ग्रा०	24408	78398 कि०ग्रा०	149436	12842 कि०ग्रा०	55940
16.	धान	73636 कि०ग्रा०	168521	168177 कि०ग्रा०	250023	41213 कि०ग्रा०	124544
17.	दाल	76673 कि०ग्रा०	352201	25790 कि०ग्रा०	247103	50292 कि०ग्रा०	393747
18.	धातु (तांबा/जस्ता)		747008		1928289		528136
19.	बीड़ी/इसके उत्पाद		406249		715223		538888
20.	पान का पत्ता/सुपारी		243918		1294596		438561
21.	बिजली का सामान		21808455		15800818		4035073
22.	नाव (देशी/मीटर)	380 संख्या	2414187	907 संख्या	5444536	211 संख्या	1253600

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	अन्य विभिन्न मद		26860433		29535327		26697647
	कुल योग		116244332		151686064		87686210

II :—तस्कर/घुसपैठिए/सीमा पार के अपराधियों के पकड़ने/अन्तावरोधन के ब्यौरे।

	1989	1990	1991 (जून तक)
पकड़ने/अन्तावरोधन	35582	50165	35307

III :—जानवर चोरी के दर्ज किए गए मामलों की संख्या।

	1989	1990	1991 (31.7.91 तक)
घटनाओं की संख्या	149	153	133

बिहार में आम के पेड़ लगाना

399३. **श्री साईमन मराण्डी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आमों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बिहार में सन्थाल परगना और छोटा नागपुर के वन क्षेत्रों में आम की नई किस्मों के वृक्ष लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) बिहार में आमों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सन्थाल परगना और छोटा नागपुर के वन क्षेत्रों में आमों की नई किस्मों के पौधे लगाने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दुबई के साथ प्रत्यर्पण संधि

399४. **श्री साईमन मराण्डी** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपराधियों के प्रत्यर्पण के सम्बन्ध में सरकार दुबई के साथ एक प्रत्यर्पण संधि पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अपर ताप्ती और बारगी बांध परियोजना

3995. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर ताप्ती और बारगी बांध परियोजना का निर्माण शुरू हो गया है,

(ख) यदि हां, तो कब से और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है, और

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने पर कितनी सिंचाई क्षमता प्राप्त होने की संभावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां। महाराष्ट्र की अपर ताप्ती परियोजना चरण-I तथा मध्य प्रदेश की बारगी बहुप्रयोजनी परियोजना पर निर्माण कार्य चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। अपर ताप्ती परियोजना चरण-I के 1995 में पूरा

होने का कार्यक्रम है, तथा वारगी बहुप्रयोजनी परियोजना को 1995 के आगे ले जाए जाने का कार्यक्रम है।

(ग) अपर ताप्ती परियोजना चरण-I तथा वारगी बहुप्रयोजनी परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता क्रमश: 55,140 हेक्टेयर तथा 2,19,800 हेक्टेयर है।

अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन द्वारा भारत के दौरे के लिए अनुरोध

[अनुवाद]

3996. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन से, भारत के कुछ भागों का दौरा करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) एमनेस्टी इन्टरनेशनल ने पंजाब, जम्मू व कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु की यात्रा करने के लिए अनुमति मांगी है।

(ग) सरकार इन अनुरोधों पर विचार कर रही है।

कावेरी में जल-प्रवाह को मापने हेतु नया उपकरण

3997. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कावेरी में बह रहे जल की सही मात्रा के प्रमाण हेतु नया उपकरण लगाने के लिए आदेश दिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्यमान उपकरण के अनुसार तमिलनाडु में प्रवाहित हो रहे जल की मात्रा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने कावेरी बेसिन में प्रयोग हेतु नए मापन उपकरण का आदेश नहीं दिया है केन्द्रीय जल आयोग में कावेरी बेसिन में 16 मापन और निकास केन्द्रों का नेटवर्क है। इनमें से 6 केन्द्र कावेरी नदी की मुख्य धारा पर स्थित हैं। निकास प्रेक्षण चालू मीटरों की सहायता से किया जाता है और इसके लिए कोई नया उपकरण आवश्यक नहीं है।

(ग) पहली जून, 1991 से शुरू जल वर्ष के दौरान, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच सीमा के निकट कावेरी पर बिल्ली गुंडुलु केन्द्र पर मापे गए जल की मात्रा 16 अगस्त, 1991 तक 3832 मिलियन क्यूबिक मीटर होने का हिसाब लगाया गया है।

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सम्बन्ध

3998. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के साथ निकट औपचारिक सम्बन्ध रखने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई पहल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) भारत और "एसियान" के अलग-अलग देशों के बीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के अलावा, भारत ने एक दल के रूप में एसियान के साथ हमेशा ही घनिष्ठ सम्बन्धों को महत्व दिया है।

(ख) और (ग) "एसियान" देशों के साथ "क्षेत्रीय स्तर पर भारत की बातचीत" शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

विपणन आसूचना केन्द्र

3999. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में विपणन आसूचना केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर वे केन्द्र स्थापित किये गए हैं;

(ग) इन केन्द्रों की स्थापना के उद्देश्य क्या-क्या हैं;

(घ) क्या इन केन्द्रों के क्रियाकलापों और किसानों के लिए उनकी उपयोगिता के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) मंडी आसूचना केन्द्र, लखनऊ, कलकत्ता, पटना, भोपाल, जयपुर, बम्बई, मद्रास, अहमदाबाद, हैदराबाद, शिलांग, बंगलौर, नई दिल्ली, त्रिवेन्द्रम और भुवनेश्वर में स्थित हैं।

(ग) मंडी आसूचना केन्द्र स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे (1) स्टाफ द्वारा उनके क्षेत्रों को मंडियों का नियमित दौरा करना। (2) राज्य सरकारों को प्राथमिक आसूचना एजेंसियों को, मंडी आसूचना एकत्र करने के बारे में, तत्काल मार्ग निर्देश देना, (3) चालू मूल्यों और मंडी की स्थिति फसल के आसार से सम्बन्धित आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत कराना, (4) राज्य सरकारों के फसल उत्पादन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति प्रशासन, अर्थ और सांख्यिकी ब्यूरो भू-अभिलेख से सम्बन्धित विभागों और विभिन्न कृषि जिन्सों की अधिप्राप्ति से सम्बन्धि एजेंसियों से सम्पर्क बनाये रखना और (5) विपणन के विभिन्न पहलुओं का समय-समय पर अध्ययन करना।

(घ) जी हां।

(ङ) अध्ययन से यह पता चला है कि इन केन्द्रों द्वारा मूल्य आंकड़े एकत्र करने और सूचना देने से सरकार को मूल्य नीति बनाने, कम मूल्य पर माल बेचने से किसानों को रोकने में सुविधा मिली है तथा किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य उपलब्ध हुआ है। ग्रामीण कार्यक्रमों में जन प्रचार के माध्यम से मंडी आसूचना के प्रसार से और समय-समय पर फसल आसूचना की पाक्षिक रिपोर्ट से न केवल किसानों को, बल्कि सरकार को भी आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक उपाय करने में मदद मिली है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन के पश्चात यह सिफारिश की गई है कि अधिक स्टाफ उपलब्ध कराकर इन एककों को सुदृढ़ करना चाहिये।

राजस्थान में स्पीड पोस्ट सेवा

[हिंदी]

4000. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में किन-किन शहरों में स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) राजस्थान के निम्नलिखित नगरों/शहरों में स्पीड पोस्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय नेटवर्क के अन्तर्गत

जयपुर

प्वाइंट-टू-प्वाइंट सेवा के अन्तर्गत

i. जयपुर
ii. अजमेर
iii. जोधपुर
iv. उदयपुर
v. कोटा
vi. बीकानेर और
vii. पाली

कुरियारकुट्टी-करप्पारा बहु-उद्देशीय परियोजना

[अनुवाद]

4001. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कुरियारकुट्टी-करप्पारा बहु-उद्देशीय परियोजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी, नहीं। केरल की कुरियारकुट्टी-करप्पारा परियोजना का 60.16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का संशोधित सिंचाई घटक केन्द्रीय जल आयोग में जून, 1990 में प्राप्त हुआ था। इस परियोजना के 131.03 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का संशोधित विद्युत घटक जनवरी, 1991 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुआ। केन्द्रीय जल आयोग की स्क्रीनिंग समिति ने, जांच के बाद, यह पाया कि इस परियोजना का सिंचाई घटक विशेषज्ञ समिति के निर्णयों को ध्यान में रखकर तैयार नहीं किया गया है। चूंकि अनुपालन से परियोजना प्रस्ताव काफी प्रभावित होंगे, अतः यह परियोजना जून, 1991 में राज्य सरकार को संशोधन के लिए लौटा दी गयी। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पेरम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सैन्क्चुअरी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में विस्तृत अन्वेषण करने के लिए राज्य सरकार को मना कर दिया है। अतः राज्य सरकार विद्युत घटक के लिए विस्तृत अन्वेषण पूरा करने की स्थिति में नहीं है।

विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम

4002. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने जिलों को विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है;

(ख) केरल में अब तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केरल में इस योजना के अन्तर्गत और अधिक जिलों को शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) केरल में 5 जिले समेकित चावल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किये गये हैं।

(ख) 1991-92 के कार्यक्रम के अन्तर्गत; अभी तक, 5791 क्विंटल प्रमाणीकृत धान बीज, 685 कि० ग्रा० शाकनाशी, 285 कि० ग्रा० कीटनाशी और 43 छिड़काव यंत्र किसानों को राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त, किसानों की जोतों पर, 112 हैक्टेयर क्षेत्र में बेहतर चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी के संबंध में क्षेत्र प्रदर्शन किये गये हैं।

(ग) और (घ) केरल में इस योजना के अन्तर्गत और जिले लाने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय छात्रों को आस्ट्रेलिया में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजना

4003. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई गैर-सरकारी एजेंसी भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आस्ट्रेलिया भेज रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आस्ट्रेलिया में इन एजेंसियों द्वारा भेजे गए छात्रों के साथ धोखाधड़ी होने की जानकारी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन एजेंसियों की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) से (घ) इस विषय पर सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

साम्प्रदायिक दंगों की पूर्व चेतावनी देने के लिये गुप्तचर सेवाओं को शक्तिशाली बनाना

4004. **डा० सुधीर राय** : क्या **गृह मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने किसी राज्य में साम्प्रदायिक दंगा भड़कने/आतंकवादी गतिविधियां आरम्भ होने से पहले राज्य सरकार को चेतावनी देने की दृष्टि से आसूचना एजेंसियों को मजबूत बनाने हेतु क्या कदम उठाने पर विचार किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाने वाली सभाएं/गोष्ठियां आदि आयोजित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रलय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) लोक व्यवस्था राज्य का विषय है। तथापि साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आसूचना एजेंसियों की भूमिका सम्मिलित है। केन्द्र सरकार साम्प्रदायिक हिंसा की रोकथाम के लिए भी सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ अपनी आसूचना सेवाएं भी उपलब्ध कराती है।

इसी प्रकार जब आतंकवादी गतिविधियों के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती है तो संबन्धित राज्य सरकारें/सघ शासिल क्षेत्र प्रशासनों को सूचनाएं उपलब्ध करायी जाती है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय एकता परिषद योजना के अन्तर्गत; साम्प्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार स्वयंसेवी संगठनों/संस्थानों को, सेमीनार, ग्रुप विचार-विमर्श, सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्रीय दिवसों/त्योहारों इत्यादि को अन्तं समुदायिक रूप में आयोजित करने के लिए, आगे आने के लिए, सहायतानुदान देती है।

पश्चिम बंगाल की चालू सिंचाई परियोजनाएं

4005. **डा० सुधीर राय** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की चालू सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उसके लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ग) पश्चिम बंगाल की निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन का विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान किसी परियोजना को केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

विवरण

(करोड़ रुपए/हजार हेक्टे.)

क्रम सं०	परियोजना का नाम और अनुमोदन की स्थिति	लाभान्वित जिले	अद्यतन अनुमानित लागत	3/90 के अन्त तक व्यय	व्यय 1990-91 (प्रत्याशित)	चरम सिंचाई क्षमता	6/90 तक सृजित क्षमता	प्रत्याशित क्षमता 1990-91	पूरा करने की योजना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	बृहद परियोजनाएं								
1.	कंगसाबती जलाशय परियोजना (ए)	बंकुरा, हुगली, मिदनापोर	154.98	122.97	11.00	401.66	398.00	1.00	आठवीं
2.	तीस्ता बराज परियोजना (ए)	दारजलिंग जलपाईगुड़ी, कूच बिहार पश्चिमी दीनाजपुर और मालदा	695.00	319.62	20.00	526.62	13.20	16.00	आठवीं से आगे
II	मध्यम परियोजनाएं								
1.	हिंगली (ए)	बिरभूम	8.77	6.15	0.50	12.38	12.39	—	आठवीं
2.	साली व्यपवर्तन	बंकुरा	3.18	2.09	0.25	2.27	2.04	0.05	—वही
3.	साली जलाशय (ए)	बंकुरा	1.70	1.37	0.10	0.59	0.50	0.01	—वही

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बाराभूम (ए)	पुरूलिया	2.32	2.10	0.10	2.73	2.21	0.25	—वही
5.	तटको (ए)	पुरूलिया	5.32	2.46	0.50	2.48	1.45	0.10	—वही
6.	पटलोई (ए)	पुरूलिया	2.10	1.34	0.10	2.16	1.70	0.10	—वही
7.	बेको (ए)	पुरूलिया	2 90	1.61	0.17	1.59	1.10	0.05	—वही
8.	लिपानियाजोर (ए)	पुरूलिया	2.19	1.46	0.25	1.59	1.59	—	—वही
9.	मानटोरजोर (ए)	पुरूलिया	1.90	1.24	0.35	1.08	1.05	—	—वही
10.	गोलामालेजोर (ए)	पुरूलिया	1.60	1.04	0.20	1.00	0.89	0.05	—वही
अन्य परियोजनाएं (नई परियोजनाएं)									
I	**वृहद परियोजनाएं**								
1.	सुवर्ण रेखा बराज (ब)	मिदनापोर	226.82	4.47	8.00	130.00	—	—	आठवीं से आगे
II	**मध्यम परियोजनाएं**								
1.	हनुमत (ए)	पुरूलिया	2.80	1.58	0.27	2.78	2.45	0.05	आठवीं
2.	रामचन्दरपुर (ए)	पुरूलिया	4.63	3.10	0.27	2.58	2.23	0.03	—वही

टिप्पणी :— "ए" : योजना आयोग द्वारा अनुमोदित ।

"बी" : केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा किया गया ।

समुद्री मछली का उत्पादन

4006. **डा० सुधीर राय**
श्री गोविंदराव निकम : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने समुद्री मत्स्यकी की वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) समुद्री मछलियों का उत्पादन बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाये गए/प्रस्तावित महत्वपूर्ण कदमों में निम्नांकित योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है :—

(1) परम्परागत नौकाओं का मोटरीकरण ।

(2) 20 मीटर से कम लम्बाई वाली मछली पकड़ने वाली नौकाओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली हाई स्पीड डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति ।

(3) 12-15 मीटर की लम्बाई के गैर-जलयान किस्म के मछली पकड़ने की एफ०आर०पी० नौकाओं का प्रयोग शुरू करके अपतटीय पेलिजक मात्स्यिकी समाधनों का दोहन ।

(4) डोंगी और बेड़ा के प्रतिस्थापक के रूप में प्लाईवुड के बने मछली पकड़ने वाली नौकाओं का प्रयोग ।

(5) प्रादेशिक जल में समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन हेतु पैट्रोल वाली नौकाओं की खरीद के लिए समुद्रवर्ती राज्य सरकारों को वित्त प्रदान करना, और

(6) संयुक्त उद्यम के माध्यम से गहरे समुद्र में मत्स्यन को प्रोत्साहन देना, एक बार प्रयुक्त विदेशी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को पट्टे पर देने की अनुमति देना, नौकाओं की खरीद के लिए ऋण का विस्तार आदि करना ।

सी-डाट की प्रगति

4007. **श्री विजय नवल पाटिल** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स (सी-डाट) ने अब तक कितनी प्रगति की है;

(ख) क्या "सी-डाट द्वारा विकसित हमारी प्रौद्योगिकी अन्य देशों में स्वीकार की जाने लगी है; और

(ग) सरकार ने "सी-डाट" का और विकास करने तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जगह बनाने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) सी-डाट ने डिजिटल स्विचन प्रणालियों के एक समूह का डिजाइन तैयार किया है जिसमें प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज, रूरल आटोमेटिक एक्सचेंज, मेन एक्सचेंज, इनटेगरेटिड लोकल और ट्रांजिस्ट एक्सचेंज शामिल हैं, संघटकों के

लिए वेंडरों का विकास तथा डिजाइनों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित सब-असेंबली तथा अन्य साज-सामान तैयार करने का कार्य भी सी-डाट ने किया था। उत्पादन प्रौद्योगिकी जिसमें टूल, टेस्टर शामिल हैं तथा विनिर्माण पद्धतियां विकसित की गई हैं। इन उत्पादों को लगाने के लिए सहायता, प्रशिक्षण, प्रलेखन तथा सहयोग भी प्रदान किया गया है। सी-डाट, इस समय, दूरसंचार विभाग की अनेक परियोजनाओं के लिए स्विचन तथा संचारण उत्पादों के विकास के कार्य में लगा है।

(ख) विश्व के अनेक देशों ने सी-डाट से प्रौद्योगिकी तथा उत्पादों के बारे में जानकारी मांगी है। सी-डाट लाइसेंसधारियों को सीधे भी प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं।

(ग) सी-डाट स्थाई संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। प्रौद्योगिकी/सी-डाट के उत्पाद विकास कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धन-राशि उपलब्ध कराके सरकार इसको सहायता प्रदान कर रही है। सी-डाट अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के माध्यम से निर्यात में वृद्धि करने के प्रयास कर रहा है। विभाग भी दूरसंचार उत्पादों तथा सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा दे रहा है।

खानों से प्राप्त सोना और चांदी

4008. **श्री विजय नवल पाटिल :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्वर्ण खानों से सोने और चांदी की कितनी-कितनी मात्रा में प्राप्त हुई है;

(ख) क्या "कोलार गोल्ड फील्ड्स" का खनन कार्य बन्द कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है,

(घ) क्या देश के अन्य संभावित क्षेत्रों से सोना और चांदी का विदोहन करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) गत 3 वर्षों के दौरान देश में विभिन्न स्वर्ण खानों से उत्पादित और उपोत्पाद के रूप में प्राप्त स्वर्ण और चांदी की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी नहीं। किन्तु अयस्कों की समाप्ति तथा अलाभप्रद खनन कार्यों के कारण कोलार स्वर्ण क्षेत्र की खानें क्रमिक रूप से बन्द की जा रही हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विभिन्न खानों द्वारा गत 3 वर्षों के दौरान स्वर्ण और चांदी का उत्पादन

कंपनी/खान का नाम	स्वर्ण और चांदी का उत्पादन (कि० ग्रा० में)					
	1988-89		1989-90		1990-91	
	स्वर्ण	चांदी	स्वर्ण	चांदी	स्वर्ण	चांदी
I. भारत गोल्ड माइंस लि०						
(1) कोलार स्वर्ण क्षेत्र की खानें-हीप लीचिंग, पुरानी ब्रिसनाथम खान सहित	732.72	85.01	589 15	44.40	479.60	35.33
(2) चिगारगुंटाखान	79.63	6.47	76.94	6.27	169.97	14 17
(3) येप्पमाना खान	130.84	8.35	107.26	6.51	114.78	7.63
कुल (बी०जी०एम०एल०)	943.19	72.83	773·35	57.18	764.25	57.13
II. हट्टी गोल्ड माइंस कंपनी लि०						
हट्टी माइंस, जिला रायचूर (कर्नाटक)	965.00	52.54	875.00	38.36	1049.00	56.32
III. हिंदुस्तान कापर लिमिटेड						
(i) इण्डिन कापर कम्पलेक्स घाटशिला (बिहार) में उपोत्पाद के रूप में उत्पादित	100	1025	101	954	75	866

1	2	3	4	5	6	7
(ii) विदेशों से रिवर्टस और एनोड स्लाईम के प्रगालन से प्राप्त	—	—	407	5780	202	2387
कुल (एच०सी०एल०)	100	1025	508	6734	277	3253
IV. हिंदुस्तान जिंक लि०	—	37.748	—	33.679	—	31.589
कुल जोड़ :	2008.19	38.898.37	2156.35	40508.54	2090.25	34955.45

नोट—1 केवल भारत गोल्ड माइंस लि० और हट्टी गोल्ड माइंस लि० ही प्राथमिक स्वर्ण का खनन व उत्पादन कर रही हैं। अन्य सभी कम्पनियों द्वारा स्वर्ण का उत्पादन उपोत्पाद के रूप में किया जाता है।

नोट—2 देश में चांदी की कोई पृथक खान नहीं है। चांदी का उत्पादन उपोत्पाद के रूप में ही होता है।

कृषि विश्वविद्यालय

[हिन्दी]

4009. **श्री अरविन्द नेताम**
श्री राजवीर सिंह } : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं;

(ख) क्या ऐसे और अधिक विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर इन विश्वविद्यालयों के खोले जाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) महोदय, देश में 26 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं।

(ख) और (ग) एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसका मुख्यालय मणिपुर में होगा और मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में इसके परिसर होंगे।

उच्च उत्पादकता किस्म के बीजों का विकास

4010. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान जिन उच्च उत्पादकता किस्म के बीजों का विकास किया उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन उच्च उत्पादकता किस्म के बीजों की बुवाई करने से किसानों को कौन से उल्लेखनीय लाभ मिले हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) महोदय, पिछले तीन वर्षों के दौरान विकसित की गई विभिन्न फसलों की उच्च उपजशील किस्में संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) उच्च उपजशील किस्मों के बीज इस्तेमाल करने के परिणामस्वरूप किसान उच्च उपज लेने और अधिक लाभ कमाने में सफल हुए हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों में रिलीज की गयी अधिक उपज देने वाली किस्में

(1) खाद्यान्न फसलें :—

चावल

सुरक्षा, शक्तिमान, विभव, पूसा बासमती, कस्तुरी, अन्नदा, हीरा, वनप्रभा, कल्याणी, शक्तिवाहन, धरित्री, प्रणव, गायत्री, तुलसी, सावित्री, फाल्गुन, नालिनी, सी एस आर 10, आदित्य, गोविन्द, तुल।

गेहूं

पी बी डब्ल्यू 154, एच डी 2428, एच डी 2270, एच डी 2402, एच आई 977, यू पी 1109, एच डी 2380, एच एस 240, एच एस 207, राज 3077, पी बी डब्ल्यू 226 पी बी डब्ल्यू 175, एच आई 1077 (मंगल), डब्ल्यू एच 416, एच डी आर 77, एच डी 2501, के आर एल 1-4

मक्का

गंगा 11, सरताज, बी एल 42, प्रभात, धामल, हर्ष मनसर, पूसा कम्पोजिट 1, पूसा कम्पोजिट 11, पी एल 88, सूर्य दक्कन 1, दक्कन 105, वरुण, माधुरी।

ज्वार

एस पी एच 504, एस पी वी 913, एस एस वी 84, एस पी एच 468

जौ

करण 16, के 409, डी एल 472

दालें :—

(क) **चना**

बी जी 256, पी बी जी-1, फुले जी-5, एच 82-2, फुले जी-12

(ख) **अरहर**

आई सी पी एल 151, आई सी पी एच-8 (हाइब्रिड)

(ग) **मूंग**

वम्बन-1, पी डी एम-54

(घ) **मटर**

मालवीय मटर, पंत मटर-2, वी एल मटर-3

(ङ) **उड़द**

पी डी यू-1 (बसंत बहार); वम्बन-1

(च) **मोठ**

मोठ-880

(छ) **राजमाश**

मालवीय राजमाश-15

(ज) **लोबिया**

जी सी 82-7

(झ) **फ्रेंसबीन**

सलेक्शन-9

(ञ) **विंग्ड बीन**

ए के डब्ल्यू बी-1

(ट) **कुल्थी**

कारूकुल्थी-1

बाजरा

एच एच बी-60, आर एच आर बी एच 8609, एच एच बी-67, एम बी एच-136, वी बी एच-4, आई सी एम पी-8203, एन पी-155, पूसा सफेद, मल्लिकार्जन, मुक्ता, सी ओ-7, आर सी बी-आई सी-9

ग्वार

आर जी सी-936, ग्वार-34

अमरन्थ (चौलाई)

जी ए-1

ग्वायले

एच जी-8

मंडुआ

सी ओ-13, ओ यू ए टी-2, वी एल-124, वी-149

कोदो

जी पी यू के-3, जे के-74

कंगनी

एस-114, (निश्चल)

ए के 132-1

सवां

के ई-12 (चन्दन), वी एल-21, वी एल-29

चीनी

एल 5224 (नागार्जुन)

एल 1387 (सागर)

(2) **तिलहन फसलें**

मूंगफली

आई सी जी एस-44, आई सी जी एस-76, आई सी जी एस-37, आई सी जी (एफ डी आर एस)-10, गिरनार-1, टी ए जी-24, वी आर आई-2, वी आर आई-3, एम एच-4, आर जी-141, सोमनाथ, आई सी जी एस-1

तोरिया सरसों

(क) **सरसों** :—

आर एल.1359, एन डी आर-8501, आर एच-8113 (सौरभ), आर एच-781, डी आई ई-247, आर एस के-10 (जी एम-1)

(ख) **तोरिया**

टी एल-15, टी एच-68

(ग) **तारामीरा**

टी एम एच-52

(घ) **पीली सरसों**

पी वाई एस-842

कुसुम

जे एस आई-7, जे एल एस एफ-88 (गिरनार), बी एस एफ-168-4 (शारदा)

अलसी

किरन (बीज) जानकी (बीज) नगरकोट (के एल-31), एल सी के-8528

रामतिल

भवानी, शिवा

सूरजमुखी

एल एस एच-1, एल एस एच-3, एम एस एफ एच-17, एस एस-56

तिल

राजेश्वरी, आर टी-46, इम्प्रूव्ड सलेक्शन-5, ओ एम टी-11-6-3, जे एल टी-26

सोयाबीन

जे एस 80-?1, जे एस 71-05, एम ए सी एस-58, पी के-564, पूसा-16, पूसा-24, पूसा-`0, शिवालिक, वी एल शिया-2

(3) **व्यावसायिक फसलें**

कपास :—

एल एच-1134, पूसा-31, एल एच-886, आर एस टी-9, जी-कोट हाइब्रिड-9, जी-कोट हाइब्रिड-8, एन एच बी-12, एम सी यू-11, जे के-1119, अब्रदिता, डी डी एच-2, एन ए-920

तम्बाकू

(क) **एफ सी वी तम्बाकू**

माध्य, हेमा

(ख) **खाया जाने वाला तम्बाकू**

पूसा तम्बाकू-76

गन्ना :—

सी ओ एल के-8102, को पंत-84211, सी ओ सी-91061

डाक, तार तथा टेलीफोन सुविधाओं द्वारा सेवित औसत आबादी

[अनुवाद]

4011. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक, तार तथा टेलीफोन सुविधाएं मुहैया करना लोगों के लिए आवश्यक माना जाता है,

(ख) यदि हां, तो देश भर में तथा प्रत्येक राज्य में 10 अप्रैल, 1991 की शाखा डाकघर तथा ग्रामीण डाकघर सहित औसतन कितनी जनसंख्या के पीछे एक डाकखाना, तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन केंद्र था,

(ग) क्या डाक, तार और टेलीफोन सुविधाओं के विस्तार हेतु वार्षिक कार्यक्रम तैयार करते समय इनके अन्तर्गत आने वाली औसत जनसंख्या की दृष्टि से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्तमान असमानता को दूर करने के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है, और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 में कार्रवाई के लिए बनाए गए कार्यक्रम को क्रियान्वित किए जाने पर राज्य संघ/राज्य क्षेत्रवार औसतन कितनी जनसंख्या के पीछे डाक, तार व टेलीफोन केंद्र होंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) डाक और दूरसंचार सेवाएं समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक आधारभूत सेवाएं हैं।

(ख) 31.3.1991 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक डाकघर, तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन द्वारा जितनी औसत जनसंख्या को सेवा प्रदान की जाती है वह इस प्रकार है :

डाकघर	: 4607
तारघर	: 20405
सार्वजनिक टेलीफोन	: 8190

(ग) डाकघर की मंजूरी केवल जनसंख्या के आधार पर ही नहीं दी जाती बल्कि अन्य कारणों जैसे निकटतम डाकघर से इसकी दूरी और वित्तीय व्यवहार्यता को भी ध्यान में रखा जाता है। कुल मिलाकर जब वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार डाकघर खोले जाते हैं तो उनमे कुल मिलाकर जनसंख्या के अनुपात पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है।

तार और टेलीफोन सुविधाओं के विस्तार के लिए जिस उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है वह इन सेवाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना और मांग को पूरा करना है।

(घ) 1991-92 के डाक और दूरसंचार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के बाद जितनी संभावित औसत जनसंख्या की सेवा प्रदान किए जाने की सम्भावना है उसका विवरण क्रमश संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण I

क्र० सं०	राज्य	1991-92 (1981 की जनगणना) के लिए कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बाद सेवित सम्भावित औसतन जनसंख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	3282
2.	असम	5182
3.	अरुणाचल प्रदेश	2331
4.	बिहार	6060
5.	गोवा	3875
6.	गुजरात	3877
7.	हरियाणा	5061
8.	हिमाचल प्रदेश	1635
9.	जम्मू व कश्मीर	3775
10.	कर्नाटक	3819
11.	केरल	5145
12.	मध्य प्रदेश	4729
13.	महाराष्ट्र	5199
14.	मणिपुर	2284
15.	मेघालय	2824
16.	मिजोरम	1390
17.	नागालैंड	2719
18.	उड़ीसा	3333
19.	पंजाब	4405
20.	राजस्थान	3423
21.	सिक्किम	1839
22.	तमिलनाडु	4020
23.	त्रिपुरा	3006
24.	उत्तर प्रदेश	5639
25.	पश्चिम बंगाल	6452
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1832
2.	चण्डीगढ़	7526
3.	दिल्ली	11248
4.	दादर एवं नगर हवेली	2728
5.	दमन एवं दीव	4387
6.	लक्षद्वीप	2683
7.	पांडिचेरी	5812
	अखिल भारत	4540

विवरण II

प्रत्येक तार घर/सार्वजनिक टेलीफोन द्वारा 31.3.92 तक सेवित संभावित औसतन जनसंख्या

क्र०सं०	दूरसंचार सर्किल का नाम	तारघर	सार्वजनिक टेलीफोन
1.	आन्ध्र प्रदेश	16310	4960
2.	असम	47841	10530
3.	बिहार	29864	15200
4	गुजरात दमण, दीव, नागर हवेली, दादर सहित	22830	5080
5.	हरियाणा	40090	4570
6.	हिमाचल प्रदेश	7270	4600
7.	जम्मू व कश्मीर	19640	7390
8.	कर्नाटक	11310	4350
9.	केरल लक्षद्वीप सहित	14360	4870
10	मध्य प्रदेश	193[illegible]0	7510
11.	महाराष्ट्र गोवा सहित	30510	5100
12.	उत्तर पूर्व	44350	8520
13.	उड़ीसा	11530	8060
14.	पंजाब, चंडीगढ़ सहित	33600	4650
15.	राजस्थान	25306	7960
16.	तमिलनाडु पांडिचेरी सहित	9730	2930
17.	उत्तर प्रदेश	20600	10600
18.	पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित	43100	9170
19.	दिल्ली	139850	980
20.	अखिल भारत	19950	6030

बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण

[हिन्दी]

4012. **श्री साईमन मराण्डी** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में काला पत्थर, बाक्साइट, अभ्रक, कोयला और लौह अयस्क जैसे उद्योगों की स्थापना के लिए कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया/पट्टे पर लिया गया;

(ख) क्या भूमि के पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने पर/किसी उद्योग के बन्द होने पर, उक्त भूमि को भूस्वामियों को वापस कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और भूस्वामियों को भूमि कब तक वापस कर दी जायेगी ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र के पुणे जिले में तारघर और डाकघर खोलना

[अनुवाद]

4013. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 में महाराष्ट्र के पुणे जिले में तारघर और डाकघर खोलने के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ख) क्या उस लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान कितने तारघर और डाकघर खोले जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान पुणे में 4 तारघर और 6 डाकघर खोलने का लक्ष्य रखा गया था।

(ख) एक तारघर तथा 5 डाकघर खोले जा चुके हैं। शेष डाक व तारघर खोलने में बिलंब का कारण उपयुक्त स्थान का उपलब्ध न हो पाना है।

(ग) पुणे जिले में वर्ष 1991-92 के दौरान 3 तारघर और 10 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

पुणे में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलना

4014. **श्री अन्ना जोशी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के पुणे जिले में इलेक्ट्रोनिक और अन्य टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सभी एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज में बदलने का कोई प्रस्ताव है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) पुणे में 15 एक्सचेंज हैं जिनमें से 5 इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) क्योंकि सभी गैर-इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों को अभी बदला नहीं जाना है।

डाक संचालन व्यवस्था का यंत्रीकरण और स्वचालन

4015. **श्री शरत चन्द्र पटनायक**
श्री प्रकाश वी० पाटील } : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में डाक संचालन व्यवस्था का यंत्रीकरण करने और उसे स्वचालित बनाने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कार्य कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) चुने हुए डाकघरों में काउंटर मशीनें लगाने का प्रस्ताव है। बम्बई में भी डाक छंटाई मशीनें लगाने का प्रस्ताव है।

(ख) चुने गये डाकघरों की सूची को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में नए शाखा डाकघर खोलना

[हिन्दी]

4016. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1990-91 के दौरान खोले जाने वाले नए शाखा डाकघरों तथा विद्यमान शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें उप डाकघरों में बदलने सम्बन्धी प्रस्तावों का जिलावार ब्यौरा क्या है, और

(ग) स्वीकृत किए गए उक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) विस्तृत जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1990 91 के दौरान हिमाचल प्रदेश में नए शाखा डाकघर खोलने और मौजूदा शाखा डाकघरों का विभागीय उप डाकघरों के रूप में दर्जा बढ़ाने से सम्बन्धित प्रस्तावों को दर्शाने वाला विवरण।

नए डाकघर

क्र० सं०	जिला	प्रस्तावित डाकघर का नाम
1.	बिलासपुर	जनाली
2.		सेर
3.	हमीरपुर	बड़ोह

1	2	3
4.	कांगड़ा	नछीर
5.		गधियारा
6.		मंदेहाड
7.	ऊना	बातुही
8.	मंडी	खखरियाना
9.		दोहाग
10.		लोवर घनाला
11.		बाग
12.		कोट
13.	शिमला	चायली
14.		इरा
15.	सिरमौर	मिसेरवाला
16.		ग्वाली
17.		राडी
18.	सोलन	कोटी
19.		मूड
20.		कालीबाड़ी
21.		मालेरा
22.	कुल्लू	साचनी
23.		नियोली
24.	चम्बा	तारागढ़
25.		बवांगी

इन सभी प्रस्तावों को निपटा दिया गया है और डाकघर खोल दिए गए हैं।

दर्जा बढ़ाना : 1990-91 के दौरान किसी भी शाखा डाकघर का उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने के लिए कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को निर्वाह भत्ता

[अनुवाद]

4017. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार 45 दिन से अधिक अवधि तक "पुट आफ ड्यूटी" के अंतर्गत कितने अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी हैं,

(ख) क्या सरकार का उन्हें निर्वाह भत्ता देने का विचार है,

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभापटल पर रख दिया जाएगा।

(क) से (घ) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को जिस दौरान ड्यूटी पर नहीं रखा जाता है, तो क्या वे उस अवधि के दौरान जीवन-निर्वाह भत्ता पाने के हकदार हैं या नहीं, इससे सम्बन्धित मामला भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायिक जांच के लिए लम्बित पड़ा हुआ है। इस प्रकार यह सारा मामला न्यायाधीन है।

कृषि-आधारित उद्योग

4018. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने कृषि-आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

4019. **श्री ललित उराव** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की बड़ी और मध्यम दर्जे की निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं का ब्योरा क्या है,

(ख) 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार इन परियोजनाओं के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है, और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) बिहार की निर्माणाधीन बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन का विवरण संलग्न है।

विवरण

निर्माणाधीन बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विवरण

	परियोजना का नाम तथा अनुमोदन की स्थिति	लाभान्वित जिले	नवीनतम अनुमानित लागत	सातवीं योजना के अन्त तक व्यय	1990-91 के दौरान प्रत्याशित व्यय	1991-92 के लिए संस्तुत परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
1.	**बृहद परियोजना**					
1.	सुवर्ण रेखा बहु-प्रयोजनी (ख)	सिंहभूम	1428.80	464.16	77.31	100.00
2.	बागमती बहुप्रयोजनी (क)	सीतामढ़ी	314.67	33.85	4.00	6.00
3.	पश्चिमी कोसी नहर (क)	मधुबनी दरभंगा समस्तीपुर	357.44	169.95	11.00	20.00
4.	उत्तरी कोयल जलाशय (ख)	पलामू (औरंगाबाद)	475.00	306.53	25.00	30.00
5.	दुर्गावती जलाशय (क)	रोहतास	147.40	60.08	9.00	15.00
6.	बारनेर जलाशय (क)	मुंगेर	102.38	24.28	3.16	10.00
7.	कोनार दिक्परिवर्तन (ख)	हजारीबाग	225.40	64.48	5.00	11.00

1	2	3	4	5	6	7
8.	तिलैया दिक्परि-वर्तन (ख)	नालन्दा	121.33	8.67	0.95	0.00
9.	बटेश्वर स्थान पम्प फेज I (क)	भागलपुर	136.67	15.54	0.84	7.00
10.	बाणसागर (बांध शेयर) (क)	भोजपुर	140.00	49.36	8.50	12.00
11.	सिकैतिया पर अजाय बराज (ख)	दुमका देवगढ़	133.11	53.20	8.00	10.00
12.	ओरंगा जलाशय (क)	पलामू	257.00	8.09	2.00	10.00
13.	पुनासी जलाशय (ख)	दुमका	145.00	27.41	1.50	8.00
(II)	**मध्यम परियोजनाएं**					
1.	डाकरानाला पम्प चरण-I (क)	मुंगेर	79.57	29.61	3.00	5.00
2.	ओरनी जलाशय (क)	भागलपुर	32.74	23.12	4.50	5.02
3.	बटेश्वर स्थान पम्प चरण-II (क)	भागलपुर	24.23	4.72	0.00	0.00
4.	बिलासी जलाशय (क)	भागलपुर	12.02	5.21	2.50	4.00
5.	बटेन (क)	पलामू	34.77	25.08	2.50	6.50
6.	तोरई जलाशय (क)	दुमका	56.18	13.97	0.88	5,50

1	2	3	4	5	6	7
7.	गुमानी जलाशय (क)	दुमका	58.42	20.18	2.50	4.00
8.	कंस जलाशय (क)	रांची	18.40	9.69	1 00	2 00
9.	झारझारा जलाशय (क)	सिंहभूम	24.50	48 50	0.00	0.00
10.	सकरीगली पम्प (क)	संथाल परगना	8.14	5.97	1.00	1.00
11.	सिंदबरनी जलाशय (क)	मुंगेर	21.95	5.04	0 04	2.00
12.	सोनु जलाशय (क)	सिंहभूम	37.46	17.91	4.00	6.00
13.	सुरू जलाशय (क)	सिंहभूम	14.66	2.68	0.45	2.00
14.	लटघाट् जलाशय (क)	रांची	41.98	33.42	2.12	7.00
15.	डाकरानाला पम्प चरण-II	मुंगेर	11.98	5.43	0.00	1.00
16.	मंखा जलाशय (ख)	हजारीबाग	25.08	5.84	3.50	4.00
17.	केशी जलाशय (ख)	हजारीबाग	16.83	2.67	2.50	2.00
18.	पंचखेरी जलाशय (ख)	हजारीबाग	16.85	4.15	2.75	5.00
19.	तबरी जलाशय (क)	सिंहभूम	16.99	8.42	3.00	5.00
20.	सुरंगी जलाशय (क)	सिंहभूम	17.55	8.64	0.60	2.00
21.	कंसजोर जलाशय (क)	गुमला	25.75	12.98	4.00	6.00
22.	अपर संख जलाशय (क)	गुमला	29.22	6.86	2.00	4 00

विवरण

(करोड़ रुपए/हजार हेक्टेयर)

1	परियोजना का नाम तथा अनुमोदन की स्थिति (2)	लाभान्वित जिले (3)	चरम क्षमता (8)	सातवीं योजना के अन्त तक सृजित क्षमता (9)	1990-91 के दौरान प्रत्याशित क्षमता (10)	1991-91 के लिए लक्ष्य (11)	पूरा करने की योजना (12)
I.	**वृहद परियोजना**						
1.	सुवर्ण रेखा बहु-प्रयोजनी (ख)	सिंहभूम	209.30	0.20	9.00	14.00	आठवीं योजना के आगे ले जाया जाएगा
2.	बागमती बहुप्रयोजनी (क)	सीतामढ़ी	101.60	0.00	0.00	0.00	—वही—
3.	पश्चिमी कोसी नहर (क)	मधुबनी दरभंगा समस्तीपुर	289.30	60.60	2.00	2.00	आठवीं योजना
4.	उत्तरी कोयल जलाशय (ख)	पलामू (औरंगाबाद)	131.00	78.40	0.00	0.00	—वही—
5.	दुर्गावती जलाशय (क)	रोहतास	36.40	0.00	0.00	0.00	—वही—
6.	बारनेर जलाशय (क)	मुंगेर	22.40	0.00	0.00	0.00	आठवीं योजना के आगे ले जाया जाएगा
7.	कोनार दिक्परिवर्तन (ख)	हजारीबाग	62.80	0.00	0.00	0.00	आठवीं योजना

1	2	3	8	9	10	11	12
8.	तिलैया दिक्परि-वर्तन (ख)	नालन्दा	48.60	0.00	0.00	0 00	—वही —
9.	बटेश्वर स्थान पम्प फेज़ I (क)	भागलपुर	25 40	0.00	0.00.	0.00	आठवीं योजना के आगे ले जाया जाएगा
10.	बाणसागर (बांध शेयर) (क)	भोजपुर	—कोई सीधे लाभ नहीं –				आठवीं योजना
11.	सिकटियां पर अजाय बराज (ख)	दुमका देवगढ़	40.47	0.00	0.00	0.00	—वही—
12.	ओरंगा जलाशय (क)	पलामू	55.40	0.00	0.00	0.00	आठवीं योजना के आगे ले जाया जाएगा
13.	पुनासी जलाशय (ख)	दुमका	24.00	0.00	0.00	0.00	— वही---
II. मध्यम परियोजनाएं							
1.	डाकरानाला पम्प चरण I (क)	मुंगेर	17.20	9 00	0.00	0.00	आठवीं योजना
2.	ओरनी जलाशय (क)	भागलपुर	9.60	5.00	1.00	3.00	—वही—
3.	बटेश्वर स्थान पम्प चरण-II (क)	भागलपुर	6.50	0.00	0.00	0.00	— वही -
4.	बिलासी जलाशय (क)	भागलपुर	4.00	0.00	0.00	2.00	—वही—
5.	बटेने (क)	पलामू	8.50	6.00	0.00	2.09	—वही—
6.	तोरई जलाशय (क)	दुमका	8.00	0.00	0.00	0.00	—वही—

1	2	3	8	9	10	11	12
7.	गुमानी जलाशय (क)	दुमका	16.20	0.00	0.00	0.00	—वही—
8.	कंस जलाशय (क)	रांची	3.30	1.00	0.00	0.00	—वही—
9.	झारझारा जलाशय (क)	सिंहभूम	4.50	0 00	0.00	0.00	—वही—
10.	सकरीगली पम्प (क)	संथाल परगना	1.90	1 90	0.00	0.[illegible]0	1991-92
11.	सिदवरनी जलाशय (क)	मुंघेर	9.38	0.00	0.00	0 00	आठवीं योजना
12.	सोनु जलाशय (क)	सिंहभूम	5.34	1.50	2.00	1.00	—वही—
13.	सुरू जलाशय (क)	सिंहभूम	3.97	0 00	0 00	0.00	आठवीं योजन
14.	लटराटु जलाशय (क)	रांची	10.00	8.00	0.00	2.00	1991-92
15.	डाकरानाला पम्प चरण-II	मुंघेर	4.02	0.00	0.00	0 00	आठवीं योजना
16.	मंखा जलाशय (ख)	हजारीबाग	4 00	0.00	2.00	0.00	—वही—
17.	केशी जलाशय (ख)	हजारीबाग	3.80	0.00	0.00	0.00	—वही—
18.	पंचखेरी जलाशय (ख)	हजारीबाग	2.80	0 00	1.00	0 50	—वही—
19.	तकरी जलाशय (क)	सिंहभूम	2.32	0.00	1 00	0.50	—वही—
20.	सुरंगी जलाशय (क)	सिंहभूम	2.14	0.00	1.00	0.00	—वही—
21.	कंसजोर जलाशय (क)	गुमला	7.04	0.00	0.00	1.00	—वही—
22.	अपर संख जलाशय (क)	गुमला	7.11	0.00	0.00	0.00	—वही—

पिप्पणी "क" : योजना आयोग द्वारा अनुमोदित
"ख" : केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है।

दिल्ली के होटलों में कैबरे नृत्य

4021. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने रेस्टोरेंटों तथा होटलों को कैबरे नृत्य के लाइसेंस प्राप्त हैं;

(ख) इनमें से कितने रेस्टोरेंटों तथा होटलों में न्यायालय द्वारा जारी किये गये "स्टे" आदेश पर कैबरे नृत्य होता है; और

(ग) क्या सरकार का न्यायालय द्वारा जारी किये गये "स्टे" आदेश के नाम पर होने वाले कैबरे नृत्य को बन्द करने के लिए कोई कारंवाई करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) दिल्ली पुलिस ने एक होटल और दो रेस्टोरेन्टों को कैबरे करने के लाइसेंस जारी किए हैं।

(ख) और (ग) दो रेस्टोरेन्ट न्यायालय के इस आदेश के आधार पर कैबरे आयोजित कर रहे हैं कि उन पर तब तक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा जब तक कैबरे कराने के लिए लाईसेंस प्रदान करने हेतु दिए गए उनके आवेदन पत्र पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है। दिल्ली पुलिस को उनके आवेदन पत्र पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है। दिल्ली पुलिस को उनके आवेदन पत्रों को जल्दी निपटाने के लिए निदेश दिए गए हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों के सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोगों को पहचान पत्र जारी करना

[हिन्दी]

4022. **श्री केशरी लाल** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलादेश सीमा पर पूर्वोत्तर राज्यों के सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोगों को पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यह कार्य कब तक शुरू किये जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। यह तय किया गया है कि मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों तथा असम राज्य के धुबरी जिले में पहचान-पत्र जारी करने की एक योजना लागू की जाए। योजना लागू करने के लिए राज्य सरकार को इस वर्ष फंड उपलब्ध कराये गए हैं तथा मार्गदर्शन दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य शुरू किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश में "स्पीड पोस्ट" सेवा

4023. **श्री केशरी लाल** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन जिलों के नाम क्या हैं जहां इस समय "स्पीड पोस्ट" सेवा उपलब्ध है,

(ख) क्या कानपुर में "स्पीड पोस्ट" सेवा आर्थिक दृष्टि से लाभकर साबित हुई है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार को कानपुर में इस सेवा को शुरू करने के बाद से औसतन कितनी वार्षिक आय हुई ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) निम्नलिखित नगरों/शहरों में स्पीड पोस्ट सेवाएं उपलब्ध हैं।

(i) **राष्ट्रीय नेटवर्क के अन्तर्गत**

कानपुर, आगरा, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद।

(ii) **प्वाइंट-टू-प्वाइंट सर्विस के अन्तर्गत**

लखनऊ, मसूरी, बरेली, देहरादून, नैनीताल, मथुरा, झांसी, अलीगढ़, सहारनपुर।

(ख) जी हां।

(ग) औसत वार्षिक आय लगभग 12 लाख रुपये है।

उड़ीसा में अन्तर्राज्यीय जल-विवादों से प्रभावित सिंचाई परियोजनाएं

[अनुवाद]

4024. **श्री के० प्रधानी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अन्तर्राज्यीय जल-विवादों से प्रभावित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(ख) इन परियोजनाओं की, परियोजना-वार, सिंचाई और जल विद्युत क्षमता कितनी है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उड़ीसा की कोई सिंचाई परियोजना अन्तर्राज्यीय जल-विवाद के कारण लम्बित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लौह अयस्क की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता

4025. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक, 1 अप्रैल, 1990 को लौह अयस्क की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता कितनी थी और वर्ष 1990-91 के दौरान वास्तविक उत्पादन कितना हुआ,

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी मात्रा का देश में प्रयोग किया गया और कितनी मात्रा का निर्यात किया गया,

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान प्रति इकाई कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का औसत मूल्य क्या है,

(घ) क्या लोह् अयस्क के निर्यात हेतु विदेशों के साथ लम्बी अवधि का कोई समझौता किया गया है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितने लौह् अयस्क का निर्यात किया जाएगा और यदि इसके मूल्य में वृद्धि सम्बन्धी कोई शर्त रखी गई है, तो वह क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) 1 अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन और स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की खानों की लोह् अयस्क की संस्थापित उत्पादन क्षमता 330 लाख टन है। भारतीय खान ब्यूरो निजी क्षेत्रों से सम्बन्धित सूचना नहीं रखती।

वर्ष 1990-91 के दौरान देश में 547 लाख टन लौह् अयस्क का उत्पादन हुआ।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान आन्तरिक रूप से उपयोग की गई लौह् अयस्क की मात्रा 223 लाख टन थी। निर्यात की गई मात्रा 311 लाख टन थी।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान अर्जित प्रति यूनिट विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :—

एम० एम० टी० सी०	368.70 रुपये प्रति टन
के० आई० ओ० सी० एल०	288.00 रुपये सान्द्रण प्रति टन
	634.00 रुपये पैलेट प्रति टन

औसत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य कई घटकों पर निर्भर करता है जैसे कि पोत-लदान सुविधाएं, समुद्री भाड़ा आदि इसलिए लोह् अयस्क के सम्बन्ध में कोई औसत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य नहीं है।

(घ) जी, हां।

(ङ) निम्नलिखित दीर्घकालिक करार/समझौता ज्ञापन किए गए :—

(i) एम० एम० टी० सी०

देश	अवधि	(मात्रा लाख टन प्रति वर्ष)
जापान (लौह् अयस्क)	5 वर्ष (1 अप्रैल 1991 से)	85 से 105
दक्षिण कोरिया (लौह् अयस्क)	4 वर्ष (1989-90 से)	35,5
पाकिस्तान (लौह् अयस्क)	अक्तूबर 1987 से अगस्त 1992 तक	वर्ष 1990-91 के लिए 48 0 लाख टन

(ii) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि०

(क) सान्द्रण	अवधि	मात्रा (लाख टन प्रति वर्ष)
जापान	1991-95	27.5 से 28.5
ईरान	15 वर्ष में लगभग 250 लाख टन	मात्रा और मूल्य प्रति वर्ष तय किये जाते है।

(ख) पैनेल		
आस्ट्रेलिया	1991-1994	3.0
जापान	1991-1995	2.8 से 4
हंगरी	1991-1994	6.0
इन्डोनेशिया	1990-1994	2.0 से 3.0

मूल्य प्रतिवर्ष तय किये जाते हैं।

केरल में टेलीफोन प्रणाली के विकास हेतु धनराशि का आबंटन

4026. **श्री पी० सी० थामस** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने केरल में टेलीफोन प्रणाली के विकास हेतु गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की है;

(ख) इन वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या केरल में वर्ष 1991-92 के दौरान टेलीफोन क्षेत्र में और विकास कार्य करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) वर्षवार व्यय निम्नानुसार है :—

1988-89	118.09 करोड़ रुपए
1989-90	183.87 करोड़ रुपए
1990-91	170.17 करोड़ रुपए

(ख) इन वर्षों के दौरान हुई प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है —

1988-89 — स्विचन क्षमता में 28525 लाइनें जोड़ी गई।
— कुल 24114 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए।
— टीएएक्स नटवर्क से 17 स्टेशनों को जोड़ा गया।

1989-90 — स्विचन क्षमता में 21813 लाइनें जोड़ी गई।
— कुल 22558 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए।
— राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग/अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग नेटवर्क में 15 स्टेशन शामिल किए गए।

1990-91 — स्विचन क्षमता में 35417 लाइनें जोड़ी गई
— कुल 28819 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए।
— राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग/अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग नेटवर्क में 25 स्टेशन शामिल किए गए।

(ग) जी हां।

(घ) वर्ष 1991-92 के लिए योजनाएं :

— स्विचन में 77403 लाइनें जोड़ी जानी हैं।

— कुल 40445 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं।

— 40 स्टेशनों को एस० टी० डी० सुविधा के साथ जोड़ा जाना है।

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची (बिहार) को वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

4027. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि "कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और विकास के अन्तर्गत बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची, बिहार ने गत तीन वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने का अनुरोध किया और उसे कितनी सहायता दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : महोदय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची, बिहार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान मांगी गयी और उन्हें रिलीज की गयी राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	मांग	रिलीज की गयी राशि
		(लाख रुपये में)
1988-89	शून्य	14 105
1989-90	शून्य	32.00
1990-91	194.30	35.00

तेल-ताड़ की खेती

4028. **श्री गोविन्द राव निकम** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1986 में विशेषज्ञ समिति ने देश के कतिपय क्षेत्रों को तेल-ताड़ के वृक्ष लगाने के लिए उपयुक्त पाया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कोंकण क्षेत्र में तेल-ताड़ के वृक्ष लगाने को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) अधिक पैदावार वाले तेल-ताड़ के वृक्ष लगाने हेतु बनाई गई योजनाएं क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) विशेषज्ञ समिति ने नौ राज्यों में आयल पाम की खेती के लिए उपयुक्त 5.75 लाख हैक्टेयर भूमि की पहचान की हैं। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :

राज्य	क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)
आन्ध्र प्रदेश	2.50
असम	0.10
कर्नाटक	2.50
केरल	0.05
महाराष्ट्र	0.10
उड़ीसा	0 10
तमिलनाडु	0.25
त्रिपुरा	0.05
पश्चिम बंगाल	0.10
योग	5.75

(ग) और (घ) भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के साथ संयुक्त रूप से लगभग 1000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचित स्थितियों के अधीन आयल पाम की खेती की संभाव्यता को प्रदर्शित करने के लिए महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र (सिंधदुर्ग जिला) में आयल पाम प्रदर्शन परियोजना प्रारम्भ की है। आयातित और देशी स्रोतों दोनों से सर्वोत्कृष्ट अधिक उपज देने वाली संकर बीजों से आयल पाम नर्सरियों की स्थापना की गई है। अब तक कुल रोपित क्षेत्र लगभग 700 हैक्टेयर है और शेष क्षेत्र का इस मानसून के दौरान रोपण किया जा रहा है।

राजस्थान में चालू सिंचाई परियोजनाएं

[अनुवाद]

4029. **श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में चल रही सिंचाई परियोजनाओं की लागत क्या है, और

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इनके कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राजस्थान की बृहद/मध्यम निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं से सम्बन्धित विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य की वार्षिक योजना 1991-92 के अनुसार राजस्थान की निर्माणाधीन बृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अद्यतन लागत	7वीं योजना तक व्यय	प्रत्याशित 1990-91	पूरा करने का कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6
			(करोड़ रुपए में)		
क.	बृहद और बहुप्रयोजनी परियोजनाएं				
1.	बिसालपुर चरण-1 (यू०ए०)	425.00	15.34	9 00	आठवीं योजना से आगे
2.	सिद्धमुख (ए)	103.00	20.18	1.00	—वही—
3.	नोहर (ए)	40.60	0.00	0.05	—वही—
4.	कोटा बराज को ऊंचा करना (यू० ए०)	0.55	0.33	0.20	लगभग पूरा हो गया है। केवल देयताएं शेष हैं।
5.	माही बराज सागर यूनिट i एव ii (ए)	382.56	176.03	22.46	आठवीं योजना के दौरान यूनिट-I एवं II चरण-I/यूनिट-II चरण II को पूरा किए जाने की सम्भावित तारीख उपलब्ध नहीं है।
6.	इंदिरा गांधी चरण-I (ए)	255 00	264.63	4.20	आठवीं योजना
7.	इन्दिरा गांधी चरण-II (ए)	1430.00	455.00	66.25	नौवीं योजना से आगे
8.	जाखम (ए)	74.48	56.34	3.50	आठवीं योजना

1	2	3	4	5	6
9.	गुड़गांव नहर (ए)	30.55	14.49	1.25	आठवीं योजना
10.	ओखला बराज	2.27	0.20	0.20	1991-92
11.	नर्मदा (यू० ए०)	54.80	2.63	0.50	आठवीं योजना से आगे
12.	चम्बल लिफ्ट स्कीम (यू० ए०)	24.52	5.58	0.75	आठवीं योजना
	उप जोड़	2823.33	1010.75	105.36	....(क)
ख.	मध्यम सिंचाई परियोजनाएं				
13.	मेजा पोषक (ए)	24.11	24.93	0.15	सातवीं योजना के अन्त तक पूरी होने की सूचना प्राप्त हुई है। केवल देयताएं शेष हैं।
14.	वेगन (ए)	12 20	11.75	0.20	—वही—
15.	बस्सी (ए)	9.37	9.32	0.20	—वही—
16.	सोम कमला अम्बा (ए)	96.45	41.30	9.60	आठवीं योजना
17.	कोथारी (ए)	10 54	10.57	0.10	7वीं योजना के अन्त तक पूरी होने की सूचना प्राप्त हुई है। केवल देयताएं शेष हैं।
18.	सोम कागदर (ए)	21.53	18.65	1.95	आठवीं योजना
19.	पांचणा (ए)	30.56	19.80	3.00	—वहीं —

1	2	3	4	5	6
20.	भीम सागर (ए)	19.53	16.16	0.20	—वही—
21.	बिलास (ए)	12.00	8.46	1.50	—वही—
22.	चाप्पी (ए)	36.12	4.99	2.00	आठवीं योजना से आगे
23.	परवान लिफ्ट (ए)	13.88	3.11	2.40	आठवीं योजना से आगे
24.	सावद मादों (ए)	15.45	11.44	2.20	आठवीं योजना
25.	हरीश चन्द्र सागर (यू० ए०)	17.93	5.93	1.50	आठवीं योजना
	उप जोड़	319.67	186.41	23.00	(ख)
ग.	आधुनिकीकरण परियोजनाएं				
26.	गंग नगर (यू० ए०)	225.98	18.15	2.75	आठवीं योजना से आगे
27.	जायसमण्ड उदयपुर (यू० ए०)	15.09	1.93	0.03	—वही—
28.	मोरेल (यू० ए०)	27.61	2.35	0.05	—वही—
29.	मोशी (यू० ए०)	3.13	1.53	0.05	—वही—
30.	गुधा (यू० ए०)	7.39	2.11	0.05	—वही—
31.	अलनिया (यू० ए०)	2.77	1.39	0.05	—वही—

1	2	3	4	5	6
32.	परवान (यू० ए०)	7.61	1 07	0.03	—वही—
33.	बम्भीरी (यू० ए०)	16.71	4.40	0.20	—वही—
34.	मेजा (यू० ए०)	4.90	3.13	0.40	—वही—
35.	11 आस्थगित परियोजनाएं	52.53	10.10	0.74	—वही—
	उप जोड़	358.72	46 07	4.35	(ग)
	क+ख+ग का कुल जोड़	3501.72	1243.23	136.71	

टिप्पणी : ए-अनुमोदित, यू०ए०—अननुमोदित

उड़ीसा में लौह-अयस्क का उत्पादन

4030. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा की विभिन्न खानों से लौह अयस्क का कितना उत्पादन किया गया,

(ख) क्या उड़ीसा में कुछ लौह अयस्क खानें बन्द कर दी गई हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा व कारण क्या हैं, और

(घ) इन खानों को पुन: चालू करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) भारतीय खान ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1988 से 1990 के दौरान उड़ीसा राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन निम्नानुसार रहा :—

	(हजार टन)
1988	7465
1989	7276
1990	7959

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

रत्नों का अवैध खनन

[हिन्दी]

4031. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में रत्नों के अवैध खनन से राजस्व की बहुत अधिक हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) व (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

"अदालत के निर्देश भी नहीं मानती दिल्ली पुलिस" शीर्षक से समाचार

4032. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अगस्त, 1991 के "जनसत्ता" में "अदालत के निर्देश भी नहीं मानती दिल्ली पुलिस" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध मे क्या कार्रवाई की गई है/करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) 1 अगस्त, 1991 को "जनसत्ता" में एक समाचार प्रकाशित हुआ था, जिसमें कुछ निर्दोष सिख बालकों को गिरफ्तार करने और दिल्ली पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेशों को न मानने का आरोप लगाया गया था। दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि समाचार में उल्लिखित चार व्यक्ति, नामत: जसविन्दर सिंह, राजविन्दर सिंह; वीर सिंह तथा जगजीत सिंह को 29 जुलाई, 1991 को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से तीनों ने अवैध रूप से हथियार रखे थे और चौथे के पास अवैध रूप से एक हथगोला पाया गया। उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध अलग से एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस ने भी सूचित किया है कि जसविन्दर सिंह तथा राजविन्दर सिंह की ओर से दायर की गई बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है।

वर्मा जांच आयोग

4033. **श्री शिव शरण वर्मा : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री राजीव गांधी की हत्या की जांच करने के लिए गठित वर्मा आयोग ने इस सम्बन्ध में विवरण देने के लिए अवधि बढ़ा दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। विभिन्न लोगों, विशेषकर संबंधित सरकारी विभागों तथा अधिकारियों से प्राप्त अनेक अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए वर्मा जांच आयोग ने तथ्यों के विवरण प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बढ़ा दी है।

डाकघरों में फैक्स मशीनों का प्रयोग आरम्भ करना

[अनुवाद]

4035. **श्री हन्नान मोल्लाह : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का डाकघरों में प्रयोग के तौर पर फैक्स मशीनें लगाने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इलेक्ट्रानिक डाक सेवा को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अभी इलेक्ट्रानिक मेल शुरुआत नहीं की गई है।

मेरठ स्थित पशु परियोजना निदेशालय में कथित अनियमितताएं

[हिन्दी]

4036. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ स्थिति पशु परियोजना निदेशालय में अनियमितताएं बरते जाने के अनेक मामले केन्द्रीय सरकार की जानकारी में लाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) ये शिकायतें निर्माण कार्यों को करने, सरकारी आवास को सुसज्जित करने, सरकारी वाहन के उपयोग, आदि में कथित अनियमितताओं से सम्बन्धित हैं।

(ग) व्यापक जांच करने पर ये शिकायतें अपुष्ट और प्रमाणहीन पाई गईं। फलतः आगे और कोई कारंवाई नहीं की गई।

उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित करना

[अनुवाद]

4037. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कुल कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं और उनमें से कितने एक्सचेंजों को वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित किए जाने की संभावना है; और

(ख) सरकार का उड़ीसा में दूर-संचार नेटवर्क का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) 31.7.1991 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में 477 टेलीफोन एक्सचेंज हैं। इसमें से 1991-92 और 1992-93 के

दौरान क्रमश: 128 और 100 एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित करने की संभावना है।

(ख) 1991-92 के दौरान उड़ीसा दूरसंचार सर्किल में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार प्रस्तावों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

— 11770 एक्सचेंज लाइन जोड़कर 90 से अधिक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संस्थापना/विस्तार तथा 9589 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना।

— 50 स्थानों पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा का विस्तार।

नदी बोर्ड की स्थापना

4038. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक नदी बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन बोर्डों की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या है, और

(ग) यह बोर्ड कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) नदी बोर्ड की स्थापना के संबंध में विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1956 में बनाए गये नदी बोर्ड अधिनियम में अन्तर्राज्यीय नदी अथवा नदी घाटी अथवा उसके विशिष्ट भाग की आयोजना, नियमन या विकास जैसे मामलों में सलाह देने के लिए इस बारे में इच्छुक सरकार से प्राप्त अनुरोध पर नदी बोर्ड की स्थापना की व्यवस्था है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित किए जाने वाले नदी बोर्ड के लिए परिकल्पित कार्य निम्नवत है :—

(क) अपने कार्य क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट अन्तर्राज्यीय नदी अथवा नदी घाटी के नियमन अथवा विकास से सम्बन्धित किसी मामले पर इच्छुक सरकारों को सलाह देना, विशेषकर उनके बीच मतभेदों को हल करने के लिए उनकी गतिविधियों के समन्वय के सम्बन्ध में सलाह देना तथा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अन्तर्राज्यीय नदी घाटी में उनके द्वारा किए गए उपायों के सम्बन्ध में अधिकतम परिणाम प्राप्त करना।

(1) अन्तर्राज्यीय नदी के जल संसाधनों का संरक्षण, नियंत्रण और उनका इष्टतम उपयोग,

(ii) सिंचाई जल आपूर्ति अथवा जल निकास की स्कीमों को बढ़ावा देना तथा उनका प्रचालन,

(iii) जल विद्युत शक्ति के विकास की स्कीमों को बढ़ावा देना तथा उनका प्रचालन,

(iv) बाढ़ नियंत्रण की स्कीमों को बढ़ावा देना और उनका प्रचलन,

(v) वनारोपण को बढ़ावा देना तथा मृदा कटाव नियंत्रण,

(vi) नौवहन को बढ़ावा देना तथा नियंत्रण,

(vii) अन्तर्राज्यीय नदी के जल प्रदूषण का निवारण,

(viii) ऐसे अन्य मामले जैसे कि निर्धारित किए जायें,

(ख) अन्तर्राज्यीय नदी अथवा नदी घाटी के नियमन अथवा विकास के प्रयोजन से बहु-प्रयोजनी स्कीमों सहित स्कीमें तैयार करना और बोर्ड द्वारा तैयार स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए उपाय करने हेतु इच्छुक सरकारों को सलाह देना;

(ग) बोर्ड द्वारा तैयार किसी स्कीम को क्रियान्वित करने तथा स्कीम के क्रियान्वयन में शुरू किए गए किसी कार्य के अनुरक्षण की लागत का इच्छुक सरकारों के बीच आबंटन करना;

(घ) इच्छुक सरकारों द्वारा शुरू किए गए उपायों की प्रगति की निगरानी रखना;

(ङ) कोई अन्य मामला, जो उक्त किसी भी कार्य का अनुपूरक, प्रासंगिक अथवा परिणाम स्वरूप है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने कार्य करने में, बोर्ड ने सभी स्तरों पर इच्छुक सरकारों से सलाह लेनी है और जहां तक व्यवहारिक हो सकता है ऐसी सरकारों के बीच समझौते का प्रयास करना है।

नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 अब तक लागू नहीं किया गया है क्योंकि इस आशय के संबंध में किसी राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

दहेज के कारण मृत्यु

4039. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार दहेज के कारण कितनी मौतें हुई;

(ख) इस संबंध में वर्ष-वार और राज्यवार कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) वर्ष-वार और राज्य-वार कितने लोगों को दोषी ठहराया गया; और

(घ) ऐसे मामलों में वर्ष-वार और राज्य-वार कितने लोगों को मृत्यु-दण्ड दिया गया ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान दर्ज किए गए दहेज के कारण हुई मौतों के मामलों के राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(क) और (घ) अपराध के पंजीकरण, जांच पड़ताल और छानबीन की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। दोषी सिद्ध ठहराए गए लोगों और मृत्यु दण्ड दिए गए लोगों की संख्या के संबन्ध में सूचना केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

विवरण

वर्ष 1988 से 1990 के दौरान दहेज के कारण हुई मौतों के दर्ज किए मामलों की संख्या का विवरण।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1988	1989	1990
1	2	3	4	5
	राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	99	320	344
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	—	—
3.	असम	2	18	24
4.	बिहार	उ०न०	228	243
5.	गोवा	—	—	—
6.	गुजरात	32	51	125
7.	हरियाणा	93	151	126
8.	हिमाचल प्रदेश	7	18	21
9.	जम्मू और कश्मीर	4	7	8
10.	कर्नाटक	179	175	216
11.	केरल	6	16	11
12.	मध्य प्रदेश	192	282	397
13.	महाराष्ट्र	294	690	858
14.	मणिपुर	—	—	1
15.	मेघालय	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैण्ड	—	—	—
18.	उड़ीसा	23	42	64
19.	पंजाब	50	78	103
20.	राजस्थान	107	130	166
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	75	122	86
23.	त्रिपुरा	7	9	5
24.	उत्तर प्रदेश	777	1364	1516
25.	पश्चिम बंगाल	155	402	420

1	2	3	4	5
	संघ शासित क्षेत्र :			
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
27.	चण्डीगढ़	2	1	....
28.	दादरा और नगर हवेली	1	—	—
29.	दमन और दीव	—	—	—
30.	दिल्ली	103	109	102
31.	लक्षद्वीप	—	—	—
32.	पाण्डिचेरी	—	2	—

टिप्पणी :— 1. ब्यौरे माहवार उपराध आकड़ों पर आधारित है और इसे अन्तिम माना जाय।

2. उ० न० "उपलब्ध नहीं", के लिए है।

दिल्ली पुलिस को चुस्त बनाने सम्बन्धी उपाय

4040. **रामनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े-बड़े दावों और बन्दोबस्त के बावजूद भी दिल्ली पुलिस ओखला बैंक डकैती तथा दूरदर्शन के महानिदेशक पर घातक हमले के लिए जिम्मेदार अपराधियों को पकड़ने में असफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली पुलिस के कार्यकरण को चुस्त बनाने तथा दिल्ली वासियों में पुनः विश्वास बहाल करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) सभी प्रयासों के बावजूद, पुलिस, ओखला बैंक डकैती के लिए जिम्मेवार अपराधियों और दूरदर्शन के महानिदेशक पर हमला करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल नहीं हो पायी।

(ख) दिल्ली पुलिस के कार्यकरण को सक्रिय बनाने के लिए उठाए गए कदमों में, सभी संवेदनशील बैंकों तक चलती-फिरती/पैदल गश्त और पुलिस नियन्त्रण कक्ष वाहन सहित टुकड़ियों की सेवाएं उपलब्ध करना, बैंक प्रबन्धक के साथ पुलिस का गहन सम्पर्क, बैंक गार्डों और अलार्म प्रणाली की जांच, सामरिक महत्व के स्थानों पर पुलिस नियंत्रण कक्ष वाहन को तैनात करना, पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना, ज्ञात अपराधियों के विरुद्ध-निष्कासन कार्यवाई करना, इत्यादि, सम्मिलित हैं।

तारघर कार्यालय के लिए भवन का निर्माण

4041. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तारघर कार्यालय, नई दिल्ली और तारघर कार्यालय, कलकत्ता के लिए नये भवनों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक परियोजना इस समय किस चरण में है, और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) नई दिल्ली में एक नए केन्द्रीय तारघर भवन का निर्माण करने का प्रस्ताव है। कलकत्ता के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) (i) नई दिल्ली में एक नए केन्द्रीय तार घर : नक्शे तैयार करने का कार्य पूर्ण हो गया है। दिल्ली शहरी कला आयोग के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

(ii) कलकत्ता केन्द्रीय तारघर : लागू नहीं।

(ग) (i) नई दिल्ली केन्द्रीय तारघर : यह पाया गया है कि भवन निर्माण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली इस प्रस्तावित भूमि पर कुछ झुग्गी-झोंपड़ी वालों ने कब्जा कर रखा है। यह कब्जा छुड़ाने के लिए डी० डी० ए० (स्लम विंग) को कहा गया है। जमीन खाली होने के बाद भवन के निर्माण में तीन वर्ष का समय लगेगा।

(ii) कलकत्ता केन्द्रीय तारघर : लागू नहीं।

विभागेतर कर्मचारियों को पेंशन

4042. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभागेतर कर्मचारियों को पेंशन देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जैसाकि केरल जैसे विभिन्न राज्यों में कृषि श्रमिकों, वृद्धों तथा अन्य कमजोर वर्गों को दिया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा प्रभावी आदेशों के तहत केवल नियमित पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को ही पेंशन दी जाती है बशर्ते कि वे इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई शर्तें पूरी करते हों। चूंकि अतिरिक्त विभागीय एजेंट अकालिक कर्मचारी होते हैं, इसलिए सरकार के मौजूदा नियमों के अधीन वे पेंशन पाने के हकदार नहीं हैं।

पाझासी सिंचाई परियोजना

4043. **श्री एम० रमन्ना राय : क्या जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केरल में पाझासी सिंचाई परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है,

(ख) इसकी मूल अनुमानित लागत तथा परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है, और

(ग) इस पर अभी तक कितनी धनराशि व्यय की गई है और इसे कब तक पूरा किया जाएगा ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) केरल की पाझासी सिंचाई परियोजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

केरल में पाझासी सिंचाई परियोजना का ब्यौरा

केरल में 22,256 हेक्टेयर कृष्य कमान वाली पाझासी सिंचाई परियोजना, जिसमें वालापत्तनम नदी पर एक बराज के निर्माण की परिकल्पना है, को, 4.42 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वर्ष 1964 में योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी गई । इस परियोजना से 32,400 हेक्टेयर पर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई की जा सकेगी । 14.82 करोड़ रुपए के प्रथम संशोधित अनुमान परियोजना के कार्यक्षेत्र में किसी परिवर्तन की परिकल्पना न करते हुए योजना आयोग द्वारा क्रमश: 1975 और 1981 में स्वीकृत भी किए गए । जून, 1991 में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार, परियोजना का कृष्य कमान क्षेत्र तथा सिंचाई क्षमता क्रमशः 11,530 और 23,050 हेक्टेयर संशोधित की गई है । सातवीं योजना के अन्त तक सृजित तथा उपयोग की गई क्षमता 11,460 हेक्टेयर सूचित की गई है ।

राज्य सरकार द्वारा वार्षिक योजना प्रलेख में बताई गई परियोजना की अद्यतन लागत 81 12 करोड़ रुपए है । मार्च, 1990 तक 71 12 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है और वर्ष 1990-91 के लिए 2 करोड़ रुपए व्यय किए जाने की प्रत्याशा है । राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 के लिए संस्तुत परिव्यय 3.40 करोड़ रुपए है । राज्य सरकार का इस परियोजना को 1992-93 में पूरा करने का कार्यक्रम है ।

दिल्ली में पुलिस आयुक्त प्रणाली

4044. **श्री मदन लाल खुराना : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पुलिस आयुक्त प्रणाली को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में पुलिस आयुक्त प्रणाली के कार्यकरण के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) एक भूतपूर्व सांसद का एक पत्र जुलाई, 1991 में प्राप्त हुआ था, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में पुलिस आयुक्त प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इस के लागू होने से अपराध में वृद्धि हुई है। पत्र में आगे कहा गया है कि पुलिस आयुक्त प्रणाली से पुलिस की शक्तियां असीमित हो गई है जिसके फलस्वरूप भ्रष्टाचार पनपा है।

बड़े जलाशयों का जीवन काल

[हिन्दी]

4045. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिहन्द बांध सहित बड़े जलाशयों के निर्माण के समय उनका जलाशय-वार कितना जीवन काल आंका गया था,

(ख) क्या उन जलाशयों का जीवन काल, उनमें अधिक मात्रा में गाद जमा हो जाने के कारण, काफी घट गया है,

(ग) यदि हां, तो उक्त जलाशयों में अधिक मात्रा में गाद जमा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) देश में बृहद जलाशयों की 100 वर्ष की आयु की योजना बनाई गई है। जलाशयों में गाद भरना एक प्राकृतिक घटना है तथा गाद समायोजित करने के लिए जलाशयों की क्षमता में प्रावधान किए जाते हैं। रिहन्द बांध पर भी गाद भरने के कारण अप्रत्याशित रूप से अधिक हानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अन्य बांधों में भी जहां गाद भरने की सूचना मिली है, गाद भरने के कारण भण्डारण में हानि सामान्य तथा बहुत अधिक नहीं है। देश में कुछ बृहद जलाशयों की आयु नीचे दिए गए अनुसार आंकी गई है :—

बांध/जलाशय का नाम	जलाशय की अनुमानित आयु	क्षमता हानि का प्रतिशत सकल भण्डारण	अवधि
1. मैथान (बिहार)	246 वर्ष	14.0	24 वर्ष (1955-79)
2. पोंग (हिमाचल प्रदेश)	100 वर्ष	3.35	12 वर्ष (1974-86)
3. तुंगभद्रा (कर्नाटक)	200-300 वर्ष	14.84	32 वर्ष (1953-85)
4. गांधीसागर (मध्य प्रदेश)	100 वर्ष	2.3	16 वर्ष (1960-76)
5. गिरना (महाराष्ट्र)	100 वर्ष	7.2	14 वर्ष (1965-79)
6. हीराकुड (उड़ीसा)	400 वर्ष	14.5	27 वर्ष (1957-84)
7. भाखड़ा (पंजाब)	180 वर्ष	5.78	29 वर्ष (1957-87)

(ग) और (घ) गाद की दर, जल के वार्षिक प्रवाह के अनुपात में जलाशय की भण्डारण क्षमता, भू-आकृति विज्ञान सम्बन्धी विशेषताएं, जलवायु तथा जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि उपयोग पद्धति जैसे तथ्यों पर निर्भर करती है। गाद प्रवाह रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा जलग्रहण क्षेत्रों में वानिकी कार्य, जल विभाजक प्रबन्ध परियोजनाएं तथा भूमि संरक्षण उपाय शुरू किए जाते हैं।

डिश एन्टिना का दुरुपयोग

[अनुवाद]

4046. **श्री गंगाधर सानीपल्ली**
श्री मोरेश्वर सावे : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता लगा है कि विदेशी कार्यक्रम देखने के लिए डिश एन्टिना का दुरुपयोग किया जाता है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) केवल भारतीय उपग्रह से दूरदर्शन के कार्यक्रम ग्रहण करने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले अथवा इस्तेमाल किये जाने के लिए सक्षम डिश एन्टिना, उससे सम्बद्ध फ्रंट और कन्वर्टर की स्थापना, रख-रखाव अथवा प्रचालन के लिए, दूरसंचार विभाग की विभिन्न फील्ड यूनिटों द्वारा प्रचालनीय अनुज्ञप्तियां जारी की जा रही हैं। यह रिपोर्टें मिली हैं कि इन्हें, विदेशी उपग्रह से दूरदर्शन के कार्यक्रम ग्रहण करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डिश एन्टिना की अनुज्ञप्ति भारतीय उपग्रह के लिए दी जाती है। यह रिपोर्टें भी मिली हैं कि एन्टिना को विदेशी कार्यक्रम ग्रहण करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। विदेशी उपग्रहों से दूरदर्शन के कार्यक्रम ग्रहण करने में सक्षम डिश एन्टिना पर नियामक नीति पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

न्याय पंचायतों को न्यायिक अधिकार और शक्तियां

4047. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत सामान्य अपराधों के मामलों को निपटाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायतों को न्यायिक अधिकार और शक्तियां प्रदान करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) भारत सरकार मामले पर विचार कर रही है।

तटीय क्षेत्रों में मत्स्य-उत्पाद प्रसंस्करण एकक

4048. **प्रो० उमारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय आंध्र प्रदेश में "टाइगर प्रान" के पालन ने आश्चर्यजनक छलांग लगाई है;

(ख) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले में सर्यालंका में भी "प्रान हैचरी" स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निर्यात के विकास को और बढ़ावा देने हेतु तटीय क्षेत्र में मत्स्य-उत्पाद प्रसंस्करण एकक प्रारंभ करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कृषि और सहकारिता विभाग ने "समेकित खारापानी मछली फार्म विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन दिसम्बर, 1989 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के सर्यलंका में 210.80 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत पर एक झींगा बीज हैचरी की स्थापना की स्वीकृति दी है। इस हैचरी के पूरे हो जाने के बाद यह हैचरी प्रति वर्ष लगभग 25 मिलियन टाइगर झींगा बीच का उत्पादन करने की स्थिति में होगी।

(घ) इस समय, तटवर्ती क्षेत्रों में नयी मछली परिसंस्करण इकाइयां शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

12 00 म० प०

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, आपकी कृपा है कि आप आज मुझे बर्खास्त रेलवे कर्मचारियों की बहाली का प्रश्न उठाने की अनुमति देंगे। किन्तु, कल माननीय रेल मत्री ने एक घोषणा की थी। मैं यही आशा करता हूं कि आप यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अपने वायदे को पूरा करें। सलिए, मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष जी, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अखबारों में छपा है कि रूमानिया में हमारे राजदूत श्री जे० एफ० रेबिरो पर कातिलाना हमला हुआ है. उससे एक दहशत-सी फैल गयी है। इसके पूर्व भी हमारे उच्चायुक्त के अटैची श्री महात्रे की लन्दन में हत्या हुई थी। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में क्या करने जा रही है और यह जानकारी भी चाहता हूं कि विदेशों में जो हमारे राजनयिक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

[अनुवाद]

श्री सोमानाद्रीश्वर वाड्डे राव (विजयवाड़ा) : महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान उस स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि केन्द्रीय विद्यालयों में तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी में प्रवेश के लिए जो विद्यार्थी चुने गए हैं उन्हें प्रवेश नहीं मिल सका क्योंकि भारत

सरकार से प्रवेश के लिए अनुमति मिलने में विलम्ब हुआ। लगभग 300 केन्द्रीय विद्यालयों में यही स्थिति है जिसके कारण हजारों बच्चों को प्रवेश नहीं मिल सका और उनके अभिभावकों को दु:ख का सामना करना पड़ा है। इसलिए, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मामले पर ध्यान दें और III श्रेणी के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी में विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए आवश्यक अनुमति दें और इस प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करें ताकि भविष्य में ऐसा विलम्ब न हो।

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : महोदय, आयोग का आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि तमिलनाडु की लम्बी समुद्र तटीय रेखा काफी संवेदनशील सीमा क्षेत्र है जो हिमालय क्षेत्र के बराबर है।हम योजना आयोग से सेतु समुदाय परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का अनुरोध करते है क्योंकि इसका सुरक्षा और सामुद्रिक दोनों ही दृष्टियों से महत्व है। यह तमिलनाडु की जनता की इच्छा है कि सेतु समुद्रम परियोजना को आठवीं योजना में शामिल किया जाए।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान-निकोबार) : अध्यक्ष महोदय, समाचारपत्रों में जैसी की खबर है कि सोवियत संघ की बहादुर जनता ने लोकतंत्र को पुन: बहाल किया है। मैं अनुरोध करता हूं कि यह सदन, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सर्वसम्मति से सोवियत संघ की जनता को लोकतंत्र बहाल करने के लिए और सोवियत नेता मिखाइल गार्बाचोव के प्रति सद्भावना के लिए बधाई दे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय भारत की जनता की ओर से सदन को सोवियत संघ की जनता और राष्ट्रपति श्री मिखाइल गर्बाचोव को अलोकतांत्रिक शक्तियों पर उनकी विजय के लिए शुभकामनाएं देनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री मनोरंजन भक्त : हम उन शक्तियों की निंदा करते हैं जिन्होंने तख्ता पलट करने वाले लोगों की सहायता की **(व्यवधान)**....

अध्यक्ष महोदय : श्री भक्त, आप एक अलग विषय पर बोल रहे हैं। श्री जसवंत सिंह जी....

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी और मैं व्यक्तिगत रूप से सोवियत संघ में अलोकतांत्रिक तख्तापलट के असफल होने पर प्रसन्नता व्यक्त करता हूं सोवियत संसद की सत्ता की पुन: बहाली और राष्ट्रपति गार्बाचोव के पद की पुन: बहाली का भी हम स्वागत करते हैं। यह एक अति महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना सही दिशा में है और पेरेस्त्रोइका और ग्लास्नोत की मूल क्रांति से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। सोवियत जनता की इच्छा की विजय हुई है। हम सोवियत संघ की जनता को जनतांत्रिक भावना और लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सलाम करते हैं। इस महान विजय की घड़ी में और लोकतंत्र की विजय पर हम उन्हें बधाई देते हैं।

रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्तासिन के द्वारा प्रतिनिधित्व में जिन हजारों लोगों ने बाधा खड़ी की उनकी नैतिक और शारीरिक शक्ति की गाथा अत्यन्त लोमहर्षक है **(व्यवधान)**....

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं कहूंगा···

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। किन्तु इस महत्त्वपूर्ण क्षण में मुझे कुछ कहना है **(व्यवधान)**····

अध्यक्ष महोदय : यह स्वागत योग्य है और आप स्वागत कर रहे हैं, किन्तु····

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : किन्तु बधाई देते समय, मुझे कुछ कहना है और महोदय यह मैं रिकार्ड करवाना चाहता हूं।

सी० पी० आई० (एस०) के मेरे मित्रों की असुविधा पर टिप्पणी न करते हुए मैं कहना चाहता हूं **(व्यवधान)**····

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इस अवसर का मेरे मित्र दुरुपयोग कर रहे हैं। वे अनावश्यक रूप से हम पर छींटाकशी क्यों कर रहे हैं ? हमारी अपनी प्रतिबद्धताएं है। हम भी सोवियत संघ की जनता को बधाई देते हैं। हम जानते हैं कि जनता की इच्छा की जीत हुई है। लोग जो चाहते थे उन्हें वह मिल गया। किन्तु महोदय, यह तरीका नहीं है **(व्यवधान)** मेरे एक अत्यन्त घनिष्ठ मित्र लोकतंत्र की और सोवियत रूस में जनता की विजय की बात कर रहे हैं किन्तु वे और उनका दल इस देश के लोगों के लिए क्या कर रहा है, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए **(व्यवधान)** ···

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, सभा में सभी पक्षों की यही राय है। हमें यह सम्मान के साथ करना चाहिए ··**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया लोकनाथ जी····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महत्त्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। किन्तु हमें कहने में बहुत सावधानी बरतनी है और हमें इसे तरह से करना है कि सभा में हम किसी विवाद में न पड़े ··

(व्यवधान)

जसवन्त सिंह : महोदय, मैं आगे अपनी बात कहता हूं। मैं, कहना चाहता हूं कि भारत-सोवियत संघ संबंधों जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर भारत सरकार की नीति, जो माननीय विदेश मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में झलकती है, उसे सिर्फ कायरतापूर्ण, संकोच पूर्ण और स्थिति के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है। यह वक्तव्य जो ससद के कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल है स्वयं ही ····**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : महोदय, उन्होंने बहस शुरू कर दी है।

श्री जसवन्त सिंह : मैं अपनी बात कह रहा हूं। जो परिवर्तन हुआ है मैं उसका स्वागत करता हूं (**व्यवधान**) कांग्रेसी पक्ष में होने वाले परिवर्तन का मैं स्वागत करता हूं.... (**व्यवधान**) सरकार ने एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना पर प्रतिक्रिया की। भारत-रूस के सम्बन्धों में सरकार ने जो प्रतिक्रिया दी वह कायरतापूर्ण व असंगत थी। इसने ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया की कि ऐसा लगा कि सरकार की प्रतिक्रिया पहले की घिसी पिटी अति थी। सिर्फ यह वक्तव्य ही नहीं दिया गया अपितु प्रधानमन्त्री की वह टिप्पणी भी कार्यवाही वृत्तान्त में है जो अनावश्यक उपदेश से भरी हुई है कि सुधारकों को सावधान रहना चाहिए। समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि मास्को में हमारे राजदूत ने वहां होने वाले तख्ता पलट पर कुछ टिप्पणी की। अगर, जैसा छपा है यह टिप्पणी सही है तो....

अध्यक्ष महोदय : जसवत सिंह जी, यह एक अत्यन्त नाजुक मसला है...

(**व्यवधान**)

श्री जसवंत सिंह : इसीलिए मै इसे उठा रहा हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया ..

(**व्यवधान**)

श्री जसवंत सिंह : मैं अपनी बातचीत में समाप्त नहीं कर रहा। मुझे बात समाप्त करने दें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं सिर्फ श्री जसवंत सिंह से बात समाप्त करने का अनुरोध कर रहा हूं।

श्री जसवन्त सिंह : मास्को में हमारे राजदूत ने जो कहा है उसके बारे में जो खबरें आई हैं यदि वे सत्य हैं, जो यहां अकुशल और अपर्याप्त सूचना का अनुचित रूप से प्रयोग हो रहा है। अगर यह सही है, तो सरकार को जल्दी ही संशोधन करना चाहिए, क्योंकि यह भारत-रूस संबन्धों का मामला है। अगर यह सही नहीं है, तो भी सरकार को शीघ्र ही सुधार करना चाहिए क्योंकि यह भारत-रूस संबन्धों का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : जसवन्त सिंह जी, ये अत्यन्त नाजुक मामले हैं। इतनी जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालें।

श्री जसवन्त सिंह : मैं इतनी जल्दी निष्कर्षों पर नहीं आ रहा। मैं दोनों ही बातें कह रहा हूं। अगर वे सही है, तो एक निष्कर्ष निकलता है और अगर यह सही नहीं है तो दूसरा निष्कर्ष निकलता है। मेरी मांग है कि सरकार को इस मुद्दे पर एक वक्तव्य देना चाहिए। दोनों ही स्थितियों

में सरकार को सदन में एक वक्तव्य देना चाहिए और संसद के परिसर के बाहर इन घटनाओं पर टिप्पणी न करें।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री जार्ज फर्नाडीज।

(**व्यवधान**)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : महोदय, कृपया मुझे अनुमति दें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे स्थिति संभालने दें। मैं आपको अनुमति दूंगा। मैं बूटासिंह जी को अनुमति दूंगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि इस सभी होने वाली घटनाओं के महत्त्व, सवेदनाशीलता और विषमता से परिचित हैं। मैं माननीय सदस्यों से यही अनुरोध करूंगा कि वे तथ्यों में उचित रूप में रखें जिससे कि हमारी विदेश नीति सारे विश्व में सौहार्द पूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न करने का माध्यम बनें। हां, श्री जार्ज फर्नाडीज।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फर पुर) : अध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये, रूस में जो घटनाएं घटी हैं और रूस की जिस जनता ने, बहुत ही बहादुर जनता ने, जो तानाशाही कुछ ही घण्टों के लिये वहां पर लादी गयी थी, उस तानाशाही को हराने और मिटाने का काम किया है, उसे इस सदन की तरफ से बधाई दी जाये यह कहना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले 48 घण्टों में रूस में हमने जो कुछ देखा, वह इसी का द्योतक है कि आज की दुनिया में जहां तहां भी, किसी भी प्रकार का, व्यक्ति आजादी, नागरिक आजादी को मिटाने का प्रयास कोई करेगा तो उसके इस प्रयास में, दुनिया की कोई भी शक्ति अब सामना करने की सामर्थ्य नहीं रखती है। मुझे अफसोस है, इस बात का, मैं यहां कोई बहस नहीं करना चाहता और न बहस छेड़ना चाहता हूं कि हमारी सरकार को इस चीज की जानकारी होनी चाहिये थी कि रूस में जो बदलाव गोर्बाचेव ने लाये थे वे बदलाव इतने बुनियादी थे और लोगों के जहन में वे कहां तक जाकर पहुंच चुके थे। हम लोगों ने शायद सोचा होगा कि राजनीति दरबार में बैठकर, जैसे यहां चलती है, वैसे ही वहां भी कोई दरबारी राजनीति होगी और एक को हटाकर, दूसरे को बैठा दिया तो हम दूसरे के पीछे हो लें.... (**व्यवधान**) ····जो आज हम लोग अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, वह यही है कि रूस की राजनीति दरबारी नहीं है। वह लोगों की राजनीति

है और लोगों ने वहां पर खड़े होकर, जिन्होंने दरबारी राजनीति को चलाने का प्रयास किया, उनको हटाने में, उनको खत्म करने में कामयाबी पाई है । (व्यवधान)

विदेश मंत्री यहां बैठे हुए हैं । उस दिन उन्होंने जब यहां पर बयान दिया था, मैं भी सदन में था । मैं उसी वक्त उनको टोकना चाहता था, लेकिन आपने जिस डैलिकेसी की अभी बात की....

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी भी कर रहा हूं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नही, अध्यक्ष जी, इसमें कोई डैलिकेसी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम थोड़ा इन्तजार तो करें ।

श्री जसवन्त सिंह : इसमें डैलिकेसी जैसी कोई बात नहीं है जबकि लोग कठिनाइयों से जूझ रहे हैं ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, इसमें किसी प्रकार की डैलिकेसी नहीं है । गोर्बाचेव एक चुने हुए नेता थे और वहां एक चुने हुए नेता को हटाने का नाम हुआ । माननीय अधिकारों के साथ खड़े रहने वाले भारत की जनता की ओर से सरकार का फर्ज था कि वह गोर्बाचेव के पीछे खड़ी रहती । ....(व्यवधान)...और अगर इतना भी नही हुआ, तो बोरिस येल्तसिन की क्या शक्ति है, रूस की क्या शक्ति है, रशियन रिपब्लिक की क्या शक्ति है, अगर इसको भी थोड़ा सा समझने की अक्ल हमारी भारत सरकार में होती, तो जो आज रूस के लोगों के सामने हमारा मुंह काला होने की स्थिति आ गई है, वह नहीं होती ।

अध्यक्ष महोदय, मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने सरकार के रूख बदलने के बावजूद भी रूस के लोगों का साथ देने का काम किया । श्री गोर्बाचेव, बोरिस येल्तसिन और रूस की जनता को अध्यक्ष जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस देश की ओर से बधाई भेजने का काम आप करें । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, यह एक बार फिर प्रमाणित हो गया है कि इतिहास को आगे बढ़ाने में मात्र जनता ही निर्णायक शक्ति है और जनता की इच्छा के सामने कोई भी नहीं टिक सकता है । सोवियत संघ के लोगों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं । यह अच्छी बात है कि रक्तपात नहीं हुआ और हम तीसरी दुनिया के लोग सोवियत संघ की ओर इन अपेक्षाओं के

साथ देख रहे हैं कि वह इन देशों में भी ऐसे संघर्षों में उसी तरह सहायता दें जैसा पहले देते रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बातचीत न करें।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, हमारे देश का सोवियत संघ से बहुत ही अच्छा सम्बन्ध रहा है और निश्चित तौर पर हमारा देश यह चाहता है कि यह सम्बन्ध कायम रहे इसमें कोई सन्देह नहीं है। महोदय, जहां तक इसका सम्बन्ध है, मुझे यह भय हो रहा है कि अमरीकी साम्राज्यवाद की पकड़ मजबूत होती जा रही है, लेकिन इस पर मैं कोई निर्णय नहीं देना चाहती। मैं तो केवल यही कामना करती हूं कि सोवियत जनता अपनी सूझबूझ से विजय होगी और साथ ही तीसरी दुनिया के देशों का भविष्य भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।

श्री सोमनाथ्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कुछ सप्ताह पूर्व सोवियत रूस में जो घटनाएं घटीं उससे पूरी दुनिया के करोड़ों लोग विचलित हो गये।

महोदय, श्री मिखाईल गोर्बाचेव केवल सोवियत संघ के राष्ट्रपति ही नहीं हैं बल्कि वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे कई उन देशों के लोगों को प्यार है, जो शांति प्रिय लोग हैं और वे शान्ति के प्रतीक हो गए हैं। हाल ही में जार्ज बुश के साथ हुए ऐतिहासिक समझौते ने कई देशों में दुनिया के भविष्य के बारे में कई भाषाओं को जाग्रत किया है।

महोदय, हम अत्यधिक प्रसन्न हैं और हम अपने सहयोगियों सहित सोवियत संघ की जनता को इस बात की बधाई देने में आपके साथ हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति गोर्बाचेव को पुन राष्ट्रपति के रूप में स्थापित कर दिया है और अंततः उन्होंने यह भी प्रमाणित कर दिया है कि सोवियत जनता ने वास्तव में ग्लासमोस्त और पेरेस्त्रोइका को स्वीकार कर लिया है जिसे कामरेड गोर्बाचेव द्वारा पहली बार कम्युनिस्ट दुनिया के इतिहास में शुरू किया गया है।

श्री लोकनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सोवियत संघ में जो घटना घटी है वह अविस्मरणीय और अपनी छाप छोड़ने वाली है और यह प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। सोवियत संघ का घटनाक्रम इस दृष्टि से नाजुक है कि यह अब भी उनका आतरिक मामला बना हुआ है। अब तक सोवियत संघ से हमारे अच्छे सम्बन्ध रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्वावलम्बी बनाए रखने में उनका अपार योगदान रहा है। लेकिन जब इस स्थिति में हालात नियंत्रण से बाहर हो जाएं तो मेरे विचार में भी तख्ता पलट द्वारा सत्ता पर कब्जा करने का कोई भी प्रयास निंदनीय है। अमरीकी साम्राज्यवाद ने सोवियत संघ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है कि यह एक नाजुक मामला है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह दोनों ही पक्षों पर लागू होता है।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मै अमरीकी साम्राज्यवाद के बारे में कह रहा हूं और विशेषत: जार्ज बुश ने जो भूमिका अदा की है उसके सम्बन्ध में कह रहा हूं। एक ऐसे समय पर जब सोवियत जनता अपने भविष्य का निर्णय करने वाली थी ऐन वक्त पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप भी निन्दनीय है। हमें यह भी कहना चाहिए। हमें कोई शक नहीं है कि सोवियत जनता उभर कर आगे आएगी और उसकी एकजुटता रंग दिखाएगी। लेकिन उसके साथ ही, हम उन नकारात्मक घटनाक्रमों को भी देखें जो विश्व में घटित हो रहा है। इसलिए भारत सरकार द्वारा इस स्थिति में कोई भी मत व्यक्त करना बहुत ही नाजुक मामला है और हमें स्थिरता आने तक स्थिति पर नजर रखनी होगी।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : अध्यक्ष महोदय, यह घटना बिल्कुल अचानक ही घटी है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सोवियत संघ की प्रभुता सम्पन्न जनता को पूरा अधिकार है और उन्हें हां अपने जीवन का रास्ता चुनने का अपनी आर्थिक नीति निर्धारित करने और अपने विदेशी संबन्धों को बनाने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार है। वे स्वतंत्र है, वे प्रभुसत्ता सम्पन्न हैं और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत भूमि के लोगों की पार्टी है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी नीति है और कार्यक्रम हैं। अपने सदस्यों और सामान्य जनता के सहयोग के सहारे उन्होंने अपनी नीति और कार्यक्रम बनाए हैं। हमें उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। सभी राजनीतिक दलों को यह अधिकार है कि वह अपनी नीति और कार्यक्रम स्वयं बनाए। मैं महसूस करता हूं कि खास तौर से इस नाजुक समय में सी०पी०एस०यू० सही दिशा अपनाएगी और सोवियत संघ राजनैतिक स्थिरता लाएगी। जहां तक भारत-सोवियत सम्बन्धों का मामला है भारत के लोग युगों से दोनों देशों की महान जनता के मध्य दोस्त निभाती रही है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार उस नीति का अनुसरण करती रहेगी जिसका लम्बे समय से अनुसरण करती रही है और भारत की जनता को यह देखकर प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार अपनी नीति से विचलित नहीं हो रही है।

महोदय, मुझे आशा और विश्वास है कि विश्व में शान्ति और लोकतंत्र की स्थापना तथा सोवियत संघ में समाजवाद की पुर्नस्थापना के लिये सोवियत जनता, जिसे क्रांति विरासत में मिली हुई है, सतत संघर्ष करती रहेगी।

[**हिन्दी**]

श्री बूटा सिंह (जालोर) : अध्यक्ष जी, सोवियत यूनियन में जो हुआ उस पर सदन में सब पक्षों की ओर से जो चिन्ता व्यक्त की गई वह स्वाभाविक है। मैं चाहूंगा कि इसके बजाय कि हम

दलगत नीति के ऊपर उठकर इस पर अपने विचार व्यक्त करें, मुझे पूरा विश्वास है कि सदन के नेता भारत सरकार की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से अपने विचार रखेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि पूरे सदन की ओर से, जैसा श्री मनोजरंन भक्त ने कहा, यदि आपकी ओर से इस तरह का प्रस्ताव आए जिससे पूरे सदन की ओर से आप इसका स्वागत करें कि रूस में फिर से लोकतंत्र बहाल हुआ है। क्योंकि विश्व शान्ति का अग्रदूत भारतवर्ष है और श्री गोर्बाचोफ और श्री राजीव गांधी जब विश्व शांति के रास्ते पर चले (व्यवधान) जब खाडी युद्ध की समाप्ति के लिए श्री राजीव गांधी ने अपनी विश्व शान्ति की यात्रा शुरू की तो उसका पहला चरण मास्को था और सबसे पहले उन्होंने श्री गोर्बाचोफ से बातचीत की थी।

अभी-अभी जो गोर्बाचेव और प्रेजीडेंट बुश के दरम्यान विश्व शांति के लिए ऐतिहासिक संधि हुई है, उसको आगे भविष्य में ले जाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि सोवियत यूनियन में इस तरह का वातावरण हो जो फिर से बहाल हो। उसके लिये हम सब ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं कि वहां स्टैबिल्टी हो, लोकतंत्र हो।

सोवियत यूनियन की मैत्री जो भारत वर्ष के साथ सदियों पुरानी है, उसको आगे बढ़ाया जाये। इस प्रकार का प्रस्ताव आपकी ओर से आना चाहिये।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, निस्सन्देह यह मात्र महत्वपूर्ण घटना ही नहीं बल्कि मेरे विचार से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पूरे विश्व में सभी लोगों के लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के साथ जो उतार-चढ़ाव संघर्ष तथा उनकी विजय आदि का विवरण इतिहास के पन्नों पर अंकित है और मैं यह कहता हूं कि कोई शांत पीढ़ी नहीं बल्कि उथल-पुथल का समय ही इतिहास पर अपनी छाप छोड़ता है।

भारत-सोवियत मित्रता पर हमें किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। मैं यह दोहराने की अनुमति चाहता हूं कि भारत-सोवियत मित्रता की नींव राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ही रखी थी। इतने वर्षों के दौरान यह ध्यान देने की बात है कि इन सबंधों का देश के सभी पक्षों ने समर्थन किया है। यद्यपि कुछ लोग हैं जिनका अपना ही तर्क है कि हम सोवियत संघ के साथ मित्रता कुछ हद से अधिक ही कर रहें हैं। लेकिन जैसा कि बार-बार यह कहा गया है कि यह मित्रता दीर्घा में बैठे लोगों की वाह-वाही लेने के लिये नहीं बनाई गई है, यह मित्रता किसी के लिये अथवा उसके विरोध में नहीं है, बल्कि यह मित्रता महान सोवियत जनता और भारत की महान जनता के हित में की गई है।

अतः सोवियत संघ के लोगों के साथ मिलकर मुझे प्रसन्नता होती है। वे लोग अपने देश में जो कुछ करना चाहते हैं उसमें उन्होंने एक बार फिर अपनी सर्वोच्चता सिद्ध की है।

यदि माननीय विदेश मन्त्री मौन थे तो इसका अर्थ यह नहीं था कि लोकतंत्र के विस्तार के

प्रति हमारी वचनबद्धता में कोई कमी थी। वह एक कूट नीतिक मौन था और मैं समझता हूं कि इस सभा में वे सभी लोग, जो कभी न कभी सत्तापक्ष में थे, इस बात को भलिभांति जानते होंगे। मैं कोई उदाहरण नहीं देना चाहता और मैं किसी के विरुद्ध कोई आरोप भी नहीं लगाना चाहता।

मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक सोवियत संघ में हमारे राजदूत के कथित वक्तव्य का सम्बन्ध है, मैंने वह तैस रिपोर्ट देख ली है। यह किसी और के कथन से, जिसने राजदूत का संदर्भ दिया है, ली गई बात है। अच्छा यह होगा कि विदेश मन्त्रालय को यह पता लगाने के लिए कहा जाना चाहिये कि वास्तव में मामले के तथ्य क्या है। यदि यह राजदूत द्वारा दिये गये वक्तव्य से उद्धृत किया गया है तो यह बिलकुल अलग बात होगी। रिपोर्ट मिली है कि किसी और व्यक्ति ने राजदूत द्वारा इस प्रकार की गई बात को उद्धृत किया है।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए हम इस पर विश्वास नहीं करते।

श्री अर्जुन सिंह : परन्तु इसका यहां उल्लेख किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कह रहे हैं। परन्तु हम इस पर विश्वास नहीं करते।

श्री अब्दुल गफ्फूर : (गोपालगंज) श्री शंकर दयाल सिंह अभी मास्को से आये हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी भारत के राजदूत के बातचीत हुई है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। यह एक निजी बातचीत है और यह एक नाजुक मामला है। मैं इसे देखूंगा और फिर उचित निर्णय लूंगा।

श्री अर्जुन सिंह : माननीय विदेश मन्त्री जी तथ्यों का पता लगायेंगे और फिर वे सदन में आयेंगे क्योंकि जैसाकि मैंने कहा है, यह किसी स्वार्थ अथवा सुविधा का प्रश्न नहीं है।

भारत-सोवियत सम्बन्ध और मैत्री के ठोस आधार है। वे आधार केवल परस्पर हित ही नहीं हैं अपितु तमाम विश्व में शान्ति बनाये रखने में सहायक रहे हैं और जब कभी शान्ति को खतरा हुआ है, लोक तन्त्र को खतरा हुआ है, कमजोर राष्ट्रों के कल्याण को खतरा हुआ है तो उसके विरुद्ध खड़े होने में सहायक रहे हैं। जब देश में अथवा दुनिया में गरीब लोगों को किसी प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो किसी न किसी को उनके लिए आवाज उठानी पड़ती है। कम से कम पिछले 40 वर्षों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह भारत-सोवियत मित्रता का मूल सिद्धांत ही है जिसने विश्व के लाखों लोगों को साम्राज्यवाद के विरुद्ध आवाज उठाने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए साहसी बनाया है भले ही इसमें कोई जोखिम भी क्यों न हो। इसलिये मैं सोवियत संघ में लोक तन्त्र की जीत के साथ इस सरकार का और अपनी पार्टी को सहयोजित करता हूं।

हम राष्ट्रपति गोर्बाचेव के लिये कुशलता की कामना करते है जिन्होंने अपने देश को उस मकाम पर पहुंचाया है जहां सोवियत लोगों की सभी आकांक्षायें पूर्ण हो सके। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सदस्य गण अब अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। अब सदन के सभी सदस्य प्रामाणिक तथ्यों के बारे में जानना चाहेंगे जोकि विदेश मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत किये जायें। उन्हें यह कहा गया था कि तथ्यों का पता लगाये और उन्हें सदन में रखें। अब भी वैसा ही किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : जी नहीं, महोदय। मुझे खेद है। सदन इस बात पर एक मत है कि हमें सोवियत संघ के लोगों और वहां की सरकार को बधाई भेजनी चाहिये। कृपया संसद की ओर से हमारी बधाई भेजी जाये (**व्यवधान**) कृपया भारत-सोवियत मैत्री और शान्ति के व्यापक हित में इस संसद की ओर से हमारी बधाई भेजी जाये....इस मुद्दे पर प्रत्येक सदस्य सहमत है। हमें कम से कम इस सदन की भावनाओं से तो उन्हें अवगत कराना ही चाहिये। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री तंग्काबालू, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया यह निष्कर्ष न निकालें कि सदन के सदस्यों की राय अलग-अलग है। लेकिन इसके साथ-साथ आप यह जानते हैं कि हमें केवल दो दिन पूर्व ही सूचना मिली है। आप यह भी जानते हैं कि आज तथ्य कुछ और हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपके साथ अपने कक्ष में चर्चा करूंगा और उसके बाद सही निर्णय लूंगा। आप एकदम से किसी निर्णय पर मत पहुंचिये। मैं इस तरीके से निर्णय नहीं करता हूं।

श्री जसवंत सिंह : परन्तु मंत्री जी को निश्चित रूप से वास्तविक तथ्य देने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल ठीक है। उन्हें टिप्पणी करने के लिए नहीं बल्कि तथ्य देने के लिए कहा गया था। मैं इस समय भी वही कर रहा हूं।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : महोदय, मैं एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहूंगा। वर्ष 1973 से 1985 तक अर्थात् तेरह वर्षों तक रेलवे सुरक्षा बल की एक एसोसिएशन बनी हुई थी तथा वर्ष 1985 में उस एसोसिएशन के लिए दी गई मान्यता को वापस ले लिया गया था। इस समय रेलवे सुरक्षा बल काफी लम्बे अर्से से एसोसिएशन बनाने के लिए आन्दोलन कर रहा है। कल श्री हरीश रावत, भूतपूर्व संसद सदस्य ने रेल मंत्री के घर के सामने धरना दिया था। जिन लोगों ने धरने में भाग लिया था उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया तथा हवालात में बन्द रखा गया। यह एक ऐसा मामला है जिस पर सभा ने भी अपनी अनुमति दे दी है। अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति अपनी रिपोर्ट में पहले ही अपना मत व्यक्त कर चुकी है कि जिस आदेश तथा अधिनियम के अन्तर्गत इस एसोसिशन की मान्यता समाप्त की गई है उसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए। मैं एक बार रेलवे मन्त्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वह इस मुद्दे पर फिर से विचार करें तथा रेलवे सुरक्षा बल को एसोसिएशन बनाने का अधिकार फिर से दें। सभा के नेता को इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 के अंतर्गत अधिसूचनायें

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम)

(श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से) : महोदय; मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 की धारा 10 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) संसद में विपक्षी नेता (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य सुविधायें) (संशोधन) नियम, 1991, जो 8 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 269 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा इनका एक शुद्धि-पत्र जो 19 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 346 (अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) संसद में विपक्षी नेता (मोटर कार के लिए अग्रिम) नियम, 1991, जो 8 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० नि० 270 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा इनका एक शुद्धि-पत्र जो 19 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 347 (अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 433/91]

खान मंत्रालय की वर्ष 1991.92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : महोदय, मैं खान मंत्रालय का वर्ष 1991-92 की अनुदानों को विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 434/91]

आवश्यक वस्तु अधिनियम; 453 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 473 (अ), जो 25 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा चाय, काफी अथवा रबड़ बागानों अथवा कृषकों को बोरों में बेचे जाने वाले उर्वरकों का अधिकतम मूल्य निर्धारित किया गया है।

(दो) का० आ० 1877, जो 6 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्री आर० एम० सेठी, संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय को श्री के० सी० कृष्णामूर्ति के स्थान पर उर्वरक नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 435/91]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 436/91]

12.34 म० प०

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सीमा शुल्क विधि (संशोधन) विधेयक*

वित्तमंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले

* दिनांक 22-8-91 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित** करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मनमोहन सिंह : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? आप काफी प्रबुद्ध तथा योग्य सदस्य हैं, आप नियमों का उपयोग कर सकते हैं। आप यह सब क्यों कह रहे हैं ? इस तरह मत करिये। यह आपके हित में नहीं है। यह किसी के भी हित में नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस कार्य-सूची में उल्लिखित कार्य की मदों को आप महत्व क्यों नहीं देते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह मत करिये। आप मेरे कक्ष में आइये। मैं अब उस मामले को पुनः उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है। सभा के नेता को इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने दें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं। कृपया बैठ जाईये :

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं आपको अनुमति दूंगा। तो मुझे उनको भी अनुमति देनी पड़ेगी, तब मुझे हर किसी को अनुमति देनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। श्री सावन्त ने जो कहा है केवल उसे ही कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित किया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस समय मैं उस विषय पर पुन: चर्चा करने की अनुमति नहीं दूंगा। यदि आपको कुछ कहना है तो आप कृपया मेरे कक्ष में आईये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आपके ही हित में है कि आप नियमों के अनुसार सभा की कार्यवाही को चलने दें। यह आपके हित में नहीं है। आज आप ऐसा कर रहे हैं, कल कोई और सदस्य कर सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सुधीर सावन्त बोलेंगे। श्री सुधीर सावन्त की बात ही कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित की जायेगी।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपसे मैं अपने कक्ष में बात करूंगा। आप मेरे कक्ष में आयें।

(व्यवधान)

नियम 377 के अधीन मामले

12.37 म० प०

महाराष्ट्र के रत्नागिरि तथा सिन्धुगढ़ जिलों की जनता को टेलीविजन की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता

श्री सुधीर सावन्त (राजापुर) : महाराष्ट्र के रत्नागिरि तथा सिन्धुगढ़ जिले के लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र में दूरदर्शन के कार्यक्रम नहीं देखे जा सकते हैं। यह क्षेत्र देश का सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है? वहां पर टेलीविजन प्रसारण सुविधा के अभाव से उन लोगों की व्यथा और अधिक बढ़ गई है जिन्हें पिछले चालीस वर्षों से विकास का लाभ नहीं मिल रहा है। यह अनुरोध किया जाता है कि इस क्षेत्र को जून, 1992 से पहले टेलीविजन प्रसारण के अन्तर्गत लाया जाये।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.38 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(दो) त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने और एक और प्रशासनिक न्यायाधीकरण स्थापित करने की आवश्यकता

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला है कि जिन राज्यों की राजधानियों में उच्च न्यायालय नहीं हैं वहां उच्च न्यायालय की कुछ न्यायापीठें स्थापित करने पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। यह बात सच है कि केरल की राजधानी त्रिवेन्द्रम में कोई उच्च न्यायालय नहीं है। सितम्बर, 1971 में केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापीत करने का अनुरोध किया था। लम्बे पत्र-व्यवहार के बाद अप्रैल, 1985 में केरल सरकार ने भारत सरकार को यह सूचना दी कि उन्होंने त्रिवेन्द्रम में एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है और उच्च न्यायालय की त्रिवेन्द्रम न्यायपीठ के बारे में अन्तिम निर्णय इस संदर्भ में लिया जाएगा। लेकिन प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी कोचीन में स्थापित कर दिया गया और कहा गया कि यह वहीं स्थापित किया जा सकता है जहां उच्च न्यायालय है। इस प्रकार त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ और प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित नहीं किया गया। राजधानी में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ के अभाव में केरल सरकार को बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए, मैं यह अनुरोध करता हूं कि त्रिवेन्द्रम में उच्च-न्यायालय की न्यायपीठ और एक और प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित किया जाए।

(तीन) राज्य सरकार की ओर से गैर-सरकारी आयोजकों द्वारा चलाई जा रही अनधिकृत लाटरियों पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता

प्रो० सावित्रि लक्ष्मनन (मुकुन्दपुरम) : इस समय अधिकांश लॉटरियां राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न चलाई जाकर गैर-सरकारी आयोजकों द्वारा चलाई जा रही लाटरियों के बारे में बहुत शिकायतें मिल रही हैं। मुख्य इनामों का पैसा न दिया जाना, ड्रा का स्थान और समय न बताना, गलत टिकटों का मुद्रण और बिक्री, ड्रा में बिना बिके टिकटों को शामिल करना तथा निर्धारित प्राधिकरणी को लेखाओं को प्रस्तुत न करना मुख्य शिकायतें हैं। अनेक राज्य सरकारें निर्धारित रायल्टी पर अपना नाम उपयोग करने के लिए लाटरियां चलाने का अपना अधिकार गैर-सरकारी एजेंसियों को बेच देती हैं। इसके बाद, ये गैर-सरकारी एजेंसियां अधिकतम लाभ कमाने के लिए गलत तरीके इस्तेमाल करती हैं। इससे इन लोगों को बहुत नुकसान होता है जिन्हें मुख्य इनाम नहीं मिलते। राज्य लाटरी निदेशालय ने यह जानकारी दी है कि राज्य सरकार और राज्य सरकार के नियमों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संचालित लाटरियों के अलावा केरल राज्य में 166 लाटरियों के टिकट बेचे गए। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लोगों से विशेषरूप से समाज के गरीब वर्ग से काफी राजस्व बटोरा गया।

अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल राज्य सरकारों की ओर से गैर-सरकारी आयोजकों द्वारा चलाई जा रही अनधिकृत लाटरियों पर प्रतिबन्ध लगाए ।

(चार) हैदराबाद में हुसैन सागर झील से बुद्ध की मूर्ति खोजने और उसे झील के बीच में स्थापित करने की आवश्यकता

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) द्वारा हैदराबाद में सुन्दर हुसैन झील के चारों ओर पर्यटकों के आकर्षण हेतु एक विशाल परियोजना बनाई गई और उसका नाम भगवान बुद्ध के नाम पर 'बुद्ध पूर्णिमा परियोजना' रखा था । आंध्र प्रदेश सरकार का बुद्ध की एक पत्थर की सुन्दर प्रतिमा बनाकर झील के मध्य में 'गिबरेल्टर की चट्टान' पर लगाने का प्रस्ताव था । लेकिन जब वह विशाल प्रतिमा झील के बीच ले जाई जा रही थी तब वह अचानक गिर गई और बह गई । लेकिन आज तक उसे निकालने और प्रस्तावित स्थान पर लगाने के सभी प्रयास विफल हो गए ।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह झील से उस विशाल पत्थर की प्रतिमा को निकालने के लिए नौसेना को लगाए और वह प्रतिमा वहां लगाई जाए । यह पूरे देश और विश्व में बुद्ध धर्म के अनुयायियों की आहत भावनाओं पर मरहम लगाने में सहायता करेगा और पूर्व तथा सूदूर पूर्व के एशियाई राष्ट्रों के लिए बहुत अच्छा पर्यटन केन्द्र होगा ।

(पांच) गया और दिल्ली के बीच एक नई रेलगाड़ी शुरू करने और इस मार्ग पर डीलक्स एक्सप्रेस को नियमित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : आजादी मिलने के 43 वर्ष बाद भी ग्रेन्ड कार्ड हो कर एक भी दैनिक गाड़ी दिल्ली, बम्बई, मद्रास, अहमदाबाद या अन्य महानगरों के लिए नहीं चालू की गई । दूसरी ओर देश के अन्य क्षेत्रों में कई नई गाड़ियां सुविधाजनक समय पर शुरू की गई हैं । पटना का ही उदाहरण ले लें, आजादी मिलने के बाद पटना से सिर्फ दिल्ली के लिए छः जोड़ी गाड़ियां उपलब्ध कराई गई हैं । इनमें से दो गाड़ियां श्रमजीवी एक्सप्रेस तथा गंगा-यमुना एक्सप्रेस तो पटना से ही खुलती है, जो सुविधाजनक रात्रि सेवा प्रदान करती हैं । 70 के दशक में तिनसुखिया मेल ग्रेन्ड कार्ड क्षेत्र होकर शुरू की गई थी परन्तु बाद में इसे गया बबूल लाईन से हटाकर पटना वासियों को दे दिया गया था ।

जहां पटना होकर दिल्ली एवं अमृतसर के लिए ग्यारह जोड़ी दैनिक गाड़ियां हैं किन्तु गया होकर मात्र एक गाड़ी (कालका मेल) वह भी दिन भर का समय बर्बाद कर रात में दिल्ली पहुंचती है । ग्रेन्ड कार्ड होकर एकमात्र सेवा प्रदान करने वाली गाड़ी डीलक्स एक्सप्रेस फिलहाल सप्ताह में मात्र तीन दिन है, इसे चार दिन और चलाये जाने से गया, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, वाराणसी जिलों के एक करोड़ से अधिक जनसंख्या को दीर्घकालीन मांग पूरी होगी ।

अत: केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि ग्रेन्ड कार्ड क्षेत्र के एक करोड़ से अधिक आबादी के सुविधा को देखते हुए इस मार्ग पर एक नई गाड़ी गया से दिल्ली के बीच चालू करने तथा 2381/2382 डीलक्स एक्सप्रेस को इस मार्ग पर नियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाये।

(छह) कागज लिपटी बीड़ियों पर शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव की समीक्षा करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : महोदय, देश में कागज लिपटी बीड़ियां बनाने का व्यापार बहुत छोटा-सा है। इसमें पश्चिम बंगाल सबसे अग्रणी है और आज तक कोई अन्य राज्य इस प्रकार की बीड़ी नहीं बना सका है जिसका प्रचलित नाम सदाबीड़ी है। यह श्रम-प्रधान उपयोग है और इसमें किसी भी चरण पर मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। यह उद्योग अधिकांश रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र सीरमपुर में स्थित हैं जहां लगभग 25,000 कामगार जिनमें अधिकांश समाज के गरीब तबके की महिलाएं हैं, कार्य कर रहे हैं।

कागज लिपटी बीड़ियों को इस वर्ष के केन्द्रीय बजट प्रस्तावों में पुन: वर्गीकृत किया गया है। इसमें यह प्रस्ताव है कि प्रति हजार बीड़ी पर 3.90 रु० उत्पाद शुल्क लेने के स्थान पर 10.75 रु० लिए जाएं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में इतनी अधिक वृद्धि करने से यह उद्योग संकट में पड़ जाएगा तथा बन्द हो जाएगा जिससे हजारों मजदूर बेकार हो जाएंगे।

केन्द्र सरकार के धूम्रपान की खतरनाक आदत को रोकने के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस उद्योग पर इतने अधिक उत्पाद शुल्क लगाने के प्रस्ताव की समीक्षा करे अन्यथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हजारों गरीब लोग बेकार हो जाएंगे और उनके परिवारों को इस उद्योग के संकटों को भुगतना पड़ेगा।

(सात) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में योग्य उम्मीदवारों का प्रवेश सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : महोदय भारत के संविधान में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों जैसे मेडीकल, इन्जीनियरिंग, फार्मेसी आदि में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया है। तथापि महाराष्ट्र सरकार ने सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कुछ गैर-सरकारी मेडीकल, इन्जीनियरिंग, और अन्य व्यवसायिक महाविद्यालयों को प्रबन्ध समिति के विवेकाधिकार से 20% तक विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमति दे दी है।

अनेक ऐसे मामले ध्यान में आए हैं जिनमें मेडीकल कालेजों के प्रबंधकों ने दाखिले के लिए 3 से 5 लाख रुपये तक और इन्जीनियरिंग महाविद्यालयों ने 50-75 हजार रु० तक चन्दा लिया। इससे शिक्षा का वाणिज्यकरण हो रहा है और अन्य उम्मीदवारों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की जांच करे और इस

बात को सुनिश्चित करे कि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में योग्य उम्मीदवारों को दाखिला मिले। कैपीटेशन शुल्क लेने की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]　　　[हिन्दी]

(आठ) राजस्थान में अजमेर में पेय जल की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

राजस्थान के अन्य हिस्सों की भांति ही अजमेर नगर एवं जिले में पीने के पानी की समस्या अत्यन्त विषम स्थिति में है। गत वर्षों में वर्षा कम होने, मानसून की अनिश्चितता, अकालजन्य स्थिति के कारण जलाशयों के सूख जाने, कुओं का जलस्तर नीचा चले जाने के कारण अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद, किशनगढ़, विजयनगर, पुष्कर आदि शहरों तथा कस्बों में तथा समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की प्राप्ति अत्यन्त कठिन हो गई है। नगरीय क्षेत्र में 48 घंटे और कभी-कभी 72 घण्टों में एक बार पानी अत्यन्त मंथर गति से आता है। गांवों में तो स्थिति और भी भयावह है। मीलों दूर से पानी लाने में बहुत कठिनाई होती है। दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है। हैंडपम्प अधिकांश सूख गए हैं तथा कई खराब हो गए हैं। इसी पेयजल समस्या के कारण अजमेर नगर एवं जिले का औद्योगिक विकास भी नहीं हो पाया है। उद्योगपति तथा सरकार जलाभाव के कारण उद्योग स्थापित नहीं करते। वर्ष में दो बार अजमेर में ख्वाजा साहब के उर्स पर मुसलमानों का तथा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पुष्कर में हिन्दुओं का विशाल मेला लगता है, जिसमें देश विदेश के लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। तब पेयजल की समस्या और भी उग्र हो जाती है। अतः इस मूल मानवीय आवश्यकता पेयजल की आपूर्ति के लिए सरकार से अनुरोध है कि बीसलपुर योजना को शीघ्र ही युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए तथा इस पेयजल समस्या के समाधान हेतु केन्द्र सरकार इस योजना के लिए अपनी ओर से विशेष अनुदान देकर अविलम्ब इसे पूरा करवाए। साथ ही पाताल-तोड़ कुएं खुदवाने हेतु सरकार विशेष अभियान चलाकर पेयजल समस्या का निवारण करवाए।

[अनुवाद]

12.49 म०प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1991-92 उद्योग मन्त्रालय -जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा उद्योग मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर आगे चर्चा आरम्भ करेगी। श्री याईमा सिंह युमनाम अपना भाषण जारी करेंगे।

श्री याईमा सिंह युमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राष्ट्रीय उद्योग नीति के बारे में कल अपने विचार व्यक्त किये थे। अब मैं मणिपुर में उद्योगों के विकास के बारे में बोलूंगा।

कागज के कारखाने की स्थापना करने के लिए कच्ची-सामग्री के मामले में मणिपुर एक अत्यन्त समृद्ध राज्य है। मणिपुर के विशाल वन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में बांस उपलब्ध होता है। उस क्षेत्र में यदि कागज के एक कारखाने की स्थापना की जाती है तो वहां पर काफी बड़े पैमाने पर कागज के उत्पादन की पूरी सम्भावना है। काफी अधिक बांस की लकड़ी व्यर्थ चली जाती है तथा इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अतएव मैं सरकार से प्रस्ताव करना चाहूंगा कि वह वहां पर कागज का एक कारखाना स्थापित करें।

वर्ष 1972 में मणिपुर की सरकार ने वहां पर कागज के कारखाने की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था। उस समय मैं तत्कालीन सरकार के किसी मंत्रालय में नियुक्त था। हम स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से मिलने आये थे। उनको जो व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वह उस से करीब-करीब सहमत थीं तथा आशय-पत्र देना चाहती थीं। उस समय जो राज्य मन्त्री उद्योग मन्त्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे उनको भी मणिपुर सरकार को आशय-पत्र देने का आदेश दिया गया था। जो राज्य मन्त्री उद्योग मन्त्रालय का कार्य देख रहे थे वह श्री एम० चौधरी थे। वह उस कागज के कारखाने को अपने क्षेत्र में लगाना चाहते थे ताकि उनका चुनाव में खड़ा होना आसान हो सके। इस प्रकार उन्होंने उस कागज के कारखाने पर हमारे अधिकार को हम से छीन लिया तथा अपने क्षेत्र में उस कागज के कारखाने को लगवा लिया। उसके लिए मणिपुर से बांस के टुकड़ों के रूप में कच्ची सामग्री वहां पर भेजी जा रही है। बहुत थोड़ी मात्रा में वहां पर बांस के टुकड़े भेजे जा रहे हैं तथा इस प्रकार से ठीक ढग से मणिपुर के हितों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। महोदय, इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि केन्द्रीय सरकार को मणिपुर में कागज उद्योग की स्थापना करने अथवा लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए।

अब मैं एक और अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले पर कुछ कहना चाहूंगा। मणिपुर हथकरघा उद्योग तथा कमर-करघा उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। हथकरघा तथा कमर-करघा उद्योगों के उत्पादों की जापान, अमरीका तथा ब्रिटेन जैसे देशों में भी अत्यन्त मांग है। अन्य स्थानों में भी मणिपुर के इन उत्पादों की अत्यधिक मांग है। यह विश्व भर में प्रसिद्ध है। परन्तु केन्द्रीय सरकार से सहायता नहीं मिलने के कारण ऐसे लघु उद्योग लगभग समाप्त हो गये है। इन उत्पादों से विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है। वास्तव में मणिपुर के इन उत्पादों की विदेशों में भी काफी मांग है। इस समय मैं अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय सरकार इसे अपना संरक्षण दे तथा यह देखे कि मणिपुर के लघु उद्योगों को सहायता प्राप्त हो ताकि वहां पर काफी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सके।

महोदय, अन्त में मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब मणिपुर जैसे छोटे राज्यों के पास अपने कोई घरेलू संसाधन तथा इतना धन भी नहीं है कि वह इन सभी ऐसे लघु उद्योगों को निधि दे सके जो केन्द्रीय सरकार की अनुदानों तथा सहायता पर ही लगभग निर्भर करते हैं, ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार को आनुपातिक वितरण व्यवस्था का पालन नहीं

करते हुए ऐसे छोटे राज्यों को और अधिक निधि प्रदान करनी चाहिए। छोटे राज्यों के लिए यह लाभप्रद नहीं है क्योंकि छोटे राज्य केन्द्रीय सरकार की सहायता पर ही निर्भर होते हैं।

वहां पर चीनी का कारखाना स्थापित करने के लिए स्थानों का चयन करते समय भी राजनैतिक कारण भी अपनी भूमिका निभाते हैं तथा इसीलिए मणिपुर में कषोवार्चिंग में स्थित वर्तमान चीनी का कारखाना ठीक से नहीं चल पा रहा है। इसीलिए मणिपुर में सीमेंट का कारखाना भी ठीक से नहीं चल पा रहा है। इससे पहले वाली सरकार कांग्रेस की थी। उस क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों की इच्छाओं के अनुरूप उसने चीनी के कारखाने के लिए जगह का चयन किया था। इसीलिए चीनी के कारखाने के लिए उस जगह का चयन किया गया जहां पर गन्ने की खेती करने के लिए कोई उपयुक्त जमीन नहीं थी। पहाड़ी क्षेत्रों में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है जहां पर काफी मात्रा में गन्ना उगाया जा सकता है राजनैतिक कारणों के परिणाम स्वरूप गलत जगह का चयन किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : सिंह जी, वास्तव में छः मिनट का समय आपको दिया गया था। परन्तु आपने अधिक समय ले लिया है। वहां पर और भी सदस्य हैं जिन्हें बोलना है।

श्री याईमा सिंह युमनाम : महोदय, मैं उस विषय पर तर्क नहीं कर रहा हूं। आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि देश के बिल्कुल पूर्वी हिस्से में स्थित मणिपुर जैसे छोटे राज्यों के बारे में विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिये क्योंकि वे पिछड़े राज्य हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : राजाराम शंकरराव माणे! जी वह उपस्थित नहीं हैं। **(व्यवधान)** तो कांग्रेस के श्री सुख राम बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : हमको बोलने दीजिये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यहां पर एक व्यवस्था बनी हुई है।

[हिन्दी]

सिस्टम के अन्दर ही काम करना पड़ता है।

[अनुवाद]

इसमें मनमानी नहीं चल सकती।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : कल जनता दल का एक ही मैम्बर बोला है··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पासवान जी, कभी कोई गलती हो ही जाती है। आपको ऐसी बातों के प्रति अपने को अनुकूल बनाना होगा। परन्तु किसी को भी बोलने से वंचित नहीं किया जायेगा।

अब सुखराम जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री सुख राम (मंडी) : उपाध्यक्ष जी, आज सदन के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि संसार की जो इकोनोमिक बैकवर्डनेस है, उसको कैसे दूर करें। कैसे हमारे देश में इसका विकास शुरू हुआ और बावजूद इसके कि प्रकृति का काफी भण्डार है आज हम देखते हैं कि साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान भी जहां तक औद्योगिकरण की बात है, आज वह हमसे आगे बढ़ रहा है। उसके फलस्वरूप आज पाकिस्तान और चाईना की प्रति व्यक्ति आय करीबन 400 यू०एस० डालर के लगभग है लेकिन हमारा देश 320 तक पहुंचा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो एक्सचेंज रेट है, लाईसेंस और कंट्रोल है, इसके ऊपर विचार करें कि कैसे हमारा देश आगे बढ़े। अभी इस सदन में कुछ दोस्तों की तरफ से एक बहुत बड़ा हमला हुआ है कि इस सरकार ने जो उद्योग नीति का परिवर्तन किया उसमें 51 प्रतिशत इक्वीटी होल्डींग की इजाजत फारेन मल्टीनेशनल को दी है। उसमें यह देश की परेशानी में हो जाएगा। यह बड़ा भारी हमला यहां पर हुआ है। जिन दोस्तों को मालूमात कम है उनको तो मैं इस बारे में ज्यादा दोषी नहीं ठहराता। कुछ ऐसे दोस्त है, जिनको मालूम है और वह पुराने उपदेश हमको दे रहे हैं।

1 00 म०प०

संसार में जो परिवर्तन हुए हैं उसकी तरफ से आखें मूंदे हुए हैं और हमको पुरानी चीज ही सिखा रहे हैं। मैं इस माननीय सदन की जानकारी के लिए माननीय उपाध्यक्ष जी आपके माध्यम से दूसरे देशों में जो फारेन इन्वेस्टमेंट हुआ है उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैक्सिको में जो 1989 तक इन्वेस्टेमेंट हुआ है वह दो सौ इकतालीस मिलियन यू०एस० डालर है, मलेशिया में 1845 मिलियन यू०एस० डालर, थाइलैंड में 1650 मिलियन यू०एस० डालर, चीन में 1400 मिलियन यू०एस० डालर, इंडोनेशिया में 735 मिलियन यू०एस० मिलियन डालर और हिन्दुस्तान में 425 मिलियन यू०एस० डालर है। जो यहां शोर किया जा रहा है और इस सरकार को बड़ा दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि चीन जैसे देशों में जो सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनोमी है, इन्वर्ड लुकिंग

है, ऐसे देश ने अपने दरवाजे-खिड़कियां खोल दी हैं बाहर के इन्वेस्टमेंट के लिए। मगर हमारे देश में ये कहते हैं कि दरवाजे बन्द रखो, बाहर की पूंजी न आने दो, बाहर का इन्वेस्टमेंट न होने दो। जबकि बाहर के इन्वेस्टमेंट के आने की वजह से जो गुणवत्ता है, प्रोडक्शन की क्वालिटी है वह बढ़ी है और औद्योगिकरण हुआ है, जहां ऐसा हुआ है उन देशों में ऐसा नहीं है कि आर्थिक तौर पर वे देश पराधीन हो गए हों या उनकी आर्थिक स्वतंत्रता खत्म हो गई हो।

1980 और 1990 के बीच, इन दस वर्षों में जो एवरेज ग्रोथ है एक्सपोर्ट की वह बढ़ी है। वह थाइलैंड में 12.8 प्रतिशत है, चीन में 11.5 प्रतिशत है, मलेशिया में 19.8 प्रतिशत है और पाकिस्तान में 8.5 प्रतिशत है, जबकि हिन्दुस्तान में जो ग्रोथ है वह 5.8 प्रतिशत है। छोटे-छोटे देश हमसे एक्सपोर्ट में काफी आगे बढ़ गये है। अभी हमारा देश पीछे हैं और जब तक हमारे देश का उद्योगिकरण ऐसा नहीं होता कि यहां की 85 करोड़ जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और बाहर के लिए हमारा निर्यात इतना हो, हम ···2 इतना फारेन एक्सचेंज कमा सकें कि हमारी खास आवश्यकताओं की पूर्ति हो तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। हम 13 हजार करोड़ का पेट्रोलियम आयात करते हैं, उसको तभी कम कर सकेंगे जब तक हम अपने पैरों पर खड़े न हो जायें। फर्टिलाइजर, जिसके लिए सभी माननीय सदस्यों की चिन्ता रहती है, किसानों के बारे में यह मुनासिक चिन्ता है, करीब 5000 करोड़ रुपये के आयात की आपको आवश्यकता है, उसको आप इस तरह कम कर सकते हैं जब आप 100 फीसदी उत्पादन करके अपने पैरों पर खड़े न हो सकें। उसके अलावा और भी ऐसी चीजें हैं जो हमें आयात करनी पड़ती हैं। इस वास्ते जो यह डर है वह गलत है। इन देशों की परकेपिटा जी०डी०पी० तेजी से बढ़ी है। क्योंकि वे फारेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। जो कुछ आप खतरे बताते हैं उनके लिए भी इस नीति में ऐसा संरक्षण है जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट में फारेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इक्वीटी कम है तो सरकार की उसके लिए पहले स्वीकृति लेनी पड़ती है, वहां आपको संरक्षण दिया गया है और इस बात की हमने इजाजत दे दी, बाहर के इन्वेस्टमेंट के लिए वह काफी नहीं है। यही काफी नहीं है आज भी ईस्ट यूरोप में फारेन इन्वेस्टमेंट का हिन्दुस्तान की बनिस्वत ज्यादा अच्छा वातावरण है और यहां कोई ऐसा कंसीड्रेशन नहीं है। यहां वरकर एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर इन्डस्ट्रियल कल्चर है। यहां का लिविंग और यहां की जलवायु देखकर ही बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात की माननीय दोस्तों ने चर्चा की कि इस सरकार ने पब्लिक सैक्टर पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। मेरा ख्याल है कि हम पब्लिक सैक्टर के खिलाफ नहीं हैं। आज 42—43 वर्षों में पब्लिक सैक्टर को बहुत बड़ा संरक्षण दिया गया और इसके जरिए उत्पादन भी बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आज हमको एक बात सोचनी है कि पिछले वर्ष तक पब्लिक सैक्टर में 99315 करोड़ रुपया एम्प्लायड था और मैं समझता हूं कि अब एक लाख एक हजार करोड़ से ज्यादा रुपया बढ़ा होगा। मैं मानता हूं कि कहीं कहीं खराबियां होंगी मगर आज हमको एक बात सोचनी है कि उसमें से सरकार को क्या रिटर्न आ रही है, कितना आ रहा है, वह 3781 करोड़ रुपया है और उसमें से अगर देखा जाये तो केवल 881 करोड़ रुपया आपका रिटर्न का आ रहा है। क्या देश ऐसे आगे बढ़ सकता है? कोई भी देश कितना भी समृद्धिशाली क्यों न

हो, जहां आपके उद्योग में हमारा रुपया खर्च हुआ है और उसका रिटर्न आ रहा है तो सरकार ने उसमें क्या किया। उसमें सिर्फ एक लाख एक हजार करोड़ के बीच में दो हजार पांच सौ करोड़ की इक्विटी प्राईवेट सैक्टर को देने की बात की है और उस इक्विटी में कंपीटीशन आने के लिए, एफिशियंसी बढ़ाने के लिए यह बात उसमें रखी गयी है। क्या उसमें कोई सुधार नहीं किया जाये ? मैं मानता हूं कि इस बात में खतरा पैदा हो सकता है। जब आप एफिशियंसी की बात कर रहे हैं, जहां आप इक्विटी लाने की बात करते हैं, क्वालिटी लाने की बात है, दूसरे देशों के साथ मुकाबिला करने की बात है, वहां हो सकता है कि कुछ डिस्पलेसमेंट आफ लेबर हो और उसके लिए हमारे प्रधानमन्त्री जी ने कहा कि एक इनसानियत के नाते उनको कुछ सुविधायें दे सकते हैं। उसमें गोल्डन हैंड शेक हो, यह शर्त लगा सकते हैं। जो दूसरे मल्टी-नेशनल उद्योग लगायेंगे कि जो सरप्लस लेबर होगी, उनकी लायबिलिटी होगी कि वे उसको रखेंगे। सरकार और उद्योग उसके लिए अन एम्प्लायमेंट इन्श्योरेन्स स्कीम लगा सकते हैं और आपके नेशनल रिन्युल फण्ड, रीहैबलिटेशन और ट्रेनिंग के बारे में इन्तजाम किया जा सकता है। मगर एक बात हमको सोचना है कि यह जो एक लाख एक हजार करोड़ रुपया पब्लिक सैक्टर में इन्वेस्ट किया गया है, उसकी मालिक भारत की जनता है, इसके मालिक वहां के मजदूर और मैनेजमेंट नहीं है, वह उसके ट्रस्टी हैं और उससे पूरा रिटर्न आना चाहिये। जब तक यह नहीं आता है, यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है, हमारा औद्योगीकरण आगे नहीं बढ़ सकता है और इस वास्ते हमारी सरकार ने जो कदम उठाये हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही साहसिक कदम उठाये हैं, इसके अलावा, हमारे यहां के दोस्त बड़े-बड़े भाषण या सरमन देते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आज देश के सामने जो आर्थिक समस्या है, उसको कम करने के लिए क्या रास्ता है, आप सुझाव दीजिये। अगर इस सरकार ने गलत नीति अपनाई है तो आप सुझाव दीजिये कि किस तरह से हमारा औद्योगीकरण बढ़ेगा ? एक पैकेज के हिसाब से किया और जो कार्यक्रम है, चाहे वह डीवैल्यूएशन का था, वह एक कदम है, मगर उसके लिए जैसे ट्रेड रिजीम का लिबरलाइजेशन करने की बात है उसमें भी हमें मदद मिलेगी कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वह बढ़े और जब तक हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

मैं अन्त में आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक मेरे अपने सूबे का ताल्लुक है, मेरा प्रदेश हिमाचल प्रदेश एक सुन्दर प्रदेश है मगर मुश्किलातों से भरा हुआ पहाड़ी प्रदेश है और भारत सरकार के ऊपर निर्भर रहता है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर सदन से आपके माध्यम से कि हमारे पास दो बड़े-बड़े उद्योग हैं। एक है पन बिजली हाइडल प्रोजेक्ट। उसके लिए हमको मदद दीजिए। मैंने यह भी कहा था कि उसके लिए अनएकाउंटेड मनी की स्कीम को एक्सटेंड कर दीजिए और उसके बाद वहां हमारा सबसे बड़ा उद्योग है टूरिज्म। उसके लिए एक स्कीम, जब मैं यहां मन्त्री था तब शुरू की थी, तीन चार सौ करोड़ रुपए की स्कीम आप बना दीजिए। उसको भी आप बनाइए और प्राइवेट सेक्टर से रुपया लीजिए तो उसमें ज्यादा समृद्धि आएगी और उसके साथ साथ हम सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। इस वास्ते मेरा निवेदन है कि जहां तक इन्डस्ट्रियल पालिसी तथा और भी कुछ ऐसे कदम जो सरकार

ने उठाए हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं और इस मान्यवर सदन से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज संसार की जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं, उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए। आप कहते हैं कि नेहरू का रास्ता छोड़ दिया, हमने राजीव गांधी या दूसरे महान् नेताओं का रास्ता छोड़ दिया। आज अगर नेहरू जिन्दा होते और देखते कि छोटे छोटे देशों से हम पीछे रह गए हैं तो उनको बहुत दुख होता और जिन नीतियों का निर्णय आज सरकार ने लिया है वह दस साल पहले इन नीतियों को अपना लेते। इस वास्ते मैं मान्यवर सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि ऐसी नीतियों पर आप धर्म के नाम पर यहां सत्ता में आ सकते हैं, बैकवर्ड क्लास, जाति का शोर मचाकर सत्ता हासिल कर सकते हैं मगर आपकी आर्थिक नीतियां क्या हैं जिन आर्थिक नीतियों की वजह से आप यहां सत्ता में आएं? आप गरीब समाज और पिछड़ी जातियों को पार्लियामेंट में ले आइए, हमें कोई एतराज नहीं है, मगर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या आप गरीबी बांटने के लिए आएंगे या धन पैदा करके उसका वितरण कर देंगे? इस तरह आप आज के वर्तमान को बचा सकते हैं मगर इस देश को अगर आपको समृद्धशाली बनाना है, आगे सौ साल के लिए एक अच्छा हिन्दुस्तान, मजबूत हिन्दुस्तान बनाना है तो आपको कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी ताकि भविष्य हिन्दुस्तान का अच्छा बने। यह यहां की बात है कि चुनाव के ऊपर हमारी नजर रहती है कि हमारे वोट किस तरह से मिलेंगे, किस तरह से हम लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको दिया गया समय समाप्त हो चुका है। कई और सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

श्री सुख राम : मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूंगा। श्री माणे अनुपस्थित थे।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु उसका यह अभिप्राय नहीं है कि आप श्री माणे का समय भी ले लें। आपके ही दल के काफी सारे सदस्य बोलना चाहते हैं।

[**हिन्दी**]

श्री सुख राम : मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बहुत अच्छी आर्थिक नीतियां इस बजट के जरिए और खास तौर पर जो इन्डस्ट्री में लिबरलाइजेशन और दूसरे कार्यक्रम रखे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि जो देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, वह इन नीतियों का समर्थन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देवगौडा जी, कृपया अपने भाषण को निर्धारित समय में ही पूरा कीजियेगा। दस मिनट के बाद मैं घंटी बजाऊंगा। आप यह समझ लीजिये कि इसके बाद अपना भाषण समाप्त करने के लिये आपके पास पांच मिनट और भी होंगे। और भी बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री एच० डी० देव गौड़ा (हसन) : महोदय; अपनी पार्टी से मैं एकमात्र सदस्य हूं जो कि चर्चा में भाग लूंगा। कम से कम हमारी पार्टी के लिये उदारता दर्शाइयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप माननीय सदन के सदस्यों में गिने जाओगे।

श्री एच० डी० देव गौड़ा : प्रारम्भ में, उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिये मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा।

महोदय, नई सरकार द्वारा औद्योगिक नीति और व्यापार नीति की एक साथ घोषणा एक ही उद्देश्य से की गई है कि विदेशी मुद्रा कमाने के लिये उत्पादन बढ़ाया जाये और साथ-साथ यह कि ऋण उतारने के लिए हमारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताए पूरी हो सकें। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सामने मजबूरन जाने का यह एक प्रमुख कारण है। मैं, समय के अभाव के कारण, नई औद्योगिक नीति के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले प्रमुख कारणों की बात नहीं करना चाहता। यदि मुझे कुछ समय मिलता है तो मैं नई औद्योगिक नीति के प्रभावों की व्याख्या करूंगा। किन्तु दुर्भाग्य-वश, आपने समय के बारे में मुझे पहले से ही संकेत कर दिया है। इसलिए मैं बतायी गयी समय सीमा पर कायम रहूंगा कर्नाटक पर यदि कुछ क्षण और लग जायें, तो कृपया इसके लिये आप मुझे क्षमा कीजियेगा।

महोदय, औद्योगिक नीति सम्बन्धी दस्तावेज के पैरा 11 में यह उल्लेख किया गया है—"उचित प्रोत्साहनों, संस्थाओं और आधार भूत निवेशों के माध्यम के देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्योगिकरण के विस्तार को तेजी से बढ़ाया जाएगा।-'

महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सुविधा औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में प्रदान की गई है। यह उन प्रमुख बातों में से एक है जो कि मैं सरकार द्वारा विचार किया जाने के लिये कहना चाहूंगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि उन राज्यों में अथवा उन क्षेत्रों में जो कि औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं अथवा जहां कोई उद्योग नहीं है, कोई बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई।

महोदय, मेरे मित्रों को यह सोचना चाहिये कि मैं इतना संकीर्ण हूं अथवा इस स्थान का प्रयोग कर मैं केवल कर्नाटक पर ही चर्चा को केन्द्रित कर रहा हूं। ऐसा इसलिये है क्योंकि दुर्भाग्य-वश समय का अभाव है और मेरे पास केवल कर्नाटक से जुड़े मुद्दों पर हीं प्रकाश डालने के प्रयास के इलावा और कोई विकल्प नहीं है। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।

महोदय, बुनियादी सुविधाओं के बारे में मैं केन्द्रीय सरकार से यह जानना चाहूंगा कि उद्योगों के विकास के लिये अथवा किसी विशेष क्षेत्र के विकास के लिये और इसके साथ-साथ उद्यमियों को वहां जाने का साहस फूंकने के लिये उनके पास किस किस्म की बुनियादी सुविधायें हैं।

महोदय, औद्योगिक विकास के लिए तीन बातें आवश्यक हैं—राष्ट्रीय राजमार्ग, बड़ी रेल

लाइन और विद्युत । परन्तु दुर्भाग्यवश 1947 से ही कर्नाटक की इन तीनों ही पक्षों पर उपेक्षा की गई है ।

मेरी बहन श्रीमती वासव राजेश्वरी यदि मैं कोई आरोप लगाता हूं, तो मुझे गलत न समझें। मैं यहां उनके अस्तित्व पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता बल्कि जिस ढंग से इन मामलों के साथ इतनी कठोरता से निपटा गया है, ने मुझे उस पर टिप्पणी करने के लिये मजबूर किया है । मैं वहां हुए कुछ घटनाक्रम का भी हवाला देना चाहता हूं । कर्नाटक के साथ कैसा व्यवहार किया गया है ? पिछले मौके पर भी; मैंने इसका उल्लेख करने का प्रयास किया था । जहां तक कर्नाटक में राष्ट्रीय विकास का सम्बन्ध है, वह देश में निम्नतम है । छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य भी पूरे देश की तुलना में यहां निम्नतम है । बड़ी लाइन में बदले जाने वाले 10,000 किलोमीटर रेल पथ में से कर्नाटक में 210 किलोमीटर रेल लाइन को ही बड़ी लाइन में बदला गया है। कुल 19 जिलों में से मुश्किल से 5 जिलों को बड़ी लाइन से जोड़ा गया है । आप आधारभूत संरचना के सृजन द्वारा औद्योगिक विकास की बात कैसे कर सकते हैं । यह सभी बातें मात्र उपदेश हैं और इनसे कर्नाटक के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र की कोई सहायता नहीं होगी ।

महोदय, विद्युत क्षेत्र में, मैं यह बताना चाहूंगा कि इस राज्य की कैसे उपेक्षा की जाती रही है ।

मैं विद्युत क्षेत्र पर चर्चा को केन्द्रित करने का प्रयास करूंगा । पिछली बार मैंने विद्युत क्षेत्र पर किये गये निवेश का साधारण-सा उल्लेख किया था । मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक ताप विद्युत उत्पादन का सम्बन्ध है, कर्नाटक यहां भी उपेक्षित था यद्यपि इस संदर्भ में इसे विकसित राज्यों की श्रेणी में रखा गया है । मैं यह नहीं जानता कि कर्नाटक को किसने विकसित राज्यों की श्रेणी के रखा है । ऐसे कौन से मापदण्ड और मार्गदर्शी सिद्धांत हैं जिसके आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि कर्नाटक विकसित राज्यों में से एक है । मैं आपको देश भर के आंकड़े दे रहा हूं । देश में ताप विद्युत उत्पादन इस प्रकार से है :—गुजरात —3633 मेगावाट, पश्चिम बंगाल—3096 मेगावाट, महाराष्ट्र—5975 मेगावाट, ये विकसित राज्य है इनके वर्गीकरण के अनुसार अल्प विकसित राज्य हैं :—उत्तर प्रदेश—6625 मेगावाट, मध्यप्रदेश—5583 मेगावाट, कर्नाटक—2070 मेगावाट ।

यहां हम किसलिये आये हैं ? मैं कर्नाटक के अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं; यहां हम किसलिये आये हैं । मैं यहां कुछ प्रालब्धियां अथवा कुछ विशेषाधिकारों को प्राप्त करने के लिये आया हूं । मैं अपनी बहन से यह कहना चाहूंगा कि दलगत भावना से ऊपर उठें और इस लड़ाई को लड़ें । मैं इसे और अधिक सहन नहीं करना चाहता । पार्टी इतना मुद्दा नहीं है । हमें पार्टी के मामलों से ऊपर उठकर कर्नाटक के हित के लिये लड़ना चाहिये कि कैसे हम इसका विकास करने जा रहे हैं । 19 जिलों में से केवल मैसूर और बंगलौर ऐसे दो जिले हैं जहां कुछ उद्योग पनपे हैं । यदि यही अवस्था रही, तो आप इसका कैसे विकास कर सकते हैं । ऐसी कौन-सी आधारभूत संरचना है जो इन्होंने तैयार की है; ऐसी कौन-सी आधारभूत संरचना है जो कि वे औद्योगिक विकास के

लिये विदेशी पूंजी; संपत्ति आदि कमाने के लिये प्रदान करना चाहते हैं। इस अवस्था में, मैं विदेशी पूंजी के इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता।

अब मैं औद्योगिक नीति प्रलेख के पृष्ठ 5, पैरा 15 के उद्घृण रखना चाहता हूं इसके अन्तर्गत इसमें कहा गया है।—

"आज हस्तक्षेप के लिये राज्य के पास अन्य कई बातें विशेषकर आर्थिक और मुद्रा संबधी पहलू हैं राष्ट्रीन बचत के बहुत बड़े हिस्से पर भी राज्य का नियत्रण हैं। बेंक तथा वित्तीय संस्थान भी राज्य के नियत्रणाधीन हैं। जहां राज्य का हस्तक्षेप अनिवार्य है, यह पहलू अधिक प्रभावी तथा निर्णयात्मक सिद्ध होंगे।"

यह उल्लेख मैंने केवल अपने तर्क के समर्थन में दिया है कि कर्नाटक के विकास के लिये वहां स्थित केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा किस प्रकार से निवेश किया गया है। मैं आई० डी० बी० आई० द्वारा किये गये निवेश की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सातवीं पचवर्षीय योजना में कर्नाटक को आठवें स्थान पर रखा गया है। मैं आपको यह बता रहा हू कि क्योंकि कर्नाटक को विकसित राज्यों में वर्गीकृत किया गया है, हम कर्नाटक के सांसदों को इस विकास के लिये कुछ लाभ पहुंचा है।

कर्नाटक के विकास के बारे में क्या है ?

श्रीमती बासव राजेश्वरी (बेल्लारी) : कर्नाटक पन बिजली पर ही अत्यधिक निर्भर है। इस समय वहां पर बिजली की भारी कमी है। श्री देवगौड़ाने काफी लम्बे असें तक सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा विद्युत मंत्री के पद का कार्य संभाला था। वह हम पर आरोप क्यों लगा रहे हैं ? **(व्यवधान)**

श्री एच० डी० देवगौड़ा : मैं अपनी बहन द्वारा की गई स्वस्थ आलोचना का स्वागत करता हूं। केन्द्रीय सरकार ने क्या योगदान किया है ? केन्द्रीय सरकार ने कितनी पूंजी का निवेश किया है ? यह राज्य क्षेत्र के हाथ में नहीं है। देश में विद्युत उत्पादन हेतु कितनी पूंजी का निवेश किया गया है ? कर्नाटक की बहुत अधिक उपेक्षा की गई है। कर्नाटक को 801 करोड़ रु० दिये गए है जबकि गुजरात को 1442 करोड़ रु०, पंजाब को 1639, करोड़ रु०, तमिलनाडु को 2010 करोड़ रु०, उत्तर प्रदेश को 3403 करोड़ रु०, मध्य प्रदेश को 2660 करोड़ रु० तथा पश्चिम बंगाल को 1249 करोड़ रु० दिये गये हैं। मैं यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि यह निर्णय राज्य सरकार का है अथवा केन्द्रीय सरकार का ?

मैं सम्माननीय सभा का ध्यान इस ओर दिलाने का प्रयत्न करूंगा कि वित्तीय संस्थाओं ने भी कर्नाटक के साथ कैसा व्यवहार किया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा दूमरे ऐसे संस्थान हैं जहां पर इस देश की बचत राशि का निवेश किया जाता है। विभिन्न वित्तीय संस्थायें देश के

औद्योगिक विकास के लिए पूंजी निवेश करती हैं। जहां तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का सम्बन्ध है कर्नाटक में पूंजी निवेश केवल 1334 करोड़ रु० ही किया गया है जबकि तमिलनाडु में 2524 करोड़ रु०, उत्तर प्रदेश में 2538 करोड़ रु० तथा गुजरात में 3,030 करोड़ रु० ।

मैं यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जहां तक कर्नाटक का सवाल है सभी को उसकी स्थिति ज्ञात हो जाये। हम यहां पर अपना समय व्यतीत करने के लिए नहीं आये हैं।

सातवीं योजना में औद्योगिक विकास निगम ने कर्नाटक में 343 करोड़ रु० निवेश किए हैं जबकि अन्य राज्यों में यह राशि काफी अधिक है। मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होती यदि देश के दूसरे हिस्सों का भी विकास किया जाये। परन्तु पूंजी निवेश करते समय दूसरे राज्यों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए तथा सभी क्षेत्रों के साथ दूसरे विकसित राज्यों के समान व्यवहार किया जाना चाहिये। मैं केवल इसी बात पर जोर देना चाहता हूं।

औद्योगिक वित्त निगम के अन्तर्गत तमिलनाडु को 354 करोड़ रु०, उत्तर प्रदेश को 1615 करोड़ रु०, गुजरात को 497 करोड़ रु० दिये जाते हैं जबकि कर्नाटक को मुश्किल से 23 करोड़ रुपए मिलते हैं।

अब मैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। ये सभी वे संस्थायें हैं जहां से विभिन्न औद्योगिक विकास परियोजनाओं के लिए धन दिया जाता है। कर्नाटक को केवल 11.98 करोड़ रु० ही मिलते हैं जबकि पश्चिम बंगाल को 237 करोड़ रु० मिलते हैं। मैं दोबारा भी बता सकता हूं। यह एक काफी लम्बी सूची है। मैंने केवल अपना तर्क सिद्ध करने के लिए जानकारी हासिल करने का भी प्रयत्न किया था। मैं बिना कोई उचित जानकारी प्राप्त किये कुछ नहीं कहना चाहता। मेरी ऐसी आदत है। तथा मेरी बहन ने मुझे पराजित करने की कोशिश की। वास्तव में मैंने संघर्ष किया है तथा मैंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

ये मुख्य क्षेत्र हैं। किसी भी उद्योग अथवा कृषि के विकास के लिए विद्युत तथा सिंचाई मुख्य क्षेत्र हैं। मैंने अपने राजनैतिक जीवन को भी दांव पर लगा दिया तथा इस्तीफा दे दिया। कर्नाटक में जो भी हुआ आप उसे जानते है। मैं अपनी बहन को कुछ भी नहीं कहना चाहता। इसीलिए मैं शांत बैठा हुआ हूं क्योंकि राजनीति तथा सत्ता में रहना इतने अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। हम यहां पर जन-प्रतिनिधियों के रूप में आये हैं। हमें उनके साथ न्याय करना है।

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया ने महाराष्ट्र के लिए 1332 करोड़ रु० दिये थे जबकि कर्नाटक को केवल 217 करोड़ रु० ही मिले। जीवन बीमा निगम में सामान्य बीमा में उन्होंने बहुत कम राशि लगायी है। मैं सम्माननीय सभा की जानकारी के लिए और भी आंकड़े उद्धृत कर सकता हूं।

महोदय मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं यह दिखाना चाहता हूं कि जहां तक निर्यात को बढ़ावा देने, विदेशी मुद्रा अर्जित करने तथा इस तथाकथित विदेशी कर्जे से छुटकारा प्राप्त करने के लिए तथाकथित औद्योगिक विकास का सम्बन्ध है, किस प्रकार से मूलभूत बुनियादी सुविधायें प्रदान की गई हैं।

मैं एक बात और बताना चाहूंगा। आप अनिवासी भारतीयों के बारे में बात करते हैं। कल श्री ई० अहमद तथा श्री के० पी० रेड्डया परस्पर तर्क कर रहे थे तथा मैं पीछे के स्थान में बैठा हुआ उनकी बात सुन रहा था। मैं नये माननीय सदस्यों के भाषण सुनने को उत्सुक था क्योंकि वे इस सभा में नये हैं। मैं अपने मित्रों के तर्कों को सुनकर अपनी जानकारी और बढ़ाना चाहता था।

मैं अनिवासी भारतीयों को दोष नहीं देना चाहता। मैं किसी भी ऐसे उद्यमी पर आरोप लगाना नहीं चाहता हूं जो हमारी आवश्यकता की घड़ी में हमारी मदद करना चाहता है। हम काफी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। मैं अनावश्यक रूप से आरोप नहीं लगाना चाहता। आप तथा स्वयं मैं कई बातों से अवगत हैं। एक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र, मंगलौर कैमीकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एक अप्रवासी भारतीय को सिर्फ 13 करोड़ रु० में दे दिया गया था। महोदय, ऐसा कैसे हो गया? वर्ष 1969 में यह परियोजना आरम्भ की गई थी। 75 करोड़ रु० के कुल निवेश में से कर्नाटक राज्य निवेश विकास निगम ने लगभग 3 करोड़ रु० का निवेश किया था, कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन संघ ने लगभग 3 करोड़ रु०, कर्नाटक कृषि उद्योग निगम ने 1.5 करोड़ रु० का निवेश किया था तथा इसमें जन सामान्य के 13 करोड़ रु० के शेयर थे। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जीवन बीमा निगम तथा दूसरी बैंकिंग संस्थाओं ने शेष लगभग 55 करोड़ रु० का निवेश किया था। इस परियोजना से वर्ष 1969 में उत्पादन शुरू किया गया है। कुल घाटा 55 करोड़ रु० का हुआ है। इस एकक से सम्बन्धित 165 एकड़ खाली भूमि का मूल्य लगभग 200 करोड़ रु० होगा। इस समय सम्पूर्ण एकक की मूल्य 4,000 करोड रु० तक होगा। मैं जानना चाहता हूं कि घाटे में चलने वाले इस तथाकथित एकक को चलाने के लिए कितने संगठन आगे बढ़कर आये थे। मैं मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जानी चाहिए। इन बातो के लिए कौन जिम्मेवार है? महोदय, 'इफको' 'कृमको' सहकारी संस्थायें तथा आर० सी० एफ० जो अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में से हैं, वे इस परियोजना का कार्य अपने हाथ में लेने के लिए आगे बढ़कर आयी हैं। इन तीन संगठनों द्वारा किये गये प्रस्ताव पर सरकार ने विचार नहीं किया है।

एक अनिवासी भारतीय जिसने इस परियोजना में लगभग 13 करोड़ रु० लगाये थे उसने इस परियोजना का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी तथा वह उस इकाई का चेयरमैन बन गया था। इससे पूर्व वहां पर वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। मैं जानना चाहता हूं कि यह इकाई घाटे में क्यों चल रही थी। मैं सच्चाई जानना चाहता हूं मैं दुबारा यह मांग करता हूं कि पूरे मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जानी चाहिए। मैं अप्रवासी भारतीयों का कोई उद्देश्य नहीं बता सकता जब तक कि मामले की जांच नहीं हो जाती।

निम्नलिखित परियोजनाएं पिछले पांच सालों से सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं।

1. सिवसमुद्रम सीजनल पावर प्रोजेक्ट
2. माद्रा राइट बैंक केनाल पावर हाउस का अतिरिक्त एकक
3. सरपाड़ी बेरेज पन-बिजली परियोजना
4. काटला और चालना विविधीकरण योजना
5. मंगलौर में सुपर तापीय विद्युत परियोजना

मैं कर्नाटक राज्य के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे साथ भारत सरकार पर इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए दबाव दालें।

महोदय, मंगलौर में 2400 मे०वा० सुपर तापीय विद्युत परियोजना उस समझौते का एक भाग है जो वर्ष 1989 के अंत में श्री गोर्वाचोव के दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच हुआ था। 5000 करोड़ रुपए की इस परियोजना पर समझौता होने के कुछ माह के भीतर कार्य शुरू होने का अनुमान था। लेकिन इस पर आज तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। इस पर कार्य क्यों नहीं शुरू हुआ है और इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

अब मैं उन नए उद्योगों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जो कर्नाटक में शुरू करने का प्रस्ताव था। विजयनगर इस्पात संयंत्र की नींव स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वर्ष 1971 में रखी थी। मैं जानना चाहता हूं कि 1971 से 1991 तक इन बीस वर्षों में देश के मुख्य उद्योगों के विकास के लिए कितना धन निवेश किया गया। 60,00 करोड़ रुपए से अधिक निवेश किया गया। उस समय इस परियोजना की लागत 2,000 करोड़ रुपये थी। माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसे लागू क्यों नहीं किया गया।

महोदय, लगभग छः माह पहले कर्नाटक ने इस परियोजना को संयुक्त क्षेत्र में लेने का प्रस्ताव किया था। यहां तक कि यह पिछले छः महीने से सरकार के समक्ष लम्बित पड़ी है। इसे अब तक स्वीकृति नहीं दी गई है। जिस व्यक्ति ने इसे संयुक्त क्षेत्र में लेने का यह नया प्रस्ताव रखा है क्या वह यहां आकर भारत सरकार के तंत्र की विभिन्न स्तरों पर चमचागिरी करे। मैं नहीं जानता कि इस संयुक्त क्षेत्र के साथ कौन सा व्यक्ति संबद्ध होना चाहता है। किसी भी व्यक्ति को इस संयुक्त क्षेत्र में भागीदारी करने का अवसर दिया जाए लेकिन मैं केवल इस बात में रुचि रखता हूं कि इस परियोजना को तत्काल स्वीकृति दी जाए। अन्यथा लागत बढ़ती जाएगी और कार्य रुक जाएगा।

महोदय, आप उच्चतम पद पर आसीन हैं और मैं यहां खड़ा अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। भगवान ने हमें यह अवसर दिया है। हमें दलगत भावना से ऊपर उठकर मिलकर काम करना चाहिए। सभी 28 सदस्यों को कर्नाटक राज्य के हितों के लिए संघर्ष करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि पिछले चालीस वर्षों में इस राज्य के साथ जो अन्याय हुआ है वह समाप्त हो जाए अन्यथा हम सबको शर्म से अपनी गर्दन झुकानी होगी।

मैं मंगलौर तेल शोधक कारखाने के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हम ने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि इसे स्वीकृति दे दी गई है। उसका क्या हुआ ? इस पर कार्य कब शुरू हो रहा है ? यह किस चरण पर लम्बित पड़ा है ? मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह देखे कि इस पर तत्काल कार्य शुरू हो जाए।

दूसरा मुद्दा मंगलौर में तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल के बारे में है। राज्य के अधिकारियों ने जी० ए० आई० एल० के अधिकारियों से चर्चा की है और यह इंगित किया गया कि तकनीकी आर्थिक आधार पर 6 मिलियन टन क्षमता का टर्मिनल स्थापित करना न्यायसंगत है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए मंगलौर में तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल स्थापित करना आवश्यक है जो कि राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जल्दी स्थापित किया जा सकता है। इससे तटीय क्षेत्र के औद्योगिक विकास में भी सहायता मिलेगी। बाद में राज्य के अन्य संभावित औद्योगिक केन्द्रों, जहां अधिक खनिज संसाधन उपलब्ध हैं, जहां अभी तक गवेषण कार्य नहीं हुआ है, में गैस पाइपलाइन द्वारा भेजी जा सकती है। यदि इस परियोजना को स्वीकृति दी जाती है तो इससे दक्षिणी और उत्तरी केनरा जैसे तटीय क्षेत्रों में उद्योगों की तीव्र वृद्धि और विकास में सहायता मिलेगी।

भारत सरकार के समक्ष लम्बित अन्य परियोजनाएं इस प्रकार हैं (एक) हट्टी स्वर्ण खान में प्रस्तावित शीलाइट उपकारक परियोजना; (दो) पांच वर्षों से मैसूर पेपर मिल्स फॉरेस्टरी अनुसंधान परियोजना का विस्तार (तीन) प्रोसेस कंट्रोल यंत्रों के विनिर्माण के लिए मैं० योकागोवा इलेक्ट्रिक कारपोरेशन, जापान के साथ सहयोग।

भारत सरकार के पास विकास केन्द्रों का मुद्दा भी लम्बित पड़ा है। इसके लिए तीन जिले हसन, रायचूर और धारवाड़ का पता लगाया गया है। एक अधिसूचना जारी की गई है। इसका क्या हुआ ? इन विकास केन्द्रों का क्या हुआ है ? उन पर कार्य कब शुरू हो रहा है।

मेरा अंतिम मुद्दा कृषि पर आधारित उद्योगों और खाद्य प्रसंस्करण परिसरों के बारे में है। हम चाय, कॉफी, काजू, तिलहनों, रुई आदि का उत्पादन कर रहे हैं। क्या इसके लिए किसी विदेशी धन या दुलर्भ मुद्रा की आवश्यकता है ? क्या इसके लिए किसी विदेशी तकनीक की आवश्यकता है ? क्या हम धन निवेश नहीं कर सकते हैं ? क्या हम उपलब्ध कच्चे माल का लाभ उठाते हुए इन उद्योगों का समर्थन कर सकते हैं ? मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि इन क्षेत्रों की उपेक्षा क्यों की गई है ?

पहली बार कोई दक्षिण भारतीय व्यक्ति इस देश का प्रधानमन्त्री बना है। मैं श्री पी०वी० नरसिंह राव का बहुत सम्मान करता हूं। जो कि एक अनुभवी राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी है मैं आशा करता हूं कि कम से कम उनके प्रधान मन्त्री काल में कर्नाटक के साथ अब तक जो अन्याय किया गया है उसे ठीक कर दिया जाएगा।

इस विश्वास के साथ, सभा में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं अध्यक्ष-पीठ का धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब नाम इस प्रकार दिए गए है। दल की संख्या के अनुसार नाम पुकारे जाते हैं लेकिन नाम पुकारने के लिए भी एक प्रणाली है। अब, अगले वक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रो० प्रेम धूमल हैं। उनके बाद श्री छेदी पासवान, श्री सूरज मंडल और श्रीमती बासवराजेश्वरी हैं। इस प्रकार यह चलता रहेगा। मैंने यह सब इसलिए बताया है कि सदस्य दोपहर का भोजन ले सकें। अब मैं प्रो० धूमल को बोलने के लिए बुलाता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग नीति और उद्योग मन्त्रालय की मांगों पर बहस हो रही है। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब कि नेहरू जी का नाम लेकर नेहरू जी की नीतियां छोड़ी जा रही हैं, गतिशीलता जीवन का चिह्न है और अगर नीतियों में पहले कमी रही है, तो मैं चाहूंगा कि सत्तारूढ़ दल को यह स्वीकार करके पूरे मन से कहना चाहिए कि पहले नीतियां गलत रही हैं, इस कारण हम उद्योग नीति को बदल रहे हैं।

जो नीतियां पहले अपनाई गई, उसके बारे में मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, जो इकोनोमिक इण्डस्ट्रीज सर्विस के सर्वेक्षण के अनुसार हैं। सरकारी खर्च सन् 19`0 से 950 करोड़ रुपए था, जो कि कुल बजट का दस प्रतिशत है। 1991-92 में यह एक लाख 84 हजार करोड़ रुपए हो गया, जो कि 31.7 प्रतिशत है। एक ओर तो आप कह रहे हैं कि हम नान-प्लान-एक्सपेंडीचर कम करना चाहते हैं और दूसरी ओर आंकड़े इसके विपरीत हैं। इसी प्रकार 1950 में हम ﹘10 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते थे और इम्पोर्ट 650 करोड़ रुपए का तथा 1991-92 के आंकड़े तो अभी आने हैं। 1990-91 के आंकड़ों के अनुसार एक्सपोर्ट 3: हजार 500 करोड़ रुपए और इम्पोर्ट 43 हजार 100 करोड़ रुपए का हो गया। प्राइस इन्डैक्स यदि आप देखें, 1980 में 76 प्वाइन्ट था, जो अब 217 प्वाइंट हो गया है। इसी प्रकार कोयला, पैट्रोल, इलैक्ट्रिसिटी, इन सारी चीजों का पहले से बहुत ज्यादा प्राइस इन्डैक्स बढ़ा है। पैट्रोल 1980 में 65 था, जो 1990-91 में 170 हो गया है और अब रुपए के अवमूल्यन के बाद 1991-92 में स्थिति क्या होगी, इसका आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। इसी तरह से बिजली 1980 में 78 थी, अब 21ِ हो गई और कोयला जो 1980 में था 90-91 में 232 हो गया। इसका एक पहलू और भी है दुनिया में आबादी के आधार पर हमारा स्थान दूसरे नम्बर पर है और हमरा ग्रास नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा में 156 वां स्थान है इसलिए मैं चाहूंगा कि सत्तारूढ़ दल जब इस मामले में नीति में परिवर्तन कर रहा है, तो हिम्मत के साथ कहे कि पिछली नीतियां हमारी गलत थीं और अब हम ने परिवर्तन कर लिया है, सुधार कर रहे हैं। सुधार कर रहे हैं, तो हम उसका स्वागत करते हैं।

उद्योगपति तथा व्यापारी को ट्रस्टी के तौर पर काम करना चाहिए और मजदूरों का मैनेज-

मेंट में, उद्योग को चलाने में हिस्सा हो। यह इसलिए भी आवश्यक है कि न मजदूरों का शोषण हो और कई जगहों पर जहां मजदूर यूनियन इकट्ठी होकर मालिक का शोषण करती हैं, वह भी न हो। अगर ट्रस्टी वाला सम्बन्ध रहे तो बात दूर हो सकती है। इसलिए जहां मैनेजमेंट में मजदूरों को भाग देना होगा वहां वेजिस को प्रोडक्शन के साथ जोड़ना पड़ेगा, उत्पादन और उसकी तनख्वाह के साथ, मजदूरी के साथ सम्बन्ध होगा तो फिर ठीक से काम चल सकेगा।

बड़े-बड़े उद्योगों के साथ-साथ लघु उद्योगों को भी अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यता है।

गांव में रहने वाले कुम्हार, लुहार बढ़ई, बुनकर आदि को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि लघु उद्योगों अथवा कुटीर उद्योगों में जो लोग काम करते हैं उसमें और दक्षता आए उनके माल की मांग बढ़े और उनके माल को लोकप्रिय बनाने के लिए इलैक्ट्रोनिक मीडिया जो है, दूरदर्शन और आकाशवाणी, इसके द्वारा सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका प्रचार मुफ्त हो ताकि उसकी मांग बढ़े और वे चीजें लोगों के लिए लोकप्रिय बन सकें।

फलों पर आधारित उद्योग लगाने की बहुत आवश्यकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में फल बहुत पैदा होता है, हिमाचल प्रदेश में फल बहुत होते हैं, लेकिन उनको संभालना, उन पर आधारित उद्योग लगाना, इसे प्रदेश सरकार अपने साधनों में नहीं कर सकती, केन्द्रीय सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे फलों पर आधारित उद्योग वहां लगें, तो लोगों को रोजगार मिलेगा और उससे वहां उद्योग भी बढ़ेंगे।

एक बात और देखने में आई है कि पब्लिक सैक्टर में भ्रष्टाचार इनएफिशिएंसी बढ़ी है और उसके मुकाबले में वही काम कोई प्राइवेट व्यक्ति करता है तो वह लाभ कमा रहा है। उसका कारण क्या है? या तो आप कुछ हारे हुए राजनीतिज्ञों को पब्लिक सैक्टर में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनाते रहे, उनके लिए आसान नौकरियां प्रदान करते रहे या फिर वहां जो लोग रखे गए वे उचित योग्यता प्राप्त नहीं थे। इसलिए मेरा सुझाव है कि "नेशनल मैनेजमेंट का एक कामन पुल बने और उसमें से प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर में भी लोग लगाये जाएं, जिससे कि लाभ होगा और हमारा पब्लिक सैक्टर भी उन्नति कर सकेगा। उसमें भी अच्छे मैनेजमेंट के लोग आ सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और सुझाव आपके द्वारा सरकार को देना चाहूंगा कि शहरों के निकट उद्योग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, भोपाल गैस जैसी घटनाओं का सदा डर बना रहता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि सरकार ने नीति तो बहुत आसान कर दी, लाइसेंसिग बहुत ढीली कर दी, लेकिन इसमें कम से कम इन शर्तों पर जरूर ध्यान दिया जाए कि उद्योग शहरों से दूर लगें। जो लोग पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में आ कर उद्योग लगाएं उनके लिए सब्सिडी बगैरह का प्रबन्ध किया जाए और जो खतरनाक उद्योग हैं, जहां भोपाल गैस जैसी ट्रेजडी हो सकती है ऐसे उद्योगों को दूर, अलग से, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया से भी दूर, एक सब

इण्डस्ट्रीयल ऐरिया बनाया जाए वहां पर ऐसे उद्योग स्थापित किए जाएं ताकि लोगों की सुरक्षा को खतरा पैदा न हो।

औद्योगिक विकास और संपूर्ण आधुनिकी करण के लिए शोध और विकास की बहुत आवश्यकता है इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और एक बात मेरे कुछ मित्रों ने भी कही है कि सरकार को अपने साधन और शक्ति होटल और पर्यटन जैसे कामों में नहीं लगानी चाहिए। होटल और पर्यटन का काम प्राइवेट सैक्टर में दे देना चाहिए वे लोग उसको बढ़िया ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप दिल्ली की ही तुलना कर लें तो आपके जो सरकारी होटल चल रहे हैं उनका और जो प्राइवेट होटल चल रहे है उनका मार्जिन आफ प्रोफिट क्या है, उनका कितना हर साल प्रोफिट आता है और कितना घाटा पड़ता है।

जहां मैंने पहाड़ी क्षेत्रों की बात की वहां उसके साथ एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जनजातीय लोगों को रोजगार देने के लिए उनकी कारीगरी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जनजाति के लोग कुछ विशेष मामलों में बहुत दक्ष हैं, बहुत अच्छे कारीगर हैं, लेकिन उनकी कला का कोई पारखी नहीं है, उनको कोई प्रोत्साहन नहीं देता। छोटे उद्योगों में जनजाति के लोगों की कारीगरी को पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टस की बहुत संभावनाएं हैं। वहां पर 20000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। इस चीज को आप भी मानते हैं कि पन बिजली ताप-घरों से बनने वाली बिजली थर्मल पावर प्लांट से बनने वाली बिजली से सस्ती पड़ती है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में केवल मात्र 300 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकी है, साधनों की कमी के कारण। अब आपकी नई औद्योगिक नीति के अनुसार प्राइवेट सेक्टर को इसमें पूंजी लगाने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश को उसका हिस्सा देकर प्राइवेट/निजी सेक्टर को वहां प्रोत्साहन देकर हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में इनवेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया जाए, ताकि आज देश में जो बिजली का संकट है, वह दूर हो सके तथा हमारे प्राकृतिक साधनों का भी समुचित दोहन हो सके।

इसी तरह से पर्यटन की संभावनाएं हिमाचल प्रदेश में बहुत हैं, लेकिन केन्द्र सरकार की ओर से इस क्षेत्र में कोई विशेष सहायता नहीं मिलती, ताकि वहां पर पर्यटन उद्योग का विकास हो सके। इस क्षेत्र में केन्द्र सरकार सहायता दे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के साथ केन्द्र सरकार सदा भेदभाव बरतती रही है, जिसका परिणाम है कि कोई भी बड़ा उद्योग प्रदेश में आज तक नहीं लग सका है। हालांकि इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों की वहां बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन इस बात को ध्यान नहीं दिया गया है। इसका केवल एकमात्र उदाहरण देना चाहूंगा कि कालका से परवानु तक,

परवानु हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक नगर है, कालका से परवानु तक केवल दो किलोमीटर ब्राडगेज रेलवे लाइन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बार बार केन्द्र सरकार को लिखा गया है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं रेल मन्त्रालय से कहना चाहता हूं कि केवल 2 किलोमीटर ब्राडगेज लाइन बढ़ाई जाये, यदि इस कार्य को नहीं किया जायेगा तो औद्योगिक नीति के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों को आप किस तरह से बढ़ावा दे पायेंगे, किस तरह से उनका विकास होगा।

इसी तरह से नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन का काम 1973 में शुरू हुआ था। 14 किलोमीटर रेलवे लाइन आज तक पूरी हुई है। 100 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए केवल दो करोड़ रुपया इस बार माननीय रेलमन्त्री जी ने रखा है। अब इस दो करोड़ रुपए में कितनी लैंड एक्वायर होगी या कितनी रेलवे लाइन बिछेगी, यह आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं।

एक बात और कहना चाहूंगा कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के जो रेट हैं, वे सरकार ने बढ़ाए हैं, घटाए नहीं हैं, जबकि कुछ माल पहले से महंगा हो गया है, जो चीज पहले 60 रुपए में आती थी आज 90-110 रुपए में मिलती है, लेकिन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का रेट पहले से बड़ा है तो ढंग से यह बोझ भी अंततः उपभोक्ता पर पड़ेगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जैसे रा-मेटीरियल्स के रेट बढ़े हैं, कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ी है, उसके हिसाब से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से छूट की सीमा बढ़ाई जाए ताकि कम से कम छोटे उद्योग जो माल उत्पादित करते हैं, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में सुधार लाया जा सकेगा।

मान्यवर, एक बात की तरफ और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मध्यप्रदेश में लोहा बहुत पैदा होता है और वहां से विदेशों को, खासकर जापान को मिट्टी के भाव निर्यात होता है और प्रदेश सरकार को बहुत कम रायल्टी मिलती है। विदेश से फिर प्रोसेस हुए बहुत महंगे भाव से खरीदते हैं। अब जबकि उद्योग नीति में परिवर्तन लाया जा रहा है, आपके अनुसार क्रांतिकारी परिवर्तन हैं, तो क्या आप ऐसे कुछ कदम उठाएंगे, ताकि आयरनओर का प्रोसेसिंग यहीं पर हो सके। छोटे उद्योगों से सम्बन्धित मन्त्री तो यहां पर नहीं हैं, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैं माननीय थुंगन साहब का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश से आयरनओर, कच्चा लोहा भारी मात्रा में मिट्टी के भाव विदेशों को जाता है। आपने क्रान्तिकारी परिवर्तन लाए और आप कहते हैं कि उद्योग में बड़ा परिवर्तन आयेगा। क्या आप ऐसे कोई कदम उठायेंगे कि उस लोहे की प्रोसैसिंग मध्य प्रदेश में ही हो सके और वहां पर ही अच्छा इस्पात, अच्छा लोहा बन सके ताकि जो विदेशी मुद्रा हम खर्चते हैं वह भी बचे? क्या ऐसा ध्यान आप देंगे? मैं अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि मेरी पार्टी के किसी और साथी को भी समय मिल जाएगा इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अधिकांश उद्योगों का लाइसेंस मुक्त, एकाधिकार कानून में पूंजी सीमा की समाप्ति, विदेशी पूंजी अनुपात में बढ़ोत्तरी, परम्परागत उद्योगों को संरक्षण तथा बढ़ावा देने की

नीति, सरकार के पूंजीपतियों से गठबन्धन और अमेरिका के जाल में फंसने तथा समाजवादी दर्शन से दूर हटने की बात को साबित करता है। इस नीति से तो निश्चय ही देश में धनी और गरीबों के बीच फासले और बढ़ेंगे। मध्यम वर्गीय उद्योगों के विकास में बाधाएं आयेंगी तथा पिछड़े इलाकों के विकास का मौका समाप्त होगा। विदेशी कर्जों में बढ़ोत्तरी होगी और आम जनता का जीवन और भी मुश्किल में पड़ जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं सरकार को एक आवश्यक जानकारी के तौर पर बता देना चाहता हूं कि पूंजीवादी व्यवस्था से गरीबी और बेरोजगारी तथा देश में फैली क्षेत्रीय विषमताओं को हम दूर नहीं कर सकते हैं। यदि इस देश से बेरोजगारी को दूर करना है तो छोटे और लघु-उद्योगों को अधिक से अधिक प्राथमिकता देने की जरूरत है। छोटे उद्योगों द्वारा जो माल उत्पादित होता है वह बड़े उद्योगों से किसी भी मायने में पीछे नहीं है। जहां तक हमारी जानकारी है देश में उत्पादन का 55 प्रतिशत उत्पादित हिस्सा छोटे उद्योगों और लघु उद्योगों द्वारा होता है। देश में जो निर्यात व्यापार है उसमें भी 40 फीसदी का हिस्सा छोटे और लघु उद्योगों का है। इसलिए देश में, जो हमारे आंकड़े बता रहे हैं, बजट में छोटे उद्योगों तथा कृषि और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए जो राशि आबटित की गई है, वह मात्र 360 करोड़ रुपए है। माननीय मन्त्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं इनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि लघु उद्योगों को बढ़ाने से देश में अधिक से अधिक बेरोजगारी की समाप्ति होगी। इसके लिए लघु और कुटीर उद्योगों के लिए जो राशि 360 करोड़ रुपए आबटित की गई है इसको बढ़ा कर कम से कम एक हजार करोड़ करना चाहिए। तभी हम देश से बेरोजगारी समाप्त कर सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। आज सरकार की गलत नीतियों के कारण ही हमारे देश में करीब-करीब निजी क्षेत्र में 2 लाख 40 हजार छोटे-बड़े उद्योग बन्द पड़े हुए हैं। बन्द होने का मुख्य कारण यह है कि, जहां तक हमारा अनुभव है, दो प्रतिशत अपवाद के रूप में अगर छोड़ दिया जाए तो देश में अधिकतर छोटे-बड़े यूनिट बन्द पड़े हुए हैं बड़े घरानों की पारिवारिक कलह की वजह से। इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से फैक्टरियां बन्द पड़ी हैं। इस लिए लघु उद्योग ही चाहे भारी उद्योग हो इसके लिए सम्बन्धित नियमों और प्रक्रियाओं को और सरल बनाने की जरूरत है। तभी इस देश में हम लघु उद्योगों का विकास कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, नई औद्योगिक नीति के जरिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए दरवाजा भारत में आने के लिए खोल दिया है, सरकार को यह नीति वापस लेनी चाहिए। आम सहमति से नई नीति बनानी चाहिए। क्योंकि नई औद्योगिक नीति बनाते समय दूरगामी लक्ष्यों को सामने नहीं रखा गया है। हमने स्वदेशी तकनीकी के जरिए देश में अनेक उपलब्धियां हासिल की है। स्वदेशी तकनीक के जरिए ही हमारा स्वस्थ विकास सम्भव है।

उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक नीति से लगता है कि हम अमेरिका के गुलाम हो चुके हैं। हमें आश्चर्य होता है, हमारे वित्त मन्त्री, मनमोहन बाबू, समझ में नहीं आता है कि 35 साल के बाद

अचानक वित्त मन्त्री, महोदय को यह कैसे याद आ गया कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जो समाजवाद का एक रास्ता अपनाया गया था जिसका अपना एक दर्शन था कि देश के हर पिछड़े इलाकों में उद्योगों का विकास हो और देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। वित्त मन्त्री की समझ से आज इसकी जरूरत नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी है, वित्त मन्त्री खुद सरकार के उच्च पदों पर रह कर जैसे वित्त सचिव, रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के सदस्य रह कर इन नीतियों पर अमल के लिए काम करते रहे हैं। अचानक अमेरिका ने ऐसा कौन सा गुल खिला दिया कि इनका मन बदल गया। यह सोचने की बात है कि अमेरिका हमको कर्ज के चंगुल में अधिक से अधिक अपनी शर्तों पर क्यों रखना चाहता है। वह क्या आज भारतीय व्यापार के अन्तर्राष्ट्रीयकरण की बात करता है? मेरी समझ से यह निश्चय ही मुट्ठी भर लोगों के साथ मिलकर चाहे पूंजीपति हों, राजनीतिक हों या सरकारी अफसर हों।

2.00 म० प०

मिलकर के देश की सत्ता पर हावी होना चाहते हैं। यहां पर हैवी इंडस्ट्री के मन्त्री बैठे हुए हैं इसलिए उनको सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि बड़े घरानों को वित्तीय सहायता तभी मिलनी चाहिए जबकि उनका अन्य कोई कारखाना बीमार न हो। किसी भी इकाई में किसी प्रकार का बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य सरकारी वसूली बकाया न हो। ऐसा हो रहा है कि एक तरफ तो उद्योग बीमार पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ कर्ज लेकर नए कारखाने लगाए जा रहे हैं या नया कर्ज लेकर पुराना कर्ज चुकाया जा रहा है। आज नया उद्योग लगाना, उसे बीमार बनाना और फिर सरकार से, बैंकों से और वित्तीय संस्थाओं से छूट लेना अपने आप में एक लाभकारी व्यापार बन गया है जबकि यह सारा लाभ छोटे उद्योगों को मिलना चाहिए। बड़े-बड़े उद्योगपतियों जैसे थापर के० एपीटेन्स कंपनी, अन्सल का पेपर कारखाना आदि को करोड़ों की छूट दी गई है और कर्ज माफ किए गए हैं। वहीं पर छोटे और लघु इकाइयां नीलाम की जा रही हैं। इस तरह की दोहरी नीति को समाप्त करना होगा। आज एक छोटे कारखाने वाले को किसी तरह की सुविधा नहीं मिल पाती क्योंकि उसकी पहुंच बड़े राजनीतिक नेता और सरकारी अधिकारी तक नहीं है। अगर आप छोटे और लघु उद्योगों को मदद पहुंचाना चाहते हैं तो हमें इन्हें सरकारी इन्सपैक्टरी राज से मुक्त कराना होगा। एक तरफ तो राहत के नाम पर बड़े उद्योगों के सूद माफ किए जाते हैं या छह से दस प्रतिशत के बीच सूद लिए जाते हैं। वहां छोटी इकाइयों से बीस प्रतिशत पर सूद इकट्ठा किया जाता है। छोटे इकाइयों के लिए कर्ज माफ या सूद कटौती तो एक सपना है।

मैं बिहार की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बिहार में प्राकृतिक सम्पदा है और इंडस्ट्री की कमी है। वहां पर खनिज सम्पदा है और कोयला खान पर्याप्त मात्रा में है इसलिए सुपर थर्मलपावर का स्कोप है। मैं निवेदन करता हूं कि वहां पर एक सुपर थर्मल पावर खोला जाए। बिहार सरकार ने 1986 में केन्द्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा था। उस प्रस्ताव में यह था कि बिहार के जमालपुर में रेल इंजिन और रेल डिब्बे बनाए जाएं। लेकिन वह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है। हमारे यहां चार यूनिट कागज, चीनी, डालडा और सीमेंट

के बन्द पड़े हुए हैं। एक-आध यूनिट चालू हुआ है और बाकी यूनिटों को शुरू किया जाए। हमारे संसदीय क्षेत्र सासाराम में पीपीसीएल आमझोर में कुछ लोगों की जमीन ली गई थी और कहा गया था कि इस फैक्ट्री में नौकरी दी जायेगी। लेकिन किसी को भी नौकरी नहीं दी गई। उस फैक्ट्री से जो धुंआ निकलता है तो उससे प्रदूषण फैलता है और उससे किसानों की फसलें और पेड़-पौधे बरबाद होते हैं। जब रात को लोग सोते हैं तो एसीड गैस खोली जाती है। उसका असर गर्भवती महिलाओं और गर्भधारण किए हुए पशुओं पर पड़ता है जिसके कारण गर्भपात हो रहा है। ऐसा प्रबंध किया जाए कि उस एसीड गैस का इस्तेमाल हो सके। मैं इतना ही कहते हुए आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, नयी उद्योग नीति पर खासतौर से विचार किया जा रहा है। हमारे देश में सबसे पहले 1948 में औद्योगिक नीति बनी थी और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा उद्योग नीति की घोषणा की गई है।

2.05 (**राव राम सिंह पीठासीन हुए**)

उसमें कहा गया है कि उत्पादन हुआ है देश को काफी लाभ हुआ है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जब उन नीतियों से देश आगे बढ़ रहा था तो आज औद्योगिक नीति में परिवर्तन करने का कारण क्या है। हिन्दुस्तान गांवों का देश है, यहां की 85 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, नई औद्योगिक नीति में इन लोगों को अपेक्षित रखा गया है। हमारे देश में 85 करोड़ की आबादी है, जबकि अमरीका में इससे कम 24 करोड़ की आबादी है लेकिन आज अमरीका की ओर हमारा देश भाग रहा है। नई टेक्नोलोजी से कम लोगों को काम मिलेगा। हिन्दुस्तान की जरूरत की चीजें जो गांवों में बनती हैं उनको बढ़ाने के लिए लोगों को अवसर प्रदान नहीं किये जा रहे हैं। अगर कुटीर उद्योग की स्थापना गांवों में की जाती तो आज हम लाखों लोगों को जो बेकार हैं, काम दे सकते थे। इस नई औद्योगिक नीति में भी इसकी कोई व्यवस्था नहीं है कि कौन आदमी छोटे उद्योग लगायेगा और कौन आदमी बड़े उद्योग लगायेगा।

टाटा इस देश के अन्दर इस्पात बनाता है, टाटा ही देश में किसानों के लिए हल का फल बनाता है। इसीलिए हमारे देश के गांव के लोग, मजदूर लोग कहते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा लोहार कौन है—इस देश का सबसे बड़ा लोहार टाटा है। इस देश का सबसे बड़ा चमार कौन है-इस देश का सबसे बड़ा चमार बाटा है और इस देश का सबसे बड़ा कुम्हार कौन है तो वह बिड़ला है। यह हमारे देश की औद्योगिक नीति रही है। इसलिए आज कुम्हार बेकार हो गया है, आज लोहरा और चर्मकार बेकार हो गये हैं।

सभापति महोदय, सरकार को इस नीति में परिवर्तन करना चाहिए। हम समझते हैं मन्त्री और सरकार को जाकर, क्योंकि गांवों में जाने के लिए उनके पास समय नहीं है, वे दिल्ली में कनाटप्लेस में खादी भण्डार में जायें और देखें कि वहां मधुमक्खी का शहद और चमड़े की चप्पल जो

छोटे-छोटे सामान हैं जो कि किसानों द्वारा, गांव के लोगों द्वारा बनाये जाते हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाये। लेकिन हम उनको प्रोत्साहित नहीं करते हैं। गांवों में जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। टाटा और बिड़ला को आप प्रोत्साहित करते हैं और आपने देश में बड़े उद्योगों को ही प्रोत्साहन दिया। बड़े उद्योग जरूर लगायें, लेकिन औद्योगिकरण में मशीनीकरण की जो हालत है जिसके कारण लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उस तरफ भी आप ध्यान दें। एक तरफ आप पेड़-पौधे लगाने की योजना बना रहे हैं, पेड़ लगा भी रहे हैं, पेड़ की डालियां भी निकल रही हैं, आप देश की जनसंख्या भी देखिये, घड़ी से देखिये एक-एक मिनट में बढ़ रही है। कालेज से लोग बाहर निकलते हैं और बेकार घूमते हैं इससे बेकारों की कतार बढ़ती जा रही है। एक दिन ऐसी परिस्थितियां इस देश में निर्मित होंगी कि गांव के लोग, जो कि बेरोजगार हैं, अगर आपने उनका खयाल नहीं रखा तो वे एक दिन दिल्ली के बड़े-बड़े आलीशान बंगलों में रहने वालों के पेड़ों की डालियां काटकर गांव में ले जायेंगे।

जिस प्रकार से 43 साल में टाटा और बिड़ला को प्रोत्साहित करने का काम किया गया है, ऐसा लगता है गांव का धन दिल्ली में आया था और अब दिल्ली का धन अमरीका और दूसरे देशों में चला जायेगा।

सभापति महोदय, श्री पीयूष तीरकी जी कल ठीक ही कह रहे थे लेकिन लोग हंस रहे थे। मुझे लगता है कि लोग उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। हम लोगों को सोचना चाहिये कि आज यदि कोई छोटा बच्चा बड़ी बात कहता है तो उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये। आज हम लोग स्वदेशी चीज को छोड़कर विदेशी खरीद रहे हैं और उसकी ओर जा रहे हैं। आज विश्व बैंक की परियोजना की ओर से जो सहायता मिलती है, उस पर अपने देश की योजना बनायी जाती है, उसके पीछे क्या राज है? जब विश्व बैंक की ओर से कोई परियोजना बनायी जाती है तो सारा नक्शा उसी का होता है। उसी तरह से विदेशी लोग हमारे देश में कल-कारखाने लगायेंगे, कारखाना लगाने का नक्शा विदेश से आयेगा और विदेशी पूंजी निवेश करने के बाद हम हिन्दुस्तान वालों को क्या मिलेगा? जिस तरह से हमारा देश पहले गुलाम हुआ था उसी तरह से फिर देश गुलाम बना दिया जायेगा।

सभापति महोदय, हमारे देश में राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था? राष्ट्रीयकरण करने के बाद उसमें क्या खामियां थीं, उनको दूर करना चाहिये था। हम जानते हैं कि देश के मुट्ठीभर लोग तथाकथित पूंजिपतियों के समर्थक हैं और उन लोगों ने ही राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य को सफल नहीं होने दिया और इससे कल-कारखानों को नुकसान होता है। हम कृषि पर आधारित जंगल से आने वाले लोग हैं। जंगलों में जो फल-फूल होते हैं, उसके पौधे पर आधारित उद्योग को कोई बढ़ावा नहीं दिया गया है। आज ही प्रश्नकाल में प्रश्न संख्या 519 में किसानों से सम्बन्धित एक जवाब दिया गया है जो एग्रो-इंडस्ट्रीज लगाने के बारे में है। बिहार के साथ इस मामले में अन्याय किया गया है, उसकी उपेक्षा की गयी है। जबकि देश के दूसरे राज्यों में एग्रो-इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया है, बिहार में नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय, मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। बिहार राज्य से कर्नाटक छोटा है परन्तु वहां 1986-87 में यह संख्या 2835 है जबकि बिहार की संख्या 1336 है। उड़ीसा में 17609 एग्रो इंडस्ट्रीज लगायी गयी हैं। वर्ष 1987-88 में उड़ीसा में 26115, बिहार में 1316 है और वर्ष 1988-90 में उड़ीसा में 21567 और बिहार में 1275 है। इस प्रकार बढ़ने के बजाय बिहार पीछे जा रहा है। जिस तरह से सहकारी संस्थाओं द्वारा छोटे उद्योग लगाये जाते हैं, उसी प्रकार बिहार में किसान अपने गांव में चीनी के अलावा निश्चित रूप से गुड़ बनाने का काम कर सकते हैं जिसमें आप प्रोत्साहन नहीं देते हैं। बिहार को उपेक्षित किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ष 1988-90 में बिहार को कोई सहायता नहीं दी गयी है और 1990 में सिर्फ पांच लाख 776 रु० दी गयी और 1990-91 में उसको कोई सहायता नहीं दी गई है। उसके मुकाबले में कर्नाटक को 11097 लाख रुपया दिया गया, और 1989-90 में 260.35 लाख रु० दिया गया है, 1990-91 में 105 लाख दिया गया। इस प्रकार बिहार से अन्य राज्यों को ज्यादा ही दिया गया है।

सभापति महोदय, बिहार में हिन्दुस्तान का 41 प्रतिशत खनिज सम्पदा है लेकिन वहां उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। पूरे देश को खनिज सम्पदा बिहार से जाता है। इस प्रकार बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया जा रहा है। हमारे यहां जो रेनूकोट में एल्युमीनियम का कारखाना लगा है, वहां से हमारा मिनरल्ज आता है। लोहरदगा मिनिरल्स की बात है। रेनुकूट में बिड़ला ने एक एल्यूमीनियम का कारखाना लगाया लेकिन उसमें यह भी था कि वह एल्यूमीनियम का कारखाना बिहार में लगाए। आज तक बिड़ला ने उस कारखाने को नहीं लगाया और भारत सरकार, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें कुछ नहीं कर पाई। इस तरह से बिहार की उपेक्षा हो रही है। सभापति महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं, थोड़ा ज्यादा समय दीजिए।

सभापति महोदय : आप तो रोज पहली दफा बोलते हैं।

श्री सूरज मंडल : मैं बताना चाहता हूं कि बिहार के अन्दर दस हजार कारखाने हैं। बड़े कारखाने एच०ई०एल० काहटिया में है, बोकारो में है और टाटा का कारखाना पब्लिक सेक्टर में है। बोकारो में आप अगर छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे पास दो उदाहरण हैं। चितरंजन रेल कारखाना मेरे घर के बगल में है। इस देश के अंदर आज छोटे कारखानेदारों का अच्छी चीज बनाने वाले का किस तरह से मनोबल गिराया जाता है, मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं। चितरंजन में जो रेलवे कारखाना है, वहां पर एक इन्जीनियर था मिस्टर सूर। उसने उस कारखाने से रिजाइन कर दिया और बंगाल के बगल में मिहिजाम में बॉल बियरिंग बनाने का छोटा सा कारखाना खोला। वहां जो बॉल बियरिंग बनाई, उसने बॉल बियरिंग को सी०एल०डब्लू को सप्लाई करने के लिए लिखा पर सी०एल०डब्लू ने उस की बाल बियरिंग को रिजेक्ट कर दिया। वे सप्लाई जापान से लेते थे। उसके बाद सूर कंपनी ने जाकर जापान में उस कंपनी से संपर्क किया। उसने जापान में बने उस बियरिंग को देखा कि वह बहुत अच्छे थे। उसने देखा कि यहीं से बियरिंग लेकर उसमें जापान की मोहर लगती है और चितरंजन में उसको सप्लाई किया जाता है। इस तरह से इस देश के अंदर बड़े साइन बोर्ड चाहिए, टावी में प्रचार चाहिए, पोस्टर चाहिए, चाहे वह खराब

बनाता हो उसको प्रोत्साहित किया जाता है लेकिन अच्छा बनाने वाले को नहीं किया जाता ।

मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं कि छोटे उद्योगों को इस देश में किस तरह से कुचला गया है । मैं बोकारो का उदाहरण देना चाहता हूं । बोकारो इस्पात कारखाना जो है, वहां पर बिहार सरकार ने बिहार इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की है । वहां पर करीब 50-60 छोटे उद्योग लगाए गए हैं लेकिन आज उन उद्योगों को बोकारो इस्पात कारखाने ने फेल करवा दिया है । इसलिए कि कारखाने में जो सामान लगता है बी०आई०ए० के लोग उसका उत्पादन करते हैं बोकारो स्टील कंपनी उससे सप्लाई नहीं लेती है । उन्हीं चीजों को वह चण्डीगढ़ से खरीदते हैं, उसी सामान को वे दिल्ली के बाजार से खरीदते हैं, मुम्बई के बाजार से खरीदते हैं, और कलकत्ता के बाजार से खरीदते हैं । इसीलिए वे उद्योग फेल हो रहे हैं और वह नाम का इंडस्ट्रियल एरिया है । लेकिन ऐसा क्यों होता है उसके पीछे हमको जाना चाहिए । इसलिए कि कम दाम पर वहां सामान मिलेगा और सप्लाई लेने वाले को उसका जो कमीशन मिलेगा, वह कमीशन तुरन्त सबको मालूम हो जाएगा । इसलिए वह नजदीक की मार्केट से नहीं खरीदते हैं । मुंबई कौन पता लगाने जाएगा, दिल्ली कौन पता लगाएगा और चंडीगढ़ में कौन पता लगाने जाएगा ? इस तरह से जो सरकार ने इन उद्योगों को फेल किया, इसको देखना चाहिए ।

सभापति महोदय, हम आपको यह कहना चाहेंगे कि जो कारखाना बनाया जाता है, राष्ट्रीयकरण के बाद हम जो ही नेशनलाइजेशन की ओर जा रहे हैं, उसका एक कारण है कि जिन क्षेत्रों में कारखाना बना, वहां जिनकी जमीन पर कारखाना बना, उन लोगों को प्रोत्साहित नहीं किया गया काम करने के लिए, नौकरी देने के लिए और विस्थापन की समस्या देश की आजादी के बाद आई, उसको कभी भी सुलझाने का प्रयास नहीं किया गया । इसलिए कि वहां पर आंदोलन होते हैं और सरकार घबराकर दूसरे कारखाने नहीं खोलती और पब्लिक सेक्टर में सबको वह दे रहे हैं । विदेशियों को हमारे यहां बुला रहे है । जो कोयला उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं, उसमें भी विदेशी आ गए । हमारे यहां राजमहल प्रोजेक्ट है । राजमहल प्रोजेक्ट में थर्मल पावर के लिए कोयला दिया जाता है । आपने थर्मल पावर के लिए, कोयले का प्रोडक्शन करने के लिए, कनाडा गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया । कनेडियन लोगों को इतनी सुविधाएं हैं कि जिस डाक बंगले में पहले हम लोग रहते थे, वह एयर-कण्डीशन्ड नहीं था, लेकिन कनेडियन लोगों के आने के बाद, उसे एयर-कण्डीशन्ड बना दिया गया, उसमें एअर-कण्डीशनिंग की गाड़ी लगा दी गई । उन लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं, उसी वजह से हमारे देश में आज उद्योग फेल हो रहा है । काम करने वाले लोगों को ज्यादा पैसा नहीं मिलता है बल्कि कम काम करने वाले लोगों को ज्यादा पैसा भी मिलता है और ज्यादा सुविधाएं भी दी जाती हैं । जो आदमी मेहनत करता है, 8 घण्टे काम करता है, उसे बहुत नगण्य सुविधायें दी जाती हैं । इसी कारण आज हमारे उद्योग फेल होते जा रहे हैं ।

सभापति महोदय, मैं आपके जरिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे बिहार में लगभग 10 हजार कल-कारखाने हैं जिसमें से 5 हजार कारखाने बन्द पड़े हुए हैं ।

सरकार को उसके कारणों में जाना चाहिये, तह में जाना चाहिए कि इतने कारखाने बन्द क्यों हैं। जैसा अभी हमारे एक माननीय सदस्य छेदी पासवान जी कह रहे थे, मैं उनकी बातों को फिर दोहराना चाहता हूं कि सरकार के पैसे से, जनता के पैसे से, लोन लेकर यदि कोई कारखाना खोलता है, और खोलने के बाद उस कारखाने को सिक इण्डस्ट्री डिक्लेयर करता है, उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है कि कारखाने का पैसा कहां जायेगा। लेकिन एक गरीब आदमी अगर बैंक से पैसा उधार लेता है, 5 हजार रुपए का कर्ज लेता है और किसी कारण से दे नहीं पाता तो उसके नाम वारंट ईश्यू हो जाते हैं, उसकी कुर्की होती है, उसकी जमीन जब्त कर ली जाती है। दूसरी ओर बी० एस० आई० डी० सी० या बी० एस० एफ० सी० से लोन लेकर यदि कोई अपने कारखाने को सिक इण्डस्ट्री घोषित कर दे तो उसके गले का फंदा निकल गया, वह सरकार के ऊपर चला जाता है, सरकार के ऊपर फंस जाता है। गरीबों के पैसे डूबते जाने के कारण, हमारे देश की औद्योगिक नीति का दिवालियापन प्रदर्शित होता है। यही कारण है कि सरकार को सोना बेचना पड़ा। वह सोना कहां गया, हिन्दुस्तान के लोग ही उस सोने को खरीद रहे हैं।** ने सारे हिन्दुस्तान के उद्योगपतियों से सम्पर्क किया और सब लोगों से पैसा लेकर स्विस बैंक में जमा करवा दिया। उसके बाद सोना ले जाकर...

सभापति महोदय : किसी का नाम लेना उचित नहीं है, जो व्यक्ति हाउस में नहीं है। आपने ** का नाम लिया, यह उचित बात नहीं है।

श्री सूरज मंडल : वे इस हाउस के सदस्य नहीं हैं।

सभापति महोदय : कार्यवाही में से नाम काट दिया जाये। किसी का नाम नहीं जायेगा।

श्री सूरज मंडल : साधुओं का तो यह देश ही हो गया है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता था कि हमारे यहां बहुत से मिनरल्स हैं, सोना भी है, ताम्बा भी है, लोहा भी है और अभी मुंगेर के एरिया में सोना निकला है परन्तु सोना निकालने का काम कुछ नहीं हो रहा है। कोई उन मिनरल्स को निकालने का काम नहीं करता। यदि निकालने का काम किया जाये तो देश को भी सोना मिले और लोगों को रोजगार भी मिले।

वैसे ही कोयला हमारे इलाके से, झारखण्ड के इलाके से ले जाया जाता है परन्तु झारखण्ड के इलाके में थर्मल पावर स्टेशन नहीं बनाया जाता। आज वहां कोई इंडस्ट्री इसलिए भी नहीं चल पाती क्योंकि उसे पावर नहीं मिलती। बिजली की जरूरत है। यदि बिजली नहीं मिलेगी तो कोई इण्डस्ट्री कैसे चलेगी। इसलिए मेरी मांग है कि कर्मपुरा थर्मल पावर स्टेशन को शीघ्र बनाया जाये जो अभी सरकार के विचाराधीन है। उसे अविलम्ब स्वीकृति मिलनी चाहिए। हम लोगों के साथ, झारखण्ड एरिया के साथ और बिजली के साथ पहले ही अन्याय हुआ है। फरक्का थर्मल पावर स्टेशन भी

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हमारे यहां बनना चाहिये था क्योंकि उसके लिए भी हमारे यहां, राजमहल से, कोयला ले जाया जाता है और 188 किलोमीटर की दूरी तक ले जाकर कोयला उपयोग में लाया जाता है जबकि 10 किलोमीटर क्षेत्र में ही आपको पानी भी उपलब्ध है, कोयला मिलता है। परन्तु आपने वहां पर थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण नहीं किया। अतः मेरी मांग है कि कमपुरा थर्मल पावर स्टेशन को तुरन्त चालू कराया जाये।

एक बात मैं माईका के बारे में कहना चाहता हूं। मिडको के नाम से जो संस्था बनी है, उससे पूरे छोटा नागपुर और झारखण्ड इलाके के काफी लोगों को रोजगार मिलता था। परन्तु आज माइका का उद्योग बन्द होता नजर आ रहा है। उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। आल इण्डिया लेवल की एक संस्था एम० एम० टी० सी० में उसे मर्ज करने का प्रस्ताव है, आप मर्ज कीजिये, लेकिन जो माइका हमारे यहां मिलता है, हमारे यहां माइकाबेस्ड इण्डस्ट्रीज लगनी चाहिए। जिस क्षेत्र में जो भी मिनरल्स पाये जाते हैं, उन क्षेत्रों में उसी पर आधारित कारखाने होने चाहिए। उनसे जो सामान बनता है, जैसे बोकारो में लोहे का कारखाना लगाया गया लेकिन लोहे से जो सामान बनता है, बाजार में बेचा जाता है, उस तरह के कारखाने को वहां प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। हमको जिस रेट पर लोहा यहां मिलता है, उसी रेट पर अहमदाबाद में भी मिलता है, उसी रेट पर बम्बई में भी मिलता है। इसलिए वहां के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए यह आवश्यक है कि लोहे पर आधारित सामान के कारखाने वहां पर लगने चाहिए। कोयले पर आधारित उद्योगों के कारखाने वहीं लगने चाहिए, तभी जाकर बेरोजगारों को आप ज्यादा से ज्यादा काम दे सकते हैं और गांव के लोगों को कुटीर उद्योग लगाकर ही आप ज्यादा काम दे सकते हैं। इसलिए कुटीर और छोटे उद्योगों की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, चर्म उद्योग आदि पर ज्यादा पैसा आपको खर्च करना चाहिए। आपने उसमें सात सौ करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है, मैं तो कहता हूं कि सात सौ करोड़ नहीं, बल्कि आपको सात हजार करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए, तभी भारतवासियों के प्रति सच्चे मन से अपने फर्ज को पूरा कर सकेंगे और उनका विश्वास प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री जी और सरकार इस समय बताए कि आप इस तरह की नीति चलाना चाहते हैं या नहीं?

सभापति महोदय, आज हमारे देश में कोई मशीन मंगाई जाएगी, तो वह बाहर से मंगाई जाएगी। हम देखते हैं कि रेलवे में भी जो मशीन आती है वह बाहर से आती है। पहले एक चक्के को ठीक करने में 36 आदमी लगते थे लेकिन अब 8 आदमी काम करते हैं। इस तरह से आधुनिकीकरण के नाम पर यदि काम करते रहे, तो हमारे आदमी बेरोजगार हो जाएंगे। नयी टैक्नोलोजी विदेशों से आएगी और उस पर हमारे देश के पैसे की बर्बादी होगी। जब माधवराव सिंधिया रेल मन्त्री थे, तो वे रेलवे की नई टैक्नोलोजी बाहर से लाए थे और उस पर 50 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया। इससे कोई नतीजा नहीं निकला। मेरा कहना है कि गरीब का पैसा हिन्दुस्तान के गांवों में लगना चाहिए और इस तरह की औद्योगिक नीति बनानी चाहिए जो छोटे उद्योग लगाने के पक्ष में हो। जो बड़ी और विदेशी पूंजी इन्वेस्ट करने की बात है, इस पर हमें गम्भीरता से सोचना

चाहिए।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती बासवा राजेश्वरी (बेल्लारी) : सभापति महोदय, आज की चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

उद्योग मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करने से पहले मैं आम बजट के बारे में कुछ शब्द कहूंगी क्योंकि जब आम बजट पर चर्चा की गई थी उस समय मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर नहीं मिला था।

स्वतन्त्र भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रही है और ऋण के जाल में फंस चुकी है। इस समय सुधारात्मक उपाय करने में देर करने से हमारी आर्थिक स्वतन्त्रता को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए समय पर लिए गए साहसपूर्ण निर्णयों के लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है।

आंतरिक और विदेशी दोनों सार्वजनिक ऋणों में अभूतपूर्व वृद्धि, निवेश पर निम्न लाभ, कम निर्यात, अधिक आयात, बढ़ता हुआ वित्तीय घाटा, अधिक मुद्रा स्फीति, विदेशी पूंजी के चलन में कमी, भुगतान संतुलन के संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था के संकट का पता चलता है। संक्षेप में बात यह है कि देश में व्यय आय से अधिक हो रहा है। हमारी मुक्त अर्थव्यवस्था की कीमत पर ही देश इस विलासिता को चला सकता है।

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कुव्यवस्था उत्पन्न हो गई है जिसके लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय करने के साथ-साथ दीर्घावधि कारगर उपाय करने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था के लिए हर प्रकार के उपाय करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने अनेक आर्थिक नीतियों की घोषणा की है और बजट में जिन उपायों का प्रस्ताव किया गया है वह सुधारात्मक और स्थिरता लाने वाले उपाय के रूप में कार्य करेंगे।

नीतियों को उदार बनाकर उद्योग और व्यापार के लिए सही उपाय किये गए हैं। उन्हें अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए खुला छोड़ दिया गया है ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता का अनुभव हो, वे अपव्यय से बचें, उत्पादन लागत कम करें, उत्पादन बढ़ाएं, गुणवत्ता में सुधार करें, तथा निर्यात को बढ़ाएं। एक अन्य कड़ा उपाय राज सहायता को कम करने और उसे युक्ति-संगत बनाने के रूप में अपनाया गया है।

देश के विकास के लिए जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करने के लिए उद्योग व्यापार और बैंकिंग क्षेत्र के लिए कुछ उपाय गये हैं। उन्हें वाणिज्यिक सिद्धांतों पर कार्य करने की आवश्यकता महसूस करवाई गयी है।

अर्थव्यवस्था की वृद्धि बनाए रखने के लिए अधिक मात्रा में विदेशी निवेश की आवश्यकता है। बजट में उच्च प्राथमिकता वाले विशिष्ट उद्योगों में 51% की विदेशी इक्विटी की बढ़ी हुई सीमा के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव का स्वागत किया गया है।

सातवीं योजना के दौरान हमारे देश में उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। यह 8.5% तक थी जो कि बहुत उत्साहजनक है। सरकार की नीति, अच्छे श्रम सम्बन्धों, कच्चे माल की समय पर आपूर्ति के परिणामस्वरूप गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों के साथ-साथ लघु-उद्योग क्षेत्र में भी उत्पादन बढ़ा।

इस्पात क्षेत्र के मुद्दे पर बोलने से पहले मैं यह बताना चाहती हूं कि इस देश के बहुंमुखी विकास के लिए यह क्षेत्र अति आवश्यक है। थोड़े समय में ही हमें इस्पात की कमी का सामना करना पड़ेगा यहां तक कि सरकारी उपक्रमों और गौण क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए भी उसकी कमी होने की समावना है · अतः यह अति आवश्यक है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए इस्पात संयन्त्र स्थापित किये जाएं।

जैसा कि मेरे मित्र ने बताया है कि विजयनगर इस्पात संयन्त्र लम्बे समय से विचाराधीन है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने संयुक्त क्षेत्र की योजना शुरू की है और उन्होंने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। आज नई औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन आज सुबह ही मुझे ज्ञात हुआ है जब माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा था कि तकनीकी विशेषज्ञों ने संयन्त्र की तकनीकी संभाव्यता के बारे में स्वीकृति दे दी है। मुझे यह जानकर दुख हुआ कि भारत सरकार विजयनगर इस्पात संयन्त्र स्थापित करने के बारे में बिल्कुल रुचि नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि यह संयन्त्र स्थापित करना कर्नाटक सरकार का दायित्व है। मुझे डर है कि क्या इस परियोजना में विशाल निवेश हो पाएगा। हमारी यह इच्छा है कि विजयनगर इस्पात संयन्त्र जितनी जल्दी सम्भव हो सके स्थापित हो। वहां उत्पादित अयस्क उच्च श्रेणी का है। वहां पर्याप्त अयस्क उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा सभी मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं। चार हजार एकड़ भूमि बेकार रखी हुई है। केन्द्र सरकार और योजना आयोग को अब तो यह देखना चाहिए कि विजयनगर इस्पात संयन्त्र जितनी जल्दी सम्भव हो सके, स्थापित हो।

छोटे इस्पात संयन्त्रों के बारे में मुझे आशंका है कि उनमें से अधिकांश रुग्ण हो जाएंगे। स्क्रेप बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। यदि यह उपलब्ध है तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अधिकांश छोटे इस्पात सयन्त्र गौण क्षेत्र में हैं और स्क्रेप पर निर्भर हैं। आज हम भारतीय खनिज व्यापार निगम के माध्यम से स्क्रेप का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं। यदि खनिज तथा धातु व्यापार निगम स्क्रेप का आयात एकदम बन्द कर देता है और यदि स्क्रेप वास्तविक प्रोयक्ताओं को नहीं दिया जाता है तो अधिकांश उद्योग रुग्ण हो जाएंगे। अतः इसका यही विकल्प है कि स्पंज लोह संयन्त्र स्थापित किए जाए। अब तक कितने स्पंज लोह संयन्त्र स्थापित किए गए हैं? मेरी जानकारी के अनुसार केवल एक या दो स्पंज लोह

संयन्त्र स्थापित किए गए हैं। इस स्पंज लोह का 30% छोटे इस्पात संयन्त्रों में उपयोग किया जा सकता है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि और स्पंज लोह संयन्त्र स्थापित किये जाएं। कुद्रेमुख लोह अयस्क कम्पनी ने स्पंज अयस्क संयन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र, बेल्लारी में कुछ गैर-सरकारी पक्ष स्पंज लोह अयस्क संयन्त्र स्थापित करने के लिए आगे आ रहे हैं। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि स्पंज लोह संयन्त्र गौण क्षेत्र में शुरू किया जाना चाहिए ताकि उनके विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

आवास समस्या भी बहुत बढ़ रही है। हमने यह निर्णय लिया है कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को रहने के लिए घर मिले। लेकिन आज हम पर्यावरण को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। अतः इसका विकल्प क्या है? इसका यह है कि इस्पात और एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाए। यदि वर्तमान स्थिति जारी रही तो आवास की बढ़ती हुई समस्या से निपटना काफी कठिन होगा। अतः इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए योजना कार को इस्पात उद्योग का विस्तार करने के बारे में सोचना चाहिए।

सीमेंट भी बहुत आवश्यक है। वे बहुत से बड़े-बड़े संयंत्र है जो सीमेंट का उत्पादन कर रहे हैं और वे बहुत थोड़ा लाभ कमाकर लाभांश को बढ़ा रहे हैं। मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहती हूं। लेकिन मैं अपने राज्य के बारे में कहना चाहती हूं जहां हमने वी० एस० के० प्रौद्योगिक का प्रयोग करके छोटे, माइक्रो और लघु सीमेंट कारखानों को शुरू किया है। महोदय, मुझे यह बताते हुए खेद हो रहा है कि 100 सी० पी० डी० वाले इस्पात संयंत्र बन्द हो गए हैं। इसका कारण यह है कि इन लघु इस्पात संयंत्रों के लिये कोक उपलब्ध नहीं होता। विश्वेशवर आचार एण्ड स्टील कम्पनी से कोक ब्रिक्स मिलता था। हमने यह समझा था कि हमें उचित मूल्य पर कोक ब्रिक्स उपलब्ध हो जाएंगे ताकि मिनी सीमेंट संयंत्र जो अधिकतर इस पर निर्भर करता है उसे थोड़ा लाभ मिल जाएगा। लेकिन आज की स्थिति में यह उपलब्ध नहीं है। उन्हें यह मुख्य इस्पात संयंत्र राऊरकेला, बोकारो या दुर्गापुर से लेना होता है। चूंकि वे वहुत दूर हैं इसलिये वहा से कोक ब्रिक्स लाना कठिन होता हैं। यदि हमें यह मिलता भी है तो इसका मूल्य बहुत अधिक होता है। इसलिये, अधिकांश सीमेंट संयंत्र छोटे हैं क्योंकि वे केवल बचे खुचे अयस्का का प्रयोग करते हैं और इसमें उद्‌मी स्थानीय लोग हैं इन एककों के बन्द हो जाने से 30 हजार से 40 हजार लोग बेरोजगार हो गए हैं। अतः मैं सरकार से यह निवेदन करती हूं कि वह आगे आए और यह सुनिश्चित करे कि लघु उद्योग निगम मुख्य संयंत्रों से उचित मूल्य पर कोक ब्रिक्स इकट्ठा करे और वास्तव में जो इसका उपयोम करते हैं उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनमें बांटा जाए। यदि ऐसा किया जाता है तब मेरे विचार में उन उद्योगों के रुग्ण होने से पूर्व हम बहुत कुछ बचा लेंगे और इससे हम लघु उद्योग क्षेत्र के प्रति न्याय कर सकेंगे।

इसके बाद, मैं रूग्ण उद्योगों पर आती हूं। अधिकतर मामलों को बी० आई० एफ० आर० को सौंप दिया गया है। अधिकतर वक्ताओं जिन्होंने अनुदान की मांगों पर चर्चा की है, इन मामलों के निपटारे में अत्यधिक विलम्ब के संबन्ध में कहा है। तब तक उद्यमियों का क्या होगा? ब्याज की

क्या दर होगी ? उन्हें कितना भार उठाना होगा ? यदि इसके निपटारे में कई वर्ष लगते हैं तो इसके लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिये जो अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे उद्योगों को जल्द-से जल्द पुनः चालू किया जाए।

जहां तक लघु उद्योगों का संबंध है, हमें कोई निकाय बनाना होगा जिसके अन्तर्गत हम रुग्ण लघु उद्योगों का पता लगा सके। कुछ उद्योग हैं जिन्हें केवल इसलिये चालू किया गया है कि वे राज सहायता का उपयोग कर सकें। ऐसे उद्योगों को पूरी तरह बन्द किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे उद्योग भी हैं जिसे किसी भी बैंक से थोड़ी सहायता देकर या किसी अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करके चालू किया जा सकता है। ऐसे कई एकक विभिन्न कारण जैसे बिजली की लाइन का काटा जाना, अपर्याप्त चल पूंजी, समय पर राज सहायता न मिलना और इसी प्रकार अन्य कई कारण हैं। इसलिये सभी एककों को एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिये। ऐसा नहीं कहा जाना चाहिये कि लाखों उद्योग रुग्ण हो गये हैं। यहां मेरा यह सुझाव है कि प्रत्येक जिला स्तर पर एक छोटी समिति होनी चाहिये। यह समिति इसके पूरा ब्यौरे पर विचार करे और यह पता लगाए कि किसी भी उद्योग के रुग्ण होने का क्या कारण है और क्या उसे पुनः चालू किया जा सकता है अथवा नहीं। जिला स्तर की समिति को सभी कारखानों में जाकर उसका पूरा ब्यौरा लेना चाहिये। यदि उस संयंत्र को पुनः चालू करने के लिये कोई उपचारात्मक कार्रवाई की जाएं ताकि बहुत सारे उद्योगों को रुग्णता से मुक्त कराई जा सके।

अब मैं महिला उद्यमियों के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि उद्योग शुरू करने के लिये महिलाओं के लिये अलग प्रकोष्ठ बना हुआ है।

सभापति महोदय : महोदया, कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमति वासवा राजेश्वरी : महोदय, मैं दो मिनट का समय और लूंगी। मैं महिलाओं के मामले पर बोल रही हूं और महिला होने के नाते महिलाओं के संबन्ध में जो मुझे कहना है वह अवश्य दिया जाना चाहिये।

मेरा यह सुझाव है कि महिलाओं की सहायता के लिये एक अलग एजेंसी होनी चाहिये। कुछ उद्योगों को विशेष कर महिलाओं क लिये ही आरक्षित किया जाना चाहिये। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि महिला सहकारिता को अधिक से अधिक बढ़ावा मिलना चाहिये। बहुत-सी महिलाएं एम० बी० ए० स्नातक डिग्रीधारी हैं लेकिन सरकार प्रबन्धक के पदों पर महिलाओं को नियुक्त नहीं करती है। क्या आपका अभिप्राय यह है कि हम प्रबंधकीय कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम नहीं है ? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मे महिला एम० बी० ए० डिग्रीधारियों को प्रबन्धकीय संवर्ग में नियुक्त क्यों नहीं की जाती है ? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये और यह भी सुनिश्चित करना चाहियेकि अधिक से अधिक महिलाओं को प्रबन्धकीय संवर्ग में नियुक्ति मिले और उद्योग लगाने के लिये इन्हें पूरा बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

महोदय, मेरा यह सुझाव है कि विकास केन्द्रों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। मैं यह देख रही हूं कि 70 विकास केन्द्रों को मंजूरी दी गई है। मैंने कई-कई बार बेल्लारी को इसमें शामिल करने तथा हमारे चुनाव क्षेत्र कुश्गोद के लिये मैंने कई बार प्रस्ताव किया है। हो सकता है कुछ राजनीतिक कारण से मैंने यह मौका खो दिया है। मेरा यह कहना है कि सरकार कम से कम कुश्गोद में विकास केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करे। यह वास्तव में उद्योग विहीन क्षेत्र है। हमारे राज्य कर्नाटक में केवल बिदार जिला ही दुर्भाग्यवश 'उद्योग विहीन क्षेत्र' के अन्तर्गत है। अब इस क्षेत्र में उद्योग पनप रहे हैं। मेरा यह सुझाव नहीं है कि 'उद्योग विहीन' से मिला' की जो अवधारणा है उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन यह न्यायोचित होनी चाहिये। आठवीं योजना के दौरान अधिक से अधिक स्थान पर विकास केन्द्र खोले जाने चाहिये। प्राय: ऐसा भी होता है कि जब तक हम शोर नहीं मचाते तब तक हमें कुछ भी नही मिलता। ऐसा नहीं होना चाहिये। और सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि औद्योगिक उत्पादों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। वे स्थान जहां से संसाधन और अन्य वस्तुएं मिलती हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिये ताकि जिला स्तर पर अधिक उद्योग स्थापित किए जा सकें और अधिक से अधिक लोगों को जिला स्तर पर ही रोजगार दिया जा सके।

सभापति महोदय : महोदया, कृपया आप अपनी बात समाप्त करें। किसी महिला को बार-बार मना करने में मुझे संकोच हो रहा है। लेकिन कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : कृपया केवल एक मिनट का समय और दें।

महोदय, मुम्बई हाई में अत्यधिक गैस उपलब्ध है परन्तु इसका अपव्यय किया जा रहा है। मुम्बई हाई से मैंगलोर तक एक पाईप लाइन होनी चाहिये। चूंकि रत्नगिरि तट से मैंगलोर की दूरी अधिक नहीं है इसलिने पाइप लाइन को वहां तक बढ़ाया जाना चाहिये। कर्नाटक में विद्युत की अत्यधिक कमी है और हम केवल पन-बिजली पर ही निर्भर कर रहे हैं। हम तोरांगल में एक सुपर ताप संयंत्र की मांग कर रहे हैं। अत्यधिक मात्रा में खनिजों को ट्रेन के द्वारा मद्रास ले जाया जाता है और वहां से वे डिब्बे खाली लौटते हैं वे तारकोल क्यों नहीं ला सकते। ताकि विजयनगरम संयंत्र के समीप तोरांगल सुपर में ताप संयत्र स्थापित किया जा सके!

महोदय, मेरा यह भी निवेदना है कि मैंगलोर तटीय क्षेत्र का भी विकास किया जाना चाहिये। यहां पर सभी ढांचागत सुविधाएं और खनिज पदार्थ तथा चंदन की लकड़ी और अन्य प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं।

मैं यह भी महसूस करती हूं कि कावेरी बेसिन से गैस कर्नाटक में लायी जानी चाहिये। इस तरह एक दक्षिणी गैस ग्रिड की स्थापना की जानी चाहिये जो कि पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिये अत्यधिक लाभदायक होगा। मैं मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे इस अनुकूल विचार करें।

हमारे पास बहुत अधिक खनिज सम्पदा है। सोना, लोहा, मैंगनीज जैसी खनिज सम्पदा वहां

प्रचूर मात्रा में हैं। वे राज्य जहां खनिज सम्पदा है। अत्यधिक लाभ कमा रहे हैं। इसलिये हमें इन खनिज सम्पदाओं का पता लगाना चाहिये और इस प्रकार अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हजारों लोग वस्त्र उद्योग में लगे हैं। बेल्लारी सबसे बड़ा स्थल है जहां उत्पादन हो रहा है इस उद्योग को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिये और स्थानीय कारीगरों को इस उद्योग में रोजगार दिया जाना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उद्योग मंत्रालय के अनुदान की मांगों का समर्थन करती हूं। इतना समय देने के लिये मैं आपसे धन्यवाद देती हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, आपने मुझे उद्योग मंत्रालय की मांगों पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अभी नई उद्योग नीति पर भी चर्चा कर रही है, मैं नई उद्योग नीति का विरोध कर रहा हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि 1956 में हमारे देश की उद्योग नीति बनी थी, माननीय स्व० पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के नेतृत्व में और उस उद्योग नीति से हम ने अपने देश में बेसिक उद्योग खड़े किए। जब बेसिक उद्योग खड़े किए गए तो उस वक्त उद्योग खड़ा करने के लिए अमरीका से बात चल रही थी। अमरीका तक हमारे प्रधान मन्त्री गए थे और वहां जब इस सवाल को रखा, तो वहां के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि इस उद्योग को खड़ा करने की जरूरत नहीं है। बेसिक उद्योग की आपको जरूरत क्या है, वे तो प्राइवेट सैक्टर में उद्योग खड़े किए जा रहे हैं। वहां से वापिस आने के बाद वही उद्योग सोवियत संघ की मदद से खड़ा किया गया। जब यह बेसिक उद्योग खड़ा हो गया, तो हमने देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। सचमुच उद्योग से हमारे देश ने दुनिया में उद्योग के मामले में एक स्थान प्राप्त किया है। आज जो नई उद्योग नीति बनाने की जरूरत पड़ गई है, उससे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इसका कारण क्या है। कारण यह बतलाया जाता है कि हमने जो पहले नीति बनाई, उस नीति से जिस प्रकार देश को उद्योग के मामले में आगे बढ़ना चाहिए था, वह नहीं बढ़ा सके और जो सरकारी क्षेत्र में उद्योग खड़े किए, उस उद्योग में हमको नुकसान हुआ, मुनाफा कम हुआ। यह सोचने की बात है, जिन उद्योगों को हमने खड़ा किया, उन में हमारा मुनाफा क्यों कम हो गया। यह एक विचार करने की बात है। पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर दोनों को मिलाते हैं तो प्राइवेट सैक्टर में यह कहा जाता है कि वहां पर मुनाफा ज्यादा होता है, उत्पादन ज्यादा होता है और पब्लिक सैक्टर में कहा जाता है कि मुनाफा कम होता है और उत्पादन कम होता है। मेरे विचार से इस बात को पकड़ने की जरूरत है और नीति बदलने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे यहां राक्षस रूपी जो भ्रष्टाचार है, वह भ्रष्टाचार चाहे आप कोई भी नीति बनायें, वह भ्रष्टाचार

मौजूद रहेगा। इसके रहते हमारे देश के जितने भी उद्योग हैं, उनमें नुकसान हुआ है और मुनाफा कम हुआ है। जो हम प्रबन्ध करने वाले हैं, वे प्रबन्ध करने वाले कौन हैं वे हमारे ही देश के लोग हैं, लेकिन वे लोग ऐसा प्रबन्ध क्यों करते हैं? जहां तक यह बात लोग बतलाते हैं और यह बात लोक सभा में भी कई बार आ चुकी है कि प्रबंध करने वाले साहब, वे प्राइवेट सैक्टर वालों से मिले हुए रहते हैं और प्राइवेट सैक्टर वालों से मोटी रकम मिलती है, जिससे पब्लिक सैक्टर और सरकारी क्षेत्र का उद्योग है उसको इन लोगों ने फेल करना चाहा है, इन सब चीजों को देखना चाहिए और प्रबन्ध को ठीक करना चाहिए। वैसे तो हमारे वित्त मंत्री अर्थशास्त्र के विद्वान हैं लेकिन फिर भी जो नयी नीति बनाई है इससे हिन्दुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारी इस नयी नीति से विदेशी कम्पनियों को यहां पहुंचने का एक रास्ता मिलेगा और विदेशी कम्पनियां हमारे यहां पहुंच करके एक जाल बिछा देंगी और वे उत्पादन के नाम पर ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में उत्पादन करेंगे और विदेशी मुद्रा का अर्जन करेंगे। उसका नतीजा यह होगा कि हमारा देश उन विदेशी कम्पनियों के गुलाम बन जाएगा और हमारे देश में जो लघु और कुटीर उद्योग हैं वे सब के सब मृत पड़ जाएंगे, इसलिए इन सब चीजों को मद्दे नजर रखना चाहिए था, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष जी, यह जो नयी नीति चला रहे हैं इस नयी नीति की सफलता 6 8 महीने में पता चल जाएगी। अब मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जो बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, जबकि लोग कहते हैं कि बिहार में सारी सम्पदा है लेकिन उसके बाद भी वह पिछड़ा हुआ है, तो इस राज्य में उद्योग की जो तादाद (संख्या) होनी चाहिए, वह नहीं है। अभी जहानाबाद, जो हमारा जिला है, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां पर उद्योग विहीन जिला है लेकिन अभी वह उद्योग विहीन जिले के लिस्ट में नहीं है, इसको उसमें रखना चाहिए था। उससे इसको जो लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा है और कई बार हमने इस बात को उठाया था, जब उद्योग का एडवायजरी कमेटी का मैं मेम्बर था उसमें भी मैंने इस सवाल को रखा था और 1984 में भी मैंने इस सवाल को उठाया था। जहानाबाद एक नया जिला बना है वह उद्योग विहीन जिला है, संवेदनशील जिला है, जहां पर उग्रवादियों का एक बहुत बड़ा जाल फैल रहा है। इसलिए वहां उद्योग खड़ा करना चाहिए और जो नौजवान इधर-उधर भटक रहे हैं उनको वहां काम मुहैया कराना चाहिए, लेकिन यह नहीं हो रहा है।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि यहां पर जिस राज्य में जिस चीज का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होता है, खेती में, उसके आधार पर वहां पर कारखाने खुलने चाहिए। जैसे हमारे जहानाबाद में या हमारे बिहार में एक अच्छे किस्म के आम होते हैं, इतने अच्छे किस्म के होते हैं कि वे बाहर भी भेजे जाते हैं, तो वहां पर एक उद्योग खड़ा करना चाहिये। उस फसल से दोनों लाभ हो सकता है, उससे हम जूस भी तैयार कर सकते हैं, उसकी जो गुठली होती है, जैसे लोग बोलते हैं कि उससे हम तेल का प्रावलम भी हल कर सकते हैं। जहानाबाद या बिहार में धान की बहुत बड़ी पैदावार है, धान की फसल वहां पर बहुत अच्छी होती है और उस धान की फसल से भी हम वहां

पर कारखाना खड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक कारखाना आप जरूर खड़ा कीजिए, जिससे कि चावल और धान की जो भूसी होती है उससे तेल निकाला जाता है, तो खाने के तेल का आप विकास कीजिए, उससे भी आपको फायदा हो सकता है। इसलिए हम आपसे यह कहेंगे कि कुछ ऐसी चीजें जो उस राज्य में पैदा होती हैं उसके अनुसार वहां कारखाना खड़ा करके, वहां एक उद्योग लगा करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप काम मुहैया कर सकते हैं। आप सारे सामान को बाहर भेज कर विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं लेकिन यह सब काम आपको करना चाहिए। आज जो हमारे बिहार राज्य में हैंडलूम की हालत है जिस पर लाखों-लाख लोग जीते थे। वह हैंडलूम मृतप्राय हो रहा है, लाखों-लाख लोग बेकार पड़े हुए हैं। सबसे पहली बात तो वह है कि वहां पर बिजली की स्केयरसिटी है, बिजली की कमी रहती है, जिसके कारण ये बिजली पर आधारित सारे के सारे उद्योग ठप्प पड़े हैं। दूसरी चीज यह है कि जो सामान ये तैयार करते हैं, उसके लिए मार्केट नहीं है। यानी ये लोग लुंगी, गमछा, चादर आदि तैयार करते हैं, इसलिए यदि सरकार चाहती है कि इस उद्योग का विकास हो तो सबसे पहले इसके लिए एक बाजार तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें सारे सामान की सरकार द्वारा खरीद हो। तब जाकर इन लोगों को राहत मिलेगी, अन्यथा इनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस समय जो प्रबंध करने वाले हैं, सब लुटेरों के रूप में इनको लूट रहे हैं और हैंडलूम में काम करने वाले जुलाहे कंगाल बन गए हैं, बेकार पड़े हुए हैं। इसके लिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस तरफ अवश्य ध्यान दिया जाए। यदि हम बेकारी दूर करना चाहते हैं तो बेकारी लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से ही दूर हो सकती है, नौकरियों से बेकारी दूर होने वाली नहीं है। यह जो नीति बनाई गई है, इस नीति की वजह से ही मैं इन मांगों का विरोध करता हूं। इस नीति से कोई लाभ देश को होने वाला नहीं है, जितना लाभ सोचा जा रहा है, वह देश को होने वाला नहीं है।

इतनी बात कह कर, क्योंकि मैंने आपसे 2 मिनट का ही समय मांगा था, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री भेरू लाल मीणा (सलूम्बर) : सभापति जी, मैं उद्योग मन्त्रालय की मांगों पर अपने विचार रखना चाहता हूं। जैसा कि सरकार नई उद्योग नीति लाई है, इस बारे में मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि निजी उद्योग से देश को लाभ भी होगा और हानि भी होगी। मैंने श्रमिकों के बीच में काम किया है। वर्तमान में सरकारी उपक्रमों में श्रमिक ज्यादा तादाद में लगे हुए किए, उद्योग निजी उद्योगों में मजदूर कम लगाये जाएंगे। नई आधुनिकीकरण की वजह से मजदूरों की छंटनी होगी या जो भी नए उद्योग लगेंगे, उनमें कम श्रमिक रखे जाएंगे और नई टक्नोलार्जी से उत्पादन ज्यादा बढ़ाया जाएगा, यह सरकार की मंशा है। किन्तु श्रमिकों का शोषण होगा। हम सब जानते हैं कि निजी उद्योग मालिक किस तरह से श्रमिकों से व्यवहार करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि निजी उद्यमियों को इसमें लाने से पहले जो नियम बनाए जाएं वे सख्त बनाए जाएं। यदि कोई निजी उद्यमी श्रमिकों का शोषण करता है तो उसके लिए सख्त कानून बनाया जाए, जिससे मजदूरों का शोषण न हो सके।

सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए दुख नहीं होगा कि अभी जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, मेरी जानकारी के अनुसार उनमें से बहुत से बन्द पड़े हैं या खराब पड़े हैं, बीमार पड़े हैं। इसका जिम्मेदार कौन है ? मैं हिन्दुस्तान जिंक में एक श्रमिक की हैसियत से काम करता हुआ यहां आया हूं और उस अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं कि इसका जिम्मेदार मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट अपने ऐशो-आराम के लिए बाहर ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं और इस पर बहुत खर्चा होता है। वे जिस तरह से काम करना चाहते हैं, श्रमिक दूसरी तरह से काम करना चाहता है। उद्योगों में प्रेक्टिकल और थ्योरिटिकल, दोनों तरह का काम होना चाहिए। अधिकारीगण थ्योरिटिकल काम करना चाहते हैं और मजदूर प्रेक्टिकल काम करना चाहते हैं, दोनों के विचार अलग-अलग होने से मतभेद पैदा हो जाते हैं और कारखाने में घाटा शुरू हो जाता है।

आज मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी की बात कही जाती है, हमने इस नीति के तहत वर्षों तक काम किया है। अधिकारी जिस तरह से अपनी लाईन पकड़ने लगे, मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे, जिसके कारण कारखाना अभी घाटे की तरफ गया तो नहीं, लेकिन धीरे-धीरे जा रहा है।

3.00 म० प०

इसी तरह से दूसरे कारखानों में भी ऐसे ही होता है। मैं यह जानता हूं कि जो उपक्रम है उसमें अधिकारी ज्यादा लगते हैं और प्राईवेट में अधिकारी कम लगते हैं मुनाफा वह निश्चित रूप से करेगा, लेकिन हमारे देश की जो बेरोजगारी है वह दूर नहीं होगी। मैं चाहूंगा इस नीति को लागू करने के पहले इस बात को ध्यान में रखा जाए कि हमारे देश की बेरोजगारी न बढ़े और मजदूरों की छंटनी न हो।

मान्यवर, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो आधुनिकीकरण किया गया या किया जा रहा है, गांवों के मजदूर या गांवों के नागरिक अनपढ़ होते हैं, वे कहां आधुनिकीकरण की शिक्षा पर चल सकेंगे, वे अपना नहीं पायेंगे। जहां भी ऐडवर्टाइजमेंट होता है और पोस्टें निकती हैं शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए उसमें इतनी हाइली क्वालीफिकेशन मांगी जाती है कि वे इसको फुलफिल नहीं कर सकते और कहा जाता है कि आपके लिए जगह निकली है, आपको एपाइंटमेंट दिया जाएगा। लेकिन वास्तव में उनको मिलता नहीं है।

3.01 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए।)

इस प्रकार का जो नया तरीका चालू किया है उसमें वास्तव में निश्चित रूप से श्रमिकों की छटनी होगी। मैं चाहूंगा इस प्रकार के उपक्रम लगाने के पहले उन मजदूरों का भी ध्यान रखा जाए

जो पिछड़े वर्ग के हैं, पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं और अनपढ़ हैं। अभी जितने भी कारखाने लग रहे हैं, उन कारखानों में जो अनपढ़ मजदूर हैं या कम पढ़े लिखे मजदूर हैं उनके नसीब में नौकरी नहीं है। कारखाने तैयार होने तक उन श्रमिकों से काम लिया जाता है चाहे वे दस रुपये प्रतिदिन पर काम करें या 20 रुपये प्रतिदिन पर। कारखाना पूरा होने तक उनको जगह मिल जाती हैं, लेकिन ज्यों कि कारखाना चालू होता है उस वक्त उसकी छंटनी हो जाती है और नये तरीके के लोग आ जाते हैं। उस क्षेत्र के लोग मन में क्या सोचते हैं? वे सोचते हैं कि इस कारखानों को तैयार करने में हमने मेहनत की, किसी की जान भी चली जाती है और कारखाना पूरा होने के बाद दूसरे लोग आकर वहां नौकरी करना शुरू कर देते हैं। निश्चित रूप से उस क्षेत्र के नागरिकों के मन पर बड़ी चोट लगती है, उन्हें अफसोस होता है।

मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का कारखाना तैयार करते वक्त जो भी नया कारखाना लगे, उसमें यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्षेत्रीय लोगों को भी उसमें लगाया जाए। जिससे उनकी गरीबी दूर हो सके।

मान्यवर, हमारे देश में ठेकेदारी प्रथा है, जिसका विरोध बहुत हुआ। सभी संगठनों ने, मजदूर वर्गों ने इसका विरोध किया। लेकिन ठेकेदारी प्रथा समाप्त नहीं हो रही है बल्कि दुगुनी होती जा रही है। ठेकेदारी प्रथा में मजदूरों का जिस तरह शोषण होता है, मान्यवर, उनसे काम लिया जाता है और कभी-कभी तो चार महीने, पांच महीने काम कराने के बाद उनको ऐसे ही भगा दिया जाता है, बिना तनख्वाह दिये भगा दिया जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि श्रमिक नीति ऐसी बनाई जाए ताकि इस तरह से जो शोषण होता है, जो शोषण करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सके। राजस्थान में वैसे तो बहुत ऐसे कारखाने होंगे। राजस्थान में सवाई-माधोपुर में जयपुर सीमेंट फैक्टरी पांच सालों से बन्द पड़ी है, अधिकारी वहां बराबर लगे हुए हैं, श्रमिकों की हाजरी ली जा रही हैं, सायरन बजाया जाता है और कभी वर्कर गैर-हाजिर होता है तो उनकी इन्क्वायरी की जाती है, उसको सस्पेंड किया जाता है किन्तु तनख्वाह के नाम पर उनको आज तक नया पैसा भी नहीं दिया गया।

सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आजादी के पहले जिस प्रकार से नहीं था, लेकिन आजादी मिलने के बाद भी इस प्रकार का मजदूरों के साथ व्यवहार हो रहा है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि सीमेंट फैक्टरी के श्रमिक यहां आये हुए हैं और इस सम्बन्ध में आपसे बात करेंगे। इसकी पूरी तरह से जांच करें कि इस तरह से क्यों हो रहा है। राजस्थान एक पिछड़ा हुआ इलाका है इसलिए वहां कोई बड़ा उद्योग नहीं लगता और वहां पर कई तरह के खनिज पदार्थ हैं। उन खनिज पदार्थों को निकालने के लिए प्राईवेट या सरकारी उपक्रमों को चालू किया जाना चाहिए जिससे राजस्थान में पिछड़े वर्ग को कुछ लाभ हो सके। खासकर. आदिवासी क्षेत्र में कोई भी छोटा-बड़ा उद्योग नहीं है। जंगलों से लकड़ी काटकर और कोयला बेचकर उस क्षेत्र के लोग अपना गुजारा चलाते थे। अब उनको एक समय खाने के लिए अनाज और मजदूरी नहीं मिलती। उस क्षेत्र में सीमेंट का पत्थर बहुत ही है और कई तरह का लाइम-स्टोन और मारबल है। इस प्रकार के धातुओं को निकालने के लिए उस क्षेत्र के पिछड़े हुए वर्ग

को लाईसेंस दिया जाए और उनको जो लोन और सब्सिडी मिलती है. वह दी जानी चाहिए जिससे वे लोग अपने पैरों पर खड़े होकर के जीविका चला सकें। मैं यही मांग कर रहा हूं कि उस क्षेत्र में छोटे उद्योग लगाए जाएं जिससे उस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके। मैं इस सबजेक्ट से थोड़ा दूर जा रहा हूं। श्रमिकों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि आयकर की सीमा 22 हजार से ऊपर करनी चाहिए थी। पैट्रोल का भाव आपने बढ़ाया है। लेकिन, मजदूर और छोटे किसान मोटर-साइकिल चलाते हैं क्योंकि उनको दूध और सब्जी बेचनी होती है पैट्रोल के भाव बढ़ने से उन पर मार पड़ी और दूसरी तरफ इन्कम टैक्स की सीमा नहीं बढ़ी। आज कल दो हजार से नीचे कोई मजदूर नहीं मिलता है। अगर तन्ख्वाह बढ़ती है तो वह इन्कम टैक्स में कट जाती है और मोटर साइकिल का खर्चा हो गया तो मजदूरों पर इसका बोझा पड़ गया। मैं यह मांग करूंगा कि कम से कम इन्कम टैक्स की सीमा 35 हजार तक की जानी चाहिए जिससे छोटे वर्ग और मजदूर के ऊपर इसका वजन न हो। हम और आप नई दिल्ली के कनाट प्लेस में जाते हैं और वहां पर 12 से 18 रुपए तक की आइसक्रीम खाते हैं। दो मिनट में आइसक्रीम खास खाकर डब्बी फेंक देते हैं। लेकिन कारखानों में या खेती में जो काम करता है उसको दिन भर काम करने के बाद दस से बारह रुपए तक मिलते हैं। हमें सूती उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों से बात करने का मौका मिला। राजस्थान में मिनिमम वेज 2 रुपए है। हमने कहा कि उनको 22 रुपये मिनिमम वेज दें। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी उनको नहीं दिया गया। चौदह रुपए के ऊपर नहीं माने और कहा कि कारखाना बन्द कर देंगे। मजबूरी से उन्होंने 18 रुपये माने। किन्तु जहां दिया जाता है वहां 10 रुपया दिया जाता है। हमारा एग्रीमेंट 18 रुपये का था, जबकि वह भी गलत है, 22 रुपये होना चाहिए था। लेकिन वे 10 रुपये ही देते हैं और मजदूर 18 रुपये पर अंगूठा लगाकर 10 रुपये ले जाता है इस मजबूरी को देखिये, आज लोगों को खाने के लिए एक दिन में 18 की जगह 10 रुपये मिलते हैं और वही यहां आइसक्रीम पर 32 रुपये खर्च कर देते हैं। आप तुलना कीजिए कि हमारे देश के लोग किस तरह से जीवन जीते हैं और उनके लिए हम कुछ नहीं सोचते हैं।

हमारे विपक्षी साथियों ने देश में कई तरह के आन्दोलन चलाये, हमने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी चलाये। राम मन्दिर के नाम से आन्दोलन चला हम 10 रुपये वाली बात करते हैं तो वे ही लोग राम मन्दिर आन्दोलन में मारे जाते हैं और कभी वे दूसरी पार्टी के साथ चले जाते हैं। यहां भी इनका शोषण होता है। एक बार मेरे को वोट दे दिया तो दूसरे वाले ने कहा कि हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने हमें वोट नहीं दिया, दूसरी बार उन्होंने उसको वोट दिया तो हम कहेंगे कि हमें वोट नहीं दिया इसलिए हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर उसका कोई भी काम नहीं करेगा तो वह कहां जायेगा। इसलिए जो हमारी नीति है चाहे सत्ता पक्ष की हो या सामने बैठने वाले विरोधी दलों की हो, यह नीति नहीं होनी चाहिए। प्रजातंत्र में वोट दिया जाता है चाहे पक्ष में दिया जाये या विपक्ष में, यह मतदाता का अधिकार है। लेकिन हमारे यहां इस प्रकार की भावना चलती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान सरकार आजकल क्या कर रही है····

सभापति महोदय : आपका समय पूरा हुआ, समाप्त करें ।

श्री भैरूं लाल मीणा : वहां पंचायतें भंग कर दीं और चुनाव नहीं कराये गये । अब पंचायतों का पुनर्गठन किया जा रहा है । राजनीतिक द्वेष की भावना से दूसरी पंचायत का गांव तीसरी पंचायत में मिला दिया, जबकि बीच में दो पंचायतें बैठी हैं । यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि कैसे हम लोगों का शोषण होता है । इस प्रकार की जो भावना देश में लोगों की है, तो फिर उन मशीनों का क्या होगा । पंचायत समिति के सचिवों का ट्रांसफर कर दिया जाता है और पटवारियों का ट्रांसफर किया जा रहा है । यह राजनीतिक द्वेष की भावना से हो रहा है । इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग आखिर क्या करना चाहते हैं । प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव होता है, लेकिन द्वेष की भावना से गरीबों को परेशान करते हैं । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ट्राइबल क्षेत्र में अनाज नहीं होता, जमीन नहीं है मैं उद्योग मन्त्री जी से चाहूंगा कि आप मेहरबानी करके राजस्थान की तरफ ध्यान रखें और लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग वहां पर लगायें, खासकर ट्राइब एरिया में लगायें और वहां पर छोटे-बड़े उद्योग लगाने की व्यवस्था करायें । मारबल का काम वहां पर ट्राइबल एरिया के लोग अच्छी तरह से जानते हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उस मारबल की खानों को वे चला नहीं पाते हैं । वे कुशल कारीगर हैं यदि उनकी आर्थिक स्थिति में सहयोग दिया जायेगा तो वहां मारबल उद्योग में काम करके वे अपने उद्योग चला सकते हैं ।

अन्त में मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने का जो समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं ।

[अनुवाद]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलडाना) : सभापति महोदय, मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । कल जो शक्तियां सोवियत संघ की पूर्व व्यवस्था को कायम रखने का समर्थन करती हैं उन पर अन्ततः ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका का प्रभाव हावी रहा । आज भारत अपनी व्यवस्था के ढांचे में आमूल परिवर्तन लाने के कगार पर है । अतीत के अनुभवों से हमने अब यह सीखा है कि कुछ सुधारात्मक उपाय किये जाने की आवश्यकता है । ये उपाय इसलिए स्वागत करने योग्य हैं क्योंकि इसमें जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, फिर भी औद्योगिक नीति, 1948 का मूल उद्देश्य अभी ज्यों का त्यों है तथा इस व्यवस्था में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछेक परिवर्तन किये जा रहे हैं ।

नयी सरकार ने अपनी लाइसेंस नीति, विदेश निवेश नीति, विदेश प्रौद्योगिकी सार्वजनिक क्षेत्र की नीति तथा एम० आर० टी० पी० अधिनियम में अनेक परिवर्तन किये हैं । पिछले दो दिनों से हम इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं । तथा कई माननीय सदस्यों ने मूलतः औद्योगिक नीति के बारे में ही अपने विचार व्यक्त किये हैं । इसका विरोध करने वाले सदस्यों ने इस नीति का पूरी तरह से विरोध किया है तथा कुछेक ऐसे भी सदस्य थे जिन्होंने इसका पूरी तरह से समर्थन

किया था। मैं इस आलोचना से सहमत नहीं हूं कि अब कांग्रेस सरकार ने औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में नेहरूवादी विचारधारा को छोड़ दिया है। काफी समय पूर्व जब पंडित नेहरू ने औद्योगिक नीति बनाई थी इस समय यह आलोचना की जा रही थी कि महात्मा गांधी की इच्छाओं की उपेक्षा की जा रही है तथा पंडित नेहरू बिल्कुल भिन्न सिद्धान्त तथा विचारधारा लेकर आये हैं। जिस समय इन्दिरा जी ने इसमें कुछेक परिवर्तन किये तो समय भी ऐसी ही आलोचना की गई थी। यह कहा गया था कि नेहरू जी ने कुछ भी राष्ट्र को समर्पित किया था इन्दिरा जी ने वह सब छोड़ दिया था। जब राजीव जी नयी नीति लाये थे तो उस समय भी ऐसे ही वक्तव्य दिये गये थे। इस समय भी जब श्री नरसिंह राव के नेतृत्व वाली यह नयी सरकार यह नीति लेकर आयी है, पुनः वैसे ही वक्तव्य दिये जा रहे हैं कि कांग्रेस ने नेहरूवादी विचारधारा का त्याग कर दिया है। वास्तविकता यह है कि देश की आवश्यकताओं के अनुरूप इस नीति में लगातार तथा धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ है।

कुछेक सदस्यों ने यह भी कहा है कि हमने संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सिद्धांतों की उपेक्षा की है। परन्तु यह सच्चाई नहीं है। प्रस्तावना में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत एक प्रभुसत्ता-सम्पन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणराज्य है तथा यह अपने नागरिकों के लिए अन्य बातों के अलावा सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए है। इसके अतिरिक्त राज्यों के नीतिनिदेशक सिद्धान्तों के अनुच्छेद 39 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किसी समुदाय के भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण तथा उसके मालिकाना हक का वितरण इस प्रकार से किया जाये ताकि आम आदमी की भलाई में वह सहायक हो तथा आर्थिक व्यवस्था का संचालन करने से सम्पत्ति केवल कुछ लोगों के हाथों तक ही सीमित होकर रह जाये तथा उत्पादन के साधनों से आम जनता का अहित न हो। संविधान के इन अनुच्छेदों को उद्धृत करते हुए सदस्यों ने कहा था कि हमने इन सिद्धांतों की उपेक्षा की है। महोदय, परन्तु 24 जुलाई को सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई औद्योगिक नीति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सरकार की नीतियां तथा प्रक्रियाएं इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि उद्यमियों को अपने प्रयासों में सहायता मिल सके। यह केवल तभी किया जा सकता है जबकि सरकार उन पर नियंत्रण रखने वाली अपनी भूमिका को बदलकर उसके स्थान पर कानूनी दिक्कतों को समाप्त करके आवश्यक प्रक्रिया में बदलाव करके उन्हें अपनी सहायता तथा मार्ग दर्शन प्रदान करे।

मेरा विश्वास है सबसे अच्छी सरकार ही वह होती है जो कम नियंत्रण (शासन) रखे।

जितना अधिक हम नियंत्रण रखेंगे। इतनी ही अधिक समस्याएं व बाधाएं आयेंगी। लाइसेंस नीति क्यों बदल दिया गया है। इसकी आलोचना भी हुई है। परन्तु पहले की लाइसेंस पद्धति में हम जानते हैं कि किस तरह की दिक्कतें आती थीं।

मैं सरकार द्वारा आरम्भ किये गये अन्य उपाय विशेष रूप से विदेशी पूंजी निवेश तथा देश में विदेशी औद्योगिकी को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इससे पूर्व हमने विदेशी पूंजी निवेश तथा प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए कुछेक प्रयास किये हैं।

परन्तु इसका बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा है अतएव विदेशी पूंजी निवेश की भागीदारी बहुत बढ़ गई है अर्थात् जो कि चालीस प्रतिशत से बढ़कर 51 प्रतिशत और इससे भी अधिक हो गई है तथा यह सौ प्रतिशत तक बढ़ सकती है तो ऐसी परिस्थितियों में मैं सरकार को सतर्क करना चाहूंगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के उस प्रतिवेदन में जिसमें विदेशी सहयोग के साथ करार करने वाली 100 चुनिंदा कम्पनियों के कार्य निष्पादन के बारे में बताया गया है, यह निष्कर्ष है कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने का जो अनुमान लगाया गया था उसे पूरा नहीं किया गया था। मैं विभिन्न कम्पनियों के विस्तृत आंकड़ों में नहीं पड़ना चाहता परन्तु इसका बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा है। विदेशी पूंजी निवेश तथा प्रौद्योगिकी के लिए जाने वाले प्रोत्साहन का मैं समर्थन करता हूं। परन्तु इसी के साथ मैं यह कहना चाहूगा कि जब अपने उद्योगों में हम विदेशी पूंजी निवेशकों को आमंत्रित करने की सोच रहे हैं, उस स्थिति मे हमें यह सतर्कता बरतनी होगी कि इन बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा बनाये जाने वाले उत्पाद भारतीय उद्योग द्वारा बनाये गये वैसे ही उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करने तो नहीं जा रहे हैं। भारतीय उद्योग द्वारा बनाये गये कुछेक उत्पाद होंगे जिन्हें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। परन्तु यदि हम बहुराष्ट्रीय निगमों को विभिन्न वस्तुएं बनाने की अनुमति देने का विचार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से लघु उद्योगों द्वारा बनाये जा रहे उत्पाद बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा बनाये जायेंगे तथा उस स्थिति में हम जितनी अधिक प्रतिस्पर्धा चाहते है उतनी प्रतिस्पर्धा नहीं हो पायेगी। वह प्रतिस्पर्धा को समान स्तरीय कम्पनियों के मध्य की नहीं होगी बल्कि वह प्रतिस्पर्धा विकसित तथा अर्द्ध-विकसित के मध्य की होगी। वह प्रतिस्पर्धा विशेष सुविधा प्राप्त तथा सुविधा विहीन कम्पनियोंके मध्य होगी तथा वह एक न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा नहीं होगी।

ऐसी परिस्थितियों में, यह अत्यन्त आवश्यक है कि यदि हम चाहते हैं कि भारतीय उद्योग बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ प्रतिस्पर्धा करे, तो इसके लिए आपको और अधिक सुविधायें तथा छूट देनी होगी ताकि भारतीय उद्योग उसी स्तर पर पहुंच सकें जहां पर वे बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें तथा जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी प्रतिस्पर्धा एक असमान स्तरीय तथा अनुचित प्रतिस्पर्धा होगी तथा ऐसी प्रतिस्पर्धा में हमारे देश के जो उद्योग अभी विकसित से हो रहे हैं, उनका विकास एकदम से रुक जायेगा तथा मेरे विचार से सरकार की ऐसी इच्छा नहीं है।

इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब बहुराष्ट्रीय निगमों को भारतीय उद्योग में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। तो उन निगमों को यह वचन देना होगा कि उनके द्वारा निर्मित किये गये उत्पादों का प्राथमिक तौर पर निर्यात किया जायेगा। जिससे हम विदेशी मुद्रा अर्जित करेंगे जिसकी इस समय हमें इतनी अधिक आवश्यकता है।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : यदि वे कोई वचन नही देते, तो क्या नीति होगी ?

सभापति महोदय : उन्हें बीच में रोकिए मत।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : जब आपको बोलने के लिए कहा जाए आप तभी बोलिए ।

सभापति महोदय : अपना भाषण जारी रखें ।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक महोदय, मैं समझता हूं कि जब तक हम ऐसे मानदण्डों का निर्धारण नहीं कर लेते. तो 'पेप्सिको' के साथ जिस प्रकार का हमारा अनुभव रहा है, चूंकि जहां पर मानदण्डों का पालन नहीं किया जाता, जहाँ पर निर्यात सम्बन्धी आश्वासनों को पूरा नहीं किया जाता तथा जहां पर ये बहुराष्ट्रीय निगम एक उद्योग होने के स्थान पर व्यापारिक घराने का रूप ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति तो उत्पन्न होगी ही, ऐसी स्थिति को आने से किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए ।

महोदय, ऐसी आलोचना की जाती रही है कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अपनी नीति को बदल दिया है । हमारी सरकार का यह विचार रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की पहले जो भूमिका थी, उन्हें वही भूमिका अभी भी निभाते रहना होगा । परन्तु जहां पर गलतियां हुई थीं, जहां पर, अक्षमता थी, जहां पर कुछ खामियां थीं, इन खामियों को दूर करना होगा । हम अपने यहां अक्षम संगठन को सहन नहीं कर सकते । यदि सार्वजनिक क्षेत्र में अक्षम रुग्ण इकाईयां हैं, हम यह नहीं चाहते कि ऐसे रुग्ण उद्योग को ऐसी ही स्थिति में बने रहने दिया जाये । इसी प्रकार से हम यह भी नहीं चाहते कि सरकार द्वारा जिस तरीके से निजी क्षेत्र से रुग्ण उद्योग का नियंत्रण अपने हाथ में लिया गया तथा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उसे अपने हाथ में लिये जाने पर जोर दिया गया । महोदय, इसीलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, यदि हम उन्नति करना तथा आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि हम तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें कार्य कुशलता प्राप्त करनी ही होगी । जब तक हम अपने कार्य करने के तरीके में कार्यकुशलता नहीं लाते, तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती ।

महोदय, सभा के समक्ष रखी गई नीति में कुछेक सुझाव दिये गये हैं जो मेरे विचार से राष्ट्र को उद्योगों को तेजी से विकास की तरफ ले जाने में सहायक होंगे । महोदय, परन्तु इस नीति का कार्यान्वयन स्वाभाविक रूप से इस बात पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार की बुनियादी सुविधाएं हम उन्हें देने जा रहे हैं तथा उद्योग के लिए किस प्रकार की निवेश सुविधा तथा मानव संसाधन विकास सुविधाएं प्रदान की जायेंगी । महोदय, मैं नहीं समझता कि देश में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए बजट प्रावधान इतने पर्याप्त हैं जिनसे एक मजबूत, ठोस बुनियादी ढांचे का विकास किया जा सकता है ।

महोदय, पिछले एक वर्ष में बजट प्रावधानों में कोयले के लिए केवल 2.5 प्रतिशत, विद्युत के लिए 5.5 प्रतिशत, टेलीफोन के लिए 9 प्रतिशत, परिवहन के लिए 1.6 प्रतिशत तथा रेलवे के लिए 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । मैं नहीं समझता कि हम इतने कम प्रावधानों से हमारे यहां एक पर्याप्त रूप से मजबूत, बुनियादी ढांचा होगा तैयार कर सकते हैं जिससे उद्योगों को तथा बढ़ावा

मिल सकेगा और औद्योगिक नीति में निर्धारित किये गये लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा, मैं नहीं समझता कि ऐसे अक्षय बुनियादी ढांचे से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे।

महोदय, उद्योग के लिए ऋण उपलब्ध कराने के रास्ते में कई अड़चनें हैं। मैं उन सब पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता, परन्तु मैं यह चाहता हूं कि सरकार लघु उद्योग तथा दूसरे उद्योगों के लिए ऋण की उपलब्धि सुनिश्चित करे। लाईसेंस प्रणाली समाप्त करने तथा उदारीकरण की नीति और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना एक सराहनीय कदम है परन्तु जब तक हम इसके लिए पर्याप्त ऋण सुविधा सुनिश्चित नहीं करते, हमें इसमें सफलता नहीं मिलेगी। (व्यवधान)

महोदय, आप को बार-बार घण्टी बजानी पड़ रही है। इसलिए मुझे इस बात की चिन्ता है कि क्या मैं अपनी बात पूरी कर पाऊंगा अथवा नहीं।

मैं केवल एक दो बातें ही कहूंगा। मैं एक पिछड़े हुए क्षेत्र से चुन कर आया हूं।

एक माननीय सदस्य : एक पिछड़े हुए राज्य से नहीं।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : एक उन्नत राज्य परन्तु एक पिछड़े हुए क्षेत्र से आया हूं। मैं विदर्भ से चुन कर आया हूं।

महोदय, उदारीकरण तथा लाईसेंस नीति में परिवर्तन के कारण उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। परन्तु इसके साथ-साथ सरकार को ऐसे उपाय भी करने होंगे जिससे कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष 1988-89 से ले कर वर्ष 1990-91 तक जारी किए गए आशय पत्रों सम्बन्धी आंकड़े दिए गए हैं। वर्ष 1988-89 के दौरान 1255 आशय पत्र जारी किए गए जिन में से पिछड़े हुए क्षेत्रों से सम्बन्धित आशय पत्रों की संख्या 610 थी; वर्ष 1989-90 के दौरान 1155 आशय पत्र जारी किए गए तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों से सम्बन्धित यह संख्या 550 थी तथा वर्ष 1990-91 के दौरान 937 आशय पत्र जारी किए गए तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों से सम्बन्धित इनकी संख्या 399 थी। हमें सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक तनाव के कारणों का भी पता लगाना होगा। आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में नक्सलवाद के पनपने के क्या कारण हैं? देश के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में अलगाववादी गतिविधियों के क्या कारण हैं?-देश के पूर्वोत्तर भाग में अशान्ति के क्या कारण हैं? देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों में तनाव क्यों है? इन सामाजिक तनावों के मूल कारणों पर हमें विचार करना होगा और मेरे विचार में इस प्रकार की गतिविधियों का मुख्य कारण इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की कमी है। इसलिए, सरकार को इन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए विशिष्ट योजना तथा समुचित उपाय अपनाने होंगे। इसके साथ-साथ हमें कृषि व्यवसाय में लगे एक वर्ग को उद्योग की ओर मोड़ना होगा। आज धरती पर असहनीय बोझ पड़ा हुआ है। कृषि पर किये गए निवेश का प्रतिफल दिन-प्रतिदिन कम हो रहा है तथा इन परिस्थितियों में अगर हम कृषि पर आधारित उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहन देते हैं तो मेरे विचार में इसके द्वारा कृषि में लगे वर्ग को उद्योग क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके साथ-साथ इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रशासन में प्रत्येक स्तर पर—राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, खण्ड इत्यादि स्तर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जब तक हमी सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कड़े कदम नहीं उठाते, मेरे विचार में तब तक हम अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते।

महोदय, बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए, जब तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है, जो कि मूल रूप से रोजगार के अवसर पैदा करने तथा दीर्घ कालीन योजना के अन्तर्गत रोजगार अवसरों सम्बन्धी आंकड़े तैयार करे, मैं नहीं समझता तब तक हम लाभकारी रोजगार उपलब्ध करवाने के अपने उद्देश्य में सफल हो पायेंगे। इसलिए, मेरे विचार में इसके लिए कोई केन्द्रीय प्राधिकरण होना चाहिए। इसको हम श्रम शक्ति योजना सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग भी कह सकते हैं। योजना बनाते समय हमें कृषि विकास, औद्योगिक विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखना होगा तथा यह भी देखना होगा कि कितने इन्जिनीयरों, डाक्टरों, तकनीशियनों की हमें अगले 10 अथवा 16 वर्षों में आवश्यकता पड़ेगी, तभी ही हमारी दीर्घकालीन योजना सार्थक आंकड़े दे पायेगी। कल श्री चटर्जी एक उत्तर से यह बता रहे थे कि सरकार प्रति वर्ष 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करेगी।

ऐसे आंकड़ों के द्वारा कोई विश्वास जागृत नहीं होता है। जब तक हम कोई ठोस तथा विशिष्ट संख्या प्रस्तुत करने में सफल नहीं होते, तब तक ऐसे उत्तरों के द्वारा कोई विश्वास नहीं जगाया जा सकता। हम अपने आपको इस बात से संतुष्ट तो कर सकते हैं कि हमें एक अच्छा उत्तर मिला है। परन्तु हम इससे संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि यह उत्तर कभी भी व्यावहारिक रूप में धारण नहीं कर पायेगी।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की जो प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया गया है, उसमें उच्च पदों को भरने के लिए अखिल भारतीय प्रबधान सेवा गठित करने का सुझाव दिया गया है तथा सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड को एक ऐसा सांविधिक दर्जा देने का सुझाव दिया गया है जोकि सेवा तथा अनुशासनात्मक मामलों पर गौर करके सरकार को राय दे सके। मेरे विचार में यह काफी अच्छा सुझाव है तथा सरकार को सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए।

महोदय, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं तथा एक बार फिर मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि कल 'ग्लानॉस्ट' तथा 'पेरेस्गोरका' का सबसे बड़ा प्रयास सफल रहा और अन्त में लोगों की आकांक्षाओं की जीत हुई। सुधारों को स्वीकार कर लिया गया। अर्थव्यवस्था में खुलापन स्वीकार कर लिया गया। लोकतन्त्र की जीत हुई तथा जो लोग इसे समाप्त करना चाहते थे, इसके रास्ते में बाधा में उत्पन्न करना चाहते थे तथा जो रूस को पुराने ढर्रे पर चलाना चाहते थे, उनकी हार हुई।

मैं माननीय उद्योग राज्य मन्त्री श्री पी०जे० कुरियन के माध्यम से माननीय प्रधानमन्त्री

श्री पी०वी० नरसिंह राव को यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही साहसिक तथा जोखिमपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है तथा एक साहसपूर्ण पहल की है। साहसिक पहल करने में जोखिम तो होता ही है परन्तु जोखिम उठाए बगैर त्वरित विकास की प्रक्रिया को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तथा इसलिए देश इस सम्बन्ध में सरकार तथा नेताओं के साथ है। सरकार को दृढ़, साहसिक तथा कठोर निर्णय लेते रहना चाहिए ताकि देश को उस स्थिति से उभारा जा सके जिसमें यह आज फंसा हुआ है।

श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या (एलुरू) : सभापति महोदय, 1956 में जो उद्योग नीति बनाई गई थी, उसे कई बार बदलना पड़ा है। अन्त में हमने उदारीकरण की सही नीति तैयार की है। शुरू से ही हम औद्योगिक दृष्टि से विश्व के पहले दस देशों में रहे हैं। परन्तु अब हमारा दर्जा कम हो कर 20 वें नम्बर पर पहुंच गया है। जो नई नीति बनाई गई है, वह केवल इस समस्या का आंशिक हल है तथा इसके लिए राज्यों को भी केन्द्र से काफी सहयोग करना पड़ेगा। उद्योग के विकास के लिए बहुत-सी समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। इसके लिए भूमि, पानी, ऊर्जा तथा और बहुत सी चीजों की आवश्यकता है। इस सभी आवश्यकताओं की पूर्ति में समय लगेगा ताकि देश के औद्योगिक विकास में सहायता की जा सके।

अगर आप अपनी उद्योग नीति का उदारीकरण करना चाहते हैं तो जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है कि इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि हमें मूलभूत सेवाओं के प्रति काफी सजग रहना पड़ेगा।

क्या हम बड़े उद्योगों तथा अत्यधिक किफायती उद्योगों के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय प्रति स्पर्धा में ठहरते हैं ?

हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में असफल हैं क्योंकि हमारी विद्युत प्रणाली काफी दयनीय है तथा हमारी हवाई सेवाएं, दूरसंचार सेवाएँ, तथा रेलवे सेवा काफी अक्षम है। बैंकिंग क्षेत्र में हमें अधिक ब्याज दर का सामना करना पड़ रहा है तथा हमारे पास उचित विशेषज्ञता भी नहीं है।

औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों के पास सदैव बैंकिंग प्रणाली में विशेषज्ञता रहती है। उद्योगों का मार्गदर्शन करने के लिए, बैंक धन उपलब्ध करवाते हैं तथा उनके सामने आने वाली समस्याओं पर भी नजर रखते हैं। यही वजह है कि वे नियंत्रण करते हैं संचालन करते हैं और जहां कहीं भी तथा जब कभी भी आवश्यक होता है मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन वे ये संचालन पुरातल अग्रिम दरों और जमा दरों पर नहीं करते हैं। यदि किसी देश में औद्योगिक विकास की आवश्यकता है तो यह बहुत जरूरी है।

महोदय, मैं आपको औद्योगिक रूग्णता के बारे में बताना चाहता हूं। हमें अक्सर इसका सामना करना पड़ता है। परन्तु यहां इस बात का जिक्र करना अनुचित नहीं होगा कि विकसित देशों

की औद्योगिक रुग्णता पायी जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था बैंक और वित्तीय संस्थाओं को हमेशा रुग्णता के आने से पहले ही प्रारम्भिक स्थिति में तत्पर हो जाना चाहिए और वे उनके साथ मिलकर सहयोग करें तथा यह उनके बने रहने तथा सुधार करने एवं उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

दूसरी बात यह है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस देश में आ रही हैं। इसका महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अतिप्रदूषित और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बगैर किसी उचित सावधानी के देश में नहीं लाना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस प्रकार के उद्योगों को स्थापित करने के लिए उनकी भूमि का प्रयोग नहीं करती हैं। वे इस प्रकार के उद्योगों को कहीं और स्थानान्तरित करना चाहती हैं जहां इसके लिए पूर्ण अवसर हों। जब तक हम उचित सावधानियां नहीं बर्तेंगे और सुनिश्चित न कर लेंगे कि इन बातों का ठीक प्रकार से ध्यान रखा जाये तो हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

इस्पात उद्योग को देखें। हम काफी लोह अयस्क निर्यात कर रहे हैं और बहुत कम विदेश मुद्रा प्राप्त करते हैं। इसके बजाय यह अच्छा होगा कि हम ज्यादा मात्रा में इस्पात का उत्पादन करें। यदि आवश्यक हो तो हम कोरिया या जापान की प्रोद्योगिकी से इस्पात की सस्ती किस्म का उत्पादन कर सकते हैं। इससे हमारे देशवासियों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। इस तरह से हम भी नयी प्रौद्योगिकी को विकसित कर सकते हैं। जहां तक निर्यात की बात है हम अपने लोह अयस्क को निर्यात करके आज जितना कमा रहे हैं उससे कहीं अधिक कमायेंगे। जहां कहीं भी कच्चे माल के निर्यात की गुंजाईश है वहां हमें इन पहलुओं के बारे में सावधान रहना चाहिए में समझता हूं कि हमें मूल्य पारित उत्पादों का उत्पादन करना चाहिए। इसके लिए औद्योगिक विकास की आवश्यकता है। इसी तरह इससे हमारे लोगों को अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे।

कागज उद्योग को देखें। हम कागज की गम्भीर कमी का सामना कर रहे हैं यद्यपि देश में सेलूलोज विकसित करने की क्षमता है। हम कागज, लूगदी और रद्दी कागज का आयात कर रहे हैं। इसे विकसित न कर पाने का कारण यह है कि हम पर्याप्त संख्या में बनों का विकास नहीं कर पाये हैं जोकि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके विकास के लिए उद्योग और वन विभाग में समन्वय जरूरी है। यदि आप यह कहते हैं कि हमें पेड़ लगाकर इनका विकास करना चाहिए जैसे कि अन्य देशों में किया जाता है जहां तेजी से उगने वाले पेड़ों की किस्में उगाई जाती हैं तो शायद उद्योग और वन विभाग में कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन ये सब तो वे कार्य हैं जिन्हें उद्योग का विकास करने से पहले उचित ढंग से किया जाना चाहिए।

प्लास्टिक उद्योग के लिए काफी अधिक आयातित कच्चा माल चाहिए। हम इस प्रकार के कच्चे माल के आयात पर काफी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं। भविष्य में प्लास्टिक लकड़ी कागज, कांच और धातुओं का स्थान लेता जा रहा है। यह आम आदमी के लिए सबसे सस्ती चीज के रूप में उभर रहा है। जब तक हम प्लास्टिक उद्योग को तेजी से विकसित नहीं करेंगे तब तक हमें अन्य सभी क्षेत्रों में इन परिणामों को भुगतना पड़ेगा।

यांत्रिक उद्योग की तरफ भी गौर करें। इसमें इस्पात की ऊंची कीमतों की वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं। आज, हमारा इस्पात विश्व भर में बहुत महंगे इस्पात में से एक है। जैसे मैंने पहले कहा है हम अपने देश में उपलब्ध लौह अयस्क से सस्ते इस्पात का उत्पादन कर सकते हैं। उत्पादन में ऊंची लागत आने की वजह से, इस उद्योग में रुग्णता है और इसकी समस्यायें नहीं सुलझ पायीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा था हमें इस औद्योगिक रुग्णता को दूर करने के लिए अच्छे विशेषज्ञ एवं शीघ्र सुधार करने की आवश्यकता है। यह तो इस देश को व्यापक औद्योगिक रुग्णता से बचाने के लिए आवश्यक है।

दूसरी बात मानव शक्ति की है, हमारे यहां अपार मानव शक्ति है। वस्तुतः, इस सम्बन्ध में हमारा विश्व में तीसरा स्थान है। लेकिन इन लोगों की सेवाओं को औद्योगिक विकास आदि में वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करने हेतु हमें इन लोगों को उचित प्रशिक्षण देने की जरूरत है। जिस सबसे महत्वपूर्ण बात पर आज हमें विचार करना है वह ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों का इस्तेमाल करने के बारे में है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम पायेंगे कि न केवल यह देश बल्कि सारे विश्व में ऊर्जा स्रोत धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं और आवश्यकतायें बढ़ रही है। निःसंदेह इस देश की जनसंख्या पर रोक लगाना होगा। यदि आपको ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों जैसे भू-तापीय ऊर्जा टाइडल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गैस आधारित ऊर्जा आदि का विकास करना है तो कुछ अनुसंधान और विकास की जरूरत होगी। यदि यह नहीं किया गया तो गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

महोदय, हमारे देश में सेवन उद्योग को विकसित करने के लिए काफी गुंजाइश है और इस सम्बन्ध में प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है। पहले ही काफी सारी निर्यातोन्मुख गतिविधियां चल रही है। यदि सरकार पर्याप्त रूप से पहल करें तो हम काफी कुछ कर सकते हैं। जहां तक निर्यात की बात है हम इस सम्बन्ध में पर्याप्त विकास नहीं कर पाये हैं। यदि आप निर्यात को अधिक महत्व दें, यदि आप इसे ज्यादा प्राथमिकता दें तो हमारी विदेशी मुद्रा काफी अधिक बढ़ जायेगी।

कृषि आधारित उद्योग हमारे देश का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। यहां उद्योगों का विकास करने की काफी गुंजाइश है। हम फल संसाधन, अण्डा परिष्करण और अन्य प्रकार के विभिन्न परिष्करण सम्बन्धी कार्य अपने निवेश और उत्पादन को बढ़ाने में कर सकते हैं।

हमने खादी और ग्रामोद्योग उद्योग किया। लेकिन दुर्भाग्य से हमने इसे ज्यादा समर्थन नहीं दिया परिणाम स्वरूप वह आशानुरूप नहीं बढ़ पाये। यह ज्यादातर श्रमोन्मुखी उद्योग हैं और कुटीर उद्योग ज्यादातर ग्रामोन्मुखी हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को विकासित करने के अपार अवसर प्रदान करता है।

जहां तक आन्ध्र प्रदेश की बात है मैं कुछ उद्योगों का जिक्र करना चाहता हूं। रंगीन पिक्चर ट्यूब संयन्त्र फिलिप्स की सहायता से कोण्डापल्ली में लगाया जाने वाला था। इसमें विलम्ब हुआ और इसे काफी समय तक लटकाये रखा गया। इस सम्बन्ध में भारत सरकार को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस सबको मंजूरी मिल जाये।

इसी तरह मचलाबिरि में टायर उद्योग के सम्बन्ध में एक आशय पत्र काफी समय पहले दिया गया था लेकिन अभी तक इसे मूर्तरूप नहीं दिया गया है।

नेफ्था क्रेकर संयन्त्र जो कि विजाग में है बहुत महत्वपूर्ण है और यह प्लास्टिक उद्योग के विकास के लिए एक आवश्यक खास पदार्थ है। इस तरह के सहायक उत्पादों से बड़े और लघु-उद्योगों के क्षेत्र में अवसरों की काफी गुंजाईश हो जायेगी। इसके बावजूद की बाक्साइट प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है, विजाग में अल्युमिनियम फैक्टरी जल्द शुरू नहीं की गई थी। इसके कारण की भी स्पष्टतः जानकारी नहीं है। इसमें देरी की गई। सरकार को इसे अधिक प्राथमिकता देनी चाहिये।

जैसाकि मैंने पहले भी कहा है, फलों को डिब्बों में पैक करना व फल रस परिरक्षण उद्योग, मछली और मुर्गी परिस्करण उद्योग कृषि पर आधारित हैं। आन्ध्र प्रदेश में इनके विकास के बहुत अच्छे अवसर है। इसके साथ साथ गोदावरी-कृष्णा थाले से हम प्राकृतिक गैस प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार से प्रचूर मात्रा में उर्वरकों का उत्पादन कर सकते हैं। गैस पर आधारित उद्योग और विद्युत उत्पादन ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनका हम आन्ध्र प्रदेश में विकास कर सकते हैं।

विजाग स्टील संयन्त्र विगत 15-20 वर्षों से घिसट रहा है। हम जानते हैं कि अपनी पूर्ण क्षमता के प्रयोग के लिए इसके लिए तत्काल प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है ताकि हम उचित आर्थिक लागत प्राप्त कर सकें। वरन इसकी प्रशासनिक लागत दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा है। अंततः, यह तो हम नहीं जानते कि बाहर आने पर स्टील की कीमत क्या होगी; इसका प्रयोग इण्डियन इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज जोकि इसके लिये सक्षम हैं के द्वारा किया जाएगा और इसके क्या परिणाम होंगे।

मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

***श्री हाराधन राय (आसन सोल):** सभापति महोदय, मैं बंगाली में बोलना चाहूंगा। चूंकि यह मेरा प्रथम भाषण है, इसलिए मैं कुछ समय चाहता हूं। महोदय, मैं सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति का विरोध करता हूं। हमारी पार्टी से दो माननीय सदस्य श्री अजय मुखर्जी और श्री वसुदेव आचार्य औद्योगिक नीति पर पहले ही बोल चुके हैं। जो कुछ उन्होंने कहा है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। जो कुछ होने जा रहा है, मैं सोच भी नही सकता। बंगाली में एक कहावत है:—"दूध का जला छाछ को भी फूंक-फूंक कर पीता है"। मैं एक औद्योगिक क्षेत्र आसनसोल से आया हूं। दुर्भाग्यवश वहां के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग बीमार पड़ गये हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपनी अन्तिम सासें ले रहे हैं। यह कहना बहुत कठिन है कि इन उद्योगों का भाग्य क्या होगा। उनके बारे में मैं एक-एक करके बताऊंगा। इससे पहले मैं नई औद्योगिक नीति के परिणामों के बारे में बताना चाहूंगा। हम विश्व बैंक से ऋण यों लेने जा रहे हैं। मेरा अंदाजा है

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कि उन्होंने अपनी सारी शर्तें हम पर थोप दी हैं। हम अपनी औद्योगिक नीति, कृषि नीति, अथवा आर्थिक नीति बनाते हैं। परन्तु हमारी यह सभी नीतियां वस्तुत: वाशिंगटन में तैयार होती हैं और उन पर हमारा नाम लग जाते हैं। आज ऐसी स्थिति है। मुझे वास्तव में आशंका है क्योंकि मुझे लगता है कि इससे हमारे देश की स्वतन्त्रता और एकता निश्चित तौर पर खतरे में पड़ जायेगी। मुझे डर है क्योंकि मैं नहीं जानता कि क्या होगा। पहले मैं अपने क्षेत्र के उद्योगों के बारे में कहूंगा और तब अन्य राज्यों के उद्योगों के बारे में बात करूंगा।

अन्य भारी में भारत उद्योग निगम के अन्तर्गत हमारे क्षेत्र में रिफ्रेक्टरी एण्ड सिरेमिक की बन स्टैण्डर्ड की चार इकाइयां हैं। इस भारत उद्योग निगम के अन्तर्गत 8 इंजीनियरिंग और 8 रिफरेक्ट्री यूनिटें हैं इन 8 इकाइयों में से 4 पश्चिमी बंगाल, 1 बिहार, 2 मध्य प्रदेश और 1 तमिलनाडु में हैं। 1974 में इन उद्योगों को सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया और 1976 में इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय तत्कालीन उद्योग मन्त्री ने कहा कि यह उद्योग, मालिकों की अकार्यकुशलता व अयोग्यता, निवेश के लिए उनकी असमर्थता, भ्रष्टाचार आदि के कारण रुग्ण हो गये हैं। चूंकि देश की अर्थव्यवस्था के लिए इन उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेषकर से सभी रिफ्रेक्टरी फैक्टरीज—सिरेमिक रिफ्रेक्टरीज जोकि पश्चिमी बंगाल में-4, मध्य प्रदेश में-2, बिहार में-1 और तमिलनाडु में-1 हैं, का सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना चाहिये। यहां तक कि ये उद्योग स्टील के लिए भी महत्वपूर्ण हैं फैक्टरियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत पूंजी की आवश्यकता है। इनके मालिक इतनी भारी राशि के निवेश से असमर्थ हैं। इसलिए इनका अधिग्रहण किया जाना है। हम भी इनके राष्ट्रीयकरण के लिये दबाव डालते रहे हैं। और हमारे दबाव के कारण इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन यह खेद की बात है कि 1974 में इनका अधिग्रहण किए जाने के बाद इनका राष्ट्रीयकरण 1976 में किया गया। तब से प्रोजेक्ट-रिपोर्ट दस दफा तैयार की गई है। कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार द्वारा और कुछ कम्पनी द्वारा तैयार की गई हैं। हम पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार के सदस्य इन उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए इनके विस्तार के लिए और इनमें और अधिक निवेष के लिए दबाव डालते रहे हैं। चूंकि शीशा, स्टील और एल्युमीनियम की प्रोद्योगिकी बदलती रही है, इन उद्योगों को ऐसे उत्पाद तैयार करने चाहिये जोकि समय की मांग के अनुरूप हों। बाहर से मशीनरी आयात की गयी है। रिफ्रेक्टरीज में मशीनों के अनुरूप परिवर्तन किया जाना चाहिये। अत: पूंजी का अवश्य ही निवेश किया जाना चाहिए। हम, जिनमें हमारे मुख्यमन्त्री, हमारे श्रम मन्त्री, विधायक और पश्चिमी बंगाल के सांसद प्रधानमन्त्री से लेकर उद्योग मन्त्री को अपील करते रहे हैं, बार-बार लिखते रहे हैं। किन्तु खेद की बात कि इस दिशा में कुछ भी सफलता नहीं मिली। कोई निवेश नहीं हुआ और यहां तक कि आज भी एक पैसे का भी निवेश नहीं हो रहा है। यहां तक कि पश्चिमी बंगाल में स्थापित उद्योगों की अधिसूचना समाप्त करने, उन्हें बन्द करने का प्रयास किया जा रहा है। यद्यपि यह उद्योग बन्द करने अथवा उन्हें अधिसूचित करने के लिए ही इसका अधिग्रहण अथवा राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। राष्ट्रीयकरण का प्रयोजन अधिक विस्तार, आधुनिकीकरण और कामगरों को अधिक सुविधाएं प्रदान करना था। उस समय तत्कालीन उद्योग मन्त्री श्री टी० ए० पई ने कहा था कि

उद्योगों को बन्द करने का अर्थ है कामगरों का अपने रोजगार खो देना। वे बेरोजगार हो जाते हैं और वे इसके सर्वाधिक शिकार बनने वालों में से होते हैं। इसलिए इन उद्योगों का इसलिए अधिग्रहण किया गया था ताकि कामगरों को रोजगार मिलता रहे। किन्तु वह वायदा, वह वचन कहां चला गया है। हमें सभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या देखने को मिलता है। 1974 में तीन-सदसीय समिति बनाई गई थी। 1981 की समिति में अत्याधुनिक ईंटों के रानीगंज नम्बर, 2 वर्क्स और लाल कुल्थी सिलिका वर्क्स, इन दो उद्योगों में 15 लाख रुपसे और 20 लाख रुपये निवेश करने का प्रस्ताव था ताकि उन्हें अर्थक्षम बनाया जा सके। परन्तु निधि नहीं दी गई। 1982 में एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि सिलिका उद्योग में एक करोड़ अड़तीस लाख और दुर्गापुर रिफ्रेक्ट्री इन्डस्ट्री के लिये इकसठ लाख रुपयों की आवश्यकता है। लाल कुल्थी सिलिका इन्डस्ट्री के लिये, कुछ हद तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लागू की गई थी। परन्तु हैरानी की बात यह थी कि प्रोद्योगिकी मशीनरी के इस युग में आधुनिकीकरण के लिए जिन संयन्त्रों की आवश्यकता थी, उनमें से आधे भी प्रदान नहीं किये गये थे। स्टील के लिए और समय अनुरूप उत्पादन के लिए, ये अनिवार्य है किन्तु इनकी मनाही की गई। अब उनका आरोप है कि निवेश के बाद भी, उद्योग अर्थक्षम नहीं बन सके। परन्तु उन्होंने यह कभी नहीं बताया कि इन अनिवार्य चीजों के लिए मना किया गया। निःसंदेह माननीय प्रधान मन्त्री, उद्योग मन्त्री और श्रम मन्त्रालय को कई बार इससे अवगत कराया जा चुका है। मैं, उस समय विधानसभा का सदस्य था। पिछले दस वर्षों से मैं दिल्ली आ रहा हूं। किन्तु इन आवश्यक मशीनों, संयन्त्रों की प्राप्ति के मेरे सभी प्रयास असफल रहे हैं। यहां कोई भी हमारी शिकायतों को नहीं सुनता।

दूसरे 1934 में, नवम्बर 2 अत्याधुनिक ईंटों के उद्योग के लिए, मैकन कम्पनी से सम्पर्क किया गया और उनका कहना था कि 4 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से उद्योग से अर्थक्षम बनाया जा सकता है। रिपोर्ट के लिए 2 लाख रुपये व्यय किये गये। परन्तु निवेश हेतु 4 करोड़ रुपये नहीं दिये गये। केवल भगवान ही जानता है कि उस रिपोर्ट और उस प्रस्ताव का क्या हुआ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इन उद्योगों के लिए दबाव डालते रहे हैं और केन्द्र ने इन उद्योगों को बन्द करने की दृष्टि से, जल्दी में एक विख्यात व्यक्ति डा० एस०एस० घोष को परामर्शदाता नियुक्त किया। न आंकड़े थे और न ही कोई रिपोर्ट और डा० घोष को राय देने के लिए कहा गया कि क्या इन उद्योगों को लाभप्रद बनाया जा सकता है। डाक्टर घोष को इन उद्योगों की पड़ताल करने की हिदायत दी गई क्योंकि उस समय वे वैसी हालत में थे। इस प्रकार यह स्वाभाविक था कि उसने सुझाव दिया कि मौजूदा परिस्थितियों में उद्योगों को अर्थक्षम नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारी पार्टी के सदस्य श्री अमलदत्ता उन उद्योगों को अर्थक्षम बनाने के लिए डा० घोष की राय जानने के लिए उनसे मिले। उन्होंने उन उद्योगों को अर्थक्षम बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जिसमें 4 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश का सुझाव दिया। परन्तु यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सामने नहीं आई। पता नहीं वह कहां खो गई।

यह देखा गया है कि नये निवेश से, उद्योग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सलेम वर्क इन्डस्ट्री के

लिए 18 करोड़ रुपये का निवेश किया गया और उससे 5—6 करोड़ रुपये की सालाना आमदनी हो रही है। इंजीनियरिंग उद्योग में करोड़ों रुपये निवेश किये है किन्तु वे घाटे में चल रहे हैं। यदि हम रिफ्रेक्ट्री फैक्ट्रियों को पूर्ण रूपेण देखें तो हमें पता चलेगा कि वे घाटे में नहीं चल रही हैं। भारत बाहरी उद्योग निगम के चेयरमैन इन फैक्ट्रियों के बन्द करने की कोशिश करते रहे है और उन्हें इन उद्योगों के लिए कोई हल निकालने का प्रयास नहीं किया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने, हमारे विशेषज्ञों ने तैयार की हैं। कम्पनी ने 198: में एक आन्तरिक अध्ययन किया। एक कमेटी ऐसी भी थी जोकि सेक्स उद्योगों के तौर-तरीकों का पता लगाने के बारे में थी। उन्होंने तदनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जोकि बोर्ड को नहीं भेजी गई। चेयरमैन ने भारत बाहरी उद्योग निगम के बोर्ड और बर्न कम्पनी को अन्धेरे में रखा और मैकन कम्पनी के साथ सांठगांठ की और उन्हें रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। यह रिपोर्ट षडयन्त्रकारी थी जिसका पता इस रिपोर्ट को देखने से लगाया जा सकता है। इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि इन उद्योगों को अर्थक्षम बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने होंगे लेकिन उनमें मजदूरों की संख्या केवल एक तिहाई ही रह जाएगी।

महोदय, बात यहीं समाप्त नहीं होती है। मार्टिन बर्न के समय में ये 'इस्को' के निजी उद्योग थे। चूंकि ये इस्पात के निजी उद्योग थे, 'इस्को' इनके उत्पादों को ले लिया करता था। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् 'इस्को' को इस्पात मन्त्रालय के अन्तर्गत और इन निजी कारखानों को उद्योग मन्त्रालय के अन्तर्गत रखा गया। लेकिन काफी समय बाद बिहार के तीन बन्द पड़े कारखाने जैसे असम 'सिलिमैनाइट' भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड और इफको को अधिग्रहीत कर लिया गया और उन्हें बोकारो इस्पात कारखाने का निजी उद्योग बना दिया गया। बर्न स्टैंडर्ड के इन कम्पनियों को दर्जा निजी उद्योग से हटाकर 'डिकैप्टिव' (गैर-निजी) इन्डस्ट्री का कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की तीन बड़ी इस्पात कारखानों—एलाईड स्टील, दुर्गापुर इस्पात और इस्को का कोई भी निजी कारखाना नहीं है। और इन कारखानों में बिना कुछ भी निवेश किये ही इन्हें बाजार प्रतियोगिता में उतरने का निर्देश दिया है। लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य विफल हो गया है। हम अभ्यावेदन भेजते रहे हैं और इस बारे में मन्त्री जी से भी मिले हैं। मैंने वर्तमान उद्योग मन्त्री श्री कुरियन और श्री चुंगम से भी मुलाकात की है। मैंने पिछले उद्योग मन्त्रियों से भी मुलाकात की थे। लेकिन इस सबका कुछ भी परिणाम नहीं निकला है।

अब यदि मैं आपको यह सच्चाई बता दूं तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी के निदेशकों ने बोर्ड की 73वीं बैठक में कहा था कि चूंकि उन्हें ऐसे किसी भी प्रतिवेदन के बारे में जानकारी नहीं है इसलिए वे इस सम्बन्ध में कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। दुर्गापुर रिफ्रेक्टरी वर्क्स के लिए प्रतिवेदन में 61 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई थी। लेकिन इसे कहीं और खर्च कर दिया गया है। लेकिन 7वे वार्षिक प्रतिवेदन में यह कहा गया था कि आधुनिकीकरण का कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है; उन्होंने प्रतिवेदन में यह दावा किया है कि आधुनिकीकरण और विस्तार करने का कार्य संतोषजनक तरीक से चल रहा है। अब ऐसे गलत दावों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? यह मात्र लूट है। ये धनराशि कहां खर्च की गई है? मैंने उनसे कई बार कहा है कि वे 7वीं और 8वीं वार्षिक प्रतिवेदनों को देखें और पता लगाएं कि क्या दुर्गापुर

कारखाने के आधुनिकीकरण के कार्य में प्रगति हुई है। तब इस्पात, उद्योग और श्रम मन्त्रालय ने मैकन बी०आर०ए०ए० से कुछ योजना तैयार करने के लिए कहा गया ताकि इन उद्योगों के अस्तित्व को बचाया जा सके। उन्होंने कुछ मिश्रित उत्पाद का सुझाव दिया परन्तु इस सिफारिश को भी लागू नहीं किया गया।

महोदय, बर्न स्टैंडर्ड के बोर्डमंडल में एक भी रिफ्रैक्ट्री विशेषज्ञ नहीं है। तत्कालीन मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने कहा था कि बोर्ड को सशक्त बनाया जाएगा। एक पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन एक अंशकालिक निदेशक की ही नियुक्ति की गई। और वर्तमान अध्यक्ष ने निदेशक के पद को समाप्त कर दिया और अपने लोगों द्वारा वे कार्य करवा रहे हैं। वहाँ एक भी रिफ्रैक्ट्री विशेषज्ञ नहीं है। मैं इसी बात पर बल देना चाहता हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन कारखानों को कैसे बचाया जा सकता है। मैं हिन्दुस्तान पिलिकट्रांम ग्लास फैक्ट्री का भी उल्लेख करना चाहता हूं जो विगत छह वर्षों से बन्द पड़ी है। मैंने कल के 'बिजनेस स्टैंडर्ड, में यह पढ़ा है कि 50 से 60 कारखानों में निवेश नहीं किया जाएगा। मैं आशंकित हो गया हूं। मैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 'स्कोप मूट्स एक्जिट पालिसी' को उद्धृत करना चाहता हूं। उनके अनुसार 50 से 60 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पता लगाया गया है जिनमें और निवेश नहीं किया जाएगा। लेकिन इन उपक्रमों के नाम नहीं बताए गए हैं। यह एक चिन्ताजनक स्थिति है। हम यह नहीं जानते कि क्या होगा। (समय समाप्त होने की घण्टी बजी)। महोदय मुझे और समय दिया जाए। महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने मैकन के प्रतिवेदन के साथ मुख्यमन्त्री से बातचीत की है और मुख्य सचिव तथा डा० घोष जो कि रिफ्रैक्ट्री सिरेमिक्स के विशेषज्ञ हैं और दो कार्यावधि के लिए डी०जी०टी०जी० के चेयरमैन रह चुके हैं और कई चीजों का आविष्कार भी किया है तथा विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं उनसे बातचीत की थी। उन्होंने मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट दी थी कि मात्र आठ करोड़ रुपये खर्च करके निम्न तीन कारखानों को अर्थक्षम बनाया जा सकता है :—

1. रानीगंज न० 2;

2. लाल कुठी सिलिका; और

3. दुर्गापुर रिफ्रैक्ट्री।

सभापति महोदय : आपको अपना भाषण दो मिनट में समाप्त करना है।

श्री हाराधन राय** : मैं दो मिनट में अपना भाषण समाप्त नहीं कर सकता हूं क्योंकि यह मेरा प्रथम भाषण है। मैं फजल समिति की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि इसके लिए एक अलग बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर ये कारखाने घाटे में नहीं चल रहे हैं। उन्हें अलग-अलग रूप से चलाया जा सकता है। उन्हें इन्जीनियरिंग कारखानों से

** मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

क्यों जोड़ा गया है ? इन कारखानों को इस्पात मंत्रालय के अन्तर्गत रखा जा सकता है। हमारा सुझाव यह है कि चूंकि यह इस्पात उद्योग का निजी (कैप्टिव) उद्योग था अतः इसे पुनः इस्पात कारखानों के अन्तर्गत रखा जा सकता है। सभी पूर्व उद्योग मंत्रियों जैसे श्री एन०डी० तिवारी, श्री जार्ज फर्नान्डीज और श्री अजित सिंह में यह सुझाव दिया कि इसे इस्पात मंत्रालय के अन्तर्गत स्थानांतरित कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा था कि चूंकि उनके पास इस हेतु निधियां नहीं है इसलिए वे इन कारखानों को अधिग्रहीत नहीं कर सकते। मैं जो कुछ कह रहा हूं, वह सरकारी रिपोर्टों पर ही आधारित है। इन कारखानों के लिए अलग बोर्ड की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। इन्हें बन्द नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें इस्को का निजी उद्योग होना चाहिए। इसके अतिरिक्त दुर्गापुर ग्लास फैक्ट्री, अल्युमिनियम फैक्ट्री की आधुनिकीकरण के पश्चात् आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इनफैक्ट्रियों को न तो बन्द कियाजाए और न इन्हें राष्ट्रीयकरण से मुक्त किया जाए।

अब मैं श्रमिकों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। महोदय, कोई यह सोच सकता है कि इन फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले अकुशल श्रमिकों को मात्र 330 रुपये 58 पै० मिलते होंगे। विचार करें कि अकुशल श्रमिकों को मूल वेतन के रूप में मात्र 197 रुपये और निर्धारित महंगाई भत्ता केवल 106, रुपये 58 पैसे मिलते हैं। एक लिपिक वर्ग के कर्मचारी को 344 रुपये 58 पैसे मिल रहे हैं। उनका मूल वेतन 227 रुपया है। विगत 13 वर्षों से उनके वेतन में वृद्धि नहीं की गई है। यहां तक कि कलकत्ता उच्चन्यायालय के आदेश के बावजूद अंतरिम राहत दिये जाने के निर्णय की अनदेखी की गई है। वे जो श्रमिक ठेकेदार के मातहत कार्य करते हैं उन्हें मात्र मात्र दैनिक 17 रुपये 50 पैसे ही मजदूरी मिलती है। भारत उद्योग निगम लिमिटेड के सभी कारखाने घाटे में चल रहे हैं। मैं सभी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं केवल ब्रेथ वेट एण्ड कम्पनी और बर्न स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड के चेयरमैन और अन्य मन्त्रियों को भी भारत रत्न से विभूषित किया जाना चाहिये। इन बेकार लोगों की कोताही के कारण इन कारखानों को बन्द कर देना पड़ेगा। 1989 में भारत अल्युमिनियम कम्पनी के आधुनिकीकरण के लिए एक समझौता हुआ था। वह विगत छह वर्षों से बन्द पड़ा था। जनता शासन के दौरान इसका अधिग्रहण और राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय यह कहा था कि इस फैक्ट्री को पूरी तरह चालू कर दिया जाएगा। लेकिन मात्रा फैब्रिकेशन डिमार्टमेंट, को ही चालू किया गया। मेटल सेल हाउस डिपार्टमेंट, अल्युमिनियम और कीट नाशक संयन्त्रों को चालू नहीं किया गया। एक बिजली घर भी है जिसे चालू नहीं किया गया। वर्ष 1989 के दौरान निष्कासन संयन्त्र के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए 9 करोड़ 70 लाख रुपये निश्चित किये गये थे। एक समझौता हुआ था परन्तु उसे लागू नहीं किया गया। यह स्थिति है। अब मैं इस्को के संबन्ध में बोल रहा हूं। आधुनिकीकरण के लिए 13 जुलाई 1989 को एक समझौता हुआ था। लेकिन छंटनी की गई। कई श्रमिकों को निकाला गया। लेकिन हमारी स्थति यथावत बनी रही। अब तक चार प्रधान मन्त्री बदल चुके हैं लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। हम नहीं जानते कि इस्को के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम है या नहीं। कुछ दिन पूर्व मैं श्री सन्तोष मोहन देव से मिला था। उन्होंने कहा था कि वे इस बारे में निर्णय लेंगे।

लेकिन जब तक वह इस बारे में निर्णय लें मुझे लगता है कि ये भी चले जाएंगे और 'इस्को' के आधुनिकीकरण कार्य नहीं हो सकेगा। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप अपनी बात अब समाप्त करें। आपने अपना समय ले लिया है।

***श्री हरधान राय :** महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। बगाल पेपर मिल्स 6 से 7 वर्ष बन्द पड़ी रही। विधायकों, संसद सदस्यों और मजदूर संघों द्वारा दबाव डालने के बावजूद सरकार ने इसका अधिग्रहण नहीं किया। आर्थिक कारणों से राज्य सरकार ने इसका अधिग्रहण नहीं कर सकी। एक उद्यमी व्यक्तिगत रूप से इसे चलाने का उत्तरदायित्व लेने के लिए सामने आए। लेकिन वहां की स्थिति क्या है? पंजाब नेशनल बैंक ने फैक्ट्री के मालिक पर पैसे वापस लेने के लिए उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया हुआ है। जबकि करोड़ों रुपये अन्य बन्द पड़े उद्यमों में लगे हुए हैं। उनसे पैसे वसूलने के बजाय बैंक उस फैक्ट्री से अपना पैसा वसूल करना चाहती है जो चालू हो गई है। इस प्रकार जानबूझ कर बड़े एकाधिकारों से साठगांठ कर के इस फैक्ट्री को बन्द करने का प्रयास किया जा रहा है। यह वास्तव में दुःखद स्थिति है। ढाई हजार से अधिक फैक्ट्रियां बन्द हो गई हैं। 270 बड़े उद्योगों, को बन्द होने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए कौन दोषी है? इन फैक्ट्रियों में हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। इन फैक्ट्रियों और उद्योगों को क्यों नहीं चालू किया जाता? हमने बार-बार केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है।

सभापति महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त करें। आपने 20 मिनट समय पहले ही ले लिया है।

***श्री हरधान राय :** मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हम नहीं जानते कि सरकार की नीति हमें कहां ले जाएगी?

महोदय हमारे क्षेत्र में बड़ी-बड़ी कोयला खानें हैं। इन खानों के लिये देश में मशीनों का आयात किया गया है। उनकी क्षमता का मात्रा 30 प्रतिशत ही उपयोग में लाया जा रहा है। कल श्री वासुदेव आचार्य ने कोयला उद्योग के लिये मशीन बनाने के लिये एम० ए० एम० सी का उल्लेख किया था। लेकिन एम० ए० एम० सी० में मशीन बनवाने के बजाय विदेशों से उसकी आयात कर रहे हैं। यह प्रश्न कमीशन का है। यदि आपको कमीशन मिले तो सब संभव है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया आप अपनी बात अब समाप्त करें।

श्री हरधान राय : हमारे पास कोयला, इस्पात, लोहा, अल्युमिनियम, ग्लास, रेल आदि हैं हमारे यहां सहायक उद्योग लग सकते हैं। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। हम को कोयला

*मूलतः बंगाला में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आधारित उद्योग लगा सकते हैं। जिससे काफी लोगों को रोजगार मिल सकेगा। नये खादानों को खोलने के लिये भूमि की समस्या आपके सामने है। इस समस्या का हल हो सकता हैं यदि आप गंभीरता से सोनपुर बजारी पैकेज को लागू करें तथा लोगों को उपलब्ध करायें और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।

हमें विदेशों के हाथ बेच दिया गया है। विदेशी ताकतों के हाथ हमारे देश को गिरवी रख दिया गया है। लेकिन जनता इसे अब और नहीं सहेगी। यह निश्चय ही विद्रोह करेगी। वह दिन दूर नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपको मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये (पणजी) : महोदय, उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का मैं समर्थन करता हूं।

मैं नई आर्थिक नीति के तहत विनियमन और उदार बनाने का समर्थन करता हूं। यदि भारत को प्रगति करनी हैं तो इसे विश्व बाजार में स्पर्धा में उतारना होगा। यदि हमें इस विश्व स्पर्धा में आना है तो मूल्य और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टियों से स्पर्धात्मक होना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि हमें आधुनिकतम सक्षम तकनीकी की अद्यतन जानकारी, सक्षम प्रबन्धकीय। देखरेख, और उत्पादन लागत पर उचित नियंत्रण करना चाहिये। इसके अतिरिक्त श्रम उत्पादकता को भी बढ़ाना होगा। जापान और दक्षिण कोरिया का उदाहरण हमारे सामने है। वे गोवा से लौह अयस्क आयात करते हैं और दूसरे देशों से कोयला लेते हैं और वे हमारी स्टील मिल द्वारा बेची गई इस्पात के मूल्य की तुलना में और भी कम कीमत पर बेचते हैं। ऐसा क्यों हैं ? विदेशों की तुलना में भारतीय में श्रम अधिक सस्ती हैं जीवन के क्षेत्र में उनके सफलता और उपलब्धि का आधार कठिन परिश्रम, निष्ठा, अनुशासन, त्याग और राष्ट्र प्रेम है। इतना ही नहीं, जापान और दक्षिण कोरिया में इन गुणों समावेश बच्चों में बचपन से ही किया जाता है और इस भावना को आगे भी सिंचित किया जाता है।

हमारे देश की स्थिति बहुत गंभीर हो गई हैं। बेरोजगारी की समस्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जो कि बहुत ही खतरनाक है। यदि हम इस पर कठोर और सोच विचार कर कोई निर्णय न ले और उन्हें हर हालत में लागू न करें तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है और लोकतंत्र भी खतरे में पड़ सकता है। इस कठिन परिस्थिति में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? जो शिक्षा अभी दी जा रही हैं उसके अन्तर्गत गरीब बच्चों को उच्चकोटि की शिक्षा नहीं मिलती है और न अधिक संख्या में तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञ ही बन रहे हैं सिवा उनके जो मेधावी छात्र हैं। इसलिए, समय आ गया है कि हम सभी इस पर विचार करें और स्थिति का गहराई से अध्ययन करें। ताकि कोई हल निकाल सकें भले ही वह कठोर कदम होगा परंतु उसके लाभदायक परिणाम होंगे।

मेरे कुछ विनम्र सुझाव हैं जिन पर उचित ध्यान दिया जाए।

सरकार को नये लघु उद्योगों के लिए आकर्षित, पर्याप्त और लाभकारी आधारभूत ढांचा तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।

सरकार को लघु उद्योगों को तकनीकी तथा विपणन सुविधाएं देकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें इन उद्योगों में कठिनाई की स्थिति में सहायता करनी चाहिए।

छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने के लिए राष्ट्रीकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों को संयुक्त रूप से प्रयास करना चहिए। उद्यमियों को विनिर्माण और विपणन के लिए तकनीकी मार्ग-दर्शन भी दिया जाना चाहिए।

प्रगतिशील और विकसित देशों को विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने के पश्चात सरकार को युवा उद्यमियों को समुचित तकनीकी उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वे घरेलू तथा विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना किया जा सके।

हम अनेक बार हड़तालों घरनों और तालाबन्दियों के बारे में सुनते रहते हैं। इससे हमारे औद्योगिक उत्पादन और कार्यकलापों को काफी नुकसान होता है। सरकार को कोई ऐसा सूत्र बनाना चाहिए कि उद्योगों को श्रमिकों का सहयोग मिले और वह बिना किसी बाधा के चलते रहें तथा लाभ अर्जित करें। श्रमिकों को भी लाभ में कुछ हिस्सा मिले। साथ ही साथ उन पर दायित्व भी डालना चाहिए।

कुछ विद्यमान नियमों के अनुसार योजना क्षेत्रों में कम दामों पर भूमि प्राप्त करना कठिन है। इसमें समय भी काफी लगता है। मेरा सुझाव है कि उद्योगों के लिए सस्ते दामों पर भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

गांवों के युवा उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में काफी छूट दी जानी चाहिए। इससे बेरोजगारी की समस्या भी काफी हद तक सुलझ जाएगी। हम सभी जानते हैं कि शहरों की अपेक्षा गांवों में गरीबी अधिक है।

महोदय, औद्योगिक निवेश के लिए गोआ एक उपयुक्त स्थान है। गोआ सरकार ने प्रोत्साहनों का 'पैकेज" उपलब्ध कराया है जो कि वर्तमान समय में देश में सबसे अधिक उदार है। राज्य सरकार सभी प्रदूषण रहित श्रम प्रदान उद्योगों का स्वागत करेगी। उनके पास सभी आधारभूत सुविधाएं और अनुशासित, शिक्षित तथा कुशल श्रमिक उपलब्ध हैं। गोआ का समाज बहुत ही उदार और सत्कारशील है और उसकी ओर से मैं गोआ में सभी संभावित निवेशकों का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रति लाल वर्मा (धंधुका) : सभापति महोदय, नई उद्योग नीति की हमारे सत्ता दल के साथी बड़ी सराहना कर रहे हैं। लेकिन आज नई उद्योग नीति के कारण देश की जो स्थिति है उसमें

सुधार आयेगा, वह पहले भी नहीं आया और शायद इस बार भी नहीं आयेगा ऐसी मुझे आशंका है। स्वर्गीय दीन दयाल उपाध्याय ने कहा था हर हाथ को काम और खेत को पानी। लेकिन आज 44 साल के बाद भी न हम लोग हर हाथ को काम दे सके हैं और न खेत को पानी दे सके हैं। परिणामस्वरूप धीरे-धीरे देश के अन्दर जो बड़े-बड़े उद्योग थे उन्हीं को पहले भी सहायता दी गई थी और आज भी उनको ही दी जा रही है और वे ही फल-फूल रहे हैं। उनको सहायता देने के कारण जो लोग देश के अन्दर सुखी थे, धनाढ्य थे वही लोग सुखी और धनाढ्य बनते गये। देश के अन्दर जूते और चप्पल बनाने वाले चमार थे उनका जो पेशा था वह बाटा ने ले लिया है। देश के अन्दर छोटे-मोटे लोहार जो थे और औजार बनाने का काम करते थे उनका पेशा लोहारी का था वह टाटा ने ले लिया है। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि देश का सबसे बड़ा चमार बाटा बनकर बैठा है और सबसे बड़ा लोहरा टाटा बनकर बैठा है। परिणामस्वरूप जो उद्योग गांवों में फलते थे और जिनसे मजदूर रोजी-रोटी कमाते थे और जिसके कारण पूरे गांव का माहौल बना रहता था, जहां छोटे-छोटे धंधे थे वे इन टाटा और बिड़ला के द्वारा ले लेने से गांव टूटने लगे और गांव से आकर लोग शहरों में बसने लगे। परिणामस्वरूप शहर के अन्दर भी बेकारी का माहौल बन गया और बहुत बढ़ गया।

सभापति महोदय, हम जो बाहर रहने वाले भारतीयों को आकर्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उससे देश को बहुत बड़ा फायदा होगा, ऐसी बात सारे देश में चल रही है। लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है कि कालाधन था, जो बाहर के देशों में बैंकों में जमा था वही रुपया एन०आई०आर० के द्वारा देश के अन्दर आयेगा और कालाधन सफेद धन करने के लिए इस सरकार ने यह व्यवस्था की है। ऐसा मुझे लगता है। उसके अन्दर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सही आमदनी इस देश के अंदर निवेदन करना चाहते होंगे। लेकिन अधिकतर लोग इसका गैर फायदा उठायेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसके साथ ही एन० आर०आई०ज० देश में आना चाहते हैं। वे अपना पूंजी निवेश शहरों में न करके गांवों में करें, गांवों पर अपनी दृष्टि डालें, गांवों के अन्दर अपना धन्धा करें तो उसका अधिक लाभ गांव वालों को मिल सकता है। मेरा यह कहना है कि बड़े-बड़े उद्योगों में जो करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, उससे लघु उद्योग टूट गये हैं। इसलिए छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये जिसे नहीं देने के परिणामस्वरूप वे टूटते जा रहे हैं और जो काम करने वाले लोग हैं, वे परेशान होते जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं जापान का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां हिरोशिमा और नागासाकी में बम पड़ा था जिससे पूरा देश नष्ट होने जा रहा था लेकिन वहां छोटे-छोटे उद्योगों को महत्व देने के कारण क्या हालत हुई? आज वही जापान दुनिया के अन्दर श्रेष्ठ देशों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो गयी है कि वह अमेरिका से भी आगे हो गया है। वहां पर घड़ी, टी०वी० और यहां तक कि कैलकुलेटर्स सारी दुनिया के अन्दर प्रख्यात हो गये हैं। हमारे देश की भी कोई विशेषता थी। यहां पर जो साड़ी बनायी जाती थी, वह हाथ की रिंग में से पूरी की पूरी निकल जाती थी। नक्काशी का काम, कारीगरी का काम ऐसा काम था कि विश्व प्रसिद्ध था लेकिन आज उस विशेषता की तरफ ध्यान नहीं दिया गया अपितु बड़े उद्योगों की ओर

ध्यान दिया गया जिसके कारण हिन्दुस्तान का नाम सारी दुनिया में जिस चीज के लिए प्रख्यात था वह नष्ट हो गया है।

सभापति महोदय, मैं एक बार इस बात को कह रहा हूं कि हमें भी अपने देश में छोटे-छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये, उनको आर्थिक सहायता देनी चाहिये। बड़े-बड़े उद्योगों को सहायता देते हैं लेकिन वे रातों रात बन्द हो जाते हैं और इस देश की करोड़ों रुपये की सम्पति ऐसे गिने-चुने लोगों के हाथों में आ जाती है और छोटे-छोटे लोग दुखी रह जाते हैं। हमने देखा कि इन लोगों ने उद्योग नीति की सराहना की है। हम यह देख रहे हैं कि यदि उद्योग नीति सही होती तो देश का सोना विदेशों में गिरवी न होता और दिन प्रतिदिन हमारे रुपये की कीमत कम नहीं होती। इसका कारण केवल यही है कि हमारी उद्योग नीति सही नहीं है परिणामस्वरूप हमारे देश की आर्थिक स्थिति और खराब होती गयी और उसके अन्दर पुनर्चिन्तन करने की जरूरत है और उसमें कोई नई बात लानी पड़ेगी।

सभापति महोदय, मैं गुजरात से आता हूं। वहां पर भारत सरकार ने पिछले 4-5 सालों से कोई नया उद्योग स्थापित नहीं किया है जिससे कि गुजरात के लोगों को रोजी रोटी मिल सके। कभी-कभी तो उद्योग स्थापित किया जाता है, उसमें करोड़ों रुपये की पूंजी का निवेश होता है लेकिन मजदूरी कितने लोगों को मिलती है ? 50-100 लोगों को मजदूरी मिल सकती है, यदि छोटे उद्योग लाये जायें तो बहुत लोगों को मजदूरी मिल सकती है, इसलिए वहां पर छोटे उद्योग लगाये जाने चाहिए। गुजरात के अन्दर अहमदाबाद और भावनगर के अन्दर सूखा पड़ता है, बरसात वहां ठीक तरह से नहीं होती है परिणामस्वरूप वहां के लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसे स्थानों पर लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये और वहां पूंजी-निवेश करना चाहिये। सूरत के अन्दर अंग्रेजों के समय में लाखों लोग आते थे, करोड़ों रुपये का व्यापार होता था, उसके नाम से लोग दूर-दूर से आते थे लेकिन आज उसकी स्थिति क्या हो गयी है, माना किसी ने बम फैंक दिया हो और सारा शहर नष्ट हो गया हो, ऐसी स्थिति है। इसलिए ऐसे स्थानों का विकास करना चाहिये।

सभापति महोदय, सरकार उद्योगों को लाना तो चाहती है नई उद्योग नीति की बात भी करते हैं लेकिन जहां ठीक रास्ते नहीं हैं, बिजली नहीं, पीने के लिए पानी नहीं और कई सुविधा नहीं है वहां पर आपकी नीति काम आने वाली नहीं है। आपको इन सारी बातों के बारे में सोचना पड़ेगा कि वहां पर रास्ते, पानी, बिजली आदि का प्रयत्न करना होगा। अभी कहा गया कि साईकिल जो गरीब का साधन है, पैंट्रोल के दाम इतने बढ़ गये कि गरीब लोगों के पास साईकिल भी छिन गई क्योंकि जहां 1990 में साईकिल के दाम साढे छः सौ से आठ सौ रुपये थे, अब उसके दाम 12-15 सौ रुपये हो गये। उसके पहले एक्साईज ड्यूटी नहीं थी लेकिन कहा गया कि हमने एक्साईज-ड्यूटी निकल दी, इस तरह आम जनता से गलत बात की गयी और अब ग्राहक और मालिक को पकड़ने की बात हो रही है। आम जनता का जो सहारा है—साइकिल, ऐसी छोटी चीजों पर भी उद्योग नीति के अंदर

उनके दाम निश्चित किये जाने चाहिए जिससे जो लोग इसमें 100 प्रतिशत मुनाफा कमा रहे हैं ऐसी चीज पर जो जनता के काम में आती है, उस पर निश्चित कदम लिया जाए जिससे उससे ज्यादा दाम न लग सकें और व्यापारी ज्यादा मुनाफा न लें सकें। इसके साथ-साथ आम जनता के लिए जो वस्तुएं बाजार में बिकती हैं, उनके भी निश्चित दाम लगाने चाहिए। इंडस्ट्री वालों को तो हम सब्सिडी देते हैं, सहायता देते हैं, लेकिन वह मुनाफा क्या लेते हैं इसकी जांच नहीं करते हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कितना प्रतिशत वह मुनाफा ले रहे हैं। इस पर जांच करके उस पर रोक लगानी चाहिए।

इसी प्रकार ब्लैक एंड व्हाइट टी०वी० की बात थी। ब्लैक एंड व्हाइट टी०वी०, जो गरीबों के मनोरंजन का साधन है, कुछ समाचार भी उस के द्वारा वह जान सकते हैं, उसके भी दाम इतने बढ़ गए हैं कि वह बाजार से खरीदने में एफोर्ड नहीं कर सकता है और यहां हम उसकी सहायता की बात कर रहे हैं। आखिर में मैं मंत्री जी को यही कहना चाहता हूं कि—

"बहुत सुनाई आपने अपनी उद्योग नीति,
कभी नहीं सोची क्या गरीबों पर बीती।

सिर्फ टाटा और बिरला की ही बढ़ी है संपत्ति,
आपने कभी नहीं सोची क्या गरीबों पर बीती।

गरीब और आम जनता की आपने की है बड़ी दुर्गति,
खूब बनाई है आपने अपनी नयी उद्योग नीति।"

इसके साथ ही मैं इस अपेक्षा के साथ कि इस नीति में कुछ सुधार आए, इस का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुनील दत्त (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं इस मंत्रालय की मांगों और अपनी सरकार की औद्योगिक नीति का समर्थन करता हूं।

मैं अपने प्रधान मंत्री जी से ऐसी नीति बनाने और लालफीताशाही को कम करने तथा लघु उद्योगों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा बड़े राष्ट्रीय उद्योगों को अवसर देने के लिए धन्यवाद करता हूं।

लेकिन महोदय, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में मेरे अलग विचार हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश के लिए खतरा भी हो सकती है। मैंने अपनी सरकार को पहले ही चेतावनी दी थी कि वे सुनिश्चित करें कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब हमारे देश में आएं तब ब्रिटेन की ईस्ट इण्डिया कंपनी न बन जाएं तथा हमारे देश पर शासन न करने लगें। लेकिन आज हथियारों की लड़ाई नहीं है बल्कि

आर्थिक लड़ाई है । इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हमारे धन के अलावा देश में कोई रुचि नहीं है । अत: मैं चाहता हूं कि हमारे अपने उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । मुझे अपने देश के लोगों में पूर्ण विश्वास है चाहे वे श्रमिक हैं या फिर उद्योगपति हैं । आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अवसर देने के बजाय इन लोगों को अवसर दें । मुझे विश्वास है कि वे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधारने का प्रयास करेंगे । बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशी मुद्रा एकत्र करने की ओर ध्यान नहीं देगीं । वे केवल लाभ कमाने में ही रुचि लेगीं । अत: मेरा अनुरोध है कि जब भी हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में सोचें तब हमें उनके साथ समझौता करते समय ठोस नियम बनाने चाहिए । ऐसा इसलिए करना चाहिए कि जब वे यहां आ जाएंगे, यहां पर अपना धन निवेश कर देंगे तब उनका पलड़ा भारी हो जाएगा । अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह सावधान रहे । मैं अपने सहयोगी श्री मुकल वासनिक के विचारों से सहमत हूं जब उन्होंने भी यह प्रश्न उठाया था । मुझे प्रसन्नता है कि हमारे दल में अनेक व्यक्तियों के ऐसे ही विचार है ।

महोदय, केवल एक उद्योग है जिसकी पूर्णतः उपेक्षा की गई है और वह है फिल्म उद्योग । इस उद्योग में पूरे भारत में दस लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है, यह सभी राज्य सरकारों को मनोरंजन कर के रूप में 800 करोड़ रु० का राजस्व दिलाता है, यह उद्योग सबसे अधिक 92 फिल्मों का निर्माण करता है, फिर भी हमारी सरकार ने इस नीति में इस उद्योग की पूर्ण उपेक्षा की है ।

मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि फिल्म उद्योग ने युद्ध, सूखा, अकाल, और प्राकृतिक विपत्तियों के समय देश का साथ दिया है ।

हमारे फिल्म उद्योग द्वारा 927 फीचर फिल्मों का निर्माण किया जाता है । पिछले साल इसने अनेक फिल्में बनाई । इसके बावजूद इस उद्योग की उपेक्षा की जा रही है, इस नई नीति ने फिल्म उद्योग को पूर्णत: क्षत-विक्षत कर दिया है ।

1995 में पूरे विश्व में विश्व सिनेमा शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा ।

28 दिसम्बर, 1895 को पेरिस में श्री अगस्त लयूमरे तथा लुईस ने "वर्कर्स लीविंग दि लयूमरे फैक्ट्री" नामक छोटी सी फिल्म का प्रदर्शन किया । इस प्रकार फिल्म उद्योग की शुरूआत हुई और 100 वर्षों में यह पूरे विश्व में इस प्रकार फैल गया है और विश्व की संस्कृति तथा व्यापार में इसने बहुत अधिक योगदान दिया है । मैं नहीं जानता कि क्या 1995 में हमारी सरकार की इस नीति द्वारा हमारा फिल्म उद्योग सिनेमा के शताब्दी समारोहों को किस प्रकार मनाएगा ।

इस माननीय सभा में इस बात का उल्लेख करने में बहुत दु:ख होता है कि जो फिल्म उद्योग अधिकतम संख्या में फिल्में बनाता है, 10 लाख लोगों को रोजगार देता है, भिन्न-भिन्न राज्यों को मनोरंजन करके रूप 800 करोड़ रुपये का राजस्व दिलाता है फिर भी राज्य सरकारें उस पर एक

पैसा भी खर्च नहीं करती है। आमतौर पर जब आप धन कमाते हैं तब आप धन निवेश करते हैं। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां आएगीं तब वह धन पाने के लिए धन निवेश नहीं करेंगी। यह ही एक ऐसा उद्योग है जिसमें सरकार, राज्य सरकारों ने एक पैसा भी नहीं लगाया है बल्कि फिल्म उद्योग ही मनोरंजन कर के रूप 800 करोड़ रुपए का राजस्व उन्हें दिलाता है। यह उद्योग इतना रोजगार देता है, सरकार को राजस्व दिलाता है तब यह उद्योग इतना दुर्भाग्यहीन क्यों है कि सरकार ने इस उद्योग के बारे में कुछ भी सोचा नहीं है। फिल्म की आय का स्रोत क्या है? इसका स्रोत फिल्म उद्योग में काम आने वाला कच्चा माल और नेगिटिव तथा पॉजीटिव हैं स्वतंत्रता के बाद इन 42 वर्षों में, विभिन्न राजनीतिक दलों की अनेक सरकारें आईं और लेकिन उन्होंने कभी भी इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि यह उद्योग इतने लोगों को रोजगार देता है तथा सरकार को राजस्व दिलाता है। यहां इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल कहां से आता है? इसका आयात किया जा रहा है। मैं पिछले एक महीने से माननीय मंत्री जी से बात कर रहा हूं कि वह इस बात को समझें कि यह उद्योग देश को इतना राजस्व दे रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है और सांस्कृतिक सेवाएं भी दे रहा है फिर भी इस उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं है इसका आयात किया जाता है, यह उद्योग बन्द हो सकता है।

30 नवम्बर, 1960 को भारत सरकार ने फ्रांस की मैं० बाउचेट के सहयोग से एक संयंत्र स्थापित किया था। हमने फ्रांस के मैं० बाउचेट का नाम कभी नहीं सुना कि वह फिल्में बनाता है। लेकिन वे फ्रांस के मैं० बाउचेट के साथ फिल्में बनाना चाहते थे हमने रॉ-फिल्म विनिर्माताओं का नाम सुना है, हमने फुजी का नाम सुना है, ओर्वो और कोडक का नाम सुना है, ये सभी कच्चा स्टाक विनिर्माता कंपनियां हैं। लेकिन उन्होंने फ्रांस की एक कपनी से सौदा किया। देश में ऊटी में "हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग" नाम से एक कंपनी बनाई गई। 31 वर्षों में इस कंपनी ने एक फुट की भी पॉजिटिव अथवा नेगेटिव फिल्म नहीं बनाई (**व्यवधान**) मैं बहुत यथार्थवादी हूं। वह मेरे पड़ोसी हैं अत: बिना घंटी बजाए मुझे तीन मिनट का समय दिया है।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : आपको उन्हें यह आश्वासन देना होगा कि आप उन्हें एक फिल्म दिखाएंगे।

सभापति महोदय : बिना घंटी बजे आपको तीन मिनट का समय दिया गया है।

श्री सुनील दत्त : मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि पिछले 30 सालों से चल रही है ने एक फुट भी फिल्म बनाई है; इसने एक फुट भी फिल्म नहीं बनाई है। इस कारखाने को चलाने वालें प्रशासकों तथा अन्य व्यक्तियों पर कितना धन व्यय किया गया है?

उस कारखाने का रखरखाव करने में कितना धन व्यय किया गया है? अभी तक नैगेटिव तथा पॉजीटिव कच्ची सामग्री के आयात के लिए कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गयी है? यदि भारत

में ही कच्ची सामग्री तैयार की जाती तो हमने काफी अधिक विदेशी मुद्रा की बचत कर ली होती।

पिछले इकतीस वर्षों में कम्पनी की अत्याधिक लापरवाही के कारण उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं जा सकी जिसके लिए कम्पनी स्थापित की गई थी, कम्पनी की इसी लापरवाही के कारण फिल्म उद्योग को नुकसान हो रहा है तथा अभी भी यह नुकसान में चल रही है।

इससे पूर्व, 14 जून, 1991 तक 1000 फुट रोल-फिल्म की लागत 2211 रु० पड़ा करती थी परन्तु सरकार की नयी औद्योगिक नीति के पश्चात् वही 1000 फुट रोल-फिल्म की लागत इस समय 3291 रु० पड़ती है इसलिए प्रत्येक 1000 फुट रोल-फिल्म पर 1080 रु० की वृद्धि हुई है।

हम जो भी प्रिन्ट बनाते हैं उसके लिए 1000 फुट वाले 16 रोल-फिल्मों की जरूरत होती है। अतः प्रत्येक प्रिंट फिल्म पर 17,250 रु० अधिक लागत आती है। इससे पहले एक फिल्म की लागत 45,250 रु० हुआ करती थी जिसमें कच्ची सामग्री, डेवलपिंग तथा मुद्रण लागत भी शामिल है। इस समय छपाई लागत 62,450 रु० आती है। हम प्रत्येक फिल्म के लिए प्रायः 100 प्रिंट इस्तेमाल करते हैं। अतएव फिल्म निर्माता को प्रत्येक फिल्म पर 17,25,000 रु० का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा।

अतएव 927 फीचर फिल्मों के लिए सर्वभाषा प्रधान फिल्म के लिए पाजीटिव कच्ची सामग्री की कुल खपत के लिए 1000 फुट के लगभग पांच लाख रोल-फिल्म, तथा प्रत्येक 1000 फुट के रोल-फिल्म पर 1080 रु० की वृद्धि होने से फिल्म उद्योग पर कुल अतिरिक्त भार 54 करोड़ रु० का पड़ेगा। यह 96 प्रतिशत वृद्धि है।

अब मैं नेगेटिव फिल्मों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। (व्यवधान)

मैं अपने मित्रों के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि यह अत्यन्त विचित्र बात है कि एक कम्पनी से हमें पाजीटिव कच्चा माल मिलता है तथा दूसरी कम्पनी से नेगेटिव कच्चा माल मिलता है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से हम नेगेटिव फिल्मों की कच्ची सामग्री लेते हैं तथा हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस से हम पाजीटिव फिल्मों की कच्ची सामग्री प्राप्त करते हैं।

927 फिल्मों के लिए प्रति वर्ष औसतन 1,000 फुट के 45,000 रोल-फिल्मों की नेगेटिव फिल्म में कुल खपत होती है। प्रति 1,000 फुट तक नेगेटिव की लागत पहले 8,000 रु० हुआ करती थी तथा इस समय कुल लागत 36 करोड़ रु० पड़ती है। इस नयी औद्योगिक नीति के बाद से प्रति 1000 फुट रोल फिल्म की नेगेटिव लागत 12,000 रु० है तथा कुल 54 करोड़ रु० का भार पड़ेगा तथा 18 करोड़ रु० की वृद्धि हुई है तथा इस प्रकार से 72 करोड़ रु० का अतिरिक्त भार पड़ता है। हमें इस नीति ने यही दिया है। तथा मैं इस सरकार का अत्यन्त आभारी हूं कि जिस उद्योग ने इतना अधिक योगदान किया है उस पर इस सरकार द्वारा 72 करोड़ रु० का अतिरिक्त भार डाल दिया गया है।

वर्ष 1990-91 में नेगेटिव फिल्म का आयात करने के लिए 15 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा का आबंटन किया गया था।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सुनील दत्त जी, आप अपनी डिमांड बताइए।

श्री सुनील दत्त : डिमाण्ड भी बताऊंगा सर, फिल्म इंडस्ट्री की क्या हालत है, यह इस हाऊस को और मंत्री जी को पता तो लगना चाहिए। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

रुपये के अवमूल्यन से पहले वर्ष 1991-92 के लिए नेगेटिन कच्ची सामग्री के लिए लगभग 20 करोड़ रु० का आबंटन किया गया था तथा अब उन्होंने इसे दस करोड़ रु० कर दिया है तथा पुनः रुपये का 22 प्रतिशत अवमूल्यन होने के पश्चात यह घटकर आठ करोड़ रु० रह गया है।

आप समझ सकते हैं कि उस धनराशि से कितनी नेगेटिव कच्ची सामग्री खरीदी जा सकती है तथा कितनी फिल्में बनाई जा सकती हैं ? 66 प्रतिशत आबटन कम हो गया है।

आबटन राशि 66 प्रतिशत घटाने के साथ ही फिल्मों में 66 प्रतिशत कमी आयेगी तथा फिल्मों में 66 प्रतिशत रोजगार कम हो जायेगा। इसका अभिप्राय यह है कि छः लाख से भी अधिक व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे तथा राज्य सरकार को 800 करोड़ रु० के 66 प्रतिशत से कम नहीं मिलेगा। तथा फिल्म उद्योग को यही सबसे बड़ा नुकसान है।

महोदय, फिल्म रिलीज होने से पूर्व ही बाजार में फिल्म कैसेट की उपलब्धता तथा केवल टी०वी० फिल्म उद्योग का विनाश कर रहे हैं। इस देश में कोई ऐसे कठोर कानून नहीं हैं जिनसे कि फिल्म रिलीज होने से पूर्व फिल्म कैसेट के उपलब्ध होने तथा केवल टी०वी० पर नियंत्रण किया जा सकता हो। दूसरे देशों में यदि कोई व्यक्ति फिल्म रिलीज होने से पूर्व ही उस फिल्म के कैसेट का उपयोग तथा केबल टी०वी० का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति को उस फिल्म की उत्पादन लागत देनी पड़ती है। परन्तु हमारे देश में ऐसा कभी भी नहीं किया गया है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय फिल्मों का योगदान काफी अधिक रहा है। श्री सत्यजीत रे, श्री मृणाल सेन, श्री त्विक घटक, श्री महबूब खान, श्री राजकपूर, श्री गुरू दत्त, श्री एस० एस० वासन जैसी फिल्मी हस्तियों ने ही भारतीय सिनेमा को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया था। यदि आप रूस, पूर्वी यूरोपीय देश, वेस्ट इन्डीज, अफ्रीका तथा अन्य कहीं पर भी जायेंगे तो आप वहां पर भारतीय फिल्मों के माध्यम से भारत के बारे में जान लेंगे तथा पायेंगे कि वहां पर लोगों को भारतीय गीत गाते हुए पायेंगे।

जहां तक हिन्दी भाषा का प्रचार तथा उसका प्रयोग बढ़ाने का सम्बन्ध है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकारी कार्यक्रम उतने सफल नहीं हैं जितना हमारी भारतीय सिनेमा आप मिजोरम, नागालैंड, उत्तरी पूर्व राज्य अथवा दक्षिण भारत में जायें तो आप देखेंगे कि लोग वहां पर भारतीय गीत गा रहे हैं। एक प्रकार से देशभर में हिन्दी का विकास करने में भारतीय फिल्मों का बड़ा भारी योगदान रहा है।

महोदय, राष्ट्रीय अखंडता के सम्बन्ध में भारतीय फिल्मों ने काफी कार्य किया है। इसके अलावा वे और क्या योगदान दे सकते हैं? तथा सरकार सिनेमा की उपेक्षा क्यों कर रही है?

महोदय, अब मैं अनिवासी भारतीय जो यहां पर अपना पैसा लगाते हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। यदि आप किसी भी देश में चले जायें तथा किसी विदेशी की कार में बैठें तो आपको केवल भारतीय संगीत ही सुनने को मिलेगा। यह भारतीय संगीत, भारतीय फिल्में ही हैं जो उनके ध्यान में उनके देश, उनके घर की यादें ताजा करती हैं तथा वे अपने माता-पिता तथा परिवारों को पैसा भेजते हैं। इसीलिए हम इतनी अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहे हैं। इस पर भी सरकार कहती कि आप पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन नहीं कर रहे हैं। हम फिल्मों के माध्यम से तथा कई अनेक सूत्रों से विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। हम कई भारतीयों को अपना पैसा भारत में निवेश करने को तत्पर करते हैं। हम उन्हें यहां पर उनके परिवारों को पैसा भेजने के लिए प्रेरित करते हैं। तथा यही एक काफी महत्वपूर्ण योगदान है जो भारतीय सिनेमा कर रहा है।

महोदय, अन्त में मैं इस सभा के सदस्यों से कहना चाहूंगा कि जब कभी भी चुनाव होते हैं तब फिल्मों से जुड़ी हस्तियों को याद किया जाता है। जब चुनाव होते हैं, तब हर कोई फिल्मी हस्ती को ही चुनाव में खड़ा करवाना चाहता है। हमने पहले ही यह देख लिया है। अतएव इस सम्माननीय सदन के सदस्य चाहें वे किसी भी दल से सम्बन्धित हों, उनसे मेरा अनुरोध यह है कि जिस प्रकार से उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता के मामले में हम सब ने एक साथ अपनी आवाज बुलन्द की थी, उसी प्रकार फिल्म उद्योग के मामले में भी हम सभी को एक साथ संघर्ष करना चाहिए क्योंकि फिल्म उद्योग तथा कलाकार सभी से सम्बन्धित हैं। यदि वे भा०ज०पा० को पसन्द करते हैं, वे भाजपा के लिए काम करें यदि वे जनता दल को पसन्द करते हैं, वे जनता दल के लिए काम करें, यदि वे कम्युनिस्ट पार्टी को पसन्द करते हैं तो वे उसके लिए कार्य कर सकते हैं तथा यदि वे कांग्रेस दल को पसन्द करते हैं तो वे कांग्रेस दल के लिए काम करें। अतः इस सभा के सदस्यों का यह कर्त्तव्य है कि वे मेरा साथ दें तथा उद्योग के लिए मेरे साथ संघर्ष करें।

डा० जयन्त रंगपी (स्वशासी जिला) : महोदय, मैं सरकार की औद्योगिक नीति से पूरी तरह असहमत हूं। अतः उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगें जो यह सरकार लाने का प्रयत्न कर रही है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं :

महोदय, नयी औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य के बिल्कुल विपरीत है तथा हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो घोषणा की गई उसके भी बिल्कुल विपरीत है। मैं पुनः कहता हूं कि यह हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत है। मैं सोवियत संघ में हुए परिवर्तनों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। किन्तु, सत्ता पक्ष के एक सदस्य, श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक ने सोवियत संघ में हुए परिवर्तनों का उल्लेख किया है। उन्होंने ग्लास्नोस्त तथा पिरिस्त्रोयका की तुलना भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति के साथ की है। यह कहना बहुत बेतुका होगा कि सोवियत संघ में हुए परिवर्तनों की तुलना भारत सरकार के उद्योग विभाग की उदारवादी नीति से की जाए। हमें पता होना चाहिए कि सोवियत संघ में एक सुस्पष्ट तथा सुदृढ़ समाजवादी व्यवस्था है। वहां की कम्यूनिस्ट पार्टी की जड़ें सोवियत संघ के प्रत्येक गांव तक फैली हुई हैं। सोवियत संघ में एक सुदृढ़ समाजवादी अर्थव्यवस्था है। उनकी अर्थव्यवस्था उनकी पूंजी, उनके उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियन्त्रण है। किन्तु, हम उन अर्द्ध-सामन्तवादी तथा अर्द्ध उपनिवेशवादी देशों में से एक हैं जो विश्व में अशिक्षा तथा बेरोजगारी में सबसे आगे है। हमारे 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। हमारे सामने आवास समस्या है। लोग अभी भी झुग्गी-झोंपड़ियों में रह रहे हैं और हम उन्हें यथोचित आवास उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इस सन्दर्भ में, मेरे विचार में यदि हम सोवियत संघ में हुए परिवर्तनों की तुलना भारत सरकार की वर्तमान उदारवादी नीति से करें तो यह बिल्कुल गलत बात होगी।

महोदय, सरकार ने इस बात का समर्थन किया है कि विदेशी पूंजी को आमन्त्रित किया जाए, इससे रोजगार बढ़ेगा, नई टेक्नोलोजी आएगी तथा हमारी अर्थव्यवस्था विकसित होगी। इस सम्बन्ध में, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान असम के चाय उद्योग की ओर दिलाना चाहता हूं। असम में चाय उद्योग पर 97 प्रतिशत निजी नियन्त्रण है। पिछले दशक में चाय बगानों का 10 हजार हेक्टेयर तक विस्तार किया गया है। किन्तु यदि हम रोजगार की ओर ध्यान दें तो पाएंगे कि चाय बागानों क्षेत्र में अनेक हेक्टेयर की वृद्धि होने के बावजूद चाय बागानों में रोजगार कम हुआ है। क्यों? ऐसा इस लिए है कि निजी सस्थान मजदूरों की छंटनी कर रहे हैं। अतः, रोजगार की कमी है।

महोदय, मैं टेक्नोलोजी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमें एक अच्छी तथा आधुनिक टेक्नोलोजी की आवश्यकता है। किन्तु इस में हमें सोच समझ कर चयन करना चाहिए तथा कुछ प्रतिबन्ध भी होने चाहिए। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि इस प्रकार की एक नई टेक्नोलोजी से हम एक विशेष प्रकार के बर्तन तथा फ्राईंग पैन का उत्पादन कर सकते हैं। जिससे अण्डे और सब्जियाँ तलाई के समय चिपकेंगी नहीं। हमारे लोगों को खाने को पर्याप्त खाना नहीं मिलता तथा भुखमरी से काफी मृत्यु होने की सूचना है, मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की टेक्नोलोजी को प्राथमिकता क्यों दी जाए? मेरे विचार में सरकार ने यह बहुत ही गलत कदम उठाया है।

एक और खतरनाक बात है कि स्थान सम्बन्धी प्रतिबन्ध को हटा दिया गया है। इसका क्या परिणाम होगा? कई माननीय सदस्यों ने पहले ही इसका उल्लेख किया है। हमने भोपाल गैस त्रासदी देखी है। यूनियन कारबाईड उद्योग, भोपाल में स्थापित था। पश्चिमी देशों तथा अन्य समाजवादी

देशों में इस प्रकार के हानिकारक उद्योगों की आबादी वाले क्षेत्र में अथवा आसपास स्थापित करने की कभी भी अनुमति नहीं दी जाती।

थोड़ी बहुत स्थान सम्बन्धी कुछ प्रतिबन्धों के बावजूद भोपाल गैस त्रासदी जैसी दुर्घटना हुई है। स्थान सम्बन्धी प्रतिबन्ध को पूर्ण रूप से हटा दिए जाने पर, इसका विपरीत परिणाम होगा।

51 प्रतिशत तक विदेशी पूंजी की अनुमति दी गई है। इसके क्या परिणाम होंगे? इससे हमारे उद्योग का पूर्ण स्वामित्व विदेशी हाथों में चला जायेगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से, सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारी स्वतन्त्र घरेलू नीति तथा बाह्य और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे स्वतन्त्र हक के दावे के लिए एक आत्म निर्भर अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है।

हमारे घरेलू मामलों में हमारी कई गलत नीतियों, हमारी निर्धनता के बावजूद, हमारे देश में बहुत-सी समस्याएं होने के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का अभी भी सम्मान है क्योंकि हम साम्राज्यवादी-विरोधी अभियान पर विशेष बल देकर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दृढ़ रह सके हैं। किन्तु विदेशी पूंजी अवश्य ही हमारे देश में अपनी मनमानी करेगी जैसाकि हमने उन देशों में देखा है जहां पर बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियों, बहुर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने प्रवेश किया है। अनेक लेटिन अमरीकी देशों में ऐसा ही हुआ है। श्री लंका और पाकिस्तान में भी यही हुआ है। वे मनमानी करेंगे कि हमे किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ में व्यवहार करना है, और किस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय बहस में भाग लेना है। अतः, मैं सरकार को सचेत करता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का जो भी सम्मान है, वह इस औद्योगिक नीति से समाप्त हो जायेगा।

मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस नई औद्योगिक नीति से, क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ जायेगा। अब, पूर्वोत्तर क्षेत्र में हालांकि पर्याप्त कच्चा माल है, अत्यधिक क्षमता है, मूलभूत सुविधायों की कमी के कारण उद्योगों के विकास की गति बहुत धीमी है और इससे सामाजिक तनाव में वृद्धि हुई है तथा उत्तर-पश्चिम में कई भूमिगत सशस्त्र विद्रोही हुए हैं।

चूंकि मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र से सम्बन्ध रखता हूं मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि इस नई औद्योगिक नीति के कारण, स्थान सम्बन्धी प्रतिबन्ध के हटने के पश्चात्, यह उद्योग केवल उन क्षेत्रों पर ध्यान देगा जहां पर मूलभूत सुविधाएं हैं और उत्तर-पूर्व क्षेत्र उपेक्षित हो जायेगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही उपेक्षित है।

महोदय, अब तक छह वर्ष बीत चुके हैं जब केन्द्रीय सरकार ने असम समझौते के रूप में यह बात मानी थी कि असम में चौथा तेल-शोधक कारखाना खोलेंगे, एक कागज मिल लगाई जायेगी तथा एक गैस क्रेकट कारखाना खोला जायेगा। छह वर्ष बीत चुके है किन्तु अभी तक इनकी स्थापना नहीं की गई है। मुझे शंका है कि यह औद्योगिक नीति स्थिति को और खराब कर सकती है।

मैं माननीत राज्य उद्योग मंत्री जो कि पूर्वोत्तर से ही सम्बन्ध रखते हैं, का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मुझे हैरानी है कि इस सदन के माननीय सदस्य इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनके चुनाव क्षेत्र अथवा क्षेत्रों में उद्योग होने चाहिए, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह बात बेतुकी लग सकती है किन्तु यह सत्य है कि यदि मैं अपने चुनाव क्षेत्र में किसी एक उद्योग की स्थापना की वकालत करूं तो हो सकता है कि अगली बार मैं शायद उस चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित न हो सकूं क्योंकि लोग उद्योग स्थापना से भयभीत होते हैं क्योंकि जब किसी उद्योग की स्थापना होती है, तो आदिवासी लोगों से उनकी भूमि छीन ली जाती है और उस उद्योग में उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, उन्हें नौकरी के कोई अवसर भी नहीं मिलता। उनका काम है कि उद्योग से वातावरण में प्रदूषण फैल जायेगा। वे 'झूम' खेती नहीं कर पायेंगे। वे सब्जियां नहीं उगा पाएंगे। मैं असम के कार्बी एंग्लौंग तथा एन०जी० पर्वतीय जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां पर आदिवासियों की सबसे अधिक जनसंख्या है।

बोकाजन में एक बड़ी सीमेंट फैक्टरी है। वायु प्रदूषण के कारण, 10 वर्ग क्षेत्रफल में 45 गांव सब्जियां नहीं उगा सकते क्योंकि यहां पर सीमेंट की बहुत धूल होती है। अतः इस औद्योगिक नीति का दृढ़ता से विरोध करने के साथ ही साथ मैं यह कहता हूं कि यदि इस नीति का प्रयोग जारी रहता है तो चाहे निजी क्षेत्र के एकाधिकार से अथवा अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के शामिल रहने से. यदि काम करने के लिए अच्छा वातावरण नहीं है, और हानिकारक वातावरण है तो इस प्रकार के उद्योग मेरे चुनाव क्षेत्र में न लगाए जायें।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री के० राममूर्ती टिंडिवनाम (टिंडिवनाम) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिये जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सरकार की औद्योगिक नीति तथा उद्योग मन्त्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। जहां तक नीति का प्रश्न है, औद्योगिक विकास उस सम्भावित परिवर्तन पर निर्भर करता है जो सम्बद्ध क्षेत्र में तथा उस क्षेत्र में आने वाला है जहां उद्योग की स्थापना की जायेगी। इसमें विस्तृत योजना तथा उद्योगों के विकेन्द्रीकरण को आवश्यकता होती है। जब उद्योगों की स्थापना की जानी हो तो ग्रामीण विकास को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब भी किसी औद्योगिक विकास का प्रस्ताव हो तो रोजगार उत्पन्न करने के बारे में अवश्य सोचा जाना चाहिए। यही वास्तविक विकास होगा। मैंने देखा है कि अनेक स्थानों पर जहां कुछ उद्योग जिनके कारण उस क्षेत्र का औद्योगिक विकास हुआ है, लेकिन वे पर्याप्त रोजगार नहीं जुटा पाते और न ही रोजगार के पर्याप्त अवसर ही पैदा करते हैं। मेरे क्षेत्र में ग्रेनाईट उद्योग है। हालांकि इसमें बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता है, उस उद्योग से बहुत कम रोजगार मिलता है। इसका कुल परिणाम यह रहा है कि औद्योगिक विकास के नक्शे में, उस क्षेत्र को औद्योगिक रूप से विकसित दिखाया जाता है जबकि उद्योग में भारी निवेश के बावजूद उस क्षेत्र की निर्धनता, और उस क्षेत्र की बेरोजगारी प्रतिदिन बढ़ रही है। इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए कि ऐसे उद्योगों की स्थापना की जाये जिनसे रोजगार के अवसर पैदा हों।

कुछ वर्षों पहले एक नीति अपनाई गई थी। मैं नहीं जानता आज किस सीमा तक इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। उसके अनुसार, औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान की गई थी। नए उद्योग की स्थापना के समय ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसे नए उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए जिससे औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को एक नया बल मिलेगा। किन्तु अब उस नीति को भुला दिया गया है। अब सही समय है जब हम उसी नीति के अनुसरण करें और पिछड़े जिलों की, पूर्ण जिले की न सही, कम से कम पिछड़े क्षेत्र की पहचान करें—और नए उद्योगों की स्थापना करें।

जहां तक लघु उद्योगों का सम्बन्ध है, मैं यह सरकार के ध्यान में अवश्य लाना चाहूंगा कि केवल लघु उद्योगों में ही अधिकतम भ्रष्टाचार होता है। जब किसी लघु उद्योग के लिए मंजूरी दी जाती है और वह व्यक्ति उस उद्योग विशेष के लिए, जिसे स्वीकृति मिल चुकी है, ऋण चाहता है तब तो, उस राज सहायता को वापस लेकर उसके स्थान पर उसे कोई और धनराशि दे दी जाती है। उस राज-सहायता को वित्तीय संस्था का व्यक्ति अथवा वह व्यक्ति हथिया लेता है जो उसकी पहचान करता है अथवा सरकार के माध्यम से उसकी मदद करता है।

भ्रष्टाचार प्रत्येक चरण में पाई जाती है। यदि ऋण के रूप में 25,000 रुपये दिये जाते हैं तो कम से कम 20,000 रुपये भ्रष्टाचार अथवा दलाली के रूप में विभिन्न चरणों में हथिया लिये जाते हैं। और अन्त में जिस व्यक्ति की उद्योग की स्वीकृति मिलती है। वह उस धनराशि को डकार जाता है और किसी उद्योग की स्थापना नहीं होती। दो और तीन वर्षों के पश्चात्, सरकार अथवा सम्बद्ध विभाग, अथवा बैंक अथवा वित्तीय संस्थान आसानी से उस ऋण की धनराशि को माफ कर देते हैं और वास्तविक रूप में उस क्षेत्र में किसी उद्योग की स्थापना नहीं होती। आरम्भिक चरणों में लघु-उद्योग इस प्रकार कार्य करते हैं।

कोई निगरानी एजेंसी भी नहीं है। जिलों में निगरानी एजेंसी अथवा मददगार एजेंसी आवश्यक तौर पर ब्लाक कार्यालय के छोटे अफसर अथवा वित्तीय संस्थाओं के छोटे अफसर होते हैं, जो ऋण दिलाने से सम्बन्धित होते हैं। ये दो लोग उन व्यक्तियों का पता लगाते हैं जो उद्योग को

5.00 म० प०

बढ़ावा देने के इच्छुक नहीं है। दूसरी ओर, वे उन लोगों का भी पता लगाते पहचानते हैं जो वित्तीय संस्थाओं के निचले स्तरों पर उनका पोषण करते है। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है कि स्वीकृत लघु उद्योग कहां तक अपना अस्तित्व बना पाए हैं तथा कितने चल रहे हैं। यह ग्रामीण औद्योगिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है।

जहां तक लघु-उद्योगों का सम्बन्ध है, कुछ विशेष उत्पादों को लघु उद्योगों के लिए निश्चित करना होगा। हथकरघा क्षेत्र में, धोती को केवल हथकरघा उद्योग के लिए अभिनिर्धारित कर दिया गया है। इसी प्रकार, प्लास्टिक उद्योग, मोटर उद्योग और अन्य उद्योगों के अतिरिक्त पुर्जों को

कुछ लघु उद्योगों के लिए अलग निश्चित कर दिया जाना चाहिए। एक समय ऐसा किया गया था परन्तु अन्त में ऐसा हुआ कि वे एकाधिकार प्राप्त कम्पनियों के एकक बनकर ही रह गए। आरम्भ में, अतिरिक्त पुर्जों का उत्पादन करने वाले एकक, लघु उद्योग के रूप में शुरू हुए थे और अन्त में, आज वे एकाधिकार प्राप्त उद्योगपतियों, बड़े उद्योगपतियों के हाथ में है। अतः सरकार को लघु-उद्योगों तथा मध्यम उद्योगों के विकास के लिए छोटे उद्यमियों को मदद के लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहिए।

जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के एककों का सम्बन्ध है ।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री के० राममूर्ती टिंडिवनाम : महोदय, मैं कुछ और समय चाहता हूं।

सभापति महोदय : वक्ताओं की एक बहुत लम्बी सूची है। अतः, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री के० राममूर्ती टिंडिवनाम : महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र एककों के सम्बन्ध में अपने क्षेत्र नैवेली में मेरा अनुभव है। यदि किसी भी सरकारी क्षेत्र में कहीं भ्रष्टाचार फैला है तो सार्वजनिक क्षेत्र एककों में यह सबसे अधिक है। और जो पार्वजनिक क्षेत्र एकक किसी क्षेत्र विशेष में चल रहे हैं वे इर्ष्यावश यह कोशिश करते हैं कि उस क्षेत्र अथवा आसपास के किसी अन्य क्षेत्र में कोई सहायक उद्योग न आरम्भ हो सके। मैंने पाया है कि नैवेली लिग्नाईट कारपोरेशन के इतने वर्षों से चलते रहने के बावजूद, नैवेली परियोजना के आसपास का सम्पूर्ण क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है। यदि नैवेली लिग्नाईट कारपोरेशन को कुछ छपवाना होता है तो वे मद्रास जाकर एक विशेष छापाखानों में उसे छपवा लेते हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र एकक की हर आवश्यकता पर उन्हें सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके, दूरदराज स्थानों पर जाकर वह काम करवाने के लिए कहते हैं जो उन्हें रिश्वत दे सके अथवा उन लोगों को कहते हैं जिनमें वे रुचि रखते हों। यदि सार्वजनिक क्षेत्र एकक इस प्रकार काम करते हैं तो अवश्य ही आसपास के क्षेत्र में कोई विकास दृष्टिगोचर नहीं होगा और जिन प्रयोजनों के लिए उनकी स्थापना की गई थी वे सब निष्फल हो जायेंगे इन बहुत बड़े एककों द्वारा न केवल आर्थिक विकास अपितु औद्योगिक विकास का प्रयोजन ही निष्फल हो जाएगा। अतः, सरकार को इन सब से बचने के लिए कुछ करना चाहिए तथा सार्वजनिक क्षेत्र के एककों की कार्य प्रणाली तथा प्रबन्ध के पुनरावलोकन की आवश्यकता है।

जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, हमारे उद्योग विद्युत के प्रयोग के मामले में कुछ भिन्न हैं। हमारे पास पनबिजली एकक नहीं हैं। हमारे पास केवल ताप विद्युत एकक हैं। इसके लिए कोयला सबसे बडी आवश्यकता है। हमारी सबसे बड़ी ताप विद्युत इकाई मेट्टूर है जिसे ऊंचे किस्म के कोयले की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति देश में केवल सिंगरेनी से ही होती है किसी

अन्य स्थान से नहीं। हमें यह नियमित रूप से नहीं मिलता और इसका परिणाम यह है, कि हमारे थर्मल पावर एककों में महीने में कुछ दिन और एक वर्ष में कई दिनों तक काम रुक जाता है। इस समस्या का निदान करना है तो केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु सरकार को 3 लाख टन बफर कोयला स्टाक के आयात की अनुमति दे और इसके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। इस बारे में तमिलनाडु सरकार ने पुरजोर सिफारिश की है। मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और जितनी जल्दी सम्भव हो सके, इसे स्वीकृति दें।

तमिलनाडु में, हम रेलवे के माध्यम से अपने उद्योगों का विकास नहीं कर सकते क्योंकि हमारी रेल लाइनें अधिकतर छोटी हैं। अतः, हमें सडक परिवहन से काफी हद तक मदद मिलती है। इस सम्बन्ध में, ईस्ट कोस्ट रोड के कार्य को तुरन्त शुरू किया जाना चाहिए। और जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

कुछ ऐसे लोग हैं जो अन्य व्यक्तियों को चीनी उद्योग शुरू करने के लिए लाइसेंस नहीं लेने देते, किन्तु वे स्वयं तीन या चार वर्षों के बाद भी यह उद्योग स्थापित करने में कोई रूचि नहीं दिखाते। सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे तथा उनके लाइसें रद्द करे। कुछ ऐसे उद्योगपति भी हैं जो सरलता से लाईसेंस ले लेते हैं और फिर वित्तीय संस्थाओं से कई करोड़ रुपयों का ऋण लेकर कुछ समय पश्चात् कहते हैं कि परियोजना रूग्ण हो गई है। वे इस प्रकार धन का अपव्यय करते हैं और इस प्रकार लुटाए गए धन का हिसाब रखा जाना चाहिए। जो व्यक्ति लाई-सेंस लेता है और वित्तीय सहायता लेता है वह आराम की जिन्दगी जीता है और वित्तीय सस्थाओं से ऋण रूप में लिए गए धन का अपव्यय करता है। पूंजीपतियों में यह एक आम बात हो गई है। एक ओर, लघु-उद्योग कठिनाई में हैं तो दूसरी ओर उद्योगपति वित्तीय संस्थाओं, सरकारी अधि-कारियों आदि के साथ मिलकर कई करोड़ रुपयों की धनराशि का अपव्यय कर रहे हैं। यह समाप्त किया जाना चाहिए।

तमिलनाडु में, एन्नौर में एक उपग्रह बन्दरगाह की आवश्यकता है जहां 8 मिलियन टन कोयले का लदान/उतराई की जा सके यह बहुत बड़ स्तर पर आरम्भ किया जा रहा है। सरकार इस पर अवश्य विचार करे और इसे स्वीकृति दे। तमिलनाडु बिजली बोर्ड, कावेरी आफशोर गैस युटीलाईजेशन परियोजना की स्थापना कर रही है जो 100 मे० वा० विद्युत का उत्पादन कर सकता है किन्तु केन्द्रीय सरकार ने इसकी प्रगति की गति धीमी कर दी है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार तमिलनाडु में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग पर निवेश और बढ़ा दे ताकि इस परियोजना को जल्द स्थापित किया जा सके।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस लिमिटेड ने अटाकामुण्ड में सिने-कलर पोजिटिव फिल्म उत्पादन का एक प्रस्ताव रखा है। इसे अभी तक विभिन्न राजनैतिक और अन्य बातों के कारण आरम्भ नहीं किया जा सका है। कुछ ऐसी भी आशंका है कि इसे तमिलनाडु में स्थापित करके किसी अन्य स्थान पर लगाया जाएगा। तमिलनाडु में अटाकामण्डलम् में इस एकक के लगाए जाने की बहुत

आवश्यकता है। उद्योग निगम द्वारा तमिलनाडु में अटाकामण्डलम की इस एकक की स्थापना की मांग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

तमिलनाडु में हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। विद्युत करघा उद्योग के सामने कई समस्याएं हैं। विद्युत करघा उद्योग की समस्याओं पर केन्द्र सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए क्योंकि तमिलनाडु में राज्य सरकार पूर्ण रूप से हथकरघा उद्योग को बढ़ावा दे रही है और वहां विद्युत करघा उद्योग उपेक्षित है। महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों की तुलना में, तमिलनाडु में विद्युत करघा उद्योग बहुत मुश्किल में है सरकार को तमिलनाडु में विद्युत करघा उद्योग की रक्षा और मदद के लिए अवश्य आगे आना चाहिए।

तमिलनाडु के विकास के लिए ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिन पर सरकार को इस निवेदन के साथ विचार करना चाहिए।

मैं उद्योग मन्त्रालय के लिए अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : देखिए, बोलने वाले बहुत हैं और समय बहुत कम है। अब हर एक माननीय सदस्य को अपनी बात पांच मिनट में कहनी चाहिए।

17.10 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री राम निहोर राय (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों के संबंध में बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। भारत कृषि प्रधान देश है। यहां पर 85 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। कृषि से संबंधित, कृषि पर आधारित यहां के मजदूर और किसान हैं। उद्योग नीति जो सरकार ने पेश की है उसका मैं विरोध करते हुए यह बता देना चाहता हूं कि इन्होंने कहीं भी किसानों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखायी। क्योंकि मैंने देखा कि किसानों को जो सबसिडी खाद पर दी जा रही थी उसको भी छीन कर किसानों के ऊपर अत्याचार किया है।

चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश का विकास, भारत का विकास खेतों और खलिहानों से होगा न कि इन बड़े-बड़े शहरों की चकाचौंध और कारखानों से। माननीय चरण सिंह जी ने कृषि पर आधारित उद्योग पर ज्यादा बल दिया।

इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूं, जहां से मैं चुन कर आया हूं। मिर्जापुर सोनभद्र में कुल 5 थर्मल पावर और 6 कोयले की खदानें हैं। हमारे सीनों को चीर कर, जो

पिछड़े हुए इलाके हैं, वहां के आदिवासी और हरिजनों को उजाड़ कर वहां बड़े-बड़े थर्मल अनपरा, ओबीजपुर, शक्तिनगर आदि बनाए गए। इसी तरह से कई थर्मल पावर परियोजना विचाराधीन हैं। विद्युत थर्मल पावर (हिन्द बांध) भी 1954-55 में तैयार हुआ था। मिर्जापुर सोनभद्र में हिंडालको का कारखाना है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो बड़ी-बडी एल्मीनियम की फैक्टरियां हैं, वहां से बड़ी मात्रा में एल्मीनियम बाहर भेजा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस एल्मीनियम को रोका जाए और वहां पर छोटे-छोटे कुटीर उद्योग लगाए जाएं जिससे कि वहां के आदिवासी, हरिजन गिरिजन और पिछड़े हुए लोग वहां पर काम पा सकें। मैं यह कहना चाहूंगा कि कनोडिया और हिन्डाल्को से हाईटेक कार्बन भयंकर धुंआ निकलता है जिसकी वजह से उनको परेशान किया जा रहा है। हरिजन-आदिवासियों और जंगलों को नष्ट किया जा रहा है जिससे भयंकर बीमारियां हो रही हैं, वहां जो हरिजन-आदिवासी बेकार हैं, उनको काम नहीं मिला है। 1954-55 में अनपरा थर्मल पावर से बीस किलोमीटर के एरिया से गरीब और सभी हरिजन-आदिवासियों को उजाड़ा गया। उसके बाद कहीं किसी को नहीं बसाया गया। वहां से उजड़ने के बाद वहां पर शक्तिनगर थर्मल पावर लगा और उसके बराबर में अनपरा "ए" और "बी-बीन" लगा। उसके बाद ककरी, बीना, खड़िया और दुधी चुआ में कोयले की खाने हैं। वहां के लोगों की हालत अति दयनीय है, इनका विकास कराया जाये। इन तमाम कारखानों में हमारे पास बिजली, कोयला और अपार पत्थर का भंडार है। वह बहुत कीमती पत्थर है। अगर छोटे-छोटे उद्योग लगाकर उनको हमारे दूसरे क्षेत्र में भेजा जाए तो वहां के आदिवासी और पिछड़े लोगों को रोजगार मिल सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पन्द्रह साल पहले मिर्जापुर डिस्ट्रीक्ट में एक खाद का कारखाना मंजूर हुआ था। लेकिन उस समय के मुख्य मन्त्री उसको फूलपुर में उठाकर ले गए। हमारे क्षेत्र में डाला, चर्क और चुनार सीमेंट के कारखाने हैं। लेकिन इस साढ़े सात सौ करोड़ की प्रापर्टी को केवल 26 करोड़ में बेचा गया। हमारे सोने को विदेशों में बेचा जा रहा है, उसको रोका जा सकता है। लेकिन इन तीनों कारखानों के बारे में मैंने प्रश्न उठाया। इनकी जांच के लिए माननीय मंत्री जी के पास भेज चुका हूं। दस-बीस घरानों मे दस हजार करोड़ का एस्टीमेट बताया है। इस तरह से अगर जोड़ लिया जाए तो जितने उद्योग फैक्ट्री मालिक हैं उनसे बकाया ले लिया जाए। दूसरे देशों के सामने जो हिन्दुस्तान का सिर झुकता है तो आप सीना तानकर कैसे चलेंगे। एक जमाना था जब हिन्दुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता। लेकिन आज भी सोने की चिड़िया है। हमारे जो मंत्री बनते हैं, वे चाहे इस पक्ष या उस पक्ष के हों, वे साल भर में ईमानदार और चरित्रवान हो जाएं तो हिन्दुस्तान का जो सोना गिरवी रखा गया है, वह नहीं जा सकता। टाटा, बिरला और सिंघानिया से चंदा लेकर लोग राजनीति कर रहे हैं। इससे हमारा देश बिकता जा रहा है। हमारे क्षेत्र में कालीन का कारोबार है, उसको छोटी इकाई में लगाया जाए। करोड़ों रुपया विदेशों से विदेशी मुद्रा में आता है तो आज उसकी हालत दयनीय है। मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही और बनारस दुनिया का सबसे बड़ा कालीन का मार्किट है। आज उनकी हालत खराब है। आज उनको सूत बड़े-बड़े मिल-मालिकों से लेना पड़ता है। मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही क्षेत्र में सूत कारखाना छोटी इकाई में ले जाने की व्यवस्था होनी चाहिए चूंकि आज हालत खराब है और जो विदेशी लोन लेते हैं, यदि इस रास्ते पर-

चलें तो वह रुक जायेगा। मैं यह चाहूंगा कि इस लघु योजना को इनको भी जोड़ना चाहिए और वहां के जो मजदूर गलीचे बनाने का काम करते हैं जो छोटे-छोटे बुनकर हैं उनके लिए भी नई उद्योग नीति में कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। बड़ी-बड़ी फैक्टरीज में जो लोग काम करते हैं उनके लिए तो अस्पताल है तथा दूसरी अन्य सुविधायें हैं। परन्तु जो देहात मे गांव में हाथ से गलीचे बुनने का काम करते हैं, जाड़ों में, गर्मी में, बरसात में जो लोग गलीचे बुनते हैं उनके लिए न तो दवा का इन्तजाम है, न ही अस्पतालों की कोई व्यवस्था है। इन्हें भी यह सब सुविधायें प्रदत्त करायी जायें।

सोनभद्र में कई बार लोगों को उजाड़ा गया है और अभी भी उजाड़ने की प्रक्रिया चल रही है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उनको बसाने के लिये कोई जगह नहीं है। अगर आपने पं० दीन दयाल उपाध्याय की एकात्मवाद की पुस्तक को पढ़ा हो तो उसमें लिखा है कि गांवों का विकास करने से ही देश का विकास सम्भव हो सकता है। देश में जो धंधे हैं उनकी अगर छोटी-छोटी इकाइयां बना दी जायें और उनमें उत्पादन हो तो आप देखेंगे कि भारत गांवों से ही खुशहाल होगा, न कि शहरों की चकाचौंध से होगा। सोनभद्र में कई लोग उजाड़े गये हैं। वहां पर बिजली घर लगे हैं, खदानें बनी हैं, लेकिन उन लोगों को बसाने के लिए जगह नहीं दी जा रही है। वहां के लोगों को बसाने के लिए आप पहले व्यवस्था कीजिए। उनके लिए कालोनी बनाई जाये जिस तरह से आप नौकरशाही लोगों के लिए कालोनी बनाकर देते हैं। जब उनको बनाकर देते हैं तो इन लोगों के लिए आप वैसी व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं। क्या वे हिन्दुस्तान के नागरिक नहीं हैं क्या वे हकदार नहीं हैं? उनको इसलिए सुविधायें नहीं दी जातीं क्योंकि वे पढ़े-लिखे नहीं हैं, वे बहरे, गूंगे हैं इसलिए उनको खदेड़ दिया जाता है। जब उनकी जमीन ली जाती है तो वे सहर्ष देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पंजाब, हरियाण आदि से बड़े-बड़े लोग वहां जाते हैं, बीजपुर में जो थर्मल पावर लग रहा है जिसको माननीय मंत्री जी पिछले महीने देखने गये थे वहां पर इंग्लैंड की एक कम्पनी को उसका ठेका दे दिया गया है, जबकि उसको पहले भेल को दिया जाना था। वहां एक रुपये का माल बनता है तो वह एक सौ रुपये में बिकता है। भेल ने कहा था कि जो मशीनरी यहां पर लगी है उसके द्वारा जो चीज बनती है वह हम एक हजार में दे सकते हैं, लेकिन उसको यह कारखाना न देकर इंग्लैंड की एक कम्पनी है जो भेल का पिटी कांटेक्टर था उसको दे दिया गया है। वहां पर जो काम होता है जो पीपे बनते हैं मशीनों के द्वारा जो कि एक हजार में बनते हैं उसको इंग्लैंड से लाने में एक लाख रुपये का खर्चा होता है। अगर ऐसे काम किये जायेंगे तो सोना क्यों नहीं विदेशों में गिरवी रखा जायेगा, हिन्दुस्तान का मस्तक तो झुकेगा ही, कटोरा लेकर भीख हमें मांगनी ही पड़ेगी। अगर छोटी-छोटी इकाइयां शुरू की जायें उनके द्वारा माल तैयार किया जाये तो देश को काफी लाभ होगा। सोनभद्र और मीजपुर में बड़े-बड़े उद्योग न लगाकर छोटे-छोटे उद्योग और इकाइयां लगाई जायें। वहां पर बीड़ी का पत्ता होता है, इमरिती पत्थर होता है और सीमेंट के कारखाने लग सकते हैं। हमारे जिले में जो गरीब तबके के लोग हैं वे अपने छोटे-छोटे हथौड़ों छीने से इमारती पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन उनके लिए पैसा नहीं है। इसलिए इसको लघु उद्योग में लिया जाये। उन पर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स न थोप दिया जाये। हमारे किसान पर एक सौ रुपया भी कर्ज हो जाये तो उसकी कुर्की हो जाती है, जबकि बड़े-बड़े उद्योगों को करोड़ों रुपया बकाया रहता है, लेकिन उनके लिए कोई नियम व कानून लागू नहीं होते हैं।

पिछली सरकार ने दस हजार करोड़ के कर्जे माफ करने के लिए कहा था और एक हजार करोड़ तक माफ भी कर दिये थे, लेकिन बाकी काम वह नहीं कर पाई। क्या यह सरकार उन गरीबों के, किसानों के जो कर्ज हैं उनको माफ करेगी ? नहीं करेंगे, यह भी प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं इस उद्योग नीति का विरोध करता हूं और आपसे मांग करता हू कि माननीय उद्योग मन्त्री जी को जो सुझाव दिया है कि वहां पर जो कालीन उद्योग है, उनके लिए छोटे-छोटे कारखाने लगाये जायें और जो हिण्डालको का अल्युमीनियम तैयार होता है जो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और विदेशों में जाता है, उसके लिए हमारे यहां हजारों लाखों लोग बेकार घूम रहे हैं और खाने को मोहताज हैं, उनके लिए छोटे उद्योग लगाकर काम पैदा किया जाये। इसमें क्या गरीब हरिजन, आदिवासी या अन्य वर्ग के लोग हैं जो अनपढ़ हैं, पिछड़े इलाके के हैं, जिनके लिए स्कूल नहीं हैं, वहां ऐसे केन्द्र स्थापित किये जायें जिससे वे कालीन बनाने की विद्या प्राप्त कर सकें। साथ ही फैक्ट्रियां अगर रहेंगी तो वे उजड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां भी उद्योग स्थापित किये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर थर्मल पावर स्टेशन हैं जिनका नाम नहीं दे सकता हूं, वे बिजली देते हैं, कोयला देते हैं जिसकी बिजली पूरे देश को जाती है यहां तक कि नेपाल तक बिजली जाती है परन्तु हमारा जिला मिर्जापुर और सोनभद्र अंधेरे में है। यद्यपि पावर मन्त्री इसके बगल से हैं, उन्हें कोई तरस नहीं है। केवल अपनी देखते हैं और जो यहां आया है, वह अपनी देख रहा है, दूसरों की नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि किसी को भी राष्ट्र की जरा भी चिन्ता नहीं है। मैं लोक सभा में आया हूं, बहुत चिन्तित हूं क्योंकि अगर टी०ए० बढ़ना हो, तनख्वाह बढ़नी हो, एम०पी० हाथ उठा देगा, कोई विरोध नहीं करेगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि पं० जवाहरलाल नेहरू या लालबहादुर शास्त्री जैसे लोग होते और काम कर रहे होते तो आज कितने दुखी होते लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं ? मैं मानता हूं कि वे अपना पैसा स्विटजरलैंड में ले जा रहे हैं। जैसा कि पहले बैंक नहीं थे तो पैसा जमीन में गाड़ते थे लेकिन आज तो पैसा विदेश में और स्विटजरलैण्ड में भेज रहे हैं। आपके नेता और अधिकारी लोग अगर ईमानदारी से रह सकें, तो यह नहीं हो सकता है। अब मरने के लिए तो सिर्फ 6 मीटर कपड़ा ही मिलता है, यही मैं बताना चाहता हूं कि आप सब लोगों को सजा दें यह देश के प्रति अपराध है। हम लोगों के ऊपर कर्ज है :

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम लोग सड़क पर उतर आयें, ईमानदारी से साथ एक साल के अन्दर, एक महीने या दो महीने में पूरी जनता लड़ाई पर उतर आयेगी। हमारा पूरा देश विदेशों के हाथों में खेलने जा रहा है जो अमेरिका की मुट्ठी में आ चुका है जिसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जैसे गांव के लोग कर्ज लेते हैं, ट्रैक्टर लिया या पम्पिंग सैट लगाया और यदि उसके पास बिल का बकाया है तो जमीन नीलाम हो जाती है, उसी प्रकार हिण्डालको पर पिछले 3-4 साल से दो करोड़ रुपया बकाया है, यदि वहां ईमानदारी होती तो उन की बिजली की लाईन काट दी जाती परन्तु ऐसा होता नहीं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े उद्योगों को छोटा करिये और जो नये लोग हैं, उनको ले आईये। आज इस देश में 100-120 घराने बड़े पूंजीपति के है जिनके

ऊपर करोड़ों रुपया बाकी है। वहां फैक्ट्रियों में 30-40 हजार लोग आज भुखमरी के कगार पर हैं, बंद होने को हैं। मैं कहता हूं कि सरकार वहां भाजपा की है। केन्द्र में सरकार कांग्रेस की है, डाला, चुर्क, कजरहट की तीन सीमेंट की फैक्टरियां बन्द पड़ी हैं। हजारों हजारों मजदूर भूखे मर रहे हैं। वहां जो पूर्व मुख्य मन्त्री हैं उन्होंने भी कहा है, पर मैं कहता हूं कि इस आर पार की लड़ाई में मजदूरों का अहित न किया जाए, उनकी फैक्टरियों को चलाया जाए। वहां के मजदूर तो तैयार हैं कि उन्हें प्रबन्धन में भागीदारी दे दी जाए। वहां पर जो जनता दल की नीति थी कि उनमें श्रमिकों को भागीदारी मिलनी चाहिए, वह लागू होनी चाहिए। आज जितने में डालमिया वगैरह को यह फैक्टरी दे दी गई है, उससे ज्यादा हमारे मजदूर भाइयों का पैसा वहां जमा है। उनको प्रबन्धन में साझेदारी देकर हमारी जनता दल की जो नीति है, उसको कार्यान्वित कर दिया जाए तो वह फैक्टरी वहां मुनाफे में चलेगी।

मैंने कई बार लिखकर दिया हुआ है परन्तु मुझे बोलने नहीं दिया गया नियम 193 में। मैं यह बताना चाहता हूं कि तमाम जो आई०ए०एस० अफसर हैं आप जांच कराइए कि किसने फैक्टरियों को फायदा पहुंचाया और किसने उनको घाटे में जाने दिया। क्या आपने उनसे कभी पूछा? उनके इशारे पर हमारे मन्त्री लोग चलते हैं। आप उनको खत्म करके उनकी जांच कराइए।

वहां पर फैक्टरियों में जो मशीनें हैं उनको वहां के छोटे से कर्मचारी बना सकते हैं। मैं चार वर्ष पहले की जून की बात बता रहा हूं। मैं राबर्टसगंज का रहने वाला हूं और मेरे एक मजदूर ने कहा कि इस मशीन को मुझे बनाने दिया जाए। इसमें मुझे सिर्फ दस हजार रुपया लगेगा और बदले में मुझे सिर्फ प्रमोशन दे दिया जाए। लेकिन उसको वह नहीं दिया गया और वह चार लाख रुपए में ठेके पर दिया गया। उसके लिए छह महीने दिए गए। छह महीने में भी वह नहीं बन पाया, परन्तु उस मजदूर को वह नहीं दिया गया क्योंकि हम प्रमोशन नहीं दे सकते। यह हालत है हमारे देश की।

मैं इस उद्योग नीति का विरोध करते हुए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मिर्जापुर सोनभद्र में जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए वहां अधिक प्रबंध किए जाएं, वहां पर छोटी-छोटी इन्डस्ट्री लगाई जाएं। इसके साथ ही मैं इस उद्योग नीति का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ मुद्दों का उल्लेख करना चाहती हूं। हमारे देश के सामने वित्तीय संकट है। हमारे लोग बड़ी संख्या में विदेशों में काम कर रहे हैं जो इस देश में उद्योग स्थापित करने को इच्छुक होंगे उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वे जो विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं उसका प्रयोग हमारे देश में उद्योग स्थापित करने में किया जायेगा। किन्तु हमारे देश के भविष्य के हित तथा रक्षा के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

दूसरे, हमारा देश कृषि-प्रधान देश है इसलिए अधिक से अधिक कृषि पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, हमारे ग्रामीण लोगों को जो बहुत निर्धन हैं, रोजगार देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। जब भी कोई नया उद्योग लगाया जाये, तो इस बात का ध्यान रखा जाये कि स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों को ही रोजगार पर लगाया जाए। प्रत्येक कारखाने में, कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। मजदूरों को उत्पादन में भागीदार बनाया जाना चाहिए जिससे वे काम में अधिक रुचि लें। प्रबन्धकों और मजदूर वर्ग में अच्छे सम्बन्ध होने चाहिए।

मैं अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में बोनाई उप-खण्ड में देश में लोहे का सबसे अधिक भण्डार है। यह राऊरकेला, भिलाई तथा टाटा इस्पात संयन्त्र को उत्तम स्तर के लोहे की आपूर्ति करता है। बोनाई उप-मण्डल देश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में से एक है जहां पर खनिज संसाधनों के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद भी एक भी उद्योग नहीं है। महोदय अत: आपके माध्यम से मैं इस माननीय सभा से निवेदन करना चाहती हूं कि इस जनजाति बहुल उप-मण्डल की शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से उपेक्षा की जा रही है। अपनी जीविका के लिए लोग अधिकतर कृषि पर निर्भर करते हैं जो कि पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा वह क्षेत्र मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करते हैं। उप-मंडल में पर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अतएव दूसरी फसल होने की कोई संभावना नहीं है। निर्धन लोग लगभग छ: माह तक बेकार रहते हैं। उस क्षेत्र में तुरन्त कोई उद्योग स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। महोदय, अत: मैं आपके माध्यम से अनुरोध करती हूं कि बोनाई तथा गुरुन्दिया में इस उप-मण्डल की काफी लम्बे अर्से से उपेक्षित जनता के भविष्य को सुधारने के लिए वहां पर दो स्पंज लौह के कारखानों की स्थापना की जाए।

वहां पर कच्ची सामग्री की आवाजाही की कोई लागत नहीं होगी तथा वहां पर मानव शक्ति भी पर्याप्त रूप में उपलब्ध होगी जिससे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के भी काफी अवसर उत्पन्न होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं तथा आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूं।

श्री विजय एन॰ पाटिल (इरन्डोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मन्त्रालय की अनुदान समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हम जानते हैं कि वर्ष 1956 से जब से औद्योगिक नीति बनाई गई है, इस नीति में अनेक परिवर्तन तथा संशोधन किये गये हैं तथा इसे नया स्वरूप भी दिया गया है। परन्तु वर्ष 1991 में इसमें आमूल परिवर्तन किए गए हैं। इसी के साथ लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने तथा विदेशी

कम्पनियों की साम्या पूंजी में और अधिक हिस्सेदारी करना भी शामिल है। ये दो बातें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

जहां तक लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने का सम्बन्ध है, इसके नुकसान भी हैं क्योंकि इससे अत्यधिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी तथा मुख्य रूप से लघु उद्योगों को ही सर्वाधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस समय कुछ लघु उद्योगों को कुछ लाभ प्रदान किये जा रहे हैं तथा उनके लिए उतने लाभ ही पर्याप्त नहीं होंगे क्योंकि लाइसेंस समाप्त करने के कारण प्रत्येक क्षेत्र में बाहरी कम्पनियों के प्रवेश की अनुमति दे दी गई है।

इसी प्रकार, सरकार ने भी बैंकों को ज्यादा ब्याज वसूलने की अनुमति दे दी है। लघु उद्योगों को दिये गये कर्जों की राशि पर अधिक ब्याज वसूलने से लघु उद्योगों को उसकी अदायगी करने में और अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यदि हम अपने यहां समुचित औद्योगिक विकास करना चाहते हैं, तो केवल लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त करना ही काफी नहीं है। हमें यह देखना चाहिए कि औद्योगिक क्षेत्रों को कच्ची सामग्री तथा अन्य बुनियादी सुविधायें प्रदान की जायें। आज हम यह देख रहे हैं कि विद्युत उत्पादन में हमारी आकांक्षा के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 1990 तक हमने जो लक्ष्य प्राप्त करने की आशा की थी, विद्युत उत्पादन क्षेत्र में उस लक्ष्य का 25 से 30 प्रतिशत भी प्राप्त नहीं हो सका है।

विद्युत उत्पादन के सम्बन्ध में, मैं यह सुझाव करूंगा कि औद्योगिक क्षेत्रों में कुछ निजी कम्पनियों को प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ताप विद्युत संयंत्र अथवा जल-विद्युत संयन्त्रों द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाली निजी फर्मों द्वारा ग्रिड को विद्युत सप्लाई करने की अनुमति देने के स्थान पर उन्हें किसी औद्योगिक क्षेत्र विशेष को ही विद्युत सप्लाई करने के लिए कहा जाना चाहिए ताकि वहां पर उचित मात्रा में सप्लाई हो सके तथा उस औद्योगिक क्षेत्र विशेष को नियमित रूप से बिजली की सप्लाई होती रहेगी।

मैं यह भी सुझाव दूंगा कि इन उद्योगों द्वारा कुछ सहकारी समितियां बनाई जा सकती हैं तथा उन्हें विद्युत उत्पादन करने की अनुमति दी जा सकती ताकि बिजली की नियमित सप्लाई की जा सके। इसी प्रकार से अब समय आ गया है कि हमें उन उद्योगों को प्रोत्साहन स्वरूप कुछ देना चाहिए जो इन इकाइयों में उत्पादन के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का उपयोग कर रहे हैं। इस समय उन्हें जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है उसे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि निकट भविष्य में पुराने साधन बिल्कुल समाप्त हो जायेंगे। वे और महंगे हो जायेंगे। इसीलिए जो औद्योगिक घराने अथवा औद्योगिक इकाइयां सौर उर्जा जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

इस नई औद्योगिक नीति के मुख्य उद्देश्य कार्यक्षमता, प्रतिस्पर्धा तथा आधुनिकीकरण थे जिसे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी का समर्थन प्राप्त था। अपने शासनकाल के दौरान भी उन्होंने औद्योगिक उत्पादन को अधिक महत्व देने का प्रयत्न किया था। हमारा उत्पादन बढ़

गया है। उस अवधि में विकासदर 8.5 प्रतिशत थी। परन्तु औद्योगिक विकास के साथ-साथ रोजगार अवसर में वृद्धि नहीं हुई है। मैं कुछ आंकड़े उद्धृत करना चाहूंगा। लघु उद्योगों में वर्ष 1989 में 1.19 करोड़ लोगों को रोजगार मिला था। हमारा विचार है कि वर्ष 1990-91 में हम 1.33 करोड़ लोगों को तथा वर्ष 1994 तक 1.56 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे। यह पर्याप्त नहीं है इसे और अधिक रोजगारोन्मुख बनाया जाना चाहिए। 1970-180 के दशक में उत्पादन में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। जबकि रोजगार में 2.8% की वृद्धि हुई थी। जब कि रोजगार के मामले में यह प्रतिशत घटकर 1.5 प्रतिशत ही रह गई है, जबकि उत्पादन में निःसंदेह 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार रोजगार, औद्योगिक विकास में हुई तेजी से मेल नहीं खाता। हम हजारों, लाखों बेरोजगार युवक देखते हैं। इस लिये भी उद्योग मन्त्रालय में कुछ विचार किया जाना चाहिये। मेरा सुझाव है अधिक से अधिक इलेक्ट्रानिक्स उद्योग स्थापित किए जाने चाहिये, क्योंकि ये अधिक रोजगारउन्मुखी होते हैं।

जहां तक चीनी की फैक्ट्रियों का सम्बन्ध है, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि पिछले तीन वर्षों से सरकार की ऐसी नीति रही है वे उन इकाइयों को लाईसेन्स दे रही है, जिनकी उत्पादन क्षमता 2500 टन प्रतिदिन की होती है। यह आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है। यह उपयुक्त नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहूंगा कि 1200 टन प्रतिदिन क्षमता रखने वाली इकाईयों को लाईसेंस प्रदान करने की पुरानी सुविधा पुनः लागू की जानी चाहिए, क्योंकि इससे अधिक से अधिक क्षेत्र को लाभ पहुंच सकेगा। उत्पाद को अधिक दूरी से फैक्ट्रियों तक नहीं पहुंचाना पड़ेगा। बहुत सी चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं। यदि यह 1200 टन प्रतिदिन की क्षमता की होगी तो सदस्यों में भी उचित समन्वय रहेगा।

सोने के मामले में 51% विदेशी इक्विटी की अनुमति होगी यह अच्छी बात है। हम देखते हैं कि जापान ने आटोमोबाइल उद्योग के मामले में अपनी धाक जमा ली है। जर्मनी और दूसरे देश कैमीकल उद्योग में अधिक रुचि रखे हुए हैं। हमने सुना है कि उनके देशों प्रदूषण होने के कारण, वे अपने देशों में और अधिक कैमीकल उद्योग नहीं लगाना चाहते। लेकिन वे भारत में ज्यादा से ज्यादा कैमिकल और पेट्रो-कैमिकल उद्योग स्थापित करने के लिये हमें सहयोग देना चाहेंगे। परन्तु यदि वे उद्योग महानगरों में, बड़े-बड़े शहरों के समीप स्थापित किये जाते हैं, तो वे वहां और अधिक प्रदूषण फैलाएंगे। मैं यह सुझाव दूंगा कि जब हम पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की सोच रहे हैं, तो हमें ऐसे लोगों को पर्वतीय क्षेत्रों में इन उद्योगों को खोलने के लिये कहना चाहिये, जो 51% विदेशी इक्विटी तक का सहयोग करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए बम्बई हाई से जगदीशपुर तक की गैस पाईप लाइन सतपुड़ा पर्वत शृंखला से होकर जा रही है और सतपुड़ा पर्वत शृंखला गुजरात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। यह सारा जनजातीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र का 5 सांसद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यदि कुछ उद्योगपत्तियों को सतपुड़ा क्षेत्र में जगदीशपुर अथवा बटरा के रास्ते जा रही गैस लाइन्स से कुछ गैस की अनुमति देकर पेट्रो-केमिकल इन्डस्ट्री स्थापित करने की दिशा में कहा जाए प्रेरित किया जाये, तो इससे भी रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे।

अंत में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि कुछ खामियों के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को आगे बढ़ाना है, किन्तु उनके विकास को संकेन्द्रित नहीं किया जाना चाहिये। हम जानते हैं कि आज के युग में यदि कोई राष्ट्र औद्योगिकृत नहीं होता तो वह बरबाद हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई जिला औद्योगिकृत नहीं होता, तो वह भी बहुत पिछड़ा रह जाएगा। इसलिये एक ऐसी नीति अपनायी जानी चाहिये, कि जब कभी मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कोई नई इकाई स्थापित की जानी हो, तो वह इस जिलों में ही स्थापित की जाए जहां पहले से सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उपक्रम न हो। इस सन्दर्भ में आज सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग 240 उपक्रम हैं, लेकिन हमारे पास जिलों की संख्या लगभग 550 है। यदि आप नई इकाईयां अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के नये उपक्रम स्थापित करना चाहते हैं, तब आप को यह देखना होगा ये उन जिलों में खोले जायें, जहां इस समय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नहीं हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो अगले पांच वर्षों में प्रत्येक जिले में कम से कम एक उपक्रम अथवा उपक्रम की एक इकाई अवश्य लग जाएगी। इससे उस क्षेत्र का उचित औद्योगिक विकास होगा और स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि श्रमिक-अशान्ति के कारण कलकत्ता में औद्योगिक पतन हुआ है और अनुकूल औद्योगिक वातावरण में हम गुजरात में विकसित हो रहे समृद्ध उद्योगों को देख सकते हैं। इस समग्र स्थिति पर एक अध्ययन होना चाहिये ताकि इससे, इनके कारणों पर सुझाव प्राप्त हो सकें। कलकत्ता में लोग उद्योगपतियों को बुलाते हैं, परन्तु वे वहां जाने को तैयार नहीं हैं। परन्तु गुजरात में, वे अंकलेश्वर वापी और सूरत जैसे स्थानों पर अपने उद्योग लगा रहे हैं। अतः जहां आप नये उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, ऐसे प्रत्येक राज्य में एक आदर्श औद्योगिक वातावरण तैयार किया जाना चाहिये और इसके लिए श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच उचित समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये। हम जानते हैं कि भारत में लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, परन्तु उन्हें उनके कर्तव्यों का बोध कराया जाना चाहिये। हमने श्रमिकों के कल्याण के लिये बहुत से कानून बनाये हैं। लेकिन यदि ज्यादा यूनियन बाजी हुई तो इसके परिणाम कपड़ा उद्योग के विनाश जैसे होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुम्बई में श्रमिक आन्दोलन के कारण ऐसा हुआ है। यह एक बुरी बात है। यदि अन्यत्र क्षेत्रों, दूसरे उद्योगों में भी ऐसा होता है, तो यह भी बुरी बात होगी। इसलिये उचित औद्योगिक माहौल कायम किया जाना चाहिए और इसके लिए कलकत्ता और गुजरात के उदाहरणों को सामने रखते हुए, मंत्रालय द्वारा एक अध्ययन किया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ, मैं समय देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं उद्योग मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तु पुझा) : महोदय, मैं उद्योग मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों के समर्थन में अपने विचार रख रहा हूं।

नई नीति में अनेक अच्छाइयां हैं और मुख्य अच्छाई जिस पर सभी वक्ताओं ने बोला है, वह कार्यकुशलता का तत्व है, जिसे इस नीति में सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की गई है। यदि कार्य-

कुशलता बढ़ जाएगी तो निःसंदेह हमारे औद्योगिक क्षेत्र को अवश्य ही भारी बढ़ावा मिलेगा। भ्रष्टाचार एक ऐसी बुराई है जिसे दबाया जाना चहिए। इस सन्दर्भ में मेरे विचार में नई नीति द्वारा व्यवस्थापित स्वच्छ प्रतिस्पर्धा से व्यापक लाभ होगा। लालफीताशाही और नौकरशाही के कारण होने वाली देरी को उदारीकरण द्वारा, जिसका नीति में वर्णन हैं, दूर किया जा सकता है। जब नीति को व्यवहार में लाया जाता है तो हमें इसके बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मैं नई नीति का भरपूर समर्थन करता हूं।

निःसंदेह, इस बारे में कुछ अड़चनें भी हैं। यद्यपि नीति में बहुत अच्छे दिशा निर्देश हैं तथापि ऐसे भी क्षेत्र हैं, जहां एकाधिकार और व्यापार में कुछ कदाचार, इस नीति में उल्लिखित अच्छी भावनाओं को नष्ट कर सकते हैं। इनकी निगरानी रखी जानी चाहिये अथवा इन पर किसी तरह का नियंत्रण रखा जाना चाहिये, ताकि ऐसे कदाचारों से बचा जा सके।

मैं एक और पहलू पर भी बल देना चाहता हूं। मेरी यह मांग है कि जब भी यह नई नीति लागू की जाए, तो उसमें कृषि पर आधारित उद्योगों तथा लघु क्षेत्र के उद्योगों को अधिक महत्व दिया जाए। ऐसे बहुत से उद्यमी हैं विशेषकर बेरोजगार युवा, जो उद्योग लगाना पसंद करेंगे। वे औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करने और अत्याधिक ईमानदारी व कार्यकुशलता के साथ प्रयास जुटाने के इच्छुक हैं। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि औद्योगिक वातावरण प्रायः उनके विपरीत रहता है और उन्हें उचित प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि केरल में क्या हुआ। पिछले कई वर्षों से केरल के सम्बन्ध में समझा जाता था कि यह वह राज्य है जहां साक्षरता दर सबसे अधिक है। शिक्षित व्यक्ति बहुत अधिक संख्या में हैं। युवा लोग आमतौर पर बहुत सक्रिय हैं और युवा उद्यमी किसी भी क्षेत्र में जाने को तैयार हैं तथा किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। लेकिन जब वे यह सोचकर आगे बढ़ते हैं कि वे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वे इतने हताश हो जाते हैं कि वे नई चुनौतियों के डर से वापस जाने लगते हैं। मैं समझता हूं कि सामान्य औद्योगिक माहोल में काफी सुधार की जरूरत है। जो मूल-भूत ढांचा और अन्य सुविधायें सरकार और अन्य अभिकरण उपलब्ध करते हैं उन्हें सुधारना चाहिए। इस पहलू विशेष को और ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। सरकार को अधिक प्रोत्साहन देने के साथ-साथ मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करने को तैयार रहना चाहिए। सरकार को युवा लोगों को सहकारी क्षेत्र में अपना उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। इस सहायता और प्रोत्साहन से वे उन समस्याओं का अच्छी तरह सामना कर पायेंगे, जिसका उन्हें सामना करना पड़ता है।

महोदय, मैं इस नई औद्योगिक नीति के अन्य पहलुओं पर विस्तार से बात नहीं करूंगा। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भी बढ़ावा दिया जायेगा, बशर्ते कि वे ठीक-ठाक चल रहे हों। मैं अपने कई मित्रों की इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह नयी नीति

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विरुद्ध है। यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक स्वायत्तता देने का सुझाव बहुत अच्छा है। यह एक स्वागत योग्य सुझाव है और यदि इसे कार्यन्वित किया जाये तो इससे अच्छे परिणाम मिलेंगे। जब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होंगे तो वे काफी तरक्की करेंगे और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, और मैं समझता हूं कि वे ज्यादा अच्छे परिणाम दे पायेंगे।

यह सत्य है कि यदि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर पाए, उचित मानक तक खरे न उतार पाए तो हमें फिर यह विचार करना पड़ेगा कि क्या इसे वही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए या नहीं। मैं समझता हूं कि वर्तमान औद्योगिक नीति में इस संबंध में गंभीर विचार किया गया है।

यदि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बढ़ावा दिया जाना है तो सरकार को ज्यादा जिम्मेदारी निभानी होगी। हमने कई क्षेत्रों में पाया है कि जब उद्योग की बात आती है, यदि सरकार एक उद्योग शुरू करती है तो सरकार स्वयं बहुत अच्छी उद्योगपति तो नहीं होती है. क्योंकि इसमें कई अड़चनें हैं। भले ही स्थिति यह हो फिर भी हमे कतिपय क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए।

इस संबध में मेरा एक ही सुझाव है कि जो कुछ भी कहा गया है, मैं नहीं जानता कि वर्तमान नीति के अनुलग्नक दो में उल्लखित 18 संख्या में मोटर कार उद्योग शामिल किया गया है। यह वह वस्तु है जिसे खुली प्रतिस्पर्धा के लिए रखा गया है, क्योंकि आम आदमी का मत है कि अब परिवहन महंगा होता जा रहा है और यह लगभग सभी क्षेत्रों पर प्रभाव डाल रहा है तथा सभी क्षेत्रों की प्रगति को अवरुद्ध कर रहा है। इसलिए यहां प्रतिस्पर्धा वाली बात आनी चाहिए।

मुझे एक मित्र ने, जो कि कुछ उद्योगपतियों के साथ-साथ सरकारी अभिकरणों से संबद्ध रहे है, बताया था कि कुछ कार निर्माता हैं ऐसी मोटर कार और गाड़ियों का उत्पादन करने को तैयार है, जो डीजल इन्जन या डीजल अथवा ऐसे पेट्रोल उत्पादों से चलती हैं, जिनकी कीमत बहुत कम होती हैं। मुझे बताया गया कि वे ऐसी गाड़ियां बनाने के लिए तैयार है, जिनमें वर्तमान कीमत की तुलना में बहुत कम लागत आए। मैं समझता हूं कि इस तरह के उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इस क्षेत्र को सबके लिए खुला रखना चाहिए, ताकि इसमें लाभकारी प्रतिस्पर्धा हो।

अब समय की अड़चन की वजह से मैं यह बात जोकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित है कह कर समाप्त करूंगा क्योंकि भले ही 6 बज जाएं मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र को नहीं भूल सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : 6 बजे का समय बहुत ही मूल्यवान समय है। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र को याद कर सकते हैं।

श्री पी० सी० थामस : मेरा निर्वाचन क्षेत्र, मुवत्तुपुजा जैसे कि मेरे मित्र ने मुझे याद दिलाया है, उद्योग के मामले में बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कई ग्रामीण इलाकों में एक भी उद्योग नहीं है। मुवत्तुपुजा मेरे निर्वाचन क्षेत्र का नाम है और यह वह स्थान है जहां पर अन्नानास की बहुतायत से खेती की जाती है। जैसे कि मेरे माननीय मित्र श्री कुरियन जानते हैं यदि आप मुवत्तुपुजा की तरफ से गुजरें, तो आपको अन्नानास के ढेर के ढेर मिलेंगे। लेकिन गरीब किसान जो इन अन्नानासों का उत्पादन करते हैं, अब इसकी खेती करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इनके भण्डारण की कोई सुविधा नहीं है। उनके पास इन अन्नानासों के उचित उपयोग के लिए कोई सुविधा नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो कि अन्नानास की खेती को बढ़ावा देगा, केरल के मुवत्तुपुजा निर्वाचन क्षेत्र में शुरू किया जाना चाहिए।

मैं यहां कहना चाहूंगा कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा कुछ सहायता करने का वायदा किया गया है।

6 म० प०

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि न्याय और कम्पनी मामलों में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें सभा का समय बढ़ाना पड़ेगा। क्या मैं सभा का समय 15 मिनट बढ़ाने के लिए अनुरोध कर सकता हूं, ताकि सदस्य अपने भाषण पूरे कर सकें?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह सभा के लिए ठीक रहेगा कि सभा का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा का समय 15 मिनट बढ़ाया जाता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमें इस चर्चा को अब कल जारी रखना चाहिए।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : एक सदस्य कल ओणम के लिए जाना चाहते हैं। यही एक विशेषकारण है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है श्री थामस आप अब जारी रख सकते हैं।

श्री पी० सी० थामस : अतः, मेरा सुझाव है कि मन्त्रालय मेरे चुनाव क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आरम्भ करने के प्रयास करे। मैं यह भी कहूंगा कि इसका निर्यात भी किया जाये ताकि बहुत भारी विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सके।

प्रो० के० वी० थामस (एर्णाकुलम) : महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं केवल अपने छोटे से राज्य केरल द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के बारे में ही बोलूंगा। पहली बार,

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में हमारा एक प्रतिनिधि है जो उद्योग की देख-रेख कर रहा है। मैंने सोचा कि मैं सदन तथा माननीय मन्त्री महोदय को अपने राज्य की समस्याओं के बारे में बताऊंगा ताकि हमें केन्द्रीय सरकार से मदद मिल सके। माननीय मन्त्री महोदय हमारी समस्याओं के बारे में जानते हैं।

महोदय, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में औद्योगिक विकास कुछ विशेष राज्यों तथा विशेष केन्द्रों तक ही सीमित है। 1959 में, केरल में केन्द्रीय निवेश 3.6 प्रतिशत था और अब यह घटकर 1.2 प्रतिशत है। केरल उन राज्यों में से एक है जहां पर शिक्षित बेरोजगार बहुत भारी संख्या में बढ़ रहे हैं। अतः, इस सम्बन्ध में कुछ विशेष सुझाव देना चाहता हूं। केरल में प्राकृतिक रबड़ का लगभग 90 प्रतिशत उत्पादन होता है। किन्तु हमारे पास केवल दो टायर उद्योग हैं। जो रबड़ केरल में उपन्न होता है उसकी एक बड़ी मात्रा की बिक्री किसी और स्थान पर होती है, रबड़ उत्पादों का उत्पादन किसी और स्थान पर होता है और पुनः उन्हें केरल वापस लाया जाता है। अतः, केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए कि जो उद्योग रबड़ से सम्बन्धित है उन्हें केरल में आरम्भ किया जाए। केरल कृषि, मत्स्य संस्करण, मत्स्य निर्यात में आगे रहा है। राष्ट्रीय राजकोष में हमारा योगदान बहुत अधिक रहा है। किन्तु अभी भी समुद्री खाद्य उद्योग का इतना विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। छोटे देश जैसे थाईलैंड, कोरिया, जिन्होंने यह उद्योग बहुत देर में खोला है, का विकास बड़े पैमाने पर हुआ है। अतः, समुद्रीखाद्य उद्योग के विकास के लिए मेरे पास तीन सुझाव हैं :

प्रथम, गहन समुद्री मत्स्यपालन को व्यापक तौर पर बढ़ाया जाना चाहिए और समुद्री मत्स्य नौका पर जो प्रतिबन्ध लगे हैं उन्हें हटाया जाना चहिए। वे लोग जो भारतीय अथवा विदेशी तकनीकी से बने समुद्री मत्स्य पोत चाहते हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

दूसरे, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए नई प्रौद्योगिकी का विकास किया जाना चाहिए। अब, नई प्रौद्योगिकी केवल विदेशों में उपलब्ध है।

अतः, विदेशी प्रोद्योगिकी को अपनाया जाए और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाए।

मेरे मित्र श्री पी० सी० थामस अन्नानास के बारे में बता रहे थे। यह भी एक ऐसा उद्योग है जिसमें केरल अपना योगदान दे सकता है।

पर्यटन को भी वे सब लाभ दिए जाए जो किसी भी अन्य औद्योगिक क्षेत्र को दिए जाते हैं। यदि हम देश के वर्तमान राजनीतिक वातावरण पर एक दृष्टि डालें तो पाएंगे कि पर्यटन के विकास में एक दक्षिणी राज्य, जैसे केरल, भी काफी हद तक अपना योगदान दे सकता है। मैं श्री माधव राव सिंधिया का आभारी हूं जो दो सप्ताह पहले केरल आए थे; और जिन्होंने इस सदन के हमारे कुछ मित्रों के साथ हमारे अलैप्पी बोट कार्य को देखा था। जो भी एक बार केरल आता है मैंने देखा है कि वह अवश्य ही पुनः आने की कोशिश करता है। हमारा सांस्कृतिक वातावरण कुछ ऐसा

है कि हर कोई पुनः केरल आना पसन्द करता है। अतः, मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार को पर्यटन के विकास के लिए अच्छी मदद करनी चाहिए।

केरल में कई छोटे लघु स्तर के एकक हैं। प्रो० पी० जे० कुरियन जानते हैं कि अब लघु उद्योगों को वह सुरक्षा नहीं मिल रही है जो उन्हें पहले मिल रही थी। किन्तु मैं यह नहीं कहता कि उन्हें अनुचित रूप से सुरक्षा दी जानी चाहिए। किन्तु यह भय है कि बड़े व्यापारिक घराने लघु उद्योगों को निगलने का प्रयास करेंगे। वे बेनामी तरीके से एक ही तरह की बात कर रहे थे। अब कोई बेनामी नहीं है। किन्तु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि इन लघु उद्योगों, को बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा उपेक्षित कर दिया जाये तो उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अतः उन लघु उद्योगों की पहचान करके उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए। उदाहरणार्थ ट्रेड रबड़ उद्योग है। केरल में बहुत ही छोटे एकक कार्य कर रहे है; जबकि ऐसे बड़े उद्योग, एम० आर० एफ० और अन्य लोग भी हैं। जो इस क्षेत्र में हैं। अतः, यदि रबड़ के उत्पादन के लिए लघु एककों को सुरक्षा नहीं दी जायेगी तो वे समाप्त हो जायेंगे। अतः, सरकार उन्हें सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त उपाय करे।

छोटी निजी कम्पनियों पर दृष्टि डालें। यदि हमारे वर्तमान उत्पाद कर, आय कर और सम्पत्ति कर ढांचे का उचित पुनरीक्षण न किया जाये, तो इनमें से अधिकतर छोटी निजी कम्पनियां, जो लाभ कमा रही हैं, समाप्त हो जायेंगी। अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है। आयकर तथा सम्पत्ति कर के भुगतान के पश्चात् उनके पास धन नहीं बचेगा। अतः, वर्तमान उत्पाद कर ढांचे, आय कर तथा सम्पत्ति कर ढांचे की पर्याप्त रूप से समीक्षा की जानी चाहिए ताकि उद्योग का विकास हो सके।

मैं केरल, कोचीन, के औद्योगिक केन्द्र से सम्बन्ध रखता हूं। माननीय प्रधान मन्त्री जी का एफ० ए० सी० टी० को एक अमोनिया संयन्त्र की स्वीकृति देने के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। केवल दो सप्ताह पहले, पी० आई० बी० ने 900 मि० टन की क्षमता वाले अमोनिया संयंत्र लगाने की स्वीकृति दी थी। यह लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत का है। हम इसके लिए सरकार के आभारी हैं क्योंकि यह उन प्रस्तावों में से एक है जो पिछले दस वर्षों से लम्बित पड़ा था इसकी घोषणा नई सरकार द्वारा की गई है।

एच० एम० टी० का चतुर्थ एकक देश के उन एककों में से एक है जो लाभ कमा रहा है, और हम प्रिन्टिंग के सामान का उत्पादन कर रहे हैं, और एच० एम० टी० का लाभचारी एकक द्वारा निर्मित प्रिन्टिंग का सामान इतना बढ़िया है कि हम उसे पश्चिम जर्मनी को निर्यात भी कर रहे हैं। इसमें इतना अधिक सुधार हुआ है। अतः, इस एकक के विकास के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह तुरन्त इस प्रस्ताव को लागू करे।

हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड कम्पनी सार्वजनिक क्षेत्र की उन कुछ कम्पनियों में से एक है जो लाभ कमा रही है। पुनालपुर में इस एकक के विस्तार के प्रस्ताव हैं। सरकार को इस परियोजना को

तुरन्त कार्यान्वित किया जाना चाहिए। प्रो० पी० जे० कुरियन जानते हैं कि हिन्दुस्तान कागज निगम ऐसी कुछ इकाइयों में से है जो लाम अर्जन कर रही है। पुनालर कागज उद्योग एक वर्ष से भी अधिक समय से बन्द पड़ा है। हमें इस दिशा में कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि इस पुनालर कागज उद्योग को पुन: चालू किया जा सके। एच० पी० सी० की इकाइयों में से कोई भी इकाई पुनालर कागज उद्योग को पुन: चालू करने में काफी सहायता कर सकती है।

महोदय, यह प्रस्ताव किया गया था कि दक्षिण को ग्रिड मानकर मुम्बई हाई से गैस लेकर गोवा तथा कर्नाटक से होते हुए कोचीन तक पहुंचायी जा सकती है। यह दो प्रकार से दक्षिणी राज्यों की सहायता कर सकती है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : केवल कोचीन तक ही क्यों ?

प्रो० के० वी० थामस : केवल उसी स्थान तक के लिए ही है परन्तु यदि आवश्यकता हो तो यह त्रिवेन्द्रम तक जा सकती है। यदि इस ग्रिड को चालू किया जाता है तो इससे हमारे घरों तक रसोई गैस पहुंच सकती है।

दूसरे, केरल में अनेक पैट्रो-रसायन उद्योग हैं। केरल में भी विद्युत सप्लाई केवल जल विद्युत परियोजनाओं पर निर्भर है। यदि इस ग्रिड को चालू किया जाता है, केरल में गैस पर आधारित ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की जा सकती है। भारत सरकार को इस बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

एल्कोहल के सम्बन्ध में, मेरा यह कहना है कि इस समय एल्कोहल का उत्पादन पूरी तरह से शीरे पर निर्भर है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एल्कोहल का उत्पादन हम कसावा के आधार पर करने का प्रयत्न करें। यदि कसावा पर आधारित एल्कोहल की इकाइयों की स्थापना करनी आरम्भ हो जायेंगी, उस स्थिति में जिन कृषकों के पास कसावा के फार्म हैं, इस तरह उनको भी मदद मिलेगी।

कोचीन स्थिति कोचीन शिपिंग यार्ड के सम्बन्ध में, मैं यही कहूंगा कि सरकार द्वारा राज सहायता निर्धारित करने के अवैज्ञानिक तरीके के कारण ही इसे भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। होता यह है कि कोचीन शिप यार्ड में निर्मित पोत का मूल्य निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है जबकि सरकार का कच्ची सामग्री पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसके स्थान पर हमने सरकार के पास यह प्रस्ताव भेजा है कि पोतधारी अथवा नौवहन विभाग द्वारा कच्ची सामग्री दी जानी चाहिए तथा नौवहन कारखाने को निर्माण लागत तथा प्रशासकीय लागत दोनों दी जानी चाहिए। यदि ऐसा किया जा सकता है केवल तभी शिपयार्ड को बनाया जा सकता है तथा सरकार को इस बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

उदाहरण के लिए, तोशीबा आनन्द बैटरीज नामक एक कम्पनी है जो पिछले पच्चीस वर्षों से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कार्य कर रही है। परन्तु कल के बाद इसमें तालाबन्दी होने जा रही है।

पहले पन्द्रह वर्षों में इसने काफी लाभ अर्जित किया था। केवल पांच वर्ष पहले आयात से विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात किया गया था तथा यह पूरी तरह से असफल हुई है। उस कारखाने में वे टार्च की बैटरी बनाते हैं। यह विदेशी प्रौद्योगिकी पूरी तरह से असफल हो गई तथा दस करोड़ रु० पुनः खर्च किए गये परन्तु उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ। अतः मेरा अनुरोध है कि हमें विदेशी प्रौद्योगिकी का चयन करने में अत्यन्त सावधानी बरतनी चाहिए तथा हमें चयनक्षम होना चाहिए। अन्यथा इस पर हमें बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : क्या यह प्रौद्योगिकी अथवा दूसरे किसी कुप्रबन्धन के कारण है ?

प्रो० के० वी० थामस : यह केवल विदेशी प्रौद्योगिकी के कारण था। स्वयं कम्पनी ने भी यह स्वीकार किया है कि जापानी प्रौद्योगिकी असफल हो गई है जबकि हमारी प्रौद्योगिकी सफल हुई है। अतः जब आप विदेशी प्रौद्योगिकी के बारे में विचार करें, तो आप यह समझें कि सभी विदेशी प्रौद्योगिकी का स्वागत किया जाना चाहिए। हमें इसमें सावधानी बरतनी चाहिए।

श्री ई० अहमद : अतएव वर्तमान स्थिति से उबरने के लिए उन्हें विदेशी प्रौद्योगिकी से बचना चाहिए।

श्री वी० के० थामस : इसका कुछ समाधान निकाला जाना चाहिए।

अब मैं विकास केन्द्रों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इस समय भारत सरकार का यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक विकास केन्द्र लगभग पचास एकड़ भूमि में बना होना चाहिए। केरल जैसे राज्य में हम पांच एकड़ से अधिक भूमि नहीं दे सकते।

श्री पी० सी० चाक्को (त्रिचूर) : आप गलत वक्तव्य दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि माननीय मन्त्री जी ने समाचार-पत्र में वक्तव्य दिया है कि उनके निर्वाचन-क्षेत्र में एक नया विकास केन्द्र खोला जायेगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : महोदय, मुझे दुख है। मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है। मैं आपको बताऊंगा कि यह किस बारे में है **(व्यवधान)**

श्री पी० सी० चाक्को : यह एक अच्छा निर्णय है। मैं इस निर्णय का स्वागत कर रहा हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं नहीं चाहता कि माननीय सदस्य इसका स्वागत करें। मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है। **(व्यवधान)** महोदय, आपको इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए।

श्री ई० अहमद : विकास केन्द्रों पर पुनः आते हुए मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि काफी समय पहले वर्ष 1985 अथवा 1986 में सरकार ने यह निर्णय लिया था परन्तु इस पर कार्यान्वयन केवल अभी ही किया गया है। अलेप्पी में इसे चालू किया गया है जो कि मन्त्री जी का निर्वाचन-क्षेत्र है। मन्त्री जी का निर्वाचन-क्षेत्र होने के कारण ही इसे चालू नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपकी प्रशंसा कर रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं ऐसी प्रशंसा नहीं चाहता।

प्रो० के० वी० थामस : महोदय, विकास केन्द्रों पर दोबारा आते हुए, मैं कहना चाहूंगा कि यदि 500 एकड़ जमीन की इसके लिए आवश्यकता पड़ती है तो केरल जैसे राज्य उतनी भूमि नहीं दे सकते। वे केवल 50 अथवा 30 एकड़ जमीन दे सकते हैं। यदि वहां पर कोई विकास केन्द्र 500 एकड़ जमीन में स्थापित किया गया है तो केरल तथा पूर्वोत्तर जैसे छोटे राज्यों में इसे 50 एकड़ अथवा 30 एकड़ अथवा 25 एकड़ के छोटे केन्द्रों में बांटा जा सकता है। अतएव इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं उद्योग मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कापसे (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता के बाद जिस तरह की उद्योग नीति रही उसमें परिवर्तन लाने का विचार आज शासन कर रहा है। आज तक जो नीति रही उसमें ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण लगाए गए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

सभा कल 11.00 बजे म०प० पर पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.17 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 23 **अगस्त**, 1991/1 **भाद्र**, 1913 (**शक**)

के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : सम्राट प्रेस, बी-88, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली-110020

लोक सभा

वाद-विवाद

[दशम माला]

खंड 3

(7 से 22 अगस्त, 1991/16 से 31 श्रावण, 1913 {शक)

सत्यमेव जयते

पहला, सत्र, 1991/1913 (शक)

(खंड 3 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

पी०एल०एस०—48/3/30/91 (एम०)

225

© 1991 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक सम्राट प्रेस, बी-88, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया फेस-II, नई दिल्ली 110020-द्वारा मुद्रित।